न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले, न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को हटाये जाने हेतु प्रस्ताव के संबंध में

न्यायाधीश जांच समिति का प्रतिवेदन

अनुक्रमणिका

क्र.सं.			विषय-वस्तु	पृष्ठ
I.	प्रस्तावना			1
	क.	न्यायमूर्ति श्री एस.के. गंगेले को पद से हटाए जाने और जांच समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव		2-4
	ख.	पृष्ठभूमि तथ्य		4-6
	ग.	अन्य कार्यवाही		6-13
		(i)	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति	
		(ii)	भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई 2014 की रिट याचिका संख्या 792	
		(iii)	उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आंतरिक समिति	
		(iv)	प्रस्ताव की सूचना	
	घ.	परिवाद के प्रकथन का सारांश		13-16
	ङ	अवचार के आधार		16-18
	च.	न्यायमूर्ति गंगेले का प्रत्यर्थी वक्तव्य		18-22
	छ.	समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया		22-24
	ज.	किसी न्यायाधीश को हटाया जाना		24-27
	झ.	महाभियोग कार्यवाही में साक्ष्य का मानक		27-32
	ञ.	यौन उत्पीड़न और साक्ष्य का मानक		32-37
	ट.	यौन उत्पीड़न का आरोप साबित होने पर इसे दुर्व्यवहार माना जाएगा		37-40
	ठ.	यौन उत्पीड़न के आरोप को सिद्ध करने के लिए अधिक पुख्ता सबूत की आवश्यकता		40-42
II.	यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में			43-84
III.	अभिकथित आरोपः स्थानांतरण			85-129
IV.	परिवादी को उत्पीड़ित किए जाने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का उपयोग करते हुए पद का दुरुपयोग किए जाने के आरोपों के संबंध में			130-154
V.	आभार			155
VI.	निष्कर्ष			156
VII.	अनुबंध - साक्षियों की सूची तथा प्रदर्शों की सूची			157-170

संक्षेपाक्षर और संदर्भ

इस प्रतिवेदन के प्रयोजन से निम्नलिखित संक्षेपाक्षर और संदर्भ शब्दों का प्रयोग किया गया है:

परिवादी - सुश्री एबीसी - श्रीमती संगीता मदान; प्रत्यर्थी - न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले, न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ; जेआईसी डब्ल्यू. - समिति की ओर से परीक्षित साक्षी; सी.डब्ल्यू. - परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी; आर.डब्ल्यू. - प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षित साक्षी; एक्स.जेआईसी - समिति द्वारा आहूत और अभिचिह्नित किए गए दस्तावेज; एक्स.सी - परिवादी की ओर से अभिचिह्नित किए गए दस्तावेज; एक्स.आर -प्रत्यर्थी की ओर से अभिचिह्नित किए गए दस्तावेज; एक्स.डी - वे दस्तावेज जिन्हें अभिलिखित नहीं किया गया लेकिन केवल संदर्भ के लिए अभिचिह्नित किया गया।

भाग-I

न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन गठित जांच समिति का प्रतिवेदन

I. **प्रस्तावनाः**

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. गंगेले को पद से हटाए जाने के आधारों की जांच पूरी करने के बाद राज्य सभा की अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2015 द्वारा यथा (पुनः) गठित जांच समिति न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (संक्षिप्त नाम 1968 का अधिनियम) की धारा 4(2) के अधीन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। 1968 की अधिनियम की धारा 4(2) निम्नानुसार हैः-

> **"अन्वेषण की समाप्ति पर, समिति अपना प्रतिवेदन, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को या जहां समिति अध्यक्ष और सभापति द्वारा मिलकर गठित की गई है, वहां उन दोनों को, देगी जिसमें पूरे मामले पर ऐसे विचार व्यक्त करते हुए, जिन्हें यह ठीक समझता है, हर एक आरोप पर अलग-अलग उसके निष्कर्ष कथित होंगे।"**

इस प्रतिवेदन में जांच समिति की कार्यवाही, पक्षकारों की दलीलों और जांचे गए तथ्यों के विस्तृत मूल्यांकन के साथ-साथ लगाए गए तीन आरोपों में से प्रत्येक के संबंध में निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं। जांच समिति के परिणाम और निष्कर्ष भाग-II से V में अभिलिखित हैं। साक्षियों की सूची और चिह्नित प्रदर्शों की सूची उपाबंध-VI में दी गई है।

क. न्यायमूर्ति श्री एस.के. गंगेले को पद से हटाए जाने और जांच समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव

1. दिनांक 4 मार्च, 2015 को राज्य सभा के 58 सदस्यों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 (1) (ग) के अधीन ग्वालियर में स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के न्यायमूर्ति श्री एस.के. गंगेले को पद से हटाये जाने के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सभा के माननीय सभापति को नोटिस दिया था, जिसके निम्नलिखित आधार थेः-

(i) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए ग्वालियर की एक महिला अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का यौन उत्पीड़न;

(ii) उपर्युक्त अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा उनकी गैर-कानूनी और अनैतिक मांगों को न मानने के लिए, उसे ग्वालियर से सीधी स्थानांतरित कर देने सहित अत्याचार; और

(iii) उपर्युक्त अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पर अत्याचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश के अपने पद का दुरुपयोग करना।

2. 1968 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन उपर्युक्त प्रस्ताव ग्रहीत हो जाने पर, राज्य सभा के सभापति ने, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस.के. गंगेले को पद से हटाये जाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के प्रयोजनार्थ एक समिति का गठन किया जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य थेः-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमजीत सेन,
भारत का उच्चतम न्यायालय

2. न्यायमूर्ति श्रीमती मंजुला चेल्लूर,
कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश; और

3. श्री के.के. वेणुगोपाल,
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय

[राज्य सभा सचिवालय अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2015]

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सचिवालय की दिनांक 15 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1015(अ) के आंशिक आशोधन में,

राज्य सभा के सभापति ने 10 फरवरी, 2016 को जांच समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य थेः-

1. न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई,
   भारत का उच्चतम न्यायालय

2. न्यायमूर्ति श्रीमती मंजुला चेल्लूर,
   कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश; और

3. श्री के.के. वेणुगोपाल,
   वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय।

[राज्य सभा सचिवालय अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2016]

17 मार्च, 2016 को जांच समिति का दोबारा पुनर्गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य थेः-

1. न्यायमूर्ति श्री आर.एफ. नरीमन,
   भारत का उच्चतम न्यायालय

2. न्यायमूर्ति श्रीमती मंजुला चेल्लूर,
   कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश; और

3. श्री के.के. वेणुगोपाल,
   वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय।

[राज्य सभा सचिवालय अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 2016]

राज्य सभा की अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के अनुसार जांच समिति का एक बार फिर पुनर्गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य थेः-

1. न्यायमूर्ति श्रीमती आर. भानुमति,
   भारत का उच्चतम न्यायालय

2. न्यायमूर्ति श्रीमती मंजुला चेल्लूर,
   कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश; और

3. श्री के.के. वेणुगोपाल,
   वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय

[राज्य सभा सचिवालय अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल, 2016]

1968 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन न्यायामूर्ति आर. भानुमति को 'जांच समिति की पीठासीन अधिकारी' [1969 के नियमों का नियम 3] के रूप में चुना गया और तत्पश्चात् वह इसी प्रकार कार्य करती रही। जांच समिति की एक सदस्य (न्यायमूर्ति मंजुला

चेल्लूर) 22 अगस्त, 2016 को बम्बई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के पश्चात भी माननीय सदस्य के रूप में कार्य करती रही और इसके पश्चात इन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थान पर बम्बई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में उल्लिखित किया गया है।

3. दिनांक 10 जुलाई, 2015 की अधिसूचना द्वारा राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री अरुण चौधरी, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) एवं सशस्त्र सीमा बल, भारत सरकार के भूतपूर्व महानिदेशक, को 1968 के अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित जांच समिति के सचिव के रूप में नियुक्त किया। भारत सरकार ने 30 जुलाई, 2015 की अधिसूचना द्वारा श्री संजय जैन, अपर महाअधिवक्ता को समिति की सहायता करने (अर्थात् अधिनियम की धारा 3(9) में यथा परिकल्पित न्यायाधीश के विरुद्ध वाद को संचालित करने) हेतु नियुक्त किया गया। श्री अर्जुन मित्र, अधिवक्ता को श्री संजय जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता करने के लिए विधिक परामर्शी के रूप में नाम-निर्देशित किया गया।

ख. पृष्ठभूमि तथ्य

4. परिवादी, सुश्री संगीता मदान मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (विधिज्ञ (बार) से प्रत्यक्ष भर्ती) परीक्षा, 2011 में चुने जाने के पश्चात वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में सम्मिलित हुई थी। परिवादी कैम्पस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की विधि स्नातक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती से पहले परिवादी ने वर्ष 1995 से 2011 तक दिल्ली के न्यायालयों में पन्द्रह वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया था। उनका विवाह दिल्ली स्थित एक वास्तुकार से हुआ है और इस विवाह से उनकी दो पुत्रियां हैं। दिनांक 01.08.2011 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा हेतु चयन के पश्चात उन्हें ग्वालियर में अपर जिला और सत्र (प्रशिक्षु) न्यायाधीश के रूप में तैनात किया गया। वह अपनी दो पुत्रियों और वृद्ध माता-पिता के साथ ग्वालियर में स्थानांतरित हो गई। उनके पति दिल्ली में ही रहे और वह समय-समय पर ग्वालियर आते-जाते रहते थे। उन्होंने तत्कालीन जिला न्यायाधीश श्री डी.के. पालीवाल के मार्गदर्शन में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। दिनांक 16.10.2012 को उन्हें अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-VIII, ग्वालियर के रूप में तैनात किया गया। ए.डी.जे.-VIII और एम.ए.सी.टी. सदस्य-VIII के उत्तरदायित्व के अलावा परिवादी को महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामलों की सुनवाई करने

वाले विशेष न्यायालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। परिवादी को दिनांक 09.4.2013 को जिला विशाखा समिति की अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। परिवादी को मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई।

5. प्रत्यर्थी, न्यायमूर्ति के.के. गंगेले 11.10.2004 को विधिज्ञ (बार) से उच्च न्यायालय न्यायाधीश, मध्य प्रदेश बने थे। उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ में तैनात किया गया जहां पर उन्होंने मई, 2006 तक न्यायिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। जून, 2006 में उन्हें उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ में स्थानांतरित किया गया और 25.06.2011 को ग्वालियर न्यायपीठ का प्रशासनिक न्यायाधीश नामित किया गया। वह जिला ग्वालियर के पोर्टफोलियो जज भी थे और इस प्रकार उन्हें जिला न्यायालय, ग्वालियर के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई थी। पोर्टफोलियो जज के नाते न्यायमूर्ति गंगेले परिवादी के कार्य का मूल्यांकन करने वाले प्रभारी थे।

6. इस अवधि के दौरान न्यायमूर्ति गंगेले ने कथित रूप से परिवादी का यौन उत्पीड़न किया। परिवादी ने यौन उत्पीड़न के चार विशिष्ट दृष्टांत दिए हैं: (i) न्यायमूर्ति गंगेले के विवाह की 25वीं वर्षगाठ के अवसर पर क्रमशः 10 और 11 दिसम्बर, 2013 को आयोजित महिला संगीत और मुख्य समारोह; (ii) जनवरी, 2014 के महीने में प्रत्यर्थी-न्यायमूर्ति गंगेले जिला पंजीयक के माध्यम से परिवादी को न्यायमूर्ति गंगेले से मिलने के संदेश भेजते थे; (iii) दिनांक 22.02.2014 का न्यायिक अधिकारी सुश्री शिवानी शर्मा का विवाह समारोह; और (iv) अप्रैल, 2014 में न्यायमूर्ति सक्सेना की सेवानिवृत्ति का विदाई समारोह। परिवादी ने आगे यह आरोप लगाया की चूंकि वह न्यायमूर्ति गंगेले द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न का प्रतिरोध कर रही थी, इसलिए उनके कहने पर उसकी सतत रूप से गहरी निगरानी करके तथा उसको अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए स्टाफ मुहैया कराने में भी समस्या पैदा करके प्रताड़ित किया गया। परिवादी ने यह आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति गंगेले की शह पर उसे प्रताड़ित किए जाने के क्रम में जुलाई, 2014 में सत्र के बीच में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए, ग्वालियर (श्रेणी 'क' शहर) से सीधी (श्रेणी 'ग' शहर) में उसे स्थानांतरित कर दिया गया और उसके अभ्यावेदनों को निरस्त कर दिया गया। कोई अन्य विकल्प न बचने पर परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 15.07.2014 के अनुसार अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया। मध्य प्रदेश सरकार के

विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए 17.07.2014 के आदेशानुसार परिवादी का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया और उसकी एक प्रतिलिपि परिवादी को भी प्रदान की गई।

ग. अन्य कार्यवाही

(i) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति

7. परिवादी सुश्री संगीता मदान ने दिनांक 1 अगस्त, 2014 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने :- (i) तथ्यान्वेषण के पश्चात उपयुक्त कार्रवाई करने; (ii) उन परिस्थितियों पर पुनर्विचार करने जिनमें उन्हें बाध्य किया गया और उनके पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा; (iii) अधीनस्थ सेवा के न्यायिक अधिकारियों की ऐसी शिकायतों का निवारण करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणी मांगी। दिनांक 9 अगस्त, 2014 के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को उत्तर दिया जिसमें उन्होंने यह बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ वर्तमान न्यायाधीशों वाली दो-सदस्यीय समिति को इस मामले की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए गठित कर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित दो-सदस्यीय समिति ने दिनांक 12 अगस्त, 2014 को परिवादी-सुश्री संगीता मदान को एक पत्र भेजा जिसमें उसे 19 अगस्त, 2014 को प्रारंभिक जांच के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। परिवादी-सुश्री संगीता मदान ने उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जिसमें दो-सदस्यीय समिति गठित की गई है। सुश्री संगीता मदान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा की जाने वाली जांच की निष्पक्षता के बारे में आपत्ति भी प्रकट की।

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन भारत के उच्च्तम न्यायालय के समक्ष दायर की गई 2014 की रिट याचिका संख्या 792

8. परिवादी-सुश्री संगीता मदान ने यह रिट याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के महापंजीयक और न्यायमूर्ति गंगेले को पक्षकार बनाया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित आंतरिक समिति के गठन को चुनौती दी। उच्चतम

न्यायालय ने यह उद्धरण देते हुए इस मामले को समाप्त कर दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका जांच प्रक्रिया के प्रथम चरण तक सीमित है जिसके दौरान केवल यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या *प्रथमदृष्टया* ऐसा मामला बनता है जिसके लिए गहन जांच-पड़ताल किया जाना अपेक्षित हो तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के "आंतरिक प्रक्रिया" के अधीन सौंपे गए प्राधिकार का अतिरेक हुआ है। उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों पर लागू "आंतरिक प्रक्रिया" का उल्लेख करने के पश्चात उन्हें **अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 'X' बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (2015) 4 एस.एस.सी. 91 में पैरा (46) से (49) में दो चरणों में बांटा गया जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गयाः

"46. उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों पर लागू "आंतरिक प्रक्रिया" के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इसे दो चरणों में बांटा गया हैः

46.1 प्रथम चरण में परिवाद में अंतर्विष्ट आरोपों की सत्यता को *प्रथमदृष्टया* सुनिश्चित किया जाता है। यदि यह सुनिश्चित हो जाता है तो क्या गहन जांच अपेक्षित है। प्रथम चरण में आक्षेपों की गहन परीक्षा नहीं की जाती। इसमें केवल परिवाद की विषय-वस्तु और संबंधित न्यायाधीश के उत्तर के आधार पर मूल्यांकन अपेक्षित होता है। इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह अभिनिर्धारित करना अपेक्षित होता है कि इसकी गहन जांच अपेक्षित है। ऐसा (परिवाद में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में) संबंधित न्यायाधीश के प्रत्युत्तर पर विचारण और उसके तर्कसंगत मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

46.2 उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों से संबंधित "आंतरिक प्रक्रिया" के दूसरे चरण के गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। दूसरे चरण की निगरानी स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत हैं कि इसमें गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है, तो वह 'तीन सदस्यीय समिति' का गठन करते हैं और इस प्रकार वह जांच प्रक्रिया को दूसरे चरण में ले जाते हैं। इस समिति में (संबंधित उच्च न्यायालय के अलावा) उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होते हैं। दूसरे चरण में गहन जांच का अभिधारण किया जाता है। यद्यपि 'तीन सदस्यीय समिति' को अपनी प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता होती है, तथापि इसकी अंतर्निहित अपेक्षा के बारे में यह उपबंध किया गया है कि विकसित की गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के नियमों के संगत होनी चाहिए। यहां पर सबसे पहली बार जांच के आधार पर आक्षेपों की प्रामाणिमकता का अन्वेषण किया जाता है। 'तीन सदस्यीय समिति' के पदधारकों का संबंधित न्यायाधीश के साथ किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। संबंधित न्यायाधीश को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करने का न केवल निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए, अपितु परिवादी को भी यह संतोष होना चाहिए कि जांच पक्षपातपूर्ण नहीं होगी। "आंतरिक प्रक्रिया" इसलिए बनाई गई है ताकि पक्षपात, तरफदारी या पूर्वाग्रह से बचा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

47. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी 3 न्यायमूर्ति-क के विरुद्ध प्राप्त परिवाद को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित करने से "आंतरिक प्रक्रिया" आरंभ हो जाती है। "आंतरिक प्रक्रिया" (उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों पर लागू) के उद्धरण को उपर्युक्त पैरा 33 में पुनः प्रस्तुत किया गया है और उससे ज्ञात होता है कि उसे सरल शब्दों

में स्पष्ट किया गया है। अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए, हमने उसमें विचारित "सात चरणों" के जरिए उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों से संबंधित "आंतरिक प्रक्रिया" के ब्यौरे को चरणवार रूप से निम्नानुसार उल्लिखित किया गया हैः

47.1. पहला चरण

(i) उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध परिवाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है;

(ii) उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध परिवाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है;

(iii) उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध परिवाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तत्पश्चात, ऐसा परिवाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित किया जाता है;

उपर्युक्त (i) के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वयं परिवाद की विषय-वस्तु की परीक्षा करेंगे और यदि परिवाद की विषय-वस्तु तुच्छ प्रकार की पायी जाती है, तो वह उसे फ़ाइल कर देंगे।

उपर्युक्त (ii) और (iii) के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसी प्रकार स्वयं परिवाद की विषय-वस्तु की परीक्षा करेंगे और यदि परिवाद की विषय-वस्तु तुच्छ प्रकार की पायी जाती है, तो वह उसे फ़ाइल कर देंगे।

47.2. दूसरा चरण

(i) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परिवाद की परीक्षा करने के उपरांत सहमत होते हैं कि परिवाद में ऐसे गंभीर आक्षेप अंतर्विष्ट हैं जिनमें अवचार या अनौचित्य सम्मिलित है और जिनकी आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है;

(ii) भारत के मुख्य न्यायाधीश परिवाद की परीक्षा करने के उपरांत सहमत होते हैं कि परिवाद में ऐसे गंभीर आक्षेप अंतर्विष्ट हैं जिनमें अवचार या अनौचित्य सम्मिलित है और जिनकी आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त (i) के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश से जवाब मांगेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे।

उपर्युक्त (ii) के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परिवाद अग्रेषित करेंगे। तत्पश्चात, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश से जवाब मांगेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे।

47.3. तीसरा चरण

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश के उत्तर के आधार पर परिवाद में अंतर्विष्ट आक्षेपों की सत्यता पर विचार करेंगे। उपर्युक्त विचारण के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसी एक निष्कर्ष पर पहुचेंगेः

(i) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आक्षेप तुच्छ हैं। ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी राय भारत के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित करेंगे;

(ii) अथवा विकल्पतः, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि परिवाद की गहन जांच अपेक्षित है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश के प्रत्युत्तर और अपने निष्कर्ष सहित परिवाद को भारत के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित करेंगे।

47.4. चौथा चरण

भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निष्कर्ष के साथ-साथ परिवाद में अंतर्विष्ट आक्षेपों और संबंधित न्यायाधीश के उत्तर की परीक्षा करेंगे। यदि इस प्रकार के परीक्षण के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय (परिवाद में अंतर्विष्ट आक्षेपों की गहन जांच अपेक्षित है) से सहमत हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश "तीन सदस्यीय समिति" का गठन करेंगे, जिसमें उच्च न्यायालयों (उस उच्च न्यायालय के अलावा जिससे न्यायाधीश का संबंध है) के दो मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश सम्मिलित होंगे जोकि परिवाद में अंतर्विष्ट आक्षेपों की जांच करेंगे।

47.5. पांचवां चरण

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित "तीन सदस्यीय समिति" नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुकूल स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित करके जांच करेगी। "तीन सदस्यीय समिति" की जांच की समाप्ति पश्चात् अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी। "तीन सदस्यीय समिति" का प्रतिवेदन भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवेदन में निम्नलिखित में से एक निष्कर्ष हो सकता हैः

कि संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आक्षेप सारहीन हैं; या संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आक्षेपों में पर्याप्त सच्चाई है। ऐसा होने पर, "तीन सदस्यीय समिति" इस पर आगे राय व्यक्त करेगी कि संबंधित न्यायाधीश पर आक्षेपित अवचार इतना गंभीर है कि इसमें संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की कार्यवाही आरंभ किया जाना अपेक्षित हो; या कि परिवाद में अंतर्विष्ट आक्षेप इतने अधिक गंभीर नहीं हैं कि संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की कार्यवाही आरंभ किया जाना अपेक्षित हो।

उपर्युक्त (i) के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश परिवाद को फाइल कर देंगे।

उपर्युक्त (ii) के मामले में, "तीन सदस्यीय समिति" का प्रतिवेदन (समिति द्वारा) संबंधित न्यायाधीश को भी प्रदान किया जायेगा।

47.6. छठा चरण

यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित "तीन सदस्यीय समिति" इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अवचार इतना अधिक गंभीर नहीं है कि संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की कार्यवाही आरंभ की जाए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश को सूचित करेंगे और वह यह निदेश भी दे सकते हैं कि "तीन सदस्यीय समिति" का प्रतिवेदन अभिलेख में रख लिया जाए। यदि "तीन सदस्यीय समिति" इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाए जाने के आक्षेपों में सच्चाई है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्नानुसार कार्यवाही करेंगेः

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबंधित न्यायाधीश को वह त्यागपत्र देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का परामर्श दिया जाएगा;

(ii) यदि संबंधित न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को स्वीकार नहीं करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित न्यायाधीश को किसी प्रकार का न्यायिक कार्य आवंटित न करने के लिए कहेंगे।

47.7. सातवां चरण

उपर्युक्त छठे चरण में बताए गए अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का संबंधित न्यायाधीश द्वारा पालन न किए जाने की स्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को "तीन सदस्यीय समिति" के निष्कर्षों की सूचना देंगे। जिनके आधार पर संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की कार्यवाही आरंभ किया जाना अपेक्षित है।

48. उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों से संबंधित "आंतरिक प्रक्रिया" के 'सात चरणों' से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पहले तीन चरणों तक सीमित है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि "आंतरिक प्रक्रिया" पर विश्वास करके याचिकादाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया मुख्य प्रतिविरोध पूर्णतः न्यायसंगत है। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास यह विकल्प नहीं था कि वह "दो-न्यायाधीशों की समिति" का गठन करें या वह यह अपेक्षा करें कि "दो-न्यायाधीशों की समिति" साक्षियों के बयान को अभिलिखित करके जांच आरंभ करे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका जांच प्रक्रिया के प्रथम चरण तक सीमित होने के कारण, जिसमें वह केवल यह विनिश्चय करते हैं कि क्या इस संबंध में *प्रथमदृष्टया* ऐसा मामला बनता है जिसकी गहन जांच की अपेक्षित है; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने "आंतरिक प्रक्रिया" के अधीन स्वयं में निहित प्राधिकार का उल्लंघन किया है। जांच प्रक्रिया के द्वितीय चरण में ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को परिवाद में लगाए गए आक्षेपों की गहन जांच करने के लिए "तीन सदस्यीय समिति" गठित करनी होती है। याची के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना पूर्णतः न्यायसंगत है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित "दो-न्यायाधीशों की समिति" "आंतरिक प्रक्रिया"के दायरे से बाहर है।

49. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि इस न्यायालय द्वारा विकसित की गई "आंतरिक प्रक्रिया" के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियों की शुरुआत की। "आंतरिक प्रक्रिया" के अधीन इस तरह की खामियों से सजग रहकर बचा जा सकता था। हम कुछेक का उल्लेख कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि "आंतरिक प्रक्रिया" में दो चरणों की स्वतंत्र एवं समावेशी प्रक्रिया परिकल्पित की गई है। हमने ऊपर उल्लेख किया है कि प्रथम चरण में 'एक' से 'तीन' तक के चरण सम्मिलित हैं। प्रथम चरण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले का विनिश्चय करने के लिए *प्रथमदृष्टया* यह विचार करने तक सीमित है कि क्या इस मामले की गहन जांच करना अपेक्षित है कि नहीं। "आंतरिक प्रक्रिया" के प्रथम चरण में उसी उच्च न्यायालय के सहकर्मी न्यायाधीशों का विवक्षित अपवर्जन अपेक्षित हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में उन्होंने उसी उच्च न्यायालय के सहकर्मी न्यायाधीशों को जानबूझकर शामिल किया। "आंतरिक प्रक्रिया" के अधीन इससे बचा जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मामले का *प्रथमदृष्ट्या* अभिनिर्धारण करने के

स्थान पर आक्षेपों के समावेशी विचारण की शुरुआत की है। यह भी "आंतरिक प्रक्रिया" के पूर्णतया विपरीत है। वस्तुतः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने चरण "चार" से लेकर चरण "सात" तक की कार्यवाही आरंभ कर दी जोकि "आंतरिक प्रक्रिया"के द्वितीय चरण का भाग थी। "आंतरिक प्रक्रिया" के द्वितीय चरण में गहन जांच परिकल्पित की गई है जिसकी निगरानी भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वयं करते हैं। यदि कार्यवाही द्वितीय चरण तक पहुंचती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश "तीन-सदस्यीय समिति" नामित करेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें उन्होंने "तीन-सदस्यीय समिति" को सौंपी गई जांच प्रक्रिया को छीन लिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने "दो-न्यायाधीशों की समिति" के जरिए स्वयं ही गहन जांच आरंभ कर दी । इसके अतिरिक्त, द्वितीय चरण में उच्च न्यायालय के दो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच की जानी होती है। "आंतरिक प्रक्रिया" के अनुसार "तीन-सदस्यीय समिति" द्वारा की गई जांच का पूर्णतः भिन्न प्रभाव पड़ेगा। इससे न केवल संबंधित पक्षकार यह आश्वस्त महसूस करेंगे कि न्याय किया जाएगा, अपितु व्यापक रूप से जनता में भी यह विश्वास रहेगा कि बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष परिणाम निकलेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने "आंतरिक प्रक्रिया" को अभिकल्पित करने वाली न्यायाधीशों की समिति की बुद्धिमत्ता और भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के दृढ़-निश्चय की उपेक्षा की है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनी गई प्रक्रिया में एक पक्ष या किसी अन्य पक्ष के लिए यह महसूस करना संभव है कि उसे "दो-न्यायाधीशों की समिति" से न्याय नहीं मिलेगा। दरअसल, वर्तमान मामले की बिल्कुल यही स्थिति है। उपर्युक्त अभिलिखित कारणों के आधार पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है। तदनुसार, इसे एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।"

(iii) उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आंतरिक समिति

९. उपर्युक्त रिट याचिका के निपटान के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक आंतरिक समिति गठित की जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा. डी.वाई. चन्द्रचूड, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी थे। जांच के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति ने 02.07.2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि 10/11 दिसम्बर, 2013 (विवाह की 25वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम), 22 फरवरी, 2014 (न्यायिक अधिकारी का विवाह) और अप्रैल, 2014 (उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश का विदाई समारोह) की तीन कथित घटनाओं के आधार पर यौन उत्पीड़न के आरोप को स्थापित करने के लिए सामग्री अपर्याप्त है। समिति ने आदेश दिया कि समिति या पक्षकार उक्त आंतरिक समिति के किसी भी निष्कर्ष का हवाला नहीं देंगे।

(iv) **प्रस्ताव की सूचनाः** यह 17.03.2015 को उपस्थित किया गया और राज्य सभा ने न्यायमूर्ति गंगेले को हटाए जाने के प्रस्ताव को अवचार के निम्नलिखित तीन आधारों पर पारित किया थाः-

> (i) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए ग्वालियर की एक महिला अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का यौन उत्पीड़न;
>
> (ii) उपर्युक्त अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा उनकी गैर-कानूनी और अनैतिक मांगों को न मानने के लिए, उसे ग्वालियर से सीधी स्थानांतरित कर देने सहित अत्याचार; और
>
> (iii) उपर्युक्त अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पर अत्याचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश के अपने पद का दुरुपयोग करना।

अवचार के ये तीन आधार दिनांक 02.07.2016 की कार्यवाही द्वारा आरोपों के रूप में निर्धारित किए गए हैं और इनके साथ कारण उल्लिखित किए गए हैंः-

घ. परिवाद के प्रकथन का सारांश

10. समिति के समक्ष प्रस्तुत अपने शपथ-पत्र में परिवादी ने यौन उत्पीड़न के उन विशिष्ट दृष्टांतों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है, जिनके आधार पर वह न्यायमूर्ति गंगेले द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के अपने आरोप को न्यायसंगत ठहराना चाहती हैंः-

(i) पहला दृष्टांत 10/11.12.2013 को प्रत्यर्थी न्यायमूर्ति की विवाह की 25वीं वर्षगाठ का है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि 8.12.2013 अथवा 9.12.2013 को उन्हें सी.जे.एम., ग्वालियर, श्री राजेन्द्र चौरसिया की पत्नी से उनके लैंडलाइन फोन पर एक फोन आया जिसमें उन्हें यह बताया गया कि न्यायमूर्ति गंगेले के विवाह की 25वीं वर्षगाठ के एक अंश के रूप में 10.12.2013 को आयोजित होने वाले महिला संगीत कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गंगेले उन्हें एक *आइटम सांग* पर नृत्य करते हुए देखने के इच्छुक हैं। इस प्रस्ताव से उन्हें बहुत आघात लगा, लेकिन न्यायिक पदक्रम के दृष्टिगत उन्होंने इससे बचना चाहा और यह कहा कि उन्हें अपनी छोटी पुत्री का जन्मदिन मनाना है। तथापि, शासकीय नयाचार के अनुसार वह दिनांक 11.12.2013 को अपनी दोनों बेटियों सहित मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए गई। परिवादी ने आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति गंगेले को एक अवसर पर उनके समीप आने का मौका मिला और उन्होंने उनके लिए निम्नलिखित कामुकतापूर्ण टिप्पणियां की :-

"मैं आपकी सैक्सी और खूबसूरत फ़िगर को देखने से रह गया। काश आपको नाचते हुए देख पाता।"

(ii) जनवरी, 2014 के महीने में न्यायमूर्ति गंगेले जिला पंजीयक के माध्यम से उन्हें अनेक संदेश भेजते रहे जिसमें परिवादी को उनके बंगले में मिलने के लिए आने के लिए कहा गया तथा परिवादी के अनुसार न्यायमूर्ति गंगेले अपनी पत्नी और पुत्रियों के बिना अपने घर में सामान्यतः अकेले रहा करते थे जोकि एक तरह का यौन उत्पीड़न है।

(iii) तीसरी घटना 22.02.2014 की है। उस दिन परिवादी और न्यायमूर्ति गंगेले एक न्यायिक अधिकारी के विवाह समारोह में मिले थे। तब न्यायमूर्ति गंगेले ने कथित रूप से परिवादी की 16 साल की बेटी की उपस्थिति में परिवादी की पीठ पर अपना हाथ रखा और निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"आपका काम तो बहुत अच्छा है पर आप अपने काम से बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर अपनी आंखें झपकाने का मन नहीं करता।"

(iv) चौथी घटना अप्रैल, 2014 में जिला न्यायपालिका, ग्वालियर द्वारा आयोजित न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना के विदाई समारोह से संबंधित है। परिवादी ने यह आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति गंगेले उन्हें लगातार घूरते रहे और परिवादी द्वारा इससे बचने के कई प्रयास करने के बावजूद उसने स्वयं को लगातार उनकी दृष्टि के घेरे में पाया। न्यायमूर्ति गंगेले द्वारा उनके साथ किसी प्रकार की पहल करने से पहले वह अपने बच्चों को साथ लेकर समारोह छोड़कर चली गईं।

(v) उपर्युक्त सभी दृष्टांतों में परिवादी खामोशी से बिना किसी शोर-शराबे के समारोह छोड़कर चली गई ताकि वह परेशानी और अपमान से बच सके। इसके अतिरिक्त परिवादी का कहना है कि उसे न्यायमूर्ति गंगेले के प्राधिकार और शक्ति का ख्याल था जिसका उसे नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता था। परिवादी ने आगे यह आरोप लगाया है कि समय-समय पर उन्हें जिला पंजीयक के जरिए न्यायमूर्ति गंगेले से अनेक संदेश प्राप्त होते रहे जिसमें परिवादी को उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए आने के लिए कहा जाता था जहां पर वह सामान्यतः अपनी पत्नी और पुत्रियों के बिना अकेले रहा करते थे। परिवादी ने यह आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति गंगेले ने परिवादी के कार्य में असामान्य रूप से ज्यादा दिलचस्पी दिखायी।

(vi) **कार्य का प्रतिकूल माहौलः** परिवादी ने आगे यह स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति गंगेले के कामुक प्रयासों पर ध्यान न देने के परिणामस्वरूप उनकी विभिन्न प्रकार से गहन निगरानी की गई

और उन्हें उनके कार्य में तंग किया गया। परिवादी ने यह आरोप लगाया कि न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में उन पर अत्याचार करने के लिए प्रत्यर्थी न्यायमूर्ति ने अधीनस्थ न्यायपालिका का इस्तेमाल करके अपने पद का दुरुपयोग निम्नलिखित तीन रूपों में किया :- (i) ए.डी.जे. के रूप में उनकी हकदारी के अनुसार चपरासी आवंटित/तैनात न करना; (ii) जब वह छुट्टी पर, विशेष रूप से 09.05.2014 को, थी उनके आशुलिपिक और अन्य स्टाफ को पूरे दिन अन्य न्यायालयों में तैनात कर दिया गया जिसके कारण उन्हें अपने शासकीय कार्य के निर्वहन में अपने स्टाफ से वंचित किया गया; और (iii) जिला न्यायाधीश श्री कमल सिंह ठाकुर और जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) राजीव वर्मा से विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करवा कर परिवादी की कड़ी निगरानी की गई।

(vii) परिवादी ने न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से मिलने का समय मांगा और वह जबलपुर में 01.06.2014 को अपने पति के साथ उनसे मिली और उन्हें अपनी शिकायतों के बारे में बताया। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वह परिवादी की शिकायतों की जांच करेंगे। किंतु परिवादी के साथ प्राधिकारियों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। यहां तक कि ग्रीष्म अवकाश के पन्द्रह दिनों के बाद दो विशेष न्यायालयों का अतिरिक्त उत्तरदायित्व होने के बावजूद उन्हें कम स्टाफ मुहैया कराया जाता रहा। इस संबंध में वह जिला न्यायाधीश श्री कमल सिंह ठाकुर से वार्तालाप करने के लिए गईं परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। परिवादी अपने पति श्री संजय मदान के साथ 29.06.2014 की सुबह प्रत्यर्थी न्यायमूर्ति से मिलीं। परिवादी ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश गंगेले यह देखकर कुपित हो गए कि परिवादी अपने पति के साथ आई हैं और उन्होंने 15 दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए आने को कहा क्योंकि वह पूरे दिन व्यस्त हैं और इस तरह परिवादी को कार्य के प्रतिकूल माहौल में रखा जाता रहा।

(viii) **मध्यावधिक स्थानांतरण और आठ माह का सेवा विस्तार मांगने के आवेदन को निरस्त किया जाना:** ग्वालियर में तीन वर्षों के सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले 08.07.2014 को परिवादी को अचानक दूरदराज के क्षेत्र जिला सीधी में प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अपर न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। परिवादी का आक्षेप यह है कि न्यायमूर्ति गंगेले ने परिवादी द्वारा उनकी अनैतिक मांगों को पूरा नहीं करने के कारण सत्र के बीच में उसका स्थानांतरण करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। दिनांक 09.04.2014 को

परिवादी ने महापंजीयक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति के खंड 9 (क) के आधार पर आठ महीने का विस्तार मांगा क्योंकि उनकी बड़ी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उस वर्ष उसे अपनी बोर्ड की परीक्षा देनी थी। किंतु उपर्युक्त अभ्यावेदन 09.07.2014 को निरस्त कर दिया गया। स्थानांतरण नीति के खंड (16) के आधार पर परिवादी ने दिनांक 11.07.2014 को श्रेणी-ख केन्द्र में स्थानांतरित किए जाने के लिए एक अन्य अभ्यावेदन दिया और उसे भी 14.07.2014 को निरस्त कर दिया गया। परिवादी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के लिए समय लेने का प्रयास किया। किंतु अपने प्रयासों के बावजूद सुश्री संगीता मदान मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात नहीं कर पायी।

(ix) परिवादी ने यह आरोप लगाया कि दिनांक 10.07.2014 को उसने न्यायमूर्ति गंगेले को फोन किया कि वह समय बढ़ाने के उनके आवेदन पर विचार करें, क्योंकि उन्हें परिवादी के आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है। परिवादी के अनुसार प्रत्यर्थी न्यायमूर्ति ने का कि *"आपका स्थानांतरण मेरी आकांक्षाओं को पूरा न करने और मेरे बंगले पर एक बार भी अकेले न आने के कारण किया गया है। मैं आपका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा।"* परिवादी के अनुसार, कोई अन्य विकल्प नहीं बचने के कारण उसने दिनांक 15.07.2014 के पत्र के द्वारा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के पद से त्यागपत्र दे दिया। मध्य प्रदेश सरकार के विधि और विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 17.07.2014 के आदेशानुसार उनका त्याग पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया और उन्हें उसकी एक प्रति सौंप दी गई।

ङ· अवचार के आधार

11. परिवादी के शपथ-पत्र और अवचार के उपरोक्त तीनों आधारों पर दिनांक 05.09.2015 को समिति द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर समिति द्वारा निम्नलिखित आरोप तय किए गए हैं:-

(i) कि दिनांक 09.12.2013 को, श्री राजेन्द्र चौरसिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ग्वालियर की पत्नी ने लैंडलाइन पर फोन किया और सुश्री मदान से कहा कि आप दिनांक 10.12.2013 को आपकी 25वीं सालगिरह पर आयोजित महिला संगीत के कार्यक्रम में उन्हें एक 'आइटम साँग' पर नृत्य करते हुए देखने के इच्छुक हैं, इसके पश्चात् दिनांक 11.12.2013 को आपको सुश्री मदान के क़रीब आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपने उनके कान में फुसफुसाकर कहा, ***"मैं आपकी सेक्सी और खूबसूरत फिगर को देखने से***

रह गया। काश आपको नाचते हुए देख पाता," जो सुश्री मदान के यौन उत्पीड़न के तुल्य टिप्पणी थी।

(ii) कि जनवरी, 2014 के दौरान, आप जिला निबंधक के ज़रिए सुश्री मदान को अपने बंगले पर मिलने के लिए कई संदेश भेजते रहे, जबकि सुश्री मदान के अनुसार आप अपने घर में अपनी पत्नी और बेटियों के बिना अकेले रह रहे थे।

(iii) कि दिनांक 22.02.2014 को एक न्यायिक अधिकारी की शादी की पार्टी के अवसर पर आपने सुश्री मदान और उनकी 16 वर्षीया पुत्री की उपस्थिति में सुश्री मदान से कहा कि *'आल्दो योर वर्क इज़ वैरी गुड, बट यू आर फॉर मोर ब्यूटीफूल दैन योर वर्क'* (यद्यपि आपका काम बहुत अच्छा है, किन्तु आप अपने काम से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं) और आपने सुश्री मदान की ओर देखते हुए यहां तक कहा कि कोई भी अपनी पलकें झपकाना भी नहीं चाहेगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त टिप्पणियां करते हुए, आपने उनकी पीठ पर हाथ रखा।

(iv) कि क्योंकि सुश्री मदान ने आपके प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया, आपने प्रशासकीय न्यायाधीश के पद पर रहते हुए सुश्री मदान को अप्रैल, 2014 से कड़ी निगरानी रखी और तंग किया, जैसा कि सुश्री मदान द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2015 के शपथ पत्र के पैरा-18-24 में कहा गया है।

(v) कि मई, 2014 से जून, 2014 के दौरान, आपने सुश्री मदान को पूर्ण कार्यालय कर्मचारियों को उपलब्ध कराने से इन्कार करके उन्हें उत्पीड़ित किया, जैसा कि सुश्री मदान द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2015 के शपथ पत्र के पैरा-26-35, पैरा-40 और पैरा-46-47 में कहा गया है।

(vi) कि दिनांक 08.07.2014 को आपके कहने पर और दुर्भावनावश सुश्री मदान का स्थानांतरण अचानक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सीधी में कर दिया गया। कि यह स्थानांतरण मात्र सुश्री मदान को दंडित करने के लिए किया गया था और जब कि दिनांक 10.07.2014 को, सुश्री मदान ने यह अनुरोध करने के लिए आपसे संपर्क किया कि आप उनका स्थानांतरण न करें क्योंकि उनकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है, जैसा कि सुश्री मदान द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2015 के शपथ पत्र के पैरा-55, 72, 80 और 82 में कहा गया है, तो आपने कहा कि उन्होंने आपकी इच्छाएं पूरी नहीं की और यह कि वह आपके निवास पर अकेले में आपसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आई। आपने सुश्री मदान को यह भी कहा कि आप उनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे।

(vii) कि आपके उपर्युक्त कृत्यों के परिणामस्वरूप, जैसा कि सुश्री मदान ने पैरा-65 में कहा है, सुश्री मदान अपर और सत्र न्यायाधीश के अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो गईं।

(viii) "अप्रैल, 2014 को, ग्वालियर के जिला न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना की विदाई पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के सभी न्यायाधीश आमंत्रित थे और रात्रि भोजन के समय आप परिवादी सुश्री संगीता मदान को लगातार घूरते रहे। यद्यपि उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, उन्होंने अपने को लगातार आपके दृष्टि-घेरे में पाया। आपकी मंशा को भांपते हुए, इससे पहले कि आप और आगे बढ़ पाते, परिवादी अपने बच्चों के साथ पार्टी छोड़कर चली गईं।" (यह अतिरिक्त आधार दिनांक 02.07.2016 की समिति की कार्यवाही के रिकॉर्ड के अनुसार जोड़ा गया।)

अवचार के उपरोक्त आधार और आधारों के विवरण सहित विस्तृत आरोपों को दिनांक 16.09.2015 की नोटिस के साथ न्यायमूर्ति गंगेले को तामील करा दिया गया था।

12. दिनांक 02.07.2016 के कार्यवाही द्वारा, ऊपर पैरा (7) में वर्णित तय आरोपों में संशोधन किए गए थे और प्रत्यर्थी न्यायाधीश को संप्रेषित 'अवचार के तीनों आधारों' को, प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध निर्धारित तीनों विशिष्ट आरोप निम्नलिखित हैः-

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए ग्वालियर की एक महिला अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का यौन उत्पीड़न;
2. उपर्युक्त अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा गैर कानूनी और अनैतिक मांगों को न मानने के लिए, उसे ग्वालियर से सीधी स्थानांतरित कर देने सहित, अत्याचार; और
3. उपर्युक्त अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पर अत्याचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश के अपने पद का दुरुपयोग करना।

च. न्यायमूर्ति गंगेले का प्रत्यर्थी वक्तव्य

13. नोटिस प्राप्त होने पर, न्यायमूर्ति गंगेले ने तीन खंडों वाला एक प्रति-शपथ पत्र दायर किया है। प्रति-शपथ पत्र का सारांश निम्नानुसार हैः-

(i) न्यायमूर्ति गंगेले ने परिवादी द्वारा उनके ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। दिनांक 11.12.2013 के विवाह की 25वीं सालगिरह समारोह से संबंधित पहले आरोप के संबंध में न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा कि मुख्य स्वागत समारोह के दौरान वे पूरे समय मंच पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे जहां सभी मेहमान आकर उन्हें बधाई दे रहे थे और वे सभी मेहमानों से मिलजुल रहे थे और उन्होंने रात्रि भोज किया था। अपने बचाव को सिद्ध करने के क्रम में उन्होंने उस सामाजिक समारोह जिसमें कथित रूप से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, के विडियो टेप सहित कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। न्यायमूर्ति गंगेले ने इस बात से इंकार किया कि उन्होंने सुश्री दिव्या चौरसिया से परिवादी को कॉल करने और उन्हें यह सूचित करने के लिए कहा था वह वे परिवादी को दिनांक 10.12.2013 को होने वाले महिला संगीत के कार्यक्रम में एक 'आइटम साँग' पर नृत्य करते हुए देखने के इच्छुक हैं। न्यायमूर्ति गंगेले ने अपनी शादी की सालगिरह समारोह के विडियो टेप और तस्वीरें प्रस्तुत की हैं।

(ii) यौन उत्पीड़न की दूसरी घटना से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा है कि दिनांक 22.02.2014 को वह सुश्री शिवानी शर्मा, न्यायिक अधिकारी के विवाह समारोह में शामिल हुए थे जहां परिवादी भी मौजूद थी। न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा है कि वह उस कार्यक्रम में लगभग तीस मिनट रहे और उस दौरान वह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री राजेन्द्र चौरसिया और अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ थे। न्यायमूर्ति गंगेले ने इस बात से पूरी तरह इंकार किया है कि उस समारोह में उनकी संक्षिप्त उपस्थिति के दौरान उनकी परिवादी के साथ कोई बातचीत हुई थी और उन्होंने इस आरोप से भी इंकार किया कि उन्होंने परिवादी की पुत्री की उपस्थिति में उनकी पीठ पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि परिवादी अपने पति और पुत्री के साथ थीं और उनके साथ ग्वालियर की सिविल न्यायाधीश सुश्री भावना सिंह भी थीं और उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वे वह वैसा व्यवहार करते जैसा कि परिवादी ने अपने शपथ पत्र में आरोप लगाया है। अपने बचाव को सिद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति गंगेले ने न्यायिक अधिकारी सुश्री शिवानी के विवाह समारोह का विडियो टेप प्रस्तुत की है।

(iii) प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने जिला निबंधक, नवीन शर्मा के जरिए किसी भी तरह के संदेश भेजने से भी इंकार किया है।

(iv) न्यायमूर्ति गंगेले ने अप्रैल, 2014 में न्यायमूर्ति सक्सेना के विदाई समारोह की तीसरी घटना का और परिवादी के इस आरोप, कि वह उसे लगातार घूरते रहे थे, का भी खंडन किया है। न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा है कि वह मुख्य अतिथि थे और विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे और यह बात अकल्पनीय है कि वह कार्यक्रम के बीच में परिवादी को लगातार घूरते रहें और यह बात किसी और मेहमान की नजर में न आए।

(v) **कार्य करने के प्रतिकूल वातावरण का निर्माण करने संबंधी आरोप का उत्तरः** न्यायमूर्ति गंगेले ने अपने पद का दुरुपयोग करने और अप्रैल, 2014 से जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) और जिला निबंधक के ज़रिए परिवादी के कार्यालयी दायित्व के निर्वहन के दौरान आपकी कड़ी निगरानी करने और उसका उत्पीड़त करने से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश और जिला निबंधक द्वारा कोई निरीक्षण/दौरा उनके नियमित कार्यालयी दायित्व का हिस्सा रहा होगा। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 30.05.2014 को, जब परिवादी ने उन्हें टेलीफोन किया, उसने बंगले पर पूर्णकालिक कार्यालय चपरासी के पूरा समय उपलब्ध नहीं रहने के संबंध में अपनी

समस्या का ही उल्लेख किया था क्योंकि उनका नियमित चपरासी छुट्टी पर था और उन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि इस समस्या पर बाद में चर्चा करेंगे। न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा कि न्यायालय के पुनः खुलने के बाद उन्होंने परिवादी के अनुरोध पर दिनांक 28.02.2014 को अपने निवास पर उन्हें मिलने का समय दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि परिवादी दिनांक 29.06.2014 को अपने पति के साथ उनके निवास स्थान पर आईं और उन्होंने उनकी शिकायत जिला न्यायाधीश को संप्रेषित करने का आश्वासन दिया था, बावजूद इसके कि चपरासी आबंटित करना जिला न्यायाधीश का कार्य है। न्यायमूर्ति गंगेले ने जिला न्यायाधीश और जिला निबंधक को निर्देशित करके कार्य करने के वातावरण को प्रतिकूल बनाने संबंधी परिवादी के आरोप का भी खंडन किया है।

(vi) **परिवादी को जिला सीधी स्थानांतरित करवाने संबंधी परिवादी के आरोप का उत्तरः** न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा है कि परिवादी का स्थानांतरण प्रशासनिक आधारों पर किया गया था और उससे संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग, परिवादी के कार्यकाल के विस्तार संबंधी अभ्यावेदनों सहित, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और/या स्थानांतरण समिति, जिसमें न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति संजय यादव शामिल थे, के द्वारा किया जाना था। न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा है कि पोर्टफोलियो न्यायाधीश होने के नाते परिवादी के स्थानांतरण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। न्यायमूर्ति गंगेले ने कहा है कि यह कहना गलत है कि परिवादी को कथित रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस बात का बदला लेने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया कि परिवादी ने उनकी अनैतिक मांगों को पूरा नहीं किया। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उनके और परिवादी के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई थी जिनमें उन्होंने कहा कि आपने उनकी इच्छा पूरी नहीं की और वह एक बार भी उनसे अकेले मिलने उनके निवास पर नहीं आईं और इसलिए वह उनका कैरियर पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। न्यायमूर्ति गंगेले ने स्वीकार किया कि उनके पास दिनांक 08.07.2014 को सत्र के बीच में उसके स्थानांतरण के संबंध में परिवादी का कॉल आया था जिसका उत्तर उन्होंने यह कह कर दिया कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में शक्तियां उनके पास नहीं हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि परिवादी ने दिनांक 10.07.2014 को पुनः उन्हें कॉल करके स्थानांतरण निरस्त करने के लिए मदद मांगी, किंतु उसने अपने कार्यकाल को ग्वालियर में विस्तार देने हेतु मदद नहीं मांगी थी। न्यायमूर्ति गंगेले कहते हैं कि उन्होंने वही उत्तर दिया था कि वह स्थानांतरण

समिति का हिस्सा नहीं हैं और वह इस संबंध में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने परिवादी को यह भी कहा अब वह उनसे पुनः संपर्क न करें। उन्होंने कहा कि परिवादी अपने स्वार्थहित के लिए झूठी कहानी कह रहीं हैं।

(vii) अंत में, न्यायमूर्ति गंगेले ने परिवादी के इस बात का खंडन किया कि उनके कहने पर परिवादी को प्रताड़ित किए जाने और उनके द्वारा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप परिवादी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश हो गई। वह कहते हैं कि परिवादी का त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया था; अपने त्यागपत्र के समय जब परिवादी नोटिस अवधि के बदले एक महीने का वेतन जमा करवाने के लिए अपने पति के साथ गई थी, उसे पुनर्विचार के लिए कहा गया था जिससे उसने इनकार कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि त्यागपत्र के समय परिवादी ने कहा था कि वह अपनी पुत्री के कैरियर की देखभाल करने के लिए त्यागपत्र दे रही हैं; उस समय उसने यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया था।

14. दिनांक 02.07.2016 की कार्यवाही के अनुसार दिनांक 05.09.2015 के आदेश को संशोधित किया गया था और **'अवचार के तीनों आधार'** को न्यायमूर्ति गंगेले को हटाए जाने संबंधी नोटिस में **'आरोप'** के रूप में निर्धारित किया गया। दिनांक 05.09.2015 की पूर्ववर्ती कार्यवाही द्वारा निर्धारित सात आरोपों को प्रत्यर्थी को तत्कालीन करवाए गए आधारों के विस्तृत विवरण के अनुसार आरोपों के समर्थन में आधारों के सार-विवरण के रूप में माना गया।

15. परिवादी के उपरोक्त अभिकथनों और प्रत्यर्थी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत विवरण और आरोपों के आधार पर समिति ने जांच की। जांच दिनांक 04.12.2015 को शुरू हुई और दिनांक 19.08.2017 को समाप्त हुई और इसमें 25 सुनवाइयां हुईं। परिवादी सुश्री संगीता मदान ने स्वयं को परिवादी साक्षी सं.1 के रूप में परीक्षित किया। परिवादी की ओर से परिवादी प्रदर्श सं. 2 से 4 को परीक्षित किया गया। परिवादी की ओर से प्रदर्श सं. सी/1 से सी/8 को चिह्नित किया गया था। प्रत्यर्थी की ओर से स्वयं न्यायमूर्ति गंगेले ने स्वयं को प्रत्यर्थी साक्षी सं.1 के रूप में परीक्षित किया और अन्य साक्षियों को प्रत्यर्थी साक्षी सं. 2 से 7 के रूप में परीक्षित किया। प्रत्यर्थी की ओर से प्रदर्श सं. आर/1 से आर/28ए चिह्नित किए गए। समिति की ओर से न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन , न्यायमूर्ति पी.के. जैवाल, श्री वी.पी. शर्मा और श्री कमल सिंह ठाकुर और अन्य साक्षियों को जेआईसी साक्षी

सं. 1 से 11 परीक्षित किया गया और प्रदर्श सं. जेआईसी/1 से जेआईसी/44 जांच के प्रयोजनार्थ से प्रासंगिक दस्तावेजों के रूप में चिह्नित किए गए।

छ. समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

16. दिनांक 12.11.2015 के आदेश के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि परिवादी साक्ष्य प्रस्तुत करने और समिति के समक्ष प्रस्तुत या समिति द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी की प्रति परीक्षा करने के लिए अधिकृत होगी। आगे इसी क्रम में, दिनांक 4.12.2015 के आदेश के द्वारा परिवादी को यह विकल्प दिया गया था कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करे और साक्षियों की एक सूची दायर करे। आगे यह आदेश दिया गया कि यदि समिति के काउंसेल अर्थात् श्री संजय जैन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो परिवादी के काउंसेल की भूमिका समिति के परामर्शदाता को सहयोग देने तक ही सीमित रहेगी। परिवादी और प्रत्यर्थी दोनों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किया था जिनके पास मदद के लिए अधिवक्ताओं का दल था। जांच एक संपूर्ण जांच थी। परिवादी और प्रत्यर्थी दोनों को पर्याप्त अवसर दिए गए थे ताकि वे साक्ष्य प्रस्तुत करें और समिति द्वारा परीक्षित किए गए साक्षियों के साथ-साथ प्रतिपक्ष द्वारा परीक्षित किए गए साक्षियों की प्रति-परीक्षा कर सकें।

17. इस समिति द्वारा की गई सुनवाई के एक प्रक्रियागत पक्ष का विशेष उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है। परिवादी और अन्य साक्षियों की परीक्षा किए जाने के दौरान, प्रत्यर्थी के उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश होने और परिवादी द्वारा व्यक्त कतिपय आशंकाओं को देखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश को समिति कक्ष से सटे एक अन्य कमरे में बैठने और विडियो इन्टरफेस के जरिए कार्यवाही देखने को कहा जाए। इस तरह प्रत्यर्थी ने विडियो इन्टरफेस के जरिए कार्यवाहियों में भाग लिया(दिनांक 23.07.2016 का आदेश)। इस प्रक्रिया को समिति के साक्षियों के परीक्षण की पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18.02.2017 से शुरू हुए प्रत्यर्थी के साक्ष्यों की परीक्षा के दौरान प्रत्यर्थी न्यायाधीश समिति कक्ष में बैठे और कार्यवाही में सीधे भाग लिया। उक्त प्रक्रिया को परिवादी एवं प्रत्यर्थी न्यायाधीश दोनो के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से अपनाया गया।

18. समिति के साक्षियों का मुख्य परीक्षा का नेतृत्व जांच न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (9) के अधीन राज्य सभा द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय जैन द्वारा किया गया। तथापि समिति के दिनांक 04.12.2015 के आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

संजय जैन को 'न्याय मित्र' की संज्ञा दी गई। साक्षियों, परिवादी और प्रत्यर्थी न्यायाधीश (दिनांक 23.07.2016 का आदेश) दोनो की ओर से साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गई। समिति के साक्षियों (जेआईसी डब्ल्यू सं. 1 से 11) की विस्तृत परीक्षा के उपरांत (साक्षियों की जांच लगभग एक वर्ष की अवधि तक चली), प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने दिनांक 09.12.2016 को आवेदन सं. 31 दायर किया जिसमें उन्होंने दिनांक 12.11.2015 और दिनांक 04.012.2015 के उन आदेशों/कार्यवृत्त को वापस मांगने का अनुरोध किया जिनके अनुसार परिवादी को समिति के समक्ष साक्ष्य उपस्थित करने और समिति के समक्ष प्रस्तुत/समिति द्वारा परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है, चूंकि उक्त आदेश से समिति विरोधात्मक हो गई है जो कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की व्यवस्था के विरुद्ध है और प्रत्यर्थी न्यायाधीश के वर्तमान संवैधानिक पद की अवमानना है। उक्त आवेदन में यह आग्रह किया गया था कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया सिर्फ तथ्यान्वेषी जांच है और यह राज्य सभा और प्रत्यर्थी न्यायाधीश के बीच का मामला है। उक्त आवेदन को दिनांक 22.01.2017 के विस्तृत तर्कसंगत आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसको प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने दिनांक 03.02.2017 को अपनी रिट याचिका 2017 की (सी)सं. 85 के जरिए उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जो अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

ज. किसी न्यायाधीश को हटाया जाना

19. भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है और इस अनुच्छेद के खंड 4 और खंड 5 किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान करते हैं:

> ***"124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन" -***
>
> ....
>
> *(4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है।*
>
> *(5) संसद खंड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।"(बल दिया गया)"*

20. भारत के संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का प्रावधान करता है और अनुच्छेद का खंड 1 (ख) यह प्रावधान करता है कि:

> ***"217. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें" -***
>
> *(1) ......*
>
> *(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा"*

हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) और अनुच्छेद 217 में विहित महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 (4) में यह प्रावधान है कि केवल साबित कदाचार या असमर्थता के मामले में ही उसे हटाया जा सकता है।

21. संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के उपबंधों के अनुसार संसद ने, समावेदन प्रस्तुत करने और किसी न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का नियमन करने के लिए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 को अधिनियमित किया है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 लोक सभा में सूचना दिए जाने के मामले में कम-से-कम एक सौ सदस्यों द्वारा और राज्य सभा में सूचना दिए जाने के मामले में कम-से-कम पचास सदस्यों द्वारा प्रायोजित महाभियोग के प्रस्ताव पर किसी न्यायिक अवचार के आक्षेपों की जांच संचालित करने के तरीके का प्रावधान करता है। संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह इसमें परिकल्पित तीन सदस्यों वाली एक समिति गठित करे। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए विभिन्न चरणों वाली एक संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया विहित की है। विधान में विहित हैं कि प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में इस तथ्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए कि हटाए जाने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए अथवा नहीं। यह दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उच्चतर न्यायपालिका के सम्मान और स्वतंत्रता को स्वीकार किया था, क्योंकि इसका संबंध सीधे-सीधे न्यायपालिका में लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ था और उनका आशय न्यायाधीशों के गंभीर अवचारों का निदान करना था। ऐसे गंभीर अवचार को तथापि वास्तविक तौर पर सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उच्चतर

न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा और छवि आसानी से धूमिल नहीं की जा सके। यदि जांच समिति की रिपोर्ट में यह पता चलता है कि कोई न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या किसी असमर्थता से ग्रसित है तब समिति की रिपोर्ट के साथ उसको हटाए जाने के का प्रस्ताव लोक सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है जिसे वह समिति की रिपोर्ट के साथ बर्खास्तगी प्रस्ताव को खंड 6 के अंतर्गत संसद के सभा पटल पर विचारार्थ रखेगा और तत्पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के अंतर्गत कार्यवाही होती है।

22. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (10वां संस्करण) में 'कदाचार' को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है:

> ***"एक या उससे अधिक बुरे कार्य जो कानून या आम जनता की दृष्टि में अस्वीकार्य हों"*** *और कार्यालयीय कदाचार अथवा कार्यालयीय अवचार "किसी लोक अधिकारी द्वारा दुराचार, दुष्कर्म, या अकर्मण्यता" के द्वारा सौंपे गए कार्य का आपराधिक उल्लंघन होता है। साथ ही, यह भी संज्ञा दी गई है – कार्यालय में अवचार; कार्यालय में कदाचार; कार्यालय में दुष्कर्म; कार्यालय में तुच्छ जुर्म; कार्यालय में भ्रष्टाचार; कार्यालयीय भ्रष्टाचार; कार्यालय में दुराचार; कार्यालयीय भ्रष्टाचार; राजनैतिक भ्रष्टाचार"। अवचार को निम्न रूपों में परिभाषित किया गया है – "अपने कर्तव्य से विपथित होना; विशेषकर उच्च पद पर आसीन या विश्वसनीय पद पर पदासीन किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कानूनी, बेईमान, या अनुचित व्यवहार।"*

अनुच्छेद 124 के संबंध में संविधान सभा के वाद-विवाद से 'कदाचार' के संबंध में बहुत मार्गदर्शन नहीं मिलता है। यह वाद-विवाद सिर्फ हटाए जाने की पद्धति और प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है। तथापि 'कदाचार' को बहुत अच्छे व्यवहार के विपरीतार्थक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

23. **न्यायमूर्ति रामास्वामी** के मामले में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन गठित जांच समिति (न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत, न्यायमूर्ति पी.डी. देसाई और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ओ. चिनप्पा रेड्डी) में किसी न्यायाधीश के मामले में कदाचार को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत रखा गया है:-

निम्नलिखित कृत्यों को 'कदाचार' कहा जा सकता है-

(क) पद का जानबूझकर घोर दुरुपयोग
(ख) कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर निरंतर विफलता और लापरवाही
(ग) राजकोष से आदतन अपव्यय
(घ) नैतिक भ्रष्टता
(ङ) निजी उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग
(च) न्यायिक पद को बदनाम करना

24. संविधान में 'कदाचार' शब्द कोई परिभाषा नहीं दी गई है क्योंकि इसे 'स्ट्रेट जैकेट फार्मूला' तक सीमित करना संभव नहीं था। इसे अच्छे व्यवहार के विपरीतार्थक समझा गया। समिति ने निम्नलिखित समुक्ति दी है:-

"... 'कदाचार' शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है और यह ठीक है कि इसको फार्मूलाबद्ध करने पर स्वभावतः विचार नहीं किया गया था। यह एक अभिव्यक्ति है जिसे परिस्थितिजन्यक विशेष की अनुभूत आवश्यकता के अनुसार तय होना है। बेशक इसे अच्छे व्यवहार के विपरीतार्थक माना गया है..." (इस पर बल दिया गया)

25. उसी तरह से सौमित्र सेन (न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी, न्यायमूर्ति मुदगल और श्री फालीएस नरीमन) के मामले में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को हटाए जाने के प्रस्ताव पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट के खंड 1 के पृष्ठ 27 पर, समिति ने 'कदाचार' शब्द के अर्थ पर विचार करते हुए निम्नलिखित समुक्ति दी है:

"अंततः कदाचार शब्द अच्छे व्यवहार का विपरीतार्थक ही होता है, यह उस स्थिति की अवहेलना जैसा ही है जिस पर किसी तय न्यायिक कार्यकाल की गारंटी निर्भर करती है। उच्च न्यायिक पद अनिवार्यतः जन-विश्वास का पद होता है और यह जनता का अधिकार है कि वह इस विश्वास को वापस ले ले (संसद में अपने प्रतिनिधियों के जरिए) किन्तु तभी जब कोई 'कदाचार साबित' हो जाए।"

झ. महाभियोग कार्यवाही में साक्ष्य का मानक

26. हमारे संविधान ने एक न्यायाधीश को सिर्फ एक कारण से संवैधानिक न्यायालय के अति उच्च आसन पर रखा है क्योंकि वह भारतीय न्यायपालिका का चेहरा होता है। किसी न्यायाधीश को हटाया जाना बहुत गंभीर मामला है। इससे न केवल वह न्यायधीश प्रभावित होता है बल्कि इससे एक बड़े स्तर पर पूरी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। किसी न्यायाधीश विशेष के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत प्रथम दृष्टया न्यायपालिका की सम्पूर्ण छवि को धूमिल करती है और न्यायिक व्यवस्था पर से लोगों के विश्वास को डगमगाती है और इससे सिविल समाज की बुनियाद पर दुष्प्रभाव पड़ता है। किसी संवैधानिक न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए कदाचार के आक्षेप से सम्पूर्ण न्यायपालिका बुरी तरह से प्रभावित होती है। ऐसे किसी भी आक्षेप को, बिना किसी ठोस साक्ष्य के या मानवीय आचरण की सतत संभाव्यता जो आरोप को सिद्ध करें, के अभाव में परिवादी के विवरण के आधार पर ही वास्तविक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

27. किसी सामान्य विभागीय कार्यवाही में हो रही किसी जाँच की तुलना न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अधीन महाभियोग की कार्यवाही के लिए हो रही जाँच के साथ नहीं की जा सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए बहुत सोच-समझकर एक उच्च स्तर तय किया है ताकि ऐसा प्रतीत हो सके कि मात्र गंभीर अवचार, जो संदेह और तर्क से परे सिद्ध हों, के मामले में ही महाभियोग लाया जा सके। किसी न्यायाधीश के महाभियोग के संचालन के लिए संविधान द्वारा निर्धारित कठिन प्रक्रिया और इसके लिए बनाए गए कानून यह इंगित करते हैं कि महाभियोग असामान्य निदान है जिसे केवल ऐसे मामलों प्रयोग में लाया जा सकता है जहाँ अवचार सिद्ध करने संबंधी साक्ष्य उच्च स्तरीय हों।

28. भारत का संविधान महाभियोग के लिए अनुमत्य आधार विहित करता है जैसा कि अनुच्छेद 124 (5) में दिया गया है (किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना अनुच्छेद 217 (1) के परन्तुक का खण्ड (ग) की) जिसमें 'साबित कदाचार' और/या 'असमर्थता' अन्तर्निहित है। इसमें न तो यह बताया गया है कि कदाचार या असमर्थता का दायरा/अर्थ क्या होगा, और न ही यह कहा गया है कि कथित महाभियोग कार्यवाही में साक्ष्य का वांछित स्तर क्या होगा। यह डा. अम्बेडकर के शब्दों में प्रतिबिम्बित होता है कि यह हमारे संविधान निर्माताओं का सोचा समझा निर्णय था कि उक्त शब्द का निर्वचन नहीं किया जाए और महाभियोग हेतु तंत्र का निर्धारण विधान के माध्यम से किया जाए, न कि संविधान में ही एक विस्तृत प्रावधान विहित किया जाए। **संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड I से VI के पृष्ठ** 899-900 से इसके लिए उद्धरण लिए जा सकते हैं :

> *"जबकि शीर्ष शक्ति दोनों सदनों के पास है, यह खण्ड विहित करता है कि आरोप अवश्य ही सिद्ध होने चाहिए। आरोपों को कितनी शुद्धता के साथ सिद्ध किया जाएगा यह संघीय कानून विहित करेगा। हमें इसके लिए उन लोगों से ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने अन्य क्षेत्रों, में समान मामलों में विचारण किया है। मैं अपने साथी को चुनौती देता हूँ कि वह बताएं कि क्या दुनिया के किसी भी संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए इससे ज्यादा विस्तृत प्रावधान हैं। संविधान में एक सामान्य सिद्धांत दिया गया है और बाद में संघीय कानून एक समुचित तंत्र उपलब्ध कराएगा और यह उस खण्ड का आशय होगा।".... "संक्षिप्त कदाचार में पर्याप्त रक्षोपाय है और हमें विस्तृत और समुचित प्रावधानों के माध्यम से उस प्रक्रिया को निर्धारित करना चाहिए जिसके माध्यम से पारित किए जाने वाले संघीय कानून के अधीन किसी न्यायाधीश का क्षेत्र सिद्ध हो जाए किन्तु वह एक अलग मामला है"..... "किन्तु, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप को महाभियोग तक लाने के लिए संविधान में किसी विस्तृत तंत्र के रखे जाने की आवश्यकता है। इन सब चीजों के लिए एक विस्तृत तंत्र बनाने के लिए एक प्रक्रिया को लाया जाना किसी भी संविधान के लिए एक विलक्षण बात होगी।"*

29. जे.आर.स्पेंसर रचित जैक्सन मशीनरी ऑफ जस्टिस' के 8वें संस्करण के पृष्ठ 369-70 में प्रो. जैक्सन के शब्दों के (अरविन्द पी दतार, की पुस्तक 'कमेंटरी ऑन द कन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया', दूसरा संस्करण, पृष्ठ-776 में यथा-उद्धृत), किसी न्यायाधीश द्वारा किया गया कदाचार, चाहे वह खंडपीठ में हुआ हो या कि इससे बाहर, इससे न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास कम होता है, और इससे लोगों के मन से देश के कानून के प्रति सम्मान कम होता है : यदि इसके बारे में कुछ भी होते हुए नहीं दिखता तो क्षति अपूरणीय हो जाती है। ऐसा तब भी होती है जब कोई न्यायाधीश गंभीर दांडिक अपराध करता है और अपने पद पर बना रहता है।" इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाए और कथित कदाचार की जाँच करने गठित न्यायिक समिति आक्षेपों की गहराई से जाँच करे और वह किसी निर्णय पर पहुँचे जिसमें तथ्य युक्तिसंगत 'संदेह से परे' सिद्ध हों। निःसंदेह, जब एक न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है, इसके अलावा कोई संभावना नहीं हो सकती, और इसके लिए अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

30. भारत के संविधान और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में अन्तर्निहित महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय व्यवस्था की योजना के अनुरूप वांछित संशोधनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तथापि, भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय न्यायाधीशों और अन्य संघीय अधिकारियों पर समान आधार अर्थात् 'घोर अपराधों और दुराचार' के लिए महाभियोग चलाया जाता है। बाद में, अमेरिका में महाभियोग प्रक्रिया के लिए आवश्यक साक्ष्य के मानक को 'संदेह से परे साक्ष्य' के मानक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यदि हम अल्बामा हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव जूडिशियरी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दें, संदर्भ दिनांक 02.08.2016 के अल्बामा के गर्वनर रॉबर्ट बेंटले का महाभियोग, शीर्षक- *'द कंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ए गवर्नर ऑफ अल्बामा'*, में महाभियोग की कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के वांछित मानक के संबंध में निम्न बातें कहीं गईं हैं:

> *"महाभियोग और पद से हटाये जाने का कठोर निदान "फांसी की सजा का राजनैतिक रूप है (उद्धरण लॉरेन्स एच ट्रिबे, डिफाइनिंग-"हाई क्राइम्स मिसडेम्नर्स बेसिक प्रिसिंपल्स " सामान्य सिद्धांत, 67 जीयो वॉश एल रेव 712,723(1999))"। साक्ष्यों के लचीले मानदंड को अपनाने का अर्थ है कि यह सजा और लोकइच्छा का क्षोभ उत्पन्न करना जबकि दोष के लिए संदेह बचा रह ही जाता है। (उद्धरण - चार्ल्स एल ब्लैक, जेआर., इम्पीचमेंटः ए हैंडबुक 69 (1974))। महाभियोग "वैधानिक कमान का ब्रह्मास्त्र होता है, किन्तु चूकि यह बहुत भारी होता है इसलिए सामान्य रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यह 100 टन की बंदूक के जैसा होता है जिसको जगह पर*

लाने के लिए बहुत उलझे हुए तंत्र की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत सारे बारूद की जरूरत होती है और इसमें निशाना लगाने के लिए भी एक बड़े चिह्न की जरूरत होती है।"(उद्धरण जेम्स ब्राईस, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ खंड 1, 212 (1919)) समान संवैधानिक विधि जो महाभियोग लगाए जा सकने वाले आचरण की कठिन परिभाषा और कानून की प्रक्रिया की अपेक्षा रखती है, इसलिए इसकी आवश्यकता है कि विधायिका तभी महाभियोग चलाये जब आरोपित आचरण साक्ष्यों के साथ संदेह से परे और एक नैतिक निश्चितता के साथ सिद्ध हो जाए, अल्बामा के उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मानदंड तय किया गया है।"

31. न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के महाभियोग के मामले में गठित सावंत समिति की दिनांक 20.07.1992 की रिपोर्ट में दी गई समुक्ति के अनुसार भारत में न्यायाधीश पर चलाये जाने वाले महाभियोग की कार्यवाही अपेक्षित साक्ष्य का मानक 'संदेह से परे साक्ष्य' है जो अमेरिका के 'स्पष्ट और संतोषप्रद साक्ष्य' की अपेक्षा के विपरीत है। समिति 'शिकागो-केन्ट लॉ रिव्यू' में प्रकाशित फ्लोरिडा के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेन एफ. ओवरटोन के एक लेख का उद्धरण देते हुए यह नोट करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में साक्ष्य का मानक अभिसंभाव्यता की प्रबलता नामतः, वांछित मानक 'स्पष्ट और संतोषप्रद साक्ष्य' से ऊँचा है,और तत्पश्चात सोच समझ का इसे बदल लिया गया क्योंकि भारत में वांछित मानक और कुछ नहीं बल्कि 'संदेह से परे साक्ष्य' है।

"हम समझते हैं कि स्पष्ट और संतोषप्रद साक्ष्य की अवधारणा, यद्यपि यह सुखद हो सकता है, से अनावश्यक जटिलता और परिष्कार की शुरूआत होती है। महाभियोग की कार्यवाही, कठोर रूप में, अपनी प्रकृति में न तो दीवानी है और न ही फौजदारी, बल्कि अद्वितीय है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आरोप की गंभीरता, महाभियोग की कार्यवाही का अनूठापन, और यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो इसके भयावह परिणाम इस बात को व्यावहारिक, सुरक्षित और आवश्यक बनाते हैं कि साक्ष्य उच्च स्तरीय हो। हमारे विचार में साक्ष्य का स्तर बिना किसी शोधन के संदेह से परे साक्ष्य हो।" **[जैसा कि भारत के विधि आयोग की 195वीं रिपोर्ट के अध्याय VI: न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट संवैधानिक सिद्धांतों में वर्णित है (पृष्ठ सं. 109)]**

32. जिस न्यायाधीश पर महाभियोग की कार्यवाही चल रही है उसे निर्दोष ही माना जाता है, और उसे तभी महाभियोग के द्वारा पदच्यूत किया जाता है जब स्वीकृत साक्ष्य के जरिए उसपर लगाए गए अवचार के आरोप संदेह से परे सिद्ध हो जाए। किन्तु जहां अवचार के आरोप उन साक्ष्यों, जो सतत संभाव्यता पर आधारित नहीं है, अवचार के आरोप को सिद्ध नहीं माना जा सकता।

33. महाभियोग, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि न केवल किसी न्यायाधीश के कैरियर पर एक गंभीर धब्बा है बल्कि यह संपूर्ण न्यायिक प्रणाली की प्रतिष्ठा पर भी एक दाग है। **सी.**

रविचन्द्रन अय्यर बनाम ए.एम. भट्टाचार्य और अन्य (1995) 5, एससीसी 457 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह समुक्ति की है कि 'किसी न्यायाधीश का व्यवहार सुरक्षा जैसा होता है ताकि आम जनता जनतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय का सुख ले सकें और इस प्रकार का वैपरीत्य, कानून के शासन की जड़ को हिला देता है।' आगे 'कदाचार' के आशय के संबंध में अनुच्छेद 124 (5), जो किसी न्यायाधीश के महाभियोग से संबंधित है, कहा गया हैः

> "24. संविधान का अनुच्छेद 124 (4) किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाए जाने की कार्रवाई को स्वीकृति प्रदान करता है। 'कदाचार' को परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक अस्पष्ट और लचीला शब्द है और यह अच्छे आचरण के विरुद्ध आचरण के विविध रूपों को अपने में समाहित करता है। **पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित 'लॉ लेक्जिकन', 1987 संस्करण के पृष्ठ 821 में,** विविध निर्णयों से संकलित किए गए, 'अवचार' को अस्पष्ट और सापेक्ष कहा गया है। शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ गलत आचरण या अनुचित आचरण होता है। इसका अर्थ विषय विशेष और अधिनियम के क्षेत्राधिकार या विचारार्थ विधान के अंतर्गत....के जिस संदर्भ में यह घटित होता है, के संदर्भ में निकाला जाता है। कार्यालय में अवचार को गैर कानूनी व्यवहार या लोक अधिकारी द्वारा की गई ऐसी लापरवाही के अर्थ में समझा गया था, जिससे किसी पक्ष का अधिकार प्रभावित हुआ हो। **कृष्णास्वामी बनाम संघीय भारत और अन्य के साथ-साथ, राज कंवर बनाम संघीय भारत और अन्य (1992)4 एससीसी 605,** में हममें से एक, श्री के. रामास्वामी, जे.,ने अनुच्छेद 124 (4) में 'कदाचार' के अर्थ क्षेत्र पर विचार किया और पैरा 71 में कहा कि **"उच्चतर न्यायापालिका के प्रत्येक कार्य, आचरण अथवा निर्णय की भूल अथवा लापरवाहीपूर्ण कार्य को कदाचार नहीं माना जा सकता। न्यायिक पद का जानबूझकर किया गया दुरुपयोग, पद पर रहते हुए जानबूझकर किया गया अवचार, भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठता की कमी, या अन्य कोई अपराध जिसमें नैतिक चरित्रहीनता सम्मिलित है, को कदाचार समझा जाएगा। अवचार में कुछ हद तक करने वाले व्यक्ति की मंशा भी देखी जाती है। गंभीर अपराध में दोष न्यायिक निष्कर्ष अवचार होता है। किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार विफलता या पद का जानबूझकर किया गया दुरुपयोग, कदाचार होगा। कदाचार की परिधि में न्यायिक कार्यालया में अथवा उसके बाहर न्यायाधीश का आचरण और निष्पादन आएगा। यहां तक कि प्रशासनिक कार्रवाई या भूल को भी मंशा से जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है।"**
>
> 25. संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यकाल की गारंटी और इसकी सुरक्षा, तथापि भ्रष्टाचार या गंभीर कदाचार की अनुमति नहीं देते। तथापि किसी न्यायिक अधिकारी का अपने कर्तव्य निष्पादन में की गई सभी कार्रवाई या लोप, जो अच्छे आचरण के अंतर्गत नहीं आता है, अनिवार्यतः कदाचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिसपर कि महाभियोग लाया जा सके, किन्तु, न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा ओर निष्पक्षता पर इसका आतंरिक असर नकारात्मक और घातक हो सकता है। **अच्छे व्यवहार सभी तरह का कदाचार की तुलना में, संवैधानिक पुनरुक्ति के रूप में महाभियोग का समर्थन नहीं करेगा किन्तु कोई दुर्व्यवहार, जो एक अच्छा व्यवहार है, अनुचित आचरण हो सकता है जो किसी न्यायाधीश के स्तर के व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया का भय अपने आप में किसी भी न्यायाधीश को अवचार के मामले का दोषी ठहरा देता है, किन्तु किसी न्यायाधीश द्वारा किए गए छोटे अपराध या किसी दुराचरण के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उपयोग अपमानजनक जान पड़ता है। किसी न्यायाधीश के बुरे व्यवहार का संपूर्ण न्यायापालिका की प्रतिष्ठा पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जब न्यायपालिका की इमारत आम जनता के विश्वास और**

आदर पर टिकी है तो, ऐसे में किसी हठी न्यायाधीश द्वारा पहुंचाई गई क्षति से संविधान द्वारा निर्मित संपूर्ण न्यायिक संरचना क्षत-विक्षत हो जाती है।" (विशेष बल दिया गया)

34. किसी संस्थान पर कोई आरोप लगाकर उसकी सत्यनिष्ठा और औचित्य को चुनौती देने में कोई समय नहीं लगता, परन्तु इसे बनाने और इसके संरक्षण में बरसों का प्रयास और परिश्रम लगता है। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि संस्थान की छवि के संरक्षण की आड़ में घोर दुराचरण को अनदेखा कर दिया जाए। न्यायपालिका के अपराधी सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाना भी संस्थान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने से जुड़ा है। आरोपों के ठोस सबूत के आधार पर संबंधित न्यायाधीश को दुराचार का दोषी ठहराते/ दोषी न ठहराते समय सबूत का उच्च मानक अपनाने में ही संतुलन समाया है। 'उचित संदेह से परे सबूत' को ही सबूत का स्वीकृत मानक तय किए जाने पर इस तथ्यान्वेषी समिति द्वारा सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है जिसे एक न्यायाधीश पर महाभियोग लगाए जाने के संबंध में असाधारण कार्रवाई के लिए विशेष रूप से गठित किया गया है।

35. यहां, हम यह भी कहना चाहते हैं कि यौन उत्पीड़न जैसे आरोपों वाले मामलों में उच्च श्रेणी के सबूत के लिए आग्रह में रियायत दी जानी चाहिए, जो अधिकांशतया आरोप लगाने वाले व्यक्ति की निजी जानकारी में होता है । तथापि, यदि निराधार आरोपों को बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क की तुष्टि करने वाले साक्ष्य और संभावनाओं के बगैर बने रहने दिया गया, तो इससे संबंधित न्यायाधीश और संस्थान को कलंकित होने देने के अलावा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तथा स्वयं न्याय को बदनीयती और अन्याय के समक्ष समर्पण करने देने जैसा होगा।

ञ. यौन उत्पीड़न

36. इस प्रतिवेदन में, जहां हम "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप" और इस संबंध में कथित रूप से उत्पीड़न के संबंध में विचार कर रहे हैं, यह आवश्यक है कि "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के क्षेत्र में न्यायशास्त्र के कार्यकलाप का संदर्भ देना आवश्यक है। "यौन उत्पीड़न" की परिभाषाएं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय लिखतों, घोषणा-पत्रों ओर अभिसमयों तथा न्यायालयों के निर्णयों, जोकि लगभग समान हैं, में दी गई हैं। तथापि, हम यौन उत्पीड़न की केवल उन्हीं परिभाषाओं का संदर्भ दे रहे हैं जो प्रमुख हैं/जिन्हें बार-बार उद्धृत किया जाता है।

37. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने संबंधी समिति (सीईडीएडब्ल्यू) ने "महिलाओं के प्रति हिंसा "शीर्षक से अपनी सामान्य अनुशंसा सं. 19 (जनवरी 1992) में कहा कि "यौन उत्पीड़न" लिंग आधारित हिंसा का ही रूप है। यह इसलिए लिंग आधारित है क्योंकि "यह किसी महिला के खिलाफ है क्योंकि वह महिला है अथवा अनुपातहीन तरीके से महिलाओं को प्रभावित करता है।" इसमें "शारीरिक, मानसिक अथवा यौन उत्पीड़न अथवा यातना देने वाले कृत्य, ऐसे कृत्यों (और) प्रपीड़न की धमकी" शामिल है। उक्त अनुशंसा में "यौन उत्पीड़न" की परिभाषा इस प्रकार दी गई हैः-

> **"यौन उत्पीड़न में शारीरिक स्पर्श और प्यार जताने की कोशिश करना, अश्लील फब्तियां कसना, अश्लील चित्र दिखाना और चाहे शब्दों से अथवा कृत्यों से यौन संबंधी मांग करना शामिल है। ऐसा आचरण अपमानजनक हो सकता है और यह एक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी समस्या है; यह तब भेदभावपूर्ण होता है जब महिला के पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हो कि उसकी आपत्ति भर्ती और पदोन्नति सहित उसके रोजगार के संबंध में अलाभकारी होगी अथवा जब यह प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करे।"**
>
> [संदर्भः संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने संबंधी समितिः सामान्य अनुशंसा सं. 19ः महिलाओं के प्रति हिंसा (ग्यारहवां सत्र, न्यूयार्क, जनवरी, 1992), दस्तावेज सं. सीईडीएडब्ल्यू/1992/एल.आई/एडीडी. 15]

38. मानदंडों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित **"सीईडीएडब्ल्यू"** की अनुशंसा सं. 19 के आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने **विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य** (1997) 6 एससीसी 241 मामले में वर्ष 1997 में पहली बार "यौन उत्पीड़न" को परिभाषित किया। यह परिभाषा "सीईडीएडब्ल्यू" में प्रस्तावित परिभाषा के लगभग समान है। **विशाखा** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने पैरा (3) और (10) में निम्नानुसार यह घोषणा की कि "यौन उत्पीड़न" भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(छ) और 21 के अधीन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैः-

> "3. ऐसी प्रत्येक घटना के परिणामस्वरूप "पुरुष-महिला समानता" तथा "जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार" नामक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अधीन अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी घटना का एक तर्कसंगत परिणाम अनुच्छेद 19(1)(जी) के अधीन "कोई वृत्ति अथवा कोई उपजीविका करने, व्यवसाय अथवा कारबार करने" के पीड़ित के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है। इसलिए, महिलाओं के इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन इन उल्लंघनों का समाधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस तरह की कार्रवाई का यही कारण है। ऐसी स्थिति में यदि कोई परमादेश रिट प्रभावी होती है, तो उसके साथ निवारण के लिए निर्देश होना आवश्यक है क्योंकि मौलिक अधिकारों के इस प्रकार उल्लंघन की घटना बार-बार होती है। कोई उपजीविका, व्यवसाय अथवा वृत्ति करने का मौलिक अधिकार काम करने के एक "सुरक्षित" वातावरण की

उपलब्धता पर निर्भर करता है। जीवन के अधिकार का अर्थ है गरिमामयी जीवन। उचित विधान के माध्यम से ऐसी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने तथा इसके प्रवर्तन के लिए एक तंत्र का सृजन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी विधायिका तथा कार्यपालिका की है। तथापि, यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधीन महिला कामगारों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दृष्टांत, अनुच्छेद 32 के अधीन समाधान हेतु हमारे समक्ष लाए जाते हैं, तो एक प्रभावी समाधान के लिए यह आवश्यक है कि विधायी शून्य को भरने के लिए इन अधिकारों के संरक्षण हेतु कुछ दिशानिर्देश तय किए जाने चाहिएं।

10. पुरुष-महिला समानता में यौन उत्पीड़न से संरक्षण और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार शामिल है, जोकि सर्वमान्य रूप से स्वीकृत मूल मानवाधिकार है। इस अधिकार की न्यूनतम साझा आवश्यकता को विश्व भर में स्वीकृति मिली है। इसलिए, इस प्रयोजनार्थ दिशानिर्देश बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानदंडों का विशेष महत्व है।"

39. **परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् बनाम ए.के. चोपड़ा** (1999) 1 एससीसी 759 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर किसी अपचारी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के मामले में यदि परिवादी का कथन परिस्थितियों की दृष्टि से विश्वास जगाता है, तो न्यायालय को उसे तत्परता से स्वीकार करना चाहिए और न्यायालय को निरर्थक विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिएः-

"26. इसमें कोई प्रतिवाद नहीं है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रत्येक घटना के परिणामस्वरूप भारत के संविधान द्वारा गारंटित दो सबसे अधिक मूल्यवान मौलिक अधिकारों- पुरुष-महिला समानता के अधिकार तथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। कार्यस्थल पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न उसकी गरिमा और सम्मान के विरुद्ध है तथा इसे समाप्त किया जाना चाहिए तथा ऐसे उल्लंघनों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए एवं इस संबंध में कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी अभिसमय, 1979 (सीईडीएडब्ल्यू) तथा बीजिंग घोषणा-पत्र जो कि राज्य के सभी पक्षों को महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए समुचित उपाय करने और महिला के सम्मान और गरिमा के संरक्षण हेतु कदम उठाने का निर्देश देता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का संदेश बहुत स्पष्ट है। ये अंतर्राष्ट्रीय लिखत भारत राष्ट्र को अपने कानूनों को लिंग संवेदी बनाने के लिए बाध्य करते हैं तथा न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के संदेश को लुप्त न होने दिया जाए। इस न्यायालय ने अनेक मामलों में इस बात पर बल दिया है कि संवैधानिक आवश्यकताओं पर चर्चा करते समय, न्यायालय और अधिवक्ता को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों में सम्मिलित मूल सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए और, यथासंभव, उन लिखतों में समाविष्ट सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। न्यायालय घरेलू कानूनों को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानदंडों को उचित महत्व प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, विशेषकर तब जब इनके बीच कोई असंगति न हो और घरेलू कानून निष्प्रभावी हों। (देखिए - प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) 3 एससीसी 526; मैकिनॉन मैकेंजी एंड कं. लि. बनाम ऑड्रे डि' कोस्टा (1987) 2 एससीसी 469; शीला बरसे बनाम सचिव, चिल्ड्रंस ऐड सोसायटी (1987) 3 एससीसी 50 पृष्ट 54 पर; विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) 6 एससीसी 241; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत सरकार (1997) 6 एससीसी 243 और डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 एससीसी 416 पृष्ठ 438 पर।)"

40. संसद ने "महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2013" अधिनियमित किया है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 22.04.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई और यह 09.12.2013 से लागू हो गया। इस अधिनियम का प्रयोजन विशाखा के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश की तामील करना है। अधिनियम की धारा 2 (ढ) में "यौन उत्पीड़न" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः-

"2.परिभाषाएं -

(ढ) "यौन उत्पीड़न" के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है, अर्थात्:-

(क) शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़ करना; या
(ख) यौन संबंध स्थापित करने के लिए मांग या आग्रह; या
(ग) अश्लील फब्तियाँ कसना; या
(घ) अश्लील चित्र दिखाना; या
(ङ) अश्लील प्रकृति का कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक आचरण करना।"

उपरोक्त अधिनियम की धारा (3) की उप-धारा (1) में कहा गया है कि " ... किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।" धारा 3 की उप-धारा (2) में कहा गया है किः-

3. यौन उत्पीड़न से निवारणः- ....

(2) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को, यदि यौन उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती हैं या विद्यमान है या उससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न माना जा सकेगाः-

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना।

इस प्रकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2013, धारा 3 की उप-धारा (2) "तत्प्रतित यौन उत्पीड़न" और "प्रतिकूल वातावरण यौन उत्पीड़न को मान्यता देती है।"

41. **विशाखा** और **मेधा कोटवाल** के मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, 1998 और 2014 में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण को जोड़ने के लिए **केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,** 1964 में संशोधन किया गया था। नियम 3 सी के स्पष्टीकरण में "यौन उत्पीड़न" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"स्पष्टीकरण:-

(I) इस नियम के प्रयोजनार्थ, -

(क) "यौन उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है, अर्थात्:-

(i) शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना; या
(ii) लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना; या
(iii) लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना; या
(iv) अश्लील साहित्य दिखना; या
(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना।

(ख) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को, यदि यौन उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती हैं विद्यमान है, या उससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न माना जा सकेगा:-

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना; या
(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या
(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या
(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना; या
(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना।

42. भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए के अधीन यौन उत्पीड़न को अब अपराध बना दिया गया है। आईपीसी की धारा 354-ए में "यौन उत्पीड़न" और इस संबंध में दंड को परिभाषित किया गया है और यह इस प्रकार है:-

"354-क यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए दण्ड:-

1. निम्न कार्यों:-

(i) अवांछनीय एवं सुव्यक्त लैंगिक संबंधों के बनाने को अंतर्ग्रस्त करने वाला शारीरिक संपर्क एवं अंगक्रियाएँ; या

(ii) शारीरिक संबंध की माँग या अनुरोध; या
(iii) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना; या
(iv) यौन अश्लील टिप्पणियां करना

में से कोई कार्य करने वाला यौन उत्पीड़न के अपराध का अपराधी होगा।

2. कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करेगा, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
3. कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

ट. यौन उत्पीड़न का आरोप साबित होने पर इसे दुर्व्यवहार माना जाएगा

43. यदि यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य साबित हो जाता है तो यह न्यायपालिका संस्था की वैधता को क्षीण करता है और 'दुर्व्यवहार 'के समान है तथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के साथ पठित अनुच्छेद 124 के अधीन किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की मांग करता है। इस संबंध में, परिवादी की ओर से, इस बात को दृढ़ता के साथ रखने के लिए अन्य न्यायक्षेत्रों से अनेक निर्णयों पर भरोसा किया गया कि यौन उत्पीड़न न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा तथा न्याय के प्रशासन को दूषित करता है।

44. किसी प्रांतीय न्यायाधीश द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में **ओनटारियो न्यायालय (प्रांतीय खंड) के एक न्यायाधीश डब्ल्यू.पी. ह्रिसिक** के संबंध में **न्याय आयोग** (1993) में न्यायिक आयुक्त ने यह निर्णय दिया कि:-

> "जब कोई न्यायाधीश दुराचार करता है, तो दुराचार की जटिलता इस बात से मापी जा सकती है कि एक न्यायाधीश के रूप में उनमें तथा न्याय के प्रशासन में जनसाधारण के विश्वास को किस हद तक दूषित किया है।"
>
> "महिलाओं के लिए लैंगिकवादी और अपमानजनक टिप्पणियां करना और उन्हें कामुक और अनुपयुक्त तरीके से स्पर्श करना ऐसे पक्षपातपूर्ण आचरण के उदाहरण हैं।"

45. **जॉन फिच बनाम कमीशन ऑन ज्युडिशियल परफोर्मेंस [9 सीएएल. चतुर्थ 552 (1995)],** में एक काउंटी न्यायाधीश पर, अन्य व्यवहार के साथ-साथ, न्यायालय के स्टाफ की महिला सदस्यों की शारीरिक विशेषताओं और वस्त्रों के संबंध में अनुचित और अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े कई तरह के दुराचरण के आरोप लगाए गए थे। ऐसे आचरण को सार्वजनिक रूप से निंदा

किए जाने के लिए समुचित आधार मानते हुए, कैलिफोर्निया के उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की किः-

> "याचिकाकर्ता के ऐसे आचरण को देखने वाली जनता द्वारा इसे न्यायपालिका के सम्मान को क्षति पहुंचाने वाला आचरण ठहराए जाने के कारण उसका आचरण न्यायिक कार्यालय को बदनाम करने वाला था। "

46. **अटॉर्नी ग्रेस एम. वेलोसो और एमए. जॉयलिन बी. क्विनोंस बनाम न्यायाधीश एनाक्लीटो एम. कैमिनाडे, आरटीसी, ब्रांच 6, सेबू सिटी** [ए.एम. सं. आरटीजे-01-1655, 8 जुलाई, 2004] में, फिलिपींस के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया किः-

> "जो लोग न्यायपालिका में कार्य करते हैं, विशेषकर न्यायमूर्ति और न्यायाधीश, उन्हें न केवल कानून की जानकारी होनी चाहिए बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी उच्च कोटि की होनी चाहिए तथा सार्वजनिक और निजी जीवन में उनकी नैतिक शुचिता निर्विवाद होनी चाहिए।"
>
> हमने बार-बार यह कहा है कि, हालांकि सरकारी सेवा में प्रत्येक कार्यालय एक जनता के भरोसे वाला कार्यालय है, कोई भी पद न्यायपालिका में किसी पद से अधिक नैतिक न्याय परायणी नहीं है। एक न्यायाधीश न्याय के प्रशासन में एक उत्कृष्ट भूमिका निभाता है, उसे स्वयं को प्रदान किए गए सम्मान की बड़ी कीमत चुकानी चाहिए। इस प्रकार, एक न्यायधीश का आचरण सर्वदा इस तरह का होना चाहिए कि वह, चाहे आधिकारिक रूप से या अन्यथा, जनता, जो उन्हें सत्यनिष्ठा और न्याय की प्रतिमूर्ति के प्रतिमान के रूप में देखती है, की अत्यधिक कड़ी जांच को सह सके।
>
> नए कोड ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट के कानून 3 और 4 का क्रमशः यह अधिदेश है कि "न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि न केवल उनका आचरण परिवाद से ऊपर हो, बल्कि उचित पर्यवेक्षक के विचार से भी ऐसा ही हो" और यह कि "न्यायाधीश अपने सभी कार्यकलापों में अनुचित कार्य और अनुचित कार्य के आभास से दूर रहेंगे।" न्यायालय के सभी मजिस्ट्रेटों और कर्मचारियों से शिष्टाचार के इन कड़े मानदंडों की अपेक्षा की जाती है।
>
> न्यायाधीश कैमिनाडे के व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हम न तो उनके मासूम मसखरेपन के दावों से खुश हैं और न ही आत्मीयता के अत्यधिक प्रदर्शन से प्रभावित हैं। उन्होंने शालीनता, नैतिकता और मर्यादा की सीमाओं से परे कार्य किया है। वह कोड ऑफ कंडक्ट में सम्मिलित आचरण के मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। उनके अनुचित और अप्रिय कार्य स्पष्टत रूप से यौन उत्पीड़न हैं क्योंकि उनके परिणामस्वरूप उनकी महिला अधीनस्थों के लिए भयावह, प्रतिकूल और अपमानजनक वातावरण बना।"

47. उत्तरी डाकोटा के उच्चतम न्यायालय ने **ज्यूडिशियल कंडक्ट कमीशन बनाम विकहैम कोरविन**, 843 एन.डब्ल्यू. 2डी 830 (2014) के मामले में यह निर्णय दिया कि किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न न केवल यौन उत्पीड़न का मामला है, बल्कि इसमें न्यायिक सत्यनिष्ठा और नैतिकता का मामला भी शामिल है। यह निर्णय दिया गया किः-

> "ज्यूडिशियल कंडक्ट कमीशन के समक्ष यह मामला रोजगार संबंधी कानून और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून से निपटने संबंधी मामले के रूप में नहीं आया है, बल्कि न्यायिक आचार संबंधी कोड से संबंधित मामले के रूप में आया है। कानून यौन उत्पीड़न की कोई परिभाषा प्रदान नहीं करते। इस तरह के मामलों में, यौन उत्पीड़न की स्पष्ट रूप से पहचान होती है।"

यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत आचरण-संहिता तैयार की गई है कि न्यायाधीश सार्वजनिक तथा निजी जीवन दोनों में सत्यनिष्ठा बनाए रखें।

48. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि यदि यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हो जाते हैं, तो वह "दुर्व्यवहार" होगा और न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (4) में, हमारे संविधान निर्माताओं ने विचारपूर्वक "प्रमाणित दुर्व्यवहार" का प्रयोग किया है। जैसा कि पहले कहा गया है, चूंकि एक न्यायाधीश द्वारा दुर्व्यवहार का संपूर्ण न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास कमज़ोर होता है, आरोप पुष्ट साक्ष्यों पर आधारित और प्रमाणित होने चाहिएं। हम जानते हैं कि आम तौर पर यौन उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से नहीं होता और कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है। परन्तु "संभावना की प्रमुखता" के प्रमाण के मानक को अपनाने के लिए किसी महाभियोग की कार्यवाही की किसी विभागीय जांच से बराबरी नहीं की जा सकती। मौजूदा कार्यवाही के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही होने के नाते, अधिक पुख्ता सबूत की आवश्यकता है। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, परिस्थितियों और पक्षों के आचरण को देखते हुए, यदि परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं होते हैं तो प्रत्यर्थी न्यायाधीश को "दुर्व्यवहार" का दोषी ठहराने के लिए यौन उत्पीड़न के मामले को प्रमाणित नहीं ठहराया जा सकता।

ठ. यौन उत्पीड़न के आरोप को सिद्ध करने के लिए अधिक पुख्ता सबूत की आवश्यकता

49. जहां तक यौन उत्पीड़न के आरोप का संबंध है, ऐसे आरोप को लगाना बहुत आसान है और गलत साबित ठहराना बहुत कठिन है। जब यौन उत्पीड़न का कोई आरोप लगाया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या यह सामान्य मानव आचरण और उसकी संभावनाओं के अनुरूप अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित है; क्या प्रत्यर्थी को यौन उत्पीड़न के आरोपों का दोषी ठहराने के लिए इस पर कार्रवाई करना युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित है। इस जांच के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही होने के नाते, प्रत्यर्थी

न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी ठहराने के लिए परिवादी के कथन को स्वीकार करने के लिए अधिक पुख्ता सबूत की आवश्यकता है। इस बात को दावे के साथ कहने के लिए कि यौन उत्पीड़न का मामला, यदि साबित होता है, तो इसे दुर्व्यवहार माना जाएगा, परिवादी की ओर से, न्यायाधीश डब्ल्यू.पी. क्लिसिक इनक्वायरी, ओनटारियो न्यायालय (1993); जॉन फिच बनाम कमीशन ऑन ज्युडिशियल परफोर्मेंस [9 सीएएल. 4 552 (1995)]; अटॉर्नी ग्रेस एम. वेलोसो और एमए. जॉयलिन बी. क्विनोंस बनाम न्यायाधीश एनाक्लीटो एम. कैमिनाडे, आरटीसी, ब्रांच 6, सेबू सिटी [ए.एम. सं. आरटीजे-01-1655, 8 जुलाई, 2004]; ज्यूडिशियल कंडक्ट कमीशन बनाम विकहैम कोरविन, (2014) एनडी 50 पर भरोसा जताया गया।

50. इस बात को दावे के साथ कहने के लिए कि लैंगिक हिंसा/यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत करने में विलंब होने से पीड़ित की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी, परिवादी ने **भरवाड़ भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य** (1983) 3 एससीसी 217; **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य** (1996) 2 एससीसी 384; **राजिन्दर उर्फ राजू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य** (2009) 16 एससीसी 69; **मोती लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (2008) 11 एससीसी 20 पर भरोसा जतलाया। इस बात को दावे के साथ कहने के लिए कि उचित संदेह से परे सबूत का 'पूर्णतया निश्चित' होना आवश्यक नहीं है, परिवादी की ओर से **अशोक देबार्मा बनाम त्रिपुरा राज्य** (2014) 4 एससीसी 747 पर भरोसा जतलाया गया। इसके अतिरिक्त **रमाकांत राय बनाम मदन राय और अन्य** (2003) 12 एससीसी 395 और **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल** (1988) 4 एससीसी 302 पर भरोसा जतलाया गया।

51. इस बात को दावे के साथ कहने के लिए कि पीड़ित के अपुष्ट बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, प्रत्यर्थी के वकील ने विभिन्न सबूतों के संबंध में अनेक निर्णयों, यथा **तमीज़ुद्दीन उर्फ तम्मू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** (2009) 15 एससीसी 566; **राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (2008) 15 एससीसी 133; **राजा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** (2016) 10 एससीसी 506; **राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** (2012) 8 एससीसी 21; **राजस्थान राज्य बनाम बाबू मीणा** (2013) 4 एससीसी 206 पर भरोसा जतलाया। इस बात को दावे के साथ कहते हुए कि प्रत्यर्थी को यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं कहा जा सकता कि उसे झूठे तरीके से क्यों फसाया गया, प्रत्यर्थी के काबिल वकील ने **नरेन्द्र कुमार बनाम राज्य**

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) (2012) 7 एससीसी 171; **उदय बनाम कर्नाटक राज्य** (2003) 4 एससीसी 46; **तोरन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (2002) 6 एससीसी 494 पर भरोसा जतलाया।

52. हमने मौजूदा मामले के लिए प्रासंगिक निर्णयों का अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि आम तौर पर यौन उत्पीड़न के मामले सार्वजनिक रूप से नहीं होते। अक्सर, इन टिप्पणियों अथवा आचरण के लिए कोई गवाह या तात्विक साक्ष्य नहीं होता। यौन उत्पीड़न के मामलों में, विशेषकर उच्च पदासीन अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीड़न/ अपने साथ छेड़छाड़ के बारे में महिला द्वारा न बताने की प्रवृत्ति अथवा कुछ अन्य ऐसे कारक हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। पीड़ित के कथन के पुष्टिकरण पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि यह विवेक का मार्गदर्शन है। लैंगिक हिंसा/यौन उत्पीड़न की पीड़ित के साक्ष्य को महत्व देते हुए हमें यह जांच करनी है कि क्या उसका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और स्वाभाविक है और स्वाभाविक मानव आचरण के अनुरूप है। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप संभाव्य है और क्या प्रत्यर्थी न्यायाधीश को "दुर्व्यवहार" का दोषी ठहराए जाने के लिए उसके कथन पर कार्रवाई करना युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित है।

****

भाग-II

1. आरोप सं. 1 - यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्याय पीठ के वर्तमान न्यायाधीश रहते हुए एक महिला अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का यौन उत्पीड़न

सूची

क्रम सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ
ए.	संबंधित आरोप के बारे में चर्चा के प्रयोजन से गवाहों और प्रासंगिक दस्तावेज़ों की सूची	44-45
बी.	पृष्ठभूमि तथ्य	46-47
सी.	प्रत्यर्थी के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का समारोह (क) महिला संगीत समारोह दिनांक 10.12.2013 (ख) रिसेप्शन दिनांक 11.12.2013	47-63
डी.	जिला रजिस्ट्रार, नवीन शर्मा के माध्यम से परिवादी को व्यक्तिगत संदेश भेजे जाना	64-66
ई.	न्यायिक अधिकारी, सुश्री शिवानी शर्मा का विवाह समारोह दिनांक 22.02.2014	66-70
एफ.	न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना का विदाई समारोह	70-72
जी.	यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं की सूचना देने में विलंब तथा 'तर्कसंगत महिला मानक' परीक्षण के संबंध में विवाद	72-81
एच.	समिति की अन्य प्रासंगिक टिप्पणियां	81-83
आई.	निष्कर्ष	84

ए. आरोप सं. 1 के संबंध में चर्चा करने के प्रयोजन से संबद्ध गवाहों और दस्तावेज़ों की सूची

गवाह	संबद्ध दस्तावेज
परिवादी के गवाहः 1. परिवादी स्वयं [सी. डब्ल्यू . सं. 1] 2. सुश्री सोनल मदान, परिवादी की पुत्री [सी. डब्ल्यू .सं. 2] 3. श्री संजय मदान, परिवादी के पति [सी. डब्ल्यू .सं. 3] 4. श्री न्यायमूर्ति दीपक वर्मा, पूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय [सी. डब्ल्यू .सं. 4] जेआईसी गवाह : 1. श्रीमती दिव्या चौरसिया, श्री राजेन्द्र चौरसिया, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर की पत्नी [जेआईसी डब्ल्यू. सं. 1] 2. सुश्री भावना सिंह, सिविल न्यायाधीश -II, ग्वालियर [जेआईसी डब्ल्यू सं. 2] 3. श्री रवि जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता [जेआईसी डब्ल्यू सं. 5] 4. श्री पी. के. जायसवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय [जेआईसी डब्ल्यू सं. 6] 5. श्री नवीन शर्मा, तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार, ग्वालियर जिला न्यायालय [जेआईसी डब्ल्यू सं. 8] प्रत्यर्थी के गवाह : 1. न्यायमूर्ति गंगेले [आर. डब्ल्यू. 1] 2. श्रीमती गंगेले [आर. डब्ल्यू. 4] 3. श्री मुनिराज कुशवाहा [आर. डब्ल्यू. 2] 4. श्री मनोज जैन [आर. डब्ल्यू. 3] 5. श्री सहदेव सिंह [आर. डब्ल्यू. 5] 6. श्री राजेन्द्र चौरसिया [आर. डब्ल्यू.	1. 10 दिसम्बर, 2013 को हुए महिला संगीत समारोह की डीवीडी [एक्स. आर/1] 2. 11 दिसम्बर, 2013 को हुए न्यायमूर्ति गंगेले के 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ समारोह की भाग III डीवीडी [एक्स. आर/3] 3. परिवादी का अपने पति, पुत्रियों और सुश्री भावना सिंह के साथ फोटोग्राफ [एक्स. आर/4] 4. परिवादी का अपने पति और छोटी पुत्री के साथ फोटोग्राफ [एक्स. आर/5] 5. 11.12.2013 के रिसेप्शन समारोह में परिवादी का अपनी पुत्री और सुश्री भावना सिंह तथा प्रत्यर्थी न्यायाधीश तथा श्रीमती गंगेले के साथ फोटोग्राफ [एक्स. आर/6] 6. 11.12.2013 के 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ समारोह के ग्यारह फोटोग्राफ [एक्स. आर/14] 7. श्री मनोज जैन, वीडियोग्राफर का दिनांक 05.01.2016 का शपथ-पत्र [आर. डब्ल्यू. 3/17] 8. श्री मनोज जैन, वीडियोग्राफर का दिनांक 29.06.2016 का शपथ-पत्र [आर. डब्ल्यू. 3/18] 9. "नई दुनिया" समाचार पत्र में प्रकाशित परिवादी के त्यागपत्र संबंधी समाचार की मूल कतरन [आर. डब्ल्यू. 1/23] 10. परिवादी द्वारा जिला न्यायाधीश,

6] 7. श्री पी.के. शर्मा [आर. डब्ल्यू. 7]	ग्वालियर को लिखा गया पत्र [एक्स. आर/25] 11. परिवादी द्वारा जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को लिखे गये पत्र का अंग्रेजी अनुवाद [एक्स. आर/25] 12. थानाध्यक्ष, पी.एस. विश्वविद्यालय को संबोधित शिकायत [एक्स. आर/26]

बी. पृष्ठभूमि तथ्य

1. हम यहां कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों , जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, पर विचार कर रहे हैं । अभियुक्त के उच्च पदस्थ होने तथा परिवादी के भी जिला न्यायिक सेवा के पूर्व-सदस्य होने के कारण दोनों का ही बहुत कुछ दांव पर लगा है। आरोप सं. 1, प्रत्यर्थी न्यायाधीश के खिलाफ परिवादी के यौन उत्पीड़न के आरोप में लगभग चार माह की अवधि के दौरान हुई चार विशिष्ट घटनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी ने, कथित रूप से, जिला न्यायपालिका के सदस्यों के माध्यम से, परिवादी को उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने हेतु संदेश भेजे। आरोपों की सच्चाई की व्यापक जांच करने के लिए, मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी कथित घटनाओं पर अलग-अलग चर्चा की गईः-

- **प्रत्यर्थी के 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ समारोह** - 10.12.2013 को प्रत्यर्थी के 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ समारोह के महिला संगीत समारोह के अवसर पर एक 'आइटम सांग' पर नृत्य करने का अनुरोध किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य समारोह के दिन अर्थात् 11.12.2013 को परिवादी के निकट आने और अश्लील फब्तियां कसने तथा उनसे फुसफुसा कर यह कहने कि "*मैं आपकी सेक्सी और खूबसूरत फिगर को देखन से रह गया। काश आपको नाचते हुए देख पाता*", का आरोप लगाया गया है। ऐसी टिप्पणियां सुश्री मदान के यौन उत्पीड़न के समान है।
- **जिला न्यायपालिका के सदस्यों के माध्यम से व्यक्तिगत संदेश भेजे जाना** - कि जनवरी, 2014 माह के दौरान, न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले, जिला रजिस्ट्रार श्री नवीन शर्मा के माध्यम से, परिवादी को अपने बंगले पर उनसे मुलाकात करने संबंधी अनेक संदेश भेजते रहे और प्रत्यर्थी न्यायाधीश आम तौर पर अपनी पत्नी और पुत्रियों के बगैर अपने बंगले में बिलकुल अकेले रहते थे। यह परिवादी के यौन उत्पीड़न के समान है।
- **एक न्यायिक अधिकारी का विवाह समारोह** - कि 22.02.2014 को एक न्यायिक अधिकारी के विवाह समारोह के अवसर पर, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी की बड़ी

पुत्री की मौजूदगी में कथित रूप से कहा कि "*हालांकि आपका काम बहुत अच्छा है, परन्तु आप अपने काम से कहीं अधिक खूबसूरत हैं*" और उन्होंने आगे कहा कि "*सुश्री मदान को देखते हुए कोई अपनी पलक भी नहीं झुकाना चाहता।*" ये टिप्पणियां करते समय, प्रत्यर्थी ने कथित रूप से अपना हाथ उनकी कमर पर रखा। ऐसी टिप्पणियां और कृत्य सुश्री मदान के यौन उत्पीड़न के समान हैं।

- **उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीश का विदाई समारोह** - अप्रैल, 2014 में ग्वालियर जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था। रात्रिभोज के दौरान, प्रत्यर्थी कथित रूप से परिवादी को लगातार घूरते रहे।

2. यौन उत्पीड़न के अपने आरोप की पुष्टि करने के लिए, परिवादी ने उपरोक्त चार घटनाएं बताई हैं जिनमें प्रत्यर्थी ने, कथित रूप से, परिवादी पर अश्लील फब्तियां कसीं और उनके साथ अनुचित शारीरिक छेड़छाड़ की। हालांकि, तीन घटनाएं सार्वजनिक स्थानों पर घटीं, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल परिवादी की बड़ी पुत्री ही चार में से दो घटनाओं की तथाकथित चश्मदीद गवाह है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि परिवादी इस बात पर उत्तेजित हो गए कि परिवादी उनकी अनैतिक मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही थीं और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें प्रतिकूल वातावरण में काम करने के लिए बाध्य किया गया और सत्र के बीच में ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें सेवा से त्यागपत्र देने पर बाध्य होना पड़ा। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी न्यायधीश ने यौन उत्पीड़न और परिवादी के स्थानांतरण में उनका हाथ होने के आरोपों से पूर्णतया इनकार किया है।

सी. प्रत्यर्थी का 25वां वैवाहिक वर्षगांठ समारोह

3. प्रत्यर्थी का 25वां वैवाहिक वर्षगांठ समारोह एक दो दिवसीय समारोह था जिसमें दिनांक 10.12.2013 को हुआ महिला संगीत समारोह तथा इसके बाद 11.12.2013 को हुआ रिसेप्शन शामिल था। परिवादी ने केवल मुख्य समारोह अर्थात् 11.12.2013 को हुए रिसेप्शन में भाग लिया। परिवादी ने आरोप लगाया है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर की पत्नी श्रीमती दिव्या चौरसिया, **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 1]** ने 08/09.12.2013 को उनके लैंडलाइन फोन पर यह सूचित किया कि न्यायमूर्ति गंगेले अपने 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ समारोह के अवसर पर

10.12.2013 को आयोजित किए जा रहे महिला संगीत समारोह में एक 'आइटम सांग' पर उनका नृत्य देखने के लिए उत्सुक हैं। परिवादी ने आरोप लगाया है कि उक्त निमंत्रण उनके लिए अत्यधिक आश्चर्यजनक था; परन्तु उन्होंने यह कहकर निमंत्रण को चुपचाप ठुकरा दिया कि महिला संगीत समारोह के दिन वह अपनी छोटी बेटी के जन्मदिन समारोह में व्यस्त रहेंगी। तथापि, परिवादी के अनुसार, कार्यालय के नयाचार को ध्यान में रखते हुए, 11.12.2013 को होने वाले मुख्य समारोह को टाल नहीं पाईं और इस प्रकार, वह अपनी दो पुत्रियों के साथ उस समारोह में भाग लेने गईं। यह आरोप लगाया गया है कि 11.12.2013 को मुख्य समारोह में, जब उनकी बड़ी पुत्री अपने मित्रों के साथ थोड़ा दूरी पर थीं, तो न्यायमूर्ति गंगेले को उनके निकट आने और उनके कान में अश्लील फब्तियां कसने तथा यह कहने का मौका मिल गया कि उन्होंने एक सेक्सी और खूबसूरत फिगर को नृत्य करते हुए देखने का मौका खो दिया और कि वह इसे देखने के लिए बेताब हैं। परिवादी ने कहा कि ऐसी अश्लील फब्तियां सुन कर वह अपनी दोनों पुत्रियों के साथ चुपचाप पार्टी से चली गईं।

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर श्री राजेन्द्र चौरसिया की पत्नी श्रीमती दिव्या चौरसिया **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 1]** और सुश्री भावना सिंह, सिविल न्यायाधीश II, ग्वालियर **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 2]** और 10.12.2013 और 11.12.2013 को हुए अपनी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के समारोह के वीडियोटेप पर भरोसा जतलाते हुए न्यायमूर्ति गंगेले ने परिवादी के आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और कहा है कि आरोप झूठे हैं। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने दावा किया है कि श्रीमती दिव्या चौरसिया **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 1]** के अभिसाक्ष्य और शपथ-पत्र से यह साबित होता है कि परिवादी को ऐसी कोई कॉल नहीं की गई थी, जैसा कि परिवादी ने आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त, *महिला संगीत* नजदीकी महिलाओं का समारोह था जिसमें कोई 'आइटम सांग' नहीं हुआ था। प्रत्यर्थी के अनुसार, 11.12.2013 के मुख्य समारोह के वीडियोटेप से पता चलता है कि न्यायमूर्ति गंगेले और उनकी पत्नी को मंच पर शुभकामनाएं दी थीं और वह खुशी से अन्य अतिथियों से बातचीत कर रही थीं और रात्रि का भोजन कर रही थीं। ऐसा नहीं देखा गया कि परिवादी कथित घटना के तुरंत बाद समारोह से चली गई थीं; वह रात्रि का भोजन करने के बाद गई थीं जब प्रत्यर्थी न्यायाधीश मंच पर थे और अतिथियों की शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे।

(क) दिनांक 10.12.2013 का महिला संगीत

5. परिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, 08/09 दिसम्बर, 2013 को, श्री राजेन्द्र चौरसिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर की पत्नी श्रीमती दिव्या चौरसिया ने 08/09.12.2013 को उनके लैंडलाइन फोन पर यह सूचित किया कि न्यायमूर्ति गंगेले महिला संगीत समारोह में एक 'आइटम सांग' पर उनका नृत्य देखने के लिए उत्सुक हैं। महिला संगीत समारोह 10.12.2013 को न्यायमूर्ति गंगेले के 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। परिवादी ने कहा है कि श्रीमती चौरसिया के उक्त प्रस्ताव से वह स्तंभित थीं; परन्तु उन्होंने होशियारी से यह सूचित करके निमंत्रण को ठुकरा दिया कि उस दिन, अर्थात् 10.12.2013 को वह अपनी छोटी बेटी के जन्मदिन समारोह में व्यस्त रहेंगी।

6. इस समिति ने श्रीमती दिव्या चौरसिया की समिति गवाह-1 **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 1]** के रूप में पूछताछ की। उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि उन्होंने श्रीमती गंगेले के लैंडलाइन फोन से अतिथियों को महिला संगीत के लिए आमंत्रित करने में उनकी मदद की थी। तथापि, श्रीमती चौरसिया ने परिवादी को कोई कॉल करने, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, से स्पष्ट रूप से इनकार किया। श्रीमती चौरसिया ने यह भी कहा कि उनकी न्यायमूर्ति गंगेले से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। अगस्त, 2014 में जैसे ही परिवादी की शिकायत का समाचार आया, तो श्रीमती दिव्या चौरसिया के अनुसार, उन्होंने न्यायमूर्ति गंगेले से संपर्क किया और उनसे कहा कि उन्होंने परिवादी को ऐसी कोई कॉल नहीं की थी। इस संबंध में, श्रीमती दिव्या चौरसिया ने भी दिनांक 23.09.2015 का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसे न्यायमूर्ति गंगेले द्वारा प्रत्युत्तर में दिए गए शपथ-पत्र के साथ दायर किया गया है।

7. आगे और पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि महिला संगीत समारोह के लिए संगीत उपकरणों और डी.जे. का प्रबंध तो किया गया था लेकिन नृत्य का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, केवल गणेश वंदना, अन्ताक्षरी और गायन के कार्यक्रम हुए थे। श्रीमती दिव्या चौरसिया के उपर्युक्त अभिसाक्ष्य का कि नृत्य का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, खंडन स्वयं न्यायमूर्ति गंगेले द्वारा प्रस्तुत किए गए महिला संगीत समारोह के वीडियो टेप से हो जाता है। इस वीडियो क्लिप में न्यायमूर्ति गंगेले की बेटियों और अन्य लड़कियों को नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। तथापि, इस वीडियो में अन्य किसी अतिथि या न्यायिक अधिकारी को नृत्य करते हुए नहीं देखा गया। इसके अतिरिक्त,

इसमें अधिकतर महिलाओं के गायन के ही कार्यक्रम थे। श्रीमती दिव्या चौरसिया ने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति गंगेले के खिलाफ ज्योंही शिकायत की खबर आई, उसने न्यायमूर्ति गंगेले की पत्नी से बात करके सूचित किया था कि उसने परिवादी को ऐसा कोई कॉल नहीं किया था।

8. न्यायमूर्ति गंगेले का प्रत्यर्थी साक्षी-1 के रूप में परीक्षण किया गया। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि महिला संगीत समारोह का आयोजन उनकी पत्नी द्वारा किया गया था और उसी ने अतिथियों को भी आमंत्रित किया था। अपने साक्ष्य में उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात से इंकार किया कि श्रीमती दिव्या चौरसिया उनके और उनकी पत्नी के अनुरोध पर महिला संगीत समारोह के आयोजन में सहयोग कर रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें सूचित किया था कि श्रीमती दिव्या ने महिला संगीत समारोह के आयोजन में उनकी मदद करने की पेशकश की थी। प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साक्ष्य के अनुसार उनकी श्रीमती दिव्या चौरसिया से कभी सीधे बातचीत नहीं हुई थी। इस बारे में पूछे जाने पर कि महिला संगीत समारोह में उनकी बेटियों और अन्य लड़कियों ने किन गानों पर नृत्य किया था, उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि उनकी बेटियों ने समारोह में नृत्य किया था लेकिन उन्होंने इस बात से इन्कार किया था कि वे 'आइटम सांग' थे। उन्होंने बताया कि वह उस तरह के गानों से परिचित नहीं थे जिन पर उनकी बेटियां और अन्य लड़कियों ने नृत्य किया था।

9. श्रीमती गंगेले [आर.डब्ल्यू.4.] ने भी इसी तर्ज पर अभिसाक्ष्य दिया। उन्होंने बताया कि वह श्री राजेन्द्र चौरसिया को जानती थी, जो ग्वालियर के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, क्योंकि वह आधिकारिक प्रयोजन से न्यायमूर्ति गंगेले से मिलने के लिए ग्वालियर स्थित न्यायमूर्ति गंगेले के सरकारी आवास पर आते रहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ग्वालियर जाने पर श्रीमती दिव्या चौरसिया अपने पति श्री राजेन्द्र चौरसिया के साथ न्यायमूर्ति गंगेले के सरकारी आवास पर मिलने आती थी। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि श्रीमती दिव्या चौरसिया की न्यायमूर्ति गंगेले से सीधे बातचीत नहीं होती थी। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि उन्होंने सुश्री मीना सिंह को छोड़कर, जो ग्वालियर के परिवार न्यायालय की एक न्यायाधीश थी और श्रीमती गंगेले से परिचित थी, किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को आमंत्रित किया था। श्रीमती गंगेले के साक्ष्य का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

"मैंने, मेरी बहनों और मेरी बेटियों ने मिलकर 10 दिसम्बर, 2013 को महिला संगीत समारोह के आयोजन की योजना बनाई थी। महिला संगीत समारोह के लिए कोई आमंत्रण पत्र नहीं छपवाया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पत्नियों को मैंने आमंत्रित किया था। पुरुष न्यायिक अधिकारियों की पत्नियों और महिला क्लब की सदस्यों का जहां तक संबंध है, उन्हें श्रीमती दिव्या चौरसिया ने आमंत्रित किया था। हमने महिला न्यायिक अधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया था। मैंने सुश्री मीना सिंह नाम की एक न्यायिक अधिकारी को आमंत्रित किया था, जो ग्वालियर में परिवार न्यायालय की न्यायाधीश थी और वह मेरी पारिवारिक मित्र है। सुश्री भावना सिंह (जेआईसी डब्ल्यू.सं. 2) महिला संगीत समारोह में उपस्थित थी। वह एक न्यायिक अधिकारी थी। साक्षी का पुनःकथन - मैंने सुश्री भावना सिंह को नहीं आमंत्रित किया। मैं नहीं जानती कि क्या श्रीमती दिव्या चौरसिया ने सुश्री भावना सिंह को आमंत्रित किया था।

प्रश्नः जब आपने सुश्री भावना सिंह को महिला संगीत समारोह में आमंत्रित नहीं किया था तो क्या आपने सुश्री दिव्या चौरसिया से पूछा कि क्या उसने तो सुश्री भावना सिंह को समारोह में आमंत्रित नहीं किया था?

उत्तरः मैंने श्रीमती दिव्या चौरसिया से नहीं पूछा। शायद श्रीमती दिव्या चौरसिया ने सुश्री भावना सिंह को आमंत्रित किया हो, जिन्हें मैं नहीं जानती थी।" [श्रीमती गंगेले का प्रति-परीक्षण दिनांक 15.07.2017]

10. श्रीमती गंगेले का यह अभिसाक्ष्य देखने में विश्वसनीय प्रतीत होता है कि उनकी ओर से सभी अतिथियों को आमंत्रित किया गया था और श्रीमती दिव्या चौरसिया ने महिला संगीत समारोह का आयोजन करने में उनका सहयोग किया था। हमें श्रीमती गंगेले के इस अभिसाक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि उन्होंने सुश्री मीना सिंह, जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानते थी, को छोड़कर किसी अन्य महिला न्यायिक अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि सामान्य तौर पर जहाँ महिला न्यायिक अधिकारीगण और अन्य न्यायाधीशों की पत्नियां औपचारिक या अनौपचारिक समारोहों में मिलती-जुलती रहती हों, वहाँ मित्रों और परिचितों का दायरा बढ़ ही जाता है। सुश्री मीना सिंह के अलावा केवल एक अन्य महिला अधिकारी नामतः सुश्री भावना सिंह, सिविल न्यायाधीश (II), ग्वालियर **[जेआईसी डब्ल्यू.सं.2]** उस महिला संगीत समारोह में उपस्थित थी। श्री गंगेले ने सुश्री भावना सिंह की उपस्थिति के संदर्भ में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्हें श्रीमती दिव्या चौरसिया ने आमंत्रित किया था। सुश्री भावना सिंह ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्हें श्रीमती दिव्या चौरसिया ने आमंत्रित किया था। इस बात से हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि महिला संगीत जैसा अनौपचारिक समारोह जहां आयोजित हो, उसमें ऐसे युवा महिलाओं की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है जो उसमें भाग लेकर समारोह को अधिक उत्सवपूर्ण बना सकें, और इसलिए यह संभव है कि श्रीमती दिव्या चौरसिया ने अपनी तरफ से भी कुछ अतिथियों को आमंत्रित कर लिया हो। निश्चित ही उस समारोह में कोई अन्य महिला न्यायिक

अधिकारी उपस्थित नहीं थी और इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस समारोह में महिला न्यायिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। सुश्री भावना सिंह किसी भी तरह से श्रीमती दिव्या चौरसिया या श्रीमती गंगेले या प्रत्यर्थी न्यायाधीश की बेटियों से संबंधित नहीं थी, जिन्होंने उस समारोह का आयोजन किया था और उन्होंने किसी ऐसे महिला न्यायिक अधिकारी का नाम नहीं लिया जिनसे उन्हें आमंत्रित अतिथियों के बारे में सूचना मिल पाती। सुश्री भावना सिंह के इस अभिसाक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि उस महिला संगीत समारोह में महिला न्यायिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं।

11. श्रीमती गंगेले का अभिसाक्ष्य विश्वास जगाता है, क्योंकि वीडियोटेपों से भी उसकी पुष्टि होती है। बहुत संभव है और यह तर्कसंगत भी लगता है कि श्रीमती दिव्या चौरसिया ने श्रीमती गंगेले की केवल मदद की हो। एक महिला और किसी न्यायिक अधिकारी की पत्नी होने के नाते यह असंभव प्रतीत होता है कि श्रीमती दिव्या चौरसिया केवल महिलाओं के संगीत समारोह की व्यवस्था करने के लिए प्रत्यर्थी के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रही हो, खासकर तब जबकि उनके पति श्री राजेन्द्र चौरसिया प्रत्यर्थी न्यायाधीश की सहायता करने के लिए वहां पहले से मौजूद हों। इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने महिला संगीत समारोह के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया होगा और श्रीमती दिव्या चौरसिया से परिवादी को किसी आइटम साँग पर नृत्य करने के लिए कहलवाया होगा। महिलाओं का कार्यक्रम होने के कारण प्रत्यर्थी न्यायाधीश की पत्नी और बेटियों को ही पता होगा कि समारोह कैसे आयोजित किया जाना है और उसमें किन-किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना है। किसी भी स्थिति में श्रीमती दिव्या चौरसिया और प्रत्यर्थी न्यायाधीश के बीच, खासकर परिवादी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को स्वीकार करने लायक संबंध स्थापित नहीं हो सकता। इस तरह की परिस्थिति में परिवादी के इस आरोप को स्वीकार कर पाना कठिन है कि प्रत्यर्थी के निर्देशों पर श्रीमती दिव्या चौरसिया ने परिवादी से किसी आइटम साँग पर नृत्य करने के लिए कहा होगा।

12. श्रीमती गंगेले और श्रीमती दिव्या चौरसिया के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि दिव्या चौरसिया की करिश्मा नाम की एक भतीजी अन्ताक्षरी कार्यक्रम का संयोजन कर रही थी और उसने गणेश वंदना पर नृत्य भी किया था। श्रीमती गंगेले ने यह भी बताया है कि उनकी छोटी बेटी

रितु और उनकी भतीजियों ने सिनेमा के गानों पर नृत्य किया था। लेकिन यह पूछे जाने पर कि क्या सिनेमा के वे गाने *"नागिन, पंजाबियों दी टूह"* थे, श्रीमती गंगेले ने बताया कि वे नए गाने थे और वह उन गानों से परिचित नहीं थी। श्रीमती गंगेले ने बताया कि वह उन गानों को नहीं जानती थी। जाँच के दौरान वीडियो क्लीपिंग को चलाया गया और हमने उसे देखा। हमने देखा कि उनमें गणेश वंदना, अन्ताक्षरी और गायन के कार्यक्रम थे। उसके अलावा, न्यायामूर्ति गंगेले की बेटियों और अन्य लड़कियों ने सिनेमा के कुछ गानों पर नृत्य भी किया था। महिला संगीत समारोह के वीडियो टेप में कहीं भी यह नहीं देखा जा सकता कि पारिवारिक और घनिष्ठ मित्रों के दायरे से बाहर के किसी व्यक्ति ने नृत्य किया हो। केवल इस आधार पर कि न्यायमूर्ति गंगेले की छोटी बेटी और उनकी भतीजियों ने सिनेमा के कुछ गानों पर नृत्य किया था, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि दिव्या चौरसिया ने परिवादी को किसी आइटम साँग पर नृत्य करने के लिए बुलाया होगा।

13. एक दूसरा पक्ष भी यहाँ गौरतलब है, जिससे परिवादी के कथन के बारे में संदेह पैदा होता है। परिवादी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि श्रीमती दिव्या चौरसिया ने उनको महिला संगीत समारोह के लिए 08/09.12.2013 को आमंत्रित किया था और यह कहा था कि प्रत्यर्थी उसे किसी आइटम साँग पर नृत्य करते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। परिवादी की छोटी बेटी का जन्मदिन उत्सव 10.12.2013 को मनाया गया था। उन्होंने महिला संगीत समारोह में शामिल होने से बचने के लिए अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह का बहाना बनाया। परिवादी का ही कथन है कि उनके पति श्री मदान भी 10.12.2013 को अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए ग्वालियर में उपस्थित थे। तथापि, प्रोटोकॉल की बाध्यता के मद्देनजर परिवादी अगले ही दिन यानि 11.12.2013 को होने वाले रिसेप्शन समारोह में जाने को नहीं टाल सकती थी।

14. परिवादी के पड़ोसी श्री पी. के. शर्मा **[आर.डब्ल्यू.7]** ने बताया कि उनके छोटे बेटे ने परिवादी की छोटी बेटी सुहानी की जन्मदिन पार्टी में भाग लिया था और उनका बेटा मध्याह्न पश्चात् लगभग 7.00 बजे परिवादी के घर गया था और लगभग मध्याह्न पश्चात् 9.00 बजे घर लौटा था। श्री पी. के. शर्मा ने यह भी बताया कि जब उन्होंने अपने बेटे के लिए दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि परिवादी के पति श्री मदान बच्चों को विदा कर रहे थे। श्री पी. के. शर्मा के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवादी के पति ग्वालियर में 10.12.2013 को लगभग मध्याह्न पश्चात्

9.00 बजे तक मौजूद थे। यदि परिवादी को श्रीमती दिव्या चौरसिया **[जेआईसी डब्ल्यू. सं.1]** ने वास्तव में किसी आइटम साँग पर नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया होता तो परिवादी ने यह बात अपने पति को निश्चित रूप से 10.12.2013 को ही बता दी होती। यदि ऐसा था तो यह समझ में नहीं आता कि परिवादी ने अपने पति को श्रीमती दिव्या चौरसिया द्वारा 10.12.2013 को किसी आइटम साँग पर नृत्य करने के लिए कथित रूप से बुलाये जाने के बारे में क्यों नहीं बताया।

15. यह गौरतलब है कि श्री मदान **[सी. डब्ल्यू.3]** ने अपने साक्ष्य में बताया कि उनकी पत्नी ने उनसे पूछा था कि क्या वह प्रत्यर्थी न्यायाधीश के 25वें वैवाहिक वर्षगाँठ के लिए ठहर सकेंगे और उन्होंने अन्य कामों में अपनी व्यस्तता के कारण उसमें शामिल होने में असमर्थता जताई थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी के 11.12.2013 को होने वाले 25वीं वैवाहिक वर्षगाँठ के कार्यक्रम के संबंध में उनके बीच आपसी चर्चा हुई थी। यदि ऐसा था तो बातचीत के क्रम में स्वाभाविक रूप से परिवादी ने अपने पति को श्रीमती दिव्या चौरसिया द्वारा किए गए कथित कॉल के बारे में निश्चित ही बताया होता, पर ऐसा हुआ नहीं। इससे श्रीमती दिव्या चौरसिया द्वारा किए गए कथित कॉल से संबंधित परिवादी के आरोप के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।

16. उपर्युक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य और समारोह के वीडियोटेप के आधार पर विचार करने पर परिवादी के आरोप साबित नहीं होते। केवल इस आधार पर कि प्रत्यर्थी की बेटियों और भतीजियों ने महिला संगीत समारोह में सिनेमा के गानों पर नृत्य किया था *(जिन्हें आइटम साँग कहा गया है),* यह साबित नहीं हो जाता कि परिवादी को भी ऐसा करने के लिए कहा गया था। न ही इससे यह साबित होता है कि श्रीमती दिव्या चौरसिया ने अतिथियों को प्रत्यर्थी न्यायाधीश के निर्देश पर आमंत्रित किया था और न ही यह साबित होता है कि श्रीमती दिव्या चौरसिया ने परिवादी से ऐसा कोई अनुरोध किया था। इस तथ्य के मद्देनजर कि महिला संगीत समारोह में किसी भी बाहरी व्यक्ति या बुजुर्ग अतिथि ने नृत्य नहीं किया था, परिवादी का यह आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं होता कि न्यायमूर्ति गंगेले की ओर से श्रीमती दिव्या चौरसिया ने परिवादी को आइटम साँग पर नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया था।

(ख) रिसेप्शन दिनांक 11.12.2013

17. यद्यपि परिवादी को महिला संगीत समारोह से बचने के लिए एक वैध कारण मिल गया था, उसने बताया कि प्रोटोकॉल की बाध्यता के कारण उन्होंने 11.12.2013 को आयोजित होने वाले

मुख्य समारोह में भाग लेने का निर्णय किया। अपने शपथ-पत्र में परिवादी ने बताया था कि जब प्रत्यर्थी न्यायाधीश की पत्नी और पुत्रियाँ विशेष वर्षगाँठ के अवसर पर नृत्य कर रही थीं, उस समय प्रत्यर्थी न्यायाधीश को परिवादी के समीप आने का मौका मिल गया और उन्होंने कथित रूप से निम्नलिखित अपमानजनक टिप्पणी की:

> *"मैं आपकी सेक्सी और खूबसूरत फ़िगर को देखने से रह गया। काश आपको नाचते हुए देख पाता।"*

परिवादी ने कहा है कि ऐसी टिप्पणी सुनने के बाद वह अपनी दो बेटियों के साथ पार्टी छोड़कर चुपके से चली गई। उन्होंने यह दर्शाने के लिए कि न्यायमूर्ति गंगेले ने इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की थी या कि उनसे अलग से कोई बात की थी, कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

18. परिवादी के इस आरोप की पुष्टि परिवादी के पति श्री संजय मदान [**सी.डब्ल्यू.3**] की सुनी-सुनाई बात को छोड़कर किसी अन्य बयान से नहीं होती कि 11.12.2013 को हुए 25वें वैवाहिक वर्षगाँठ के समारोह में प्रत्यर्थी न्यायाधीश को उसके समीप आने का मौका मिल गया और उन्होंने उपर्युक्त अश्लील फब्ती कसी थी। अपने साक्ष्य में **सी.डब्ल्यू.3** ने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा की गई कथित भद्दी टिप्पणी के बारे में बताया था और उन्होंने उनको प्रत्यर्थी न्यायाधीश से खुद को दूर रखने की सलाह दी थी। **सी.डब्ल्यू.3** ने बताया है कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी [**सी.डब्ल्यू.2**] से भविष्य में होने वाली पार्टियों/समारोहों में हमेशा परिवादी के साथ ही रहने और अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ने के लिए कहा था।

19. परिवादी की बेटी सोनल मदान [**सी.डब्ल्यू.2**] के साक्ष्य के मुताबिक, 11.12.2013 को उन लोगों ने करीब मध्याह्न पश्चात् 8.15 बजे अपने घर से प्रस्थान किया था और समारोह-स्थल पर तकरीबन 40-45 मिनट रूके थे। परिवादी अपनी दो बेटियों और सुश्री भावना सिंह [**जेआईसी डब्ल्यू.सं.2**] के साथ मंच पर गई थी और प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनकी पत्नी को शुभकामनाएँ दी और उसके पश्चात् वे भोजनस्थल पर चले गए। **सी.डब्ल्यू.2** ने बताया कि समारोह स्थल पर उनकी मौजूदगी के दौरान उन्होंने "न तो जयमाला देखी और न ही अंगुठियों का आदान-प्रदान एवं न्यायमूर्ति गंगेले द्वारा केक काटे जाने का समारोह देखा"। वह वहाँ गई और समारोह-स्थल पर दिखाई दे रही अपने सहेलियों के साथ घुल-मिल गई। लेकिन जब **सी.डब्ल्यू.2** से समारोह-स्थल पर ठहरने और मंच से प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनकी पत्नी के दूर होने और विशेष वर्षगाँठ

के मौके पर हुए नृत्य के संबंध में प्रश्न पूछे गये तो **सी.डब्ल्यू.2** ने स्वेच्छा से काफी विस्तृत उत्तर दिया। उक्त प्रश्नोत्तर निम्नानुसार हैः

> **प्रश्नः 11.12.2013 को समारोह-स्थल पर आपकी मौजूदगी के दौरान क्या आपने यह गौर किया कि क्या न्यायमूर्ति गंगेले और उनकी पत्नी मंच से दूर गए थे?**
>
> **उत्तरः हाँ, मैंने गौर किया था। साक्षी ने स्वयं ही कहाः जब विशेष वैवाहिक वर्षगाँठ के अवसर पर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था, वे लोग मंच छोड़कर नीचे आ गए थे और मैंने गौर किया, जैसाकि मेरी एक सहेली ने संकेत किया, कि श्रीमती गंगेले मंच पर आईं और उनका दुल्हन के तौर पर परिचय कराया और न्यायमूर्ति गंगेले की बेटियों और उनकी पत्नी ने नृत्य प्रस्तुत किया। हालाँकि, न्यायमूर्ति गंगेले मंच पर नृत्य करते हुए नहीं दिखे।**

सी.डब्ल्यू.2 के परिवादी की बेटी होने और इच्छुक साक्षी होने के नाते, उसके साक्ष्य का सावधानी से परीक्षण किए जाने की जरूरत है।

20. 11.12.2013 को हुई कथित घटना के संबंध में परिवादी के कथन का (i) समारोह की प्रकृति, (ii) कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, (iii) सीमित अवधि यानी 40 से 45 मिनट के लिए परिवादी की उपस्थिति, जबकि जयमाला, अंगुठियों के आदान-प्रदान जैसे कार्यक्रम चल ही रहे थे, (iv) फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों की मौजूदगी के आलोक में परीक्षण किए जाने की जरूरत है।

21. श्रीमती दिव्या चौरसिया और सुश्री भावना सिंह की गवाहियों के साथ-साथ 11.12.2013 को हुए 25वें वैवाहिक वर्षगाँठ के समारोह के वीडियोटेप के आधार पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी के आरोपों से स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है और दृढ़तापूर्वक कहा है कि आरोप झूठे हैं। प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा किया गया निवेदन निम्नानुसार हैः

- सुश्री भावना सिंह, सिविल न्यायाधीश-II, ग्वालियर पूरे समारोह के दौरान परिवादी के साथ रहीं और उनकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी।
- दिनांक 11.12.2013 की मुख्य घटना के वीडियोटेप से पता चलता है कि परिवादी ने मंच पर जाकर न्यायमूर्ति गंगेले और उनकी पत्नी को शुभकामनाएँ दी थी और उसके बाद उन्होंने अन्य अतिथियों के साथ बातचीत की और रात्रि का भोजन भी किया।
- यह बात कल्पनातीत है कि लगभग 300 अतिथियों से घिरे होते हुए भी न्यायमूर्ति गंगेले को परिवादी के समीप जाने और उनसे फुसफुसाकर कुछ कह पाने का मौका मिल पाया होगा, जैसा कि उनपर आरोप लगाया गया है।

- इसके अलावा परिवादी को, उनके अभिसाक्ष्य के मुताबिक, कथित घटना घटने के तुरंत बाद समारोह छोड़कर जाते हुए नहीं देखा जा सका। वह भोजन करने के पश्चात् ही वहां से गई थी, जब प्रत्यर्थी मंच पर ही थे और अतिथियों की शुभकामनाएँ स्वीकार कर रहे थे।

22. साक्ष्य से पता चलता है कि रिसेप्शन स्थल पर मंच की बायीं ओर ऑर्केस्ट्रा के लिए जगह निश्चित की गई थी। मंच के सामने दो पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था थी और बीच में आने-जाने का रास्ता था। ऑर्केस्ट्रा के समीप नृत्य करने के लिए डी.जे. फ्लोर बना हुआ था। बैठने की व्यवस्था के उपरांत भोजन करने के लिए एक जगह निश्चित थी, जो प्रवेश-द्वार के लगभग नजदीक ही था। श्रीमती गंगेले के साक्ष्य से रिसेप्शन-स्थल की व्यवस्था मोटे तौर पर निम्नानुसार होने की बात सामने आती है:-

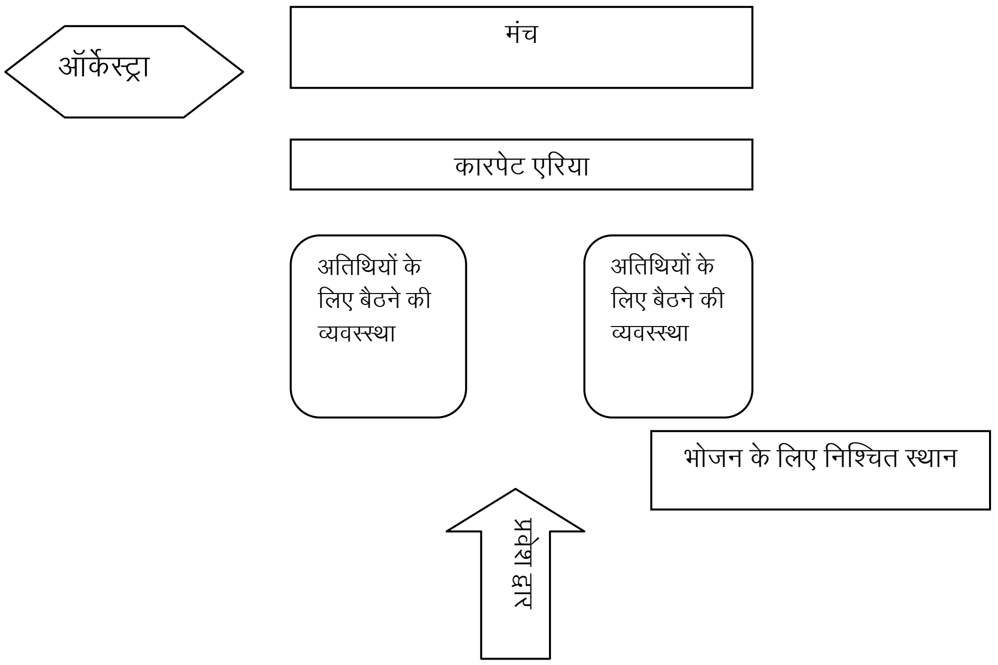

23. जयमाला, अंगुठियों के आदान-प्रदान और केक काटने जैसे कार्यक्रम मंच पर ही संपन्न हुए। प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनकी पत्नी, दोनों ने बताया कि अतिथिगण उन्हें मंच पर और कारपेट एरिया में बधाई दे रहे थे जोकि मंच से दो-चार कदम ही दूर था। प्रत्यर्थी न्यायाधीश और श्रीमती गंगेले **[आर.डब्ल्यू.4]** से यह पूछे जाने पर कि कहीं वे दोनों टहलते हुए अपने परिजनों, संबंधियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उनकी पत्नियों से अलग-अलग तो नहीं मिल रहे थे, प्रत्यर्थी न्यायाधीश और श्रीमती गंगेले, दोनों ने इस बात से साफ-साफ इंकार किया। दोनों ने इस बात को दोहराया कि वे केवल मंच/कारपेट एरिया तक ही सीमित रहे थे। अपने प्रति-

परीक्षण में श्रीमती गंगेले ने इस बात को फिर से दोहराया, जो उन्होंने अपने शपथ-पत्र के पैरा (31) में कही है, कि पूरे समारोह के दौरान उनके पति उनके साथ ही थे। उन्होंने यह भी कहा है कि न तो वह और न ही उनके पति पूरे समारोह के दौरान, जोकि लगभग तीन-साढ़े तीन घंटे तक चला था, वॉशरूम गए थे। इस प्रकार वह अपनी इस बात पर कायम रही कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश के पास अलग से कहीं जाने का कोई मौका नहीं था।

24. अपने अभिसाक्ष्य में सुश्री भावना सिंह **[जेआईसी डब्ल्यू.सं.2]** ने कहा कि 11.12.2013 को वह पूरे समय परिवादी के साथ रही थी और जब परिवादी अपनी दो बेटियों के साथ समारोह-स्थल पर आई तो वे दोनों आपस में ही बात कर रही थीं और कुछ समय बाद वे चारों एक साथ ही प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनकी पत्नी को शुभकामनाएँ देने के लिए गए थे। सुश्री भावना सिंह ने यह भी कहा कि न्यायाधीश को शुभकामना देने के बाद वे नीचे चले आए और भोजन के लिए निश्चित जगह की ओर आ गए और साथ-साथ ही भोजन किया। वे लोग अपने अन्य सहकर्मियों के साथ पास की मेज पर ही बैठे थे। सुश्री भावना सिंह ने यह भी कहा कि परिवादी उससे पहले ही समारोह-स्थल से चली गई थी।

25. तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र चौरसिया **[आर.डब्ल्यू.6]** और श्री पी. के. शर्मा **[आर.डब्ल्यू.7]** ने भी बताया है कि परिवादी समारोह स्थल पर लगभग मध्याह्न पश्चात् 8.30 बजे आई थी और परिवादी ने मंच पर जाकर प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनके पत्नी को बधाई दी और भोजन करने के बाद परिवादी लगभग मध्याह्न पश्चात् 9.30 बजे समारोह-स्थल से चली गई। श्री पी. के. शर्मा **[आर.डब्ल्यू.7]** ने बताया कि समारोह-स्थल से जाते समय परिवादी ने उनसे कहा था कि उनकी बड़ी बेटी सोनल मदान को अर्द्ध-वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करनी है। श्री राजेन्द्र चौरसिया ने भी बताया है परिवादी लगभग मध्याह्न पश्चात् 9.30 बजे समारोह-स्थल से चली गई थी। सहदेव सिंह का साक्ष्य भी इसी तर्ज पर है। अभिलिखित साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी अपनी दो बेटियों के साथ समारोह-स्थल पर लगभग मध्याह्न पश्चात् 8.30 बजे आई और लगभग मध्याह्न पश्चात् 9.30 बजे चली गई।

26. प्रत्यर्थी न्यायाधीश के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) श्री सहदेव सिंह **[आर.डब्ल्यू.5]** ने बताया कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश को जहां कहीं भी जाने की जरूरत हो, उसकी ड्यूटी उनके साथ रहने की है। 11.12.2013 को हुए रिसेप्शन के बारे में **आर.डब्ल्यू.5** ने बताया कि उसने परिवादी

और उनकी दो बेटियों को मंच पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश तथा उनकी पत्नी को गुलदस्ता देते हुए देखा था। उसने यह भी बताया कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश हमेशा उसकी दृष्टि के दायरे में थे और उसने किसी भी समय उन्हें परिवादी के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखा। ग्वालियर के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र चौरसिया **[आर.डब्ल्यू. 6]**, जो समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायिक अधिकारियों के सत्कार का दायित्व संभाल रहे थे, ने भी यह बताया कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनकी पत्नी मंच तक ही सीमित रहे थे और अतिथियों की शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे।

27. श्री राजेन्द्र चौरसिया **[आर.डब्ल्यू.6]** ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के इस प्रकार के पारिवारिक समारोहों में यह सामान्य परम्परा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके पत्नियों तथा अन्य उच्च न्यायिक अधिकारियों का स्वागत करें। **आर.डब्ल्यू.5** और **आर.डब्ल्यू.6** इस मामले में स्वाभाविक साक्षी हैं, जिनके साक्ष्य को परिवादी की इस आशंका के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वे प्रत्यर्थी न्यायाधीश के कहने पर गलत अभिसाक्ष्य दे रहे हैं।

28. परिवादी ने बताया है कि दिनांक 11.12.2013 की कथित घटना उस समय घटी थी, जब श्रीमती गंगेले और उनकी बेटियों द्वारा विशेष वर्षगाँठ के अवसर पर नृत्य किया जा रहा था। रिसेप्शन की वीडियो क्लिपिंग **[एक्स. आर/3]** में विशेष वर्षगाँठ के अवसर पर होने वाला नृत्य रिकार्ड नहीं हुआ है। परिवादी का निवेदन है कि वीडियो क्लिपिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका संपादन किया गया है और इसलिए विशेष वर्षगाँठ पर हुए नृत्य का रिकार्ड मौजूद नहीं होने से यह साबित नहीं हो जाता कि विशेष वर्षगाँठ के मौके पर कोई नृत्य ही नहीं हुआ था। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने इस बात से इन्कार किया है कि विशेष वर्षगाँठ के मौके पर ऐसा कोई नृत्य हुआ था और उन्होंने यह भी दलील दी है कि संबंधित वीडियोग्राफर के अभिसाक्ष्य के आलोक में इस वीडियो क्लिपिंग पर भरोसा किया जाना चाहिए।

29. श्री मनोज जैन **[आर.डब्ल्यू.3]** ने बताया है कि जहां तक वीडियो की बात है, उसमें *".....सामान्य तौर पर केवल ऐसे ही अंशों को संपादित किया जाता है या छोड़ दिया जाता है जो मूल डीवीडी कैसेट में स्पष्ट नहीं हों या खाली हों या अप्रासंगिक हों"।* निःसंदेह यह बात सच है कि आम तौर पर किसी कार्यक्रम विशेष के डीवीडी कैसेट का संपादन अप्रासंगिक तथा अस्पष्ट

अंशों को हटाने के लिए किया जाता है। यह भी हो सकता है कि जिस वीडियोटेप को रिकार्ड किया गया था, उसका संपादन प्रत्यर्थी न्यायाधीश के खिलाफ परिवादी द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने के काफी पहले ही हो चुका हो और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वीडियोग्राफर ने विशेष वर्षगाँठ के अवसर पर हुए नृत्य के, यदि वह वहां हुआ था, पूरे दृश्य का ही संपादन कर दिया होगा, जोकि अन्यथा उस समारोह का एक महत्वपूर्ण भाग प्रतीत होता है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो क्लिपिंग को भरोसेमंद पाया गया। साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि सभी अतिथियों के विदा हो जाने के बाद लगभग मध्याह्न पश्चात् 10.30 बजे प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनकी पत्नी ने कुछ देर के लिए नृत्य किया था। इसलिए भी परिवादी का यह कथन कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश को सभी अतिथियों के मौजूद रहते हुए उसके समीप आने और कथित टिप्पणी करने का मौका मिला था, हमें प्रभावित नहीं करता। जब श्रीमती गंगेले और उनकी बेटियों ने केवल मध्याह्न पश्चात् 10.30 बजे ही नृत्य किया था और जब परिवादी लगभग मध्याह्न पश्चात् 9.30 बजे ही वहां से जा चुकी थी, तो परिवादी के इस कथन पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश उनके समीप आये थे और उन्होंने अश्लील फब्तियां कसी थी।

30. परिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया है कि वह 11.12.2013 को मध्याह्न पश्चात् 8.30 बजे से मध्याह्न पश्चात् 9.00 बजे के बीच अपनी दो बेटियों के साथ समारोह में भाग लेने के लिए गई थी। यह बात 2_1 के रूप में चिह्नित वीडियोटेप में 20:40 पर स्पष्ट होती है। क्लिपिंग 02_1 में परिवादी अपनी दो बेटियों के साथ 20.40 पर समारोह-स्थल में प्रवेश करते हुए दिखाई देती है। कोई भी व्यक्ति उन्हें मंच तक लेकर नहीं गया था। उसी क्लिपिंग 2_1 में न्यायमूर्ति गंगेले अपनी पत्नी और अन्य व्यक्तियों के साथ 09.19 पर समारोह-स्थल में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, जोकि परिवादी के प्रवेश से काफी पहले की बात है। अवश्य ही, प्रत्यर्थी मंच की ओर गए थे और अतिथियों का अभिवादन स्वीकार करने लगे थे।

31. एक अन्य वीडियो क्लिपिंग 1_3 में 00.03 पर परिवादी अपनी दो बेटियों और भावना सिंह के साथ होटल के लॉन में टहलते हुए दिखाई देती है। परिवादी की बड़ी बेटी हाथ में गुलदस्ता पकड़े हुए दिखाई देती है। उसके बाद यह दिखाई देता है कि वे सभी न्यायमूर्ति गंगेले और उनकी पत्नी को शुभकामनाएँ देने के लिए मंच के नजदीक गईं और साथ-साथ फोटोग्राफ भी खिंचवाया। परिवादी को वहाँ दम्पति को औपचारिक शुभकामनाएँ देने के अलावा किसी भी व्यक्ति से बातचीत

करते हुए नहीं देखा जा सका। परिवादी, उनकी बेटियाँ और भावना सिंह न्यायमूर्ति गंगेले को शुभकामना देने के बाद भोजन करने के लिए चली गईं, जिसे उसी क्लिपिंग 1_3 में 3.15 पर देखा जा सकता है। बाद में 4.31 पर परिवादी की बड़ी बेटी अकेली दिखाई देती है और 5.10 पर परिवादी अपनी छोटी बेटी के साथ बैठकर मेज पर खाना खाते हुए दिखाई देती है। उसी दौरान सुश्री भावना सिंह अकेले टहलते हुए और मिष्ठान्न लेते हुए 5.48 और 5.58 पर दिखाई देती है। आखिर में, परिवादी अपनी दो बेटियों के साथ 06.13 पर दिखाई देती है।

32. वीडियोटेप और साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर विचार करने के बाद यह जाहिर हो जाता है कि उस कार्यक्रम में अधिकांश समय प्रत्यर्थी केवल अपनी पत्नी के साथ ही मंच और मंच के निकट स्थित कारपेट एरिया में अतिथियों की शुभकामनाएँ स्वीकार कर रहे थे। उनके लिए अपनी पत्नी और बेटियों का साथ छोड़कर बगैर किसी व्यक्ति की जानकारी में आए परिवादी के करीब जा पाना अत्यंत कठिन होता। प्रत्यर्थी द्वारा आयोजित 25वीं वैवाहिक वर्षगाँठ का कार्यक्रम एक भीड़ भरा आयोजन था, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उनकी पत्नियों, न्यायिक अधिकारियों और उच्च अधिकारियों तथा उनके सगे-संबंधियों और मित्रों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिनसे प्रत्यर्थी न्यायाधीश और उनका परिवार परिचित था। ऐसे अवसर पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश की सर्वोपरि चिंता यह सुनिश्चित करने की रही होगी कि उनके सगे-संबंधी और अतिथि वहाँ सुखपूर्वक रहें और उनकी अच्छी खातिरदारी हो पाये।

33. निम्नलिखित तथ्य और परिस्थितियाँ परिवादी के इन आरोपों के बारे में गंभीर संदेह पैदा करते हैं कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश को परिवादी के नजदीक जाने और अश्लील फब्तियाँ कसने का मौका मिला होगाः-

(i) प्रत्यर्थी और उनकी पत्नी लगभग पूरे समय मंच के पास बने रहे थे और या तो मंच पर या कारपेट एरिया में अतिथियों की शुभकामनाएँ स्वीकार कर रहे थे;

(ii) परिवादी अधिकतर समय किसी-न-किसी व्यक्ति के साथ थी और वह समारोह के बीच में ही आई और समय से ही चली गई थी;

(iii) उस अवसर पर बहुत-से अतिथि मौजूद थे, जिसके कारण प्रत्यर्थी न्यायाधीश के लिए परिवादी के समीप जाकर कथित अश्लील टिप्पणी कर पाना अत्यंत कठिन होता;

(iv) यह आरोप परिवादी के स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी होने और उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को ठुकराये जाने और अन्ततः त्याग पत्र दे दिए जाने के बाद ही पहली बार सामने आया।

यह बात भी पचा पाना कठिन प्रतीत होता है कि जब परिवादी को पहले ही प्रत्यर्थी की ओर से एक कॉल मिला था, जिसमें उनसे किसी आइटम साँग पर नृत्य करने के लिए कहा गया था, तो उसके बाद भी परिवादी ने प्रत्यर्थी के रिसेप्शन में भाग लेने का निर्णय लिया। परिवादी के कथन और उनके पति द्वारा सुनी-सुनाई बात को छोड़कर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, पुख्ता सबूत माना जा सके। परिवादी का यह असंपुष्ट आरोप कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश को अपनी 25वीं वैवाहिक वर्षगाँठ के समारोह में अपने सगे-संबंधियों और मित्रों की भीड़ के बीच परिवादी के समीप जाकर उन पर अश्लील फब्ती कसने का मौका मिल गया था, *"उचित संदेह से परे प्रमाण"* की कसौटी को संतुष्ट नहीं करता। इन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 11.12.2013 को हुई घटना से संबंधित यह आरोप उचित संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

डी. जिला रजिस्ट्रार नवीन शर्मा [जेआईसी डब्ल्यू. सं. 8] के माध्यम से परिवादी को व्यक्तिगत संदेश भेजे जाना

34. परिवादी ने यह आरोप लगाया है कि जनवरी, 2014 माह के दौरान प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने जिला रजिस्ट्रार नवीन शर्मा **[जेआईसी डब्ल्यू.सं.8]** के माध्यम से कई ऐसे संदेश भेजकर और परेशान किया, जिनमें उन्हें प्रत्यर्थी के ग्वालियर स्थित सरकारी आवास पर मिलने के लिए बुलाया गया था, जहाँ वह अपने बंगले में अपनी पत्नी और बेटियों के बगैर (जो सामान्यतः दिल्ली में रहती थीं) सामान्यतया अकेले रहा करते थे। यहाँ भी, इस संबंध में परिवादी के कथन को छोड़कर आरोप की पुष्टि करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है।

35. अपने साक्ष्य में प्रत्यर्थी ने परिवादी को इस तरह का कोई संदेश भेजने से स्पष्ट तौर पर इंकार किया है। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने इस बात से भी इंकार किया है कि वह ग्वालियर में अपने सरकारी आवास में अकेले रहते थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 2010 तक उनके साथ ही रहती थी और उसके बाद वह अपनी छोटी बेटी के साथ रहने नोएडा चली गई थी, जहां वह नोएडा में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही थी। प्रत्यर्थी ने बताया कि उनकी पत्नी अक्सर ग्वालियर आया करती थी। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया है कि श्रीमती गंगेले के अलावा उनके पिताजी और माँ भी उनके साथ ही रहते थे, जिनका ग्वालियर में इलाज चल रहा था। न्यायमूर्ति गंगेले के सरकारी आवास से जुड़े सर्वेन्ट क्वार्टर में रहने वाले मुनिराज कुशवाहा, चपरासी **[आर.डब्ल्यू.2]** ने भी यह बताया है कि प्रत्यर्थी के बुजुर्ग माता-पिता प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साथ ही रहते थे। प्रत्यर्थी न्यायाधीश का सरकारी आवास होने के कारण वहां हमेशा निजी सुरक्षा अधिकारी भी तैनात रहते थे। यह अत्यंत असंभव प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने श्री नवीन शर्मा के माध्यम से परिवादी को अपने आवास पर मिलने लिए संदेश भेजा होगा।

36. प्रत्यर्थी ने बताया है कि ग्वालियर में वह अपने सरकारी आवास में रहते थे, जिसकी सुरक्षा हर समय सशस्त्र पुलिस द्वारा की जाती थी। इसके अलावा उनसे संबद्ध निजी सुरक्षा अधिकारी भी वहाँ होते थे। निजी सुरक्षा अधिकारी सहदेव सिंह **[आर.डब्ल्यू.5]** ने भी बताया है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साथ चौबीसों घंटे तीन निजी सुरक्षा अधिकारी संबद्ध थे, जिनकी बारी-बारी ड्यूटी लगा करती थी।

37. जब श्री नवीन शर्मा साक्षी कठघरे में थे, उनसे परिवादी के शपथ-पत्र के पैरा (12) में किए गए उन प्रकथनों के संबंध में सवाल किए गए, जिनमें परिवादी ने आरोप लगाया है कि श्री नवीन शर्मा प्रत्यर्थी न्यायाधीश की ओर से परिवादी को अपने सरकारी बंगले पर मिलने के लिए कई संदेश लाया करते थे। श्री नवीन शर्मा ने उक्त आरोप से स्पष्ट तौर पर इंकार किया है। परिवादी की ओर से यह कहा गया कि श्री नवीन शर्मा प्रत्यर्थी न्यायाधीश का समर्थन करने के लिए झूठा अभिसाक्ष्य दे रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर जिले के संविभाग न्यायाधीश होने के साथ-साथ वह ग्वालियर न्यायपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश भी थे और प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्रभारी थे और प्रत्यर्थी न्यायाधीश के पास जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का अनुसमर्थन करने या उनसे असहमत हो सकने का विवेकाधिकार था। उक्त धारणा का श्री नवीन शर्मा ने स्पष्ट तौर पर खंडन किया।

38. इस समिति ने यह गौर किया है कि श्री नवीन शर्मा उनसे पूछे जा रहे सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे और उनको हिन्दी में प्रश्न समझाए जाने के बाबजूद वह ऐसा जता रहे थे मानो वह प्रश्न समझ ही नहीं रहे। यदि ऐसा है तब भी इससे मूल बात तो वही रहती है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी को भेजे गए कथित संदेशों के बारे में पर्याप्त साक्ष्य देने की बात तो दूर रही, परिवादी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। श्री नवीन शर्मा द्वारा सवालों से बचने की कोशिश और उनके संदेहास्पद व्यवहार मात्र से परिवादी का आरोप, बिना किसी संपुष्टि के, साबित नहीं हो जाता। परिवादी न सिर्फ यह साबित करने में विफल रही कि श्री नवीन शर्मा उनके पास प्रत्यर्थी के अवांछित संदेश लाया करते थे, बल्कि यह साबित करने में भी असफल रही कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश की श्री नवीन शर्मा के साथ विशेष घनिष्ठता थी जिससे वह आसानी से श्री शर्मा के माध्यम से ऐसे संदेश भेज सकते थे। क्योंकि, यह बात कल्पना से परे है कि उच्च न्यायालय का कोई वर्तमान न्यायाधीश किसी अन्य महिला न्यायिक अधिकारी को खुलेआम इस तरह का संदेश, देर-सबेर उसके उजागर हो जाने के डर के बिना ही, भेजने के लिए किसी न्यायिक अधिकारी का सहारा लेगा। केवल इस धारणा पर ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि सभी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी केवल इस आधार पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश के अनैतिक कार्यों का अनुपालन करने और

उनका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वह ही उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर सहमति या असहमति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे।

39. यदि वास्तव में परिवादी को कथित संदेश प्रत्यर्थी न्यायाधीश की ओर से भेजे गए थे तो उसका स्वाभाविक आचरण यह होना चाहिए था कि वह इसके बारे में अपने पति श्री संजय मदान **[सी. डब्ल्यू. 3]** को बताती, जो उन्होंने नहीं किया, यद्यपि श्री संजय मदान प्रायः हर सप्ताहांत अपनी पत्नी और बेटियों से मिलने ग्वालियर जाया करते थे। परिवादी के पति श्री संजय मदान **[सी. डब्ल्यू. 3]** ने अपनी पत्नी द्वारा इस बारे में सूचित किए जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी को ऐसे संदेश कथित रूप से भेजे गए थे। यह तथ्य परिवादी के कथन के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है कि उन कथित संदेशों के बारे में परिवादी द्वारा अपने पति को भी उसी समय नहीं बताया गया था। इससे भी अधिक, जब प्रत्यर्थी न्यायाधीश अपने सरकारी आवास में अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रह रहे थे, जिस आवास की सुरक्षा सशस्त्र पुलिस और निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) द्वारा की जा रही थी, तो ऐसे में विश्वास करना कठिन है कि उन्होंने अपनी अनैतिक मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवादी को अपने सरकारी आवास पर बुलाया होगा। समिति का यह मानना है कि यह आरोप भी उचित संदेश से परे साबित नहीं होता।

ई. न्यायिक अधिकारी, सुश्री शिवानी शर्मा का विवाह-समारोह, दिनांक 22.2.2014

40. परिवादी ने आरोप लगाया है कि शिवानी शर्मा के विवाह समारोह में 22.02.2014 को भी उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। परिवादी अपने पति और दोनों पुत्रियों के साथ सुश्री शिवानी शर्मा के विवाह समारोह में गई थीं। न्यायमूर्ति गंगेले भी उस विवाह समारोह में गए थे। नव-विवाहित दम्पत्ति को शुभकामना देने के पश्चात् परिवादी और उनके पति और बच्चों ने स्नैक्स लिया और रात्रिभोज किया। परिवादी के बयान के अनुसार, उनके पति, श्री मदान **(प्र.सा. 3)** अपनी छोटी पुत्री सुहानी के साथ स्वीट कॉर्नर पर गए जबकि बड़ी पुत्री **(प्र.सा. 2)** परिवादी के साथ रह गई। परिवादी ने कहा कि जब वह अपनी बड़ी पुत्री के साथ थीं, तब प्रत्यर्थी न्यायाधीश उनके पास आए और कहा:-

> *"आपका काम तो बहुत अच्छा है, पर आप अपने काम से बहुत खुबसूरत हैं। आपको देखकर अपनी आंखें झपकाने का मन भी नहीं करता।"*

परिवादी ने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उन्हें घूरते हुए सर से लेकर पांव तक देखा और फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर सहलाते हुए उनकी पीठ तक ले गए। यह देखकर परिवादी हतप्रभ और बेचैन हो गईं और उन्होंने प्रत्यर्थी से कहा कि इस प्रकार की हरकत अशोभनीय है। परिवादी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री से अपने पिता को बुलाने को कहा ताकि वे वहां से जा सकें।

41. श्री मदान **(प्र.सा. 3)** और उनकी बड़ी पुत्री **(प्र.सा. 2)** सुश्री सोनल मदान ने परिवादी के बयान से मिलता-जुलता बयान दिया है। जिस समय प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने कथित लैंगिक टिप्पणी की थी और अनुचित शारीरिक आचरण किया था, उस समय परिवादी की बड़ी पुत्री संभवतः परिवादी के साथ थी। परिवादी की पुत्री ने अपने प्रति-परीक्षण में बयान दिया है कि वह प्रत्यर्थी न्यायाधीश को अपनी मां के कंधे पर हाथ रखकर सहलाते हुए पीठ तक यह कहते हुए ले जाता देखकर हतप्रभ रह गईं कि *'उनका काम बहुत अच्छा है, परंतु वह अपने काम से भी अधिक खुबसूरत हैं और किसी को भी अपनी आंखें झपकाने का मन भी नहीं करेगा।'* परिवादी के पति ने बयान दिया है कि वे कथित घटना के समय अपनी छोटी पुत्री के साथ डेसर्ट कॉर्नर पर थे और यह भी कहा कि उनकी बड़ी पुत्री उनके पास आईं और वहां से चलने को कहा, जिसके बाद वे समारोह से चले गए। वहां से चले जाने के बाद परिवादी ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया, जो उनके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक थी। उन्होंने कहा है कि वे यह जानकर हतप्रभ थे कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उनकी पत्नी के साथ पुनः दुर्व्यवहार करने का दुःसाहस किया है।

42. न्यायमूर्ति गंगेले ने उपर्युक्त आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे समारोह में लगभग तीस मिनट तक रहे और समारोह में इतने कम समय के लिए उनकी उपस्थिति के दौरान श्री राजेन्द्र चौरसिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पी.एस.ओ.), सहदेव सिंह यादव उनके साथ थे और इसलिए, उनके लिए परिवादी के पास जाना और उनसे बात करना तथा कथित टिप्पणी करना संभव ही नहीं था। साथ ही न्यायमूर्ति गंगेले ने इस बात पर जोर दिया कि परिवादी ने यह बात छिपाई है कि परिवादी के पति भी सुश्री शिवानी शर्मा के विवाह समारोह में उनके साथ थे। प्रत्यर्थी ने कहा कि यह सोच से परे की बात है कि वह परिवादी के पति की उपस्थिति में उनके साथ ऐसी टिप्पणी और आचरण करेंगे जैसा कि

उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही, ऐसा तब, जब वहां बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे।

43. सुश्री भावना सिंह (न्या. जां.स.सा. सं. 2) ने भी प्रत्यर्थी के इस बयान की पुष्टि की है कि वह सुश्री शिवानी शर्मा के विवाह समारोह में परिवादी के साथ थीं। मुख्य परीक्षण में दिए गए उनके बयान का संगत भाग निम्नानुसार हैः

> "मैं विवाह स्थल पर जल्दी पहुंच गई थी और सुश्री एबीसी के विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद, हमलोग प्रायः साथ रहे। नव-विवाहित दम्पति को शुभकामना देने हम दोनों एक साथ मंच पर गए।
>
> प्र. क्या आपने सुश्री एबीसी के साथ किसी और व्यक्ति को देखा?
>
> उ. सुश्री एबीसी के साथ उनके पति और पुत्रियां थीं, परंतु मुझे याद नहीं है कि कोई और व्यक्ति उनके साथ था।
>
> ....
>
> दो से तीन घंटे तक मैं विवाह स्थल पर रही। जिस समय मैं विवाह स्थल से गई, उस समय तक कई अतिथि जा चुके थे, परंतु कुछ मौजूद थे। मैं अपनी गाड़ी स्वयं चलाते हुए विवाह स्थल पर गई थी। चूंकि देर हो चुकी थी, जब मैं लौट रही थी, सुश्री एबीसी की गाड़ी मेरे घर तक मेरी गाड़ी के पीछे-पीछे आ रही थी।"

तथापि, बाद में अपने प्रति-परीक्षण में सुश्री भावना सिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह समारोह के दौरान हर समय परिवादी के साथ नहीं थीं क्योंकि वह अन्य अधिकारियों से भी बात कर रही थीं। परंतु, उन्होंने यह भी कहा कि परिवादी उनकी नज़रों से कभी ओझल नहीं हुई क्योंकि विवाह स्थल छोटा था और यदि कथित घटना घटित हुई होती तो उसने उसे जरूर देख लिया होता। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सारे समय परिवादी की बड़ी पुत्री उनके साथ ही रही। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सुश्री भावना सिंह का परिवादी के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध थे क्योंकि परिवादी हमेशा उनसे पूछा करती थी कि उनके साथ कोई समस्या तो नहीं है। स्वीकार्यतः, सुश्री भावना कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं और वे परिवादी के साथ ही विवाह स्थल से गई थीं, यद्यपि एक ही गाड़ी में नहीं गई थी। इसके बावजूद, उन्होंने परिवादी के बयान का समर्थन नहीं किया है।

44. श्री राजेद्र चौरसिया (प्र.सा. 6), तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा है कि 22.02.2014 की शाम में वे प्रत्यर्थी न्यायाधीश के सरकारी आवास पर गए थे और उन्हें शिवानी शर्मा के विवाह स्थल पर साथ लेकर आए और वे विवाह-स्थल, मंगलम गार्डन, लगभग 9.15 बजे रात्रि में प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साथ पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री पी.के. शर्मा (प्र.सा. 7),

अपर जिला न्यायाधीश **(एडीजे),** ग्वालियर और श्री नवीन शर्मा, तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार जैसे न्यायिक अधिकारी एवं अन्य न्यायिक अधिकारी भी प्रत्यर्थी के साथ थे। **प्र.सा.** 6 ने यह भी कहा कि वे प्रत्यर्थी न्यायाधीश को नव-विवाहित दम्पत्ति को शुभाशीष देने के लिए मंच पर ले गए थे और जब प्रत्यर्थी न्यायाधीश मंच से नीचे उतरे, **प्र.सा.** 6 और अन्य न्यायिक अधिकारी उन्हें भोज क्षेत्र ले गए। **प्र.सा.** 6 ने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश समारोह में सिर्फ लगभग तीस मिनट तक रुके और उस समय के दौरान उन्होंने उन्हें किसी भी समय परिवादी से मिलते हुए नहीं देखा। पी.एस.ओ. सहदेव सिंह (**प्र.सा.** 5) और श्री पी.के. शर्मा (**प्र.सा.**7) के साक्ष्य भी इसी दिशा में हैं। **प्र.सा.** 5 से **प्र.सा.** 7 के साक्ष्यों से कुछ ठोस नहीं निकला जिससे उनके बयान को झुठलाया जा सके। सिर्फ यह सुझाव दिया गया कि **प्र.सा.** 6 और **प्र.सा.**7 साक्षियों ने गलत बयान दिए हैं क्योंकि उनके संविभाग न्यायाधीश (पोर्टफोलियो जज) के रूप में न्यायमूर्ति गंगेले को **प्र.सा.** 6 और **प्र.सा.** 7 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों (एसीआर) पर प्रति-हस्ताक्षर करने थे। **प्र.सा.** 6 और **प्र.सा.** 7 ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश को अनुगृहीत करने के लिए ऐसा किया - इस सुझाव को दोनों साक्षियों ने अस्वीकार किया है। इस प्रकार, श्री पी.के. शर्मा, श्री राजेन्द्र चौरसिया और निजी सुरक्षा अधिकारी, सहदेव सिंह के बयान से यह बात दर्ज की गई है कि सुश्री शिवानी शर्मा के विवाह समारोह में वे हमेशा प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साथ थे और इसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम **प्र.सा.** 5 और **प्र.सा.** 7 के बयान पर संदेह करें।

45. अधीनस्थ न्यायपालिका के दो न्यायिक अधिकारियों के विवाह समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ कई अतिथि और अधिकारी होते ही हैं। अन्यथा भी, प्रत्यर्थी के अनुसार, वे समारोह में लगभग तीस मिनट तक ही रहे और उस दौरान उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सहदेव सिंह यादव उनके साथ थे। परिवादी और उनके पति ने प्रत्यर्थी की उपस्थिति पर जरूर ध्यान दिया होगा क्येांकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के नाते वे विशेष आकर्षण के केन्द्र रहे होंगे। आश्चर्य की बात है कि परिवादी के पति तीस मिनट की इस अल्पावधि में भी उनके साथ नहीं रहे, उस घटना के प्रति पूर्णतः अनजान रहे जो सिर्फ 2-3 महीने पहले 11.12.2013 को घटित हुई थी। यह बिल्कुल अविश्वसनीय बात है कि एक विवाह समारोह में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, जो न्यायिक अधिकारियों और अन्य अतिथियों से घिरा हो, उस समय की प्रतीक्षा कर

रहा था कि कब परिवादी का पति डेर्जट लेने के लिए आएगा और उस अवसर का लाभ उठाते हुए वह परिवादी के पास जाएगा और उस पर यौन टिप्पणी करेगा। उपर्युक्त तर्काधार पर, सिर्फ परिवादी की पुत्री, जो अति हितबद्ध साक्षी है जैसाकि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, के बयान पर भरोसा करते हुए परिवादी के बयान को स्वीकार करना कठिन है। यहां पुनः, परिवादी का बयान किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए अपेक्षित असंदिग्ध प्रमाण को पूरा नहीं करता है।

एफ. न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना की विदाई पार्टीः

46. 05.01.2014 को ग्वालियर की जिला न्यायपालिका ने न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना की सेवानिवृत्ति पर उनके लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया था। इसमें प्रत्यर्थी न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ के सभी न्यायाधीशों को आमंत्रित किया गया था। परिवादी ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों और जिला न्यायपालिका के सदस्यों के बीच प्रत्यर्थी न्यायाधीश रात्रिभोज के दौरान उन्हें लगातार घूरते रहे और अपना हरसंभव प्रयास करने के बावजूद वह उनके घूरने से नहीं बच पाईं। परिवादी ने यह भी कहा है कि न्यायमूर्ति गंगेले के स्वभाव को जानते हुए और उनके विगत में किए गए आचरण को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने उनके गलत इरादों को भांप लिया और प्रत्यर्थी द्वारा उनके प्रति कुछ और गलत व्यवहार किए जाने से पहले वह अपनी पुत्री के साथ समारोह से चली गईं।

47. *इसके विपरीत*, प्रत्यर्थी ने परिवादी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना की विदाई पार्टी में मुख्य अतिथि थे और वे समारोह में लगभग एक घंटा तक रहे जिसके दौरान उन्होंने परिवादी की वहां उपस्थिति पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए, जिसे किसी औपचारिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया हो और जो उच्च न्यायालय के साथी न्यायाधीशों और जिला न्यायपालिका के सदस्यों से घिरा हो, ऐसा कृत्य करना कतई संभव नहीं है।

48. श्री राजेन्द्र चौरसिया **(प्र.सा. 6)** ने, जो न्यायमूर्ति सक्सेना की विदाई पार्टी में मौजूद थे, अपने बयान में कहा है कि उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ में पदस्थापित सभी न्यायाधीश उस समारोह में उपस्थित थे और प्रत्यर्थी न्यायाधीश उस समारोह में मुख्य अतिथि थे। **(प्र.सा. 6)** ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सामने मंच की दाईं ओर बैठे थे जबकि जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से थोड़ा पीछे बैठे थे, और

जहां तक रात्रिभोज का संबंध है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जिला न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था थी।

49. अप्रैल, 2014 में आयोजित न्यायमूर्ति जी.डी. सक्सेना की विदाई पार्टी में परिवादी और प्रत्यर्थी के अलावा, उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ के सभी न्यायाधीश और जिला न्यायपालिका के सदस्य भी उपस्थित थे। निस्संदेह, प्रत्यर्थी न्यायाधीश समारोह के मुख्य अतिथि थे और वे समारोह स्थल पर लगभग एक घंटा तक रुके थे। रात्रिभोज के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जिला के न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था थी। परिवादी का आरोप है कि रात्रिभोज के दौरान, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उन्हें लगातार घूरा था और जब वह प्रत्यर्थी के घूरने से नहीं बच पाईं तो अंततः उन्हें समारोह छोड़कर अपनी पुत्री के साथ चले जाना पड़ा।

50. घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, यह स्वाभाविक और मुमकिन प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों और जिला न्यायपालिका के सदस्यों की उपस्थिति में और वह भी तब जब उन्हें समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया हो, परिवादी को घूरने जैसा कृत्य किया होगा। परिवादी के इस बयान को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि प्रत्यर्थी परिवादी को घूरने के लिए ही समारोह में उपस्थित अपने सभी सहकर्मियों और अधीनस्थ अधिकारियों से मिलने से बचते रहे और साथ ही उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि ऐसे कृत्य के लिए दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया क्या होगी। इस तथ्य और आस-पास की परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारा यह विचार है कि यह आधार भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

जी. यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं को रिपोर्ट करने में विलंब और 'युक्तियुक्त महिला मानक' परीक्षण के संबंध में प्रति-विरोध

51. परिवादी का प्रति-विरोध है कि कथित यौन उत्पीड़न को विलंब से रिपोर्ट किए जाने संबंधी उनके आचरण का परीक्षण युक्तियुक्त महिला के आचरण की कसौटी पर किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि नौकरी जाने के भय से कोई महिला काफी समय तक घटना के बारे में नहीं बोलती है, विशेषकर तब जब उत्पीड़क और पीड़ित/पीड़िता के बीच बड़ा शक्ति असंतुलन हो। परिवादी ने यह भी सुझाव दिया कि यह प्रति-विरोध करना सही नहीं है कि न्यायाधीश होने के नाते, परिवादी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून की जानकारी थी, और इसीलिए, उन्हें प्रत्यर्थी

न्यायाधीश के दुर्व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। परिवादी ने दलील दी कि किसी और के मामले में कानून के अनुसार न्याय करना एक बात है जबकि स्वयं यौन उत्पीड़न की पीड़िता होते हुए मामले को देखना बिल्कुल अलग बात हैं, और इसलिए, परिवादी के आचरण को *'एक युक्तियुक्त महिला के आचरण के रूप में'* देखा जाना चाहिए न कि *'एक न्यायाधीश के आचरण के रूप में'*। विभिन्न विदेशी पूर्व-निर्णयों को उद्धृत करते हुए परिवादी ने इस मामले में *'युक्तियुक्त महिला मानक'* परीक्षण अपनाने का अनुरोध किया।

52. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने इस बात क प्रति-विरोध करने के लिए कथित यौन उत्पीड़न, जिसकी वह पीड़िता थी, के विरुद्ध समकालीन परिवाद दायर नहीं करने में परिवादी के आचरण का परीक्षण एक न्यायाधीश के आचरण की तरह न करके एक युक्तियुक्त सामान्य महिला के आचरण की कसौटी पर किया जाना चाहिए, *'युक्तियुक्त महिला मानक'* का सहारा लिया है। उन्होंने सुझाया है कि इस बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि सामान्यतः, वर्तमान परिस्थितियों में एक न्यायाधीश का आचरण कैसा रहा होगा, बल्कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि एक युक्तियुक्त सामान्य महिला की प्रतिक्रिया क्या रही होगी।' *'युक्तियुक्त महिला मानक'* परीक्षण का सार वस्तुपरकता में निहित है न कि व्यक्तिपरकता में। *'युक्तियुक्त महिला मानक'* परीक्षण में यह नहीं सुझाया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के आचरण को उनकी परिस्थितियों से इतर परखा जाना चाहिए। जब परिवादी अपर जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत एक सुशिक्षित पेशेवर महिला हो, तो यह सुझाव देना अविवेकपूर्ण है कि उनके आचरण का परीक्षण उनकी परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए किया जाना चाहिए। परिवादी के पद, प्रतिकूल परिस्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया के उनके दृष्टिकोण आदि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उनके आरोपों की सत्यता इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही सुनिश्चित की जा सकती है।

53. *'युक्तियुक्त महिला मानक'* परीक्षण के वास्तविक तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए हम एक विदेशी पूर्व-निर्णय, जो ***एलिसन बनाम ब्रैडी 924 एफ.2.डी.874 (1991)*** मामले में दिया गया है और जिस पर परिवादी ने भरोसा किया है, के कुछ पैराओं को उद्धृत करना चाहेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि *'युक्तियुक्त महिला मानक'* पुरुषों के लिए उच्चतर संरक्षण स्तर स्थापित नहीं करता है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि युक्तियुक्त महिला के मत पर विचार किया

जाता है जबकि पुरुष के मत पर नहीं क्योंकि लिंग-पक्षपाती युक्तियुक्त व्यक्ति मानक पुरुष पक्षपाती हो सकता है।

> "[5] अगला, हमारा मानना है कि यौन उत्पीड़न की गंभीरता और व्यापकता का मूल्यांकन करने में, हमें पीड़िता के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। किंग, 898 एफ.2. डी. ऐट 537; ई.ई.ओ.सी. कम्पलायंस मैनुअल (सी.सी.एच.) 615, 3112, सी. ऐट 3242 (1988) ("न्यायालयों को पीड़िता के परिप्रेक्ष्यों पर विचार करना चाहिए न कि स्वीकार्य व्यवहार के रुढ़िवादी विचार पर।") यदि हम सिर्फ इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या युक्तियुक्त व्यक्ति कथित उत्पीड़नकारी आचरण करेगा या नहीं तो यह मौजूदा भेदभाव के स्तर को पुनः प्रवृत्त करने का जोखिम होगा। उत्पीड़क सिर्फ भेदभावकारी सामान्य चलन के निमित भी उत्पीड़न कर सकते हैं और उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास कोई उपाय नहीं होगा।
>
> इसलिए, हम पीड़िता के दृष्टिकोण से उत्पीड़न का विश्लेषण करने को ज्यादा महत्व देते हैं। पीड़िता के विचारों को पूर्णतया समझने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसा आचरण जिसे कई पुरुष अनापत्ति मानते हैं, उससे अनेक महिलाओं को ठेस पहुंच सकती है।
>
> .... हम महसूस करते हैं कि समूह के रूप में महिलाओं के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, परंतु हम यह भी मानते हैं कि कई महिलाओं की समान चिंताएं होती हैं जो निःसंदेह पुरुषों की नहीं होती है। उदाहरण के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बलात्संग और यौन उत्पीड़न की बहुत अधिक घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए वे यौन व्यवहार के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं।
>
> [6] दुर्लभ अति-संवेदनशील कर्मचारी की विशेष स्वभाव संबंधी चिंताओं के समायोजित करने से नियोजकों को बचाने के लिए, हमारा निर्णय है कि कोई महिला वादी जब आचरण पर आरोप लगाती है तो वह प्रथमदृष्ट्या शत्रुतापूर्ण वातावरण यौन उत्पीड़न के मामले की बात करती है, जबिक एक युक्तियुक्त महिला इसे नियोजन की शर्तों में बदलाव के लिए और अपमानजनक कार्य वातावरण के के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर और व्यापक मानेगी।
>
> **हम युक्तियुक्त महिला के दृष्टिकोण को प्रमुखतः इसलिए देते हैं क्योंकि हम मानते है कि यौनांध युक्तियुक्त व्यक्ति मानक पुरुष पक्षपाती होता है इसलिए महिलाओं के अनुभवों को प्रणालीबद्ध रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है। युक्तियुक्त महिला मानक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक संरक्षण प्रदान नहीं करता है।**

54. यह पूर्णतः निर्विवादित है कि यदि प्रत्यर्थी न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप सत्य पाए जाते हैं तो इसे परिवादी का यौन उत्पीड़न माना जाएगा और इसे 'दुर्व्यवहार' माना जाएगा। इस मामले में, प्रश्न यह नहीं है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश का आचरण विशेष अर्थात् किसी औपचारिक समारोह में परिवादी के विरुद्ध यौन टिप्पणी करना अथवा उन्हें लगातार घूरना यौन उत्पीड़न है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी द्वारा आरोपित रूप में आचरण किया है या नहीं। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी द्वारा आरोपित रूप में कृत्य किया है तो निःसंदेह यौन-उत्पीड़न का मामला बनता है। परंतु, यदि परिवादी के आरोप, दी गई

परिस्थितियों और साक्ष्यों के आलोक में प्रमाणित नहीं होते हैं तो 'युक्तियुक्त महिला मानक' का परीक्षण परिवादी के किसी काम नहीं आएगा।

55. परिवादी ने यह भी कहा है कि चूंकि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी न्यायिक अधिकारी के साथ किए गए यौन उत्पीड़न का परिवाद करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए परिवाद दायर करने में विलंब का प्रश्न नहीं उठता है। परिवादी के अनुसार, जो प्रासंगिक बात है वह है प्रत्यर्थी न्यायाधीश की अनैतिक मांगों के सामने समर्पण से उनकी समकालीन मनाही और प्रत्यर्थी न्यायाधीश को उनका स्पष्ट संकेत कि उनकी हरकतें अशोभनीय है। यह कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में किसी युक्तियुक्त व्यक्ति ने जैसा किया होता, परिवादी ने भी प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध औपचारिक परिवाद दायर करने से पूर्व यौन उत्पीड़न को रोकने के सभी उपाय कर लिये थे। परिवादी के अनुसार, प्रत्यर्थी के अशोभनीय आचरण का व्यक्तिगत रूप से प्रतिरोध करने के अलावा, उन्होंने अपनी शिकायत अपने पति से साझा की जिन्होंने अपनी बड़ी पुत्री सोनल मदान को सुझाव दिया कि वह किसी भी पार्टी/समारोह में परिवादी का साथ न छोड़े।

56. तथापि, हम परिवादी के इस दावे से बिल्कुल असहमत हैं। अभिलेख में मौजूद साक्ष्य से स्पष्ट पता चलता है कि परिवादी ने अपने विरुद्ध हुए कथित यौन उत्पीड़न पर कभी भी प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने सिर्फ कर्मचारी उत्पीड़न और मध्यावधि में स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की। यौन उत्पीड़न के आरोप पहली बार अपने त्यागपत्र देने के काफी समय बाद अर्थात् 1 अगस्त, 2014 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को किए गए परिवाद में लगाए गए। हम संजीदा हैं कि यौन उत्पीड़न के मामलों में हमें विभाग/स्थापनों के पदानुक्रम को ध्यान में रखना पड़ता है। परंतु, अपने आशुलिपिक, पुलिस सिपाही के व्यवहार, कर्मचारियों की समस्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं के बाद शिकायत करने में हुआ विलंब परिवादी के बयानों पर संदेह उत्पन्न करता है।

57. परिवादी कतिपय निष्पक्ष साक्षियों, जैसे न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल **(न्या.जां. स.सा. सं. 6)**, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दीपक वर्मा **(प्र.सा. 4)** और श्री वी.बी. सिंह, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तत्कालीन प्रधान निजी सचिव **(न्या.जां.स.सा.सं. 9)** के परिसाक्ष्य पर निर्भर है जिन्हें उक्त घटनाओं के बारे में परिवादी ने कथित रूप से जानकारी दी थी।

58. परिवादी के बयान के अनुसार, 20.05.2014 को उन्होंने रवि जायसवाल **(न्या.जां.स.सा.सं. 5)**, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानती थीं, को कथित यौन उत्पीड़न और कर्मचारी उत्पीड़न की घटना की जानकारी देने और पूरे मामले में उनकी सलाह लेने के लिए फोन किया था। श्री रवि जायसवाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल के भाई हैं। परिवादी अपने वकालत के दिनों से ही श्री रवि जायसवाल से परिचित हैं। 30.05.2014 को श्री रवि जायसवाल ने परिवादी को फोन कर सूचित किया कि उन्होंने परिवादी और उनके पति को अपने बड़े भाई, न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से अगले दिन जबलपुर में मिलने की व्यवस्था कराई थी। परिवादी और उनके पति न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से मिलने के लिए 01.06.2014 को दिल्ली से जबलपुर विमान से गए। परिवादी ने अपने दावे के समर्थन में हवाई यात्रा के टिकट प्रस्तुत किए हैं।

59. परिवादी के अनुसार, उन्होंने न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल को बताया कि न्यायमूर्ति गंगेले ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। परिवादी के पति श्री संजय मदान **(प.सा. 3)** ने भी इसी दिशा में अपने बयान दिए हैं। परिवादी ने यह भी कहा है कि उन्होंने न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल को बताया कि प्रत्यर्थी जिला न्यायाधीश श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) श्री राजीव शर्मा और जिला रजिस्ट्रार, श्री नवीन शर्मा को उनका उत्पीड़न करने के लिए कैसे निदेश दे रहे थे, जिससे वह प्रत्यर्थी न्यायाधीश की गैर-कानूनी और अनैतिक मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएं। परिवादी के बयान के अनुरुप, न्यायमूर्ति जायसवाल ने उन्हें अपने पोर्टफोलियो न्यायाधीश न्यायमूर्ति गंगेले से मिलने के लिए कहा, जिसपर परिवादी के कथनानुसार, उन्होंने उनसे कहा कि **"महोदय, वही तो है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की है"**। परिवादी द्वारा यथाकथित इस बातचीत को न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने पुरजोर तरीके से अस्वीकार किया है।

60. न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने स्पष्ट रूप से इस बात को अस्वीकार किया है कि परिवादी ने उन्हें न्यायमूर्ति गंगेले के कथित दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि परिवादी ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र किया था। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि परिवादी और उनके पति 01.06.2014 को उनसे मिले थे और उन्होंने सिर्फ परिवादी की कर्मचारी समस्या के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने यह भी कहा कि

परिवादी ने उन्हें बताया था कि कैसे जिला रजिस्ट्रार, श्री नवीन शर्मा ने चपरासी/कर्मचारी की तैनाती नहीं करके उनके लिए समस्या उत्पन्न करते हुए उनका उत्पीड़न किया था। न्यायमूर्ति जायसवाल ने कहा कि बातचीत सिर्फ कर्मचारी समस्या के बारे में हुई थी। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने परिवादी को कहा था कि वे न्यायमूर्ति गंगेले से बात करेंगे जो ग्वालियर जिले के पोर्टफोलियो न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रत्यर्थी न्यायाधीश को फोन कर न्यायालयों के 15 या 18 जून, 2014 के बाद पुनः खुलने पर परिवादी की कर्मचारी समस्या को देखने के लिए कहा था। जब उन्होंने न्यायमूर्ति गंगेले से बात की थी तो उन्होंने उनसे कहा था वे ग्वालियर के जिला न्यायाधीश से बात कर चुके हैं। परंतु, न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने जोर देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति गंगेले का नाम किसी भी अन्य संदर्भ में नहीं लिया गया था।

61. न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने कहा कि जुलाई, 2014 के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, वे दो अन्य न्यायाधीशों के साथ ग्वालियर न्यायपीठ में शामिल थे। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने कहा कि जब वे ग्वालियर न्यायपीठ में शामिल थे तो परिवादी ने फोन पर उनसे कहा कि वह उनसे मिलकर उनके भाई (श्री रवि जायसवाल) की पत्नी के निधन पर संवेदना व्यक्त करना चाहती है। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने यह भी कहा कि जब परिवादी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनसे मिलीं तो उन्होंने ग्वालियर से सीधी अपने स्थानांतरण की समस्या के बारे में भी बताया और अपने स्थानांतरण की समस्या के अलावा परिवादी ने उनसे किसी अन्य मामले पर चर्चा नहीं की थी।

62. न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश को और प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल को कुछ फोन कॉल्स किए थे। समिति के माननीय सदस्य श्री के.के. वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से पूछा कि उन्होंने परिवादी को पोर्टफोलियो न्यायाधीश (प्रत्यर्थी) से मिलने की सलाह क्यों नहीं दी और उन्होंने परिवादी की कर्मचारी समस्या के मुद्दे पर स्वयं क्यों कार्रवाई की। श्री के.के. वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से यह भी पूछा कि कर्मचारी समस्या जैसे मामूली मुद्दे पर परिवादी दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्यों मिलेंगी? यह भी सुझाया गया कि चूंकि परिवादी की वास्तविक शिकायत न्यायमूर्ति गंगेले के

विरुद्ध थी और इसीलिए, वह न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से मिली थीं। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। प्रासंगिक प्रश्न और उत्तर निम्नानुसार हैं:-

प्र. क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि कर्मचारी समस्या जैसे मामूली मुद्दे के लिए सुश्री एबीसी और उनके पति आपसे मिलने दिल्ली से जबलपुर विमान से आए?

उ. मुझे आश्चर्य नहीं हुआ।

प्र. क्या आप जैसे अनुभवी न्यायाधीश के लिए, एक अपर जिला न्यायाधीश को ग्वालियर प्रशासनिक न्यायाधीश से मिलने की सामान्य प्रक्रिया का पालन करने की सलाह न देना, अविवेकपूर्ण नहीं है?

उ. मेरे विचार से, उन्हें जबलपुर प्रशासनिक न्यायाधीश से मिलना चाहिए था।

प्र. किसी भी स्थिति में, आपने सुश्री एबीसी. की स्वयं आगे आकर मदद करने की बजाय उन्हें न्यायमूर्ति गंगेले से मिलकर अपनी शिकायत करने के लिए क्यों नहीं कहा?

उ. मेरे पास इसका कोई कारण नहीं है।

प्र. क्या यह संभव है कि आपने सुश्री एबीसी को न्यायमूर्ति गंगेले के समक्ष अपनी शिकायत रखने के लिए इसलिए सलाह नहीं दी क्योंकि उनकी शिकायत न्यायमूर्ति गंगेले के विरुद्ध ही थी?

उ. उन्होंने न्यायमूर्ति गंगेले के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी।

[न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल (न्या.जां.स.सा.सं. 6) के बयान की पृ.सं. 19 और 20]

63. इसी दिशा में, विद्वान न्याय-मित्र श्री संजय जैन द्वारा न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से प्रश्न पूछे गए। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने परिवादी की मदद करने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उनकी शिकायत खुद न्यायमूर्ति गंगेले के विरुद्ध थी। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल द्वारा इसे पुरजोर तरीके से अस्वीकार किया गया। प्रासंगिक प्रश्न और उत्तर निम्नानुसार हैं:-

प्र. यदि समस्या सिर्फ कर्मचारी तक ही सीमित थी तो आपने सुश्री एबीसी की इतनी फोन कॉल्स क्यों लिए और आपने स्वयं भी कॉल्य क्यों की?

उ. उन्होंने अपनी कर्मचारी समस्या की बात कही और इसलिए एक मानवीय समस्या के रूप में और मानवीय आधार पर, मैने उनकी कॉल्स ली और उन्हें कॉल्स कीं।

प्र. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुश्री एबीसी से आपका परिचय पहली बार 1 जून, 2014 को आपके भाई रवि जायसवाल द्वारा कराया गया था और यह भी कि आपके भाई ने 1 जून, 2014 के बाद इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर आपने क्यों सुश्री एबीसी और न्यायमूर्ति गंगेले से बात करने और इस मामले को आगे बढ़ाने में इतना समय क्यों लिया?

उ. मैं कोई विशिष्ट कारण नहीं बता सकता।

प्र. इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जब आपको स्थानांतरण नीति के विरुद्ध सुश्री एबीसी की पुत्री के 12वीं कक्षा के मध्य सत्र में उनके स्थानांतरण के बारे में पता चला, तो क्या आपको यह मुश्किल नहीं लगा?

उ. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है।

[न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल (न्या.जां.स.सा.सं. 6) के बयान की पृ.सं. 21 और 22]

64. इस प्रकार, बार-बार यह पूछे जाने पर कि न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने परिवादी की मदद करने की कोशिश क्यों की, न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने कहा कि उन्हें लगा कि यह एक मानवीय समस्या है और मानवीय आधार पर उन्होंने परिवादी के कॉल्स लिए और उन्हें कॉल्स भी की ताकि वे उनकी मदद कर सकें। जहां तक स्थानांतरण के मुद्दे का संबंध है, न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने कहा कि उन्होंने स्थानांतरण के मामले में परिवादी की मदद करने की इसलिए कोशिश की थी क्योंकि परिवादी की पुत्री 12वीं कक्षा में थी और उनके परिवार में किसी की तबीयत भी खराब थी। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने इस बात को पुरजोर तरीके से अस्वीकार किया कि परिवादी ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा उनके साथ किए गए कथित यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत उनसे की थी। ऐसी पुरजोर अस्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी ने यौन उत्पीड़न संबंधी मुद्दे को न्यायमूर्ति जायसवाल के समक्ष उठाया था।

65. न्यायमूर्ति जायसवाल साक्षी कठघरे में थे, तो समिति ने पाया कि न्यायमूर्ति जायसवाल प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दे रहे थे। उन्होंने बार-बार कहा कि *"उन्हें ठीक-ठीक याद नहीं"* और जब कभी उन्हें कोई सुझाव दिया जाता था तो कमोबेश वे बहुत हल्के में लेते हुए *"हो सकता है"* कहकर उत्तर देते थे। तथापि, इससे परिवादी के मामले को बल नहीं मिलता है क्योंकि न्यायमूर्ति जायसवाल ने परिवादी के बयान को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि उन्होंने प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा उनके साथ किए गए कथित यौन-उत्पीड़न के बारे में उन्हें बताया था। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय/कार्यवाही में साक्षी के रूप में उपस्थित हो तो लंबे और अनियंत्रित प्रति-परीक्षण के कारण वह हतबुद्धि हो जाता है। परिवादी न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल को रवि जायसवाल (न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल के भाई) के माध्यम से ही जानती हैं। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल द्वारा जोरदार ढंग से यह कहने से कि परिवादी ने सिर्फ कर्मचारी समस्या, जिसका वह जिले में सामना कर रही थीं, का मुद्दा उठाया था, परिवादी का यह बयान कि उन्होंने प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा कथित यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत उसी समय की थी, सिद्ध नहीं होता है।

66. परिवादी ने 'सीधी' जिले में अपने स्थानांतरण को रद्द करवाने/स्थगित करवाने के लिए अपने चाचा श्री एच.एस. भाटिया, अधिवक्ता, छिंदवाड़ा (म.प्र.) के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा के अनुग्रह का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि श्री भाटिया ने परिवादी के बीच कार्यकाल में स्थानांतरण के बारे में उन्हें बताते हुए उनसे अपनी भतीजी-परिवादी की मदद करने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात, परिवादी ने व्यक्तिगत रूप से न्यायमूर्ति वर्मा से फोन पर बात की और उन्हें ग्वालियर से लगभग 500 कि.मी. दूर 'सीधी' (म.प्र.) में अपने स्थानांतरण के बारे में बताया। उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री की शिक्षा और अपने अकस्मात् सीधी स्थानांतरण से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, क्योंकि तत्काल वहां जाना उनके लिए कठिन था, से संबधित परेशानियों की जानकारी दी और स्थानांतरण आदेश को आस्थगित करवाने का अनुरोध किया। परिवादी ने उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले में न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से भी मदद मांगी थी।

67. न्यायमूर्ति वर्मा ने इस समिति के समक्ष एक पृथक् शपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवादी के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन से बात की और उनसे परिवादी के लिए जो कुछ भी अच्छा-से-अच्छा वह कर सकते थे, करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति मेनन ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वे मामले को देखेंगे और जो भी जरूरत पड़ेगी, करेंगे। तथापि, उसके दो या तीन दिन बाद, न्यायमूर्ति मेनन ने फोन किया और यह जानकारी दी कि परिवादी ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है।

68. न्यायमूर्ति वर्मा ने यह भी कहा कि त्यागपत्र देने के पश्चात्, परिवादी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलीं और उन्हें बताया कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। न्यायमूर्ति वर्मा के अनुसार, परिवादी ने उन्हें बताया कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाकर उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशश की और यह कि उनका अकस्मात् स्थानांतरण उन्हें सताये जाने का दूसरा तरीका था, और यह भी बताया कि उनके पास त्यागपत्र देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। परिवादी ने अपना त्यागपत्र देने के बाद ही न्यायमूर्ति वर्मा को अपने साथ हुए कथित यौन-उत्पीड़न के बारे में बताया। न्यायमूर्ति वर्मा के साक्ष्य पर परिवादी द्वारा अपनी शिकायत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा किए गए समकालीन प्रयास के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह प्रयास कथित यौन उत्पीड़न

की घटना के काफी बाद और उनके अभ्यावेदनों की अस्वीकृति एवं उनके त्यागपत्र देने के काफी बाद किया गया था।

69. परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आरोप बहुत संगीन हैं और हम यह स्वीकार करते हैं कि व्यवस्था में पदानुक्रम का भय व्याप्त रहता है। परंतु प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के आरोप संबंधी मुद्दे को उठाने में हुआ विलंब हमारे मन में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। इस स्थिति में, किसी ऐसे व्यवहार, जिसे परिवादी अनुचित मानती हैं, के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया करने में परिवादी के आचरण का संदर्भ लेना हमें उपयुक्त प्रतीत होता है। **प्रदर्श आर/26** दिनांक 29.06.2013 परिवादी द्वारा अपने आशुलिपिक हरिओम शर्मा के विरुद्ध उनके व्यवहार के संबंध में जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया परिवाद है, जिससे परिवादी के मतानुसार न्यायालय की गरिमा बाधित हुई है। उन्होंने एक कांस्टेबल के व्यवहार के संबंध में भी **प्रदर्श आर/25** में थानाध्यक्ष के समक्ष एक परिवाद दायर किया है जिसमें उक्त कांस्टेबल के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की है। अपने आशुलिपिक, पुलिस कांस्टेबल के व्यवहार और अपनी कर्मचारी समस्या के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में परिवादी के आचरण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी के साथ किए गए कथित यौन उत्पीड़न के प्रति उनके द्वारा किसी प्रतिक्रिया का अभाव हमारे मन में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न के आरोप पहली बार, उनके त्यागपत्र दिए जाने के काफी समय बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 01.08.2014 को दायर किए गए परिवाद में सामने आए जो उनके त्यागपत्र देने के काफी समय बाद दायर किया गया था।

एच. समिति की अन्य संगत समुक्तियाँः

70. जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, परिवादी ने प्रत्यर्थी के 25वें विवाह समारोह (16.12.2013 और 11.12.2013) में उसके साथ किए गए अभिकथित यौन उत्पीड़न, सुश्री शिवानी शर्मा का विवाह, दिनांक 22.02.2014 और न्यायमूर्ति सक्सेना की दिनांक 05.04.2014 को बिदाई तथा, श्री नवीन शर्मा द्वारा अभिकथित संदेश भेजे जाने के बारे में बयान दिया। अपने शपथ पत्र के पैरा (18) में परिवादी ने बताया है... "*उसकी अवैध और दुर्भावपूर्ण हवस के आगे नहीं झुकी। फलतः, अप्रैल, 2014 से न्यायमूर्ति गंगेले, जो प्रशासनिक न्यायाधीश थे, प्रतिशोध की भावना से कार्य करने लगे और मेरे व्यावसायिक कार्य पर सघन निगरानी रखनी शुरू कर दी और हर तरह*

से उत्पीड़ित करने लगे.........।' यद्यपि परिवादी ने यह आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश अप्रैल, 2014 में प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रहे थे, किन्तु प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी न्यायाधीश का 14.04.2014 को अभिलिखित वर्ष 2013 का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अन्यथा ही कहता है। प्रत्यर्थी द्वारा 14.04.2014 को अभिलिखित परिवादी का 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि के लिए वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन **ईएक्स.आर/5ए** है। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का भाग । परिवादी द्वारा स्वयं भरा गया "वैयक्तिक विवरण" तथा निपटान संबंधी ब्यौरे सहित उसका आत्म-निर्धारण होता है। भाग ॥ जिला न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निर्धारण/श्रेणीकरण का संदर्भ देता है और जहां तक परिवादी का संबंध है, जिला न्यायाधीश ने उसे **'ख, बहुत अच्छा'** के रूप में श्रेणीकृत किया है। प्रत्यर्थी न्यायाधीश, जो ग्वालियर जिले का संविभाग न्यायाधीश था, ने दिनांक 14.04.2014 के अपने पृष्ठांकन द्वारा जिला न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित टिप्पणियों के साथ-साथ जिला न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत श्रेणीकरण की अभिपुष्टि की है। यदि वास्तव में, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी के प्रति अप्रैल, 2014 से प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण अपनाया होता, तो प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी के लिए **'ख, बहुत अच्छा'** श्रेणीकरण की अभिपुष्टि न की होती, जैसाकि जिला न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किया गया है। और इससे परिवादी के कथन पर शंका उठती है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश प्रतिशोधात्मक रूप से कार्य कर रहा था।

71. यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि परिवादी ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश से 30.05.2014 को चपरासी की समस्या, जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा था, के बारे में बताने हेतु मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनके पास कर्मचारियों की संख्या कम है। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी को कहा कि वह अवकाश पर हैं और वह उन्हें अवकाश से लौटने के पश्चात् इस संबंध में बात करेंगे। प्रत्यर्थी न्यायाधीश की ओर से यह अभिवेदित किया गया कि यदि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी का यौन उत्पीड़न किया होता, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, सामान्य आचरण के क्रम में परिवादी-यौन उत्पीड़न का शिकार, अपने अभिकथित उत्पीड़क से उत्पीड़ित होने के बाद भी संपर्क नही करती। यदि वास्तव में, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी का यौन उत्पीड़न किया होता, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, चपरासी की समस्या के समाधान के लिए स्वयमेव प्रत्यर्थी न्यायाधीश से संकर्प ना किया होता। हम उक्त अभिवेदन को दमदार मानते हैं।

72. प्रत्यर्थी न्यायाधीश की ओर से 16.07.2014 को प्रकाशित "*नई दुनिया*" समाचार पत्र की एक रिपोर्ट पर **[ईएक्स-आरडब्ल्यू-1/23]** इस बात पर जोर देने के लिए कि परिवादी ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश से किसी यौन उत्पीड़न के शीघ्र उद्घाटन में शीघ्रता नहीं दिखाई, अत्यधिक निर्भरता स्थापित की गई। प्रत्यर्थी के अनुसार समाचार पत्र कतरन **[ईएक्स.आर/10]** जिसमें परिवादी का बयान शामिल है, में उन्होंने "*नई दुनिया*" के संवादाता से यह कहा है कि उनकी बड़ी बेटी 12वीं जमात में पढ़ती है और उन्होंने अपनी बेटी के भावी अध्ययन को तरज़ीह देने का फैसला किया है, अतएव उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया। उक्त समाचार पत्र की कतरन को साबित करने के लिए, चूंकि समाचार पत्र के संवादाता की परीक्षा नहीं की गई थी। हम "*नई दुनिया*", समाचार पत्र की कतरन की सटीकता अथवा अन्यथा जांच करने के इच्छुक नहीं हैं।

73. उक्त सभी समुक्तियां करने के बाद, हमारे मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्यों परिवादी को प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसा आरोप लगाना चाहिए। प्रत्यर्थी न्यायाधीश से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ। बेशक, **नरेन्द्र कुमार बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)** (2012) 7 एससीसी 171, के संबंध में दिये गये निर्णय, जिसे प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने आधार बनाया था, से यह माना गया है कि यह व्याख्या करना प्रत्यर्थी न्यायाधीश के लिए नहीं है कि उन पर ऐसे आरोप क्यों लगाए गए हैं। चाहे जैसी स्थिति हो, हमारी राय यह है कि अभिलिखित साक्ष्य आरोपों को युक्तियुक्त शंकाओं से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रत्यर्थी को दुर्व्यवहार का दोषी माना जाए।

आई. निष्कर्ष

74. परिवादी द्वारा अभिकथित यौन उत्पीड़न के निम्नलिखित चार दृष्टांतों को युक्तियुक्त शंका से परे सिद्ध नहीं किया गया: (i) न्यायमूर्ति गंगेले की 25वीं विवाह वर्षगांठ जो 10 और 11 दिसंबर, 2013 को मनाई गई थी, क्रमशः *महिला संगीत* और मुख्य आयोजन; (ii) अभिकथित वैयक्तिक संदेशों को रजिस्ट्रार द्वारा यह कहते हुए भेजना कि परिवादी प्रत्यर्थी से मिले; (iii) 22.02.2014 को एक न्यायिक अधिकारी सुश्री शिवानी शर्मा के विवाह समारोह में हुई अभिकथित

घटना; और (iv) अप्रैल, 2014 में न्यायमूर्ति सक्सेना की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह। हम यह मानते हैं कि आरोप सं. 1 सिद्ध नहीं होता है।

****

भाग-III

II अभिकथित आरोपः स्थानांतरण

(ii) उक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उनकी अवैध और अनैतिक मांगों को पूरा न करने के लिए पीड़ित किया जाना, साथ ही किंतु उन्हें ग्वालियर से 'सीधी' स्थानांतरण तक ही सीमित नहीं।

उक्त आरोपों के समर्थन का आधार

"यह कि 08.07.14 को न्यायमूर्ति गंगेले, आपके कहने पर, सुश्री मदान को अचानक असद्भावपूर्वक नक्सल-प्रभावित क्षेत्र 'सीधी' स्थानांतरित कर दिया गया। यह कि यह स्थानांतरण पूरी तरह सुश्री मदान को दंडित करने के लिए किया गया था और 10.07.2014 को जब सुश्री मदान ने आपसे यह समझाने के लिए सम्पर्क किया कि उनका अंतरण न किया जाए क्योंकि उनकी पुत्री 12वीं जमात में पढ़ती है, जैसाकि सुश्री मदान द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2015 के अपने शपथ पत्र, के विशेष पैरा 55, 72, 80 और 82 में कहा गया है, आपने अपने जवाब में यह कहा कि उन्होंने आपकी इच्छाएं पूरी नहीं की, और वह आपके निवास पर एक बार भी अकेले नहीं आईं। आपने सुश्री मदान से यह भी कहा कि आप उसका कैरियर पूरी तरह चौपट कर देंगे।"

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय सूची	पृष्ठ
ए.	स्थानांतरण द्वारा अभिकथित आरोप के संबंध में चर्चा के प्रयोजनार्थ साक्षियों और संगत दस्तावेजों की सूची	87-88
बी.	पृष्ठभूमि तथ्य	88-90
सी.	क्या परिवादी का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है? (क) स्थानांतरण नीति के दिशा निर्देश/मानक (ख) प्रशासनिक तात्कालिकताएं	90-107
डी.	क्या प्रत्यर्थी न्यायाधीश को परिवादी के स्थानांतरण में अनियमितता बरतना माना जा सकता है (क) तत्कालीन जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर द्वारा दिया गया बयान (जेआईसीडब्ल्यू सं.4) (ख) प्रत्यर्थी के टेलीफोन कॉल्स ब्यौरो (सीडीआर) का विश्लेषण	107-126
ई.	निष्कर्ष	127-128

एफ.	परिवादी के अनुचित स्थानांतरण के संबंध में समिति की समुक्तियाँ।	128-129

ए. संगत आरोप के संबंध में चर्चा के प्रयोजनार्थ साक्षियों और संगत दस्तावेजों की सूची

साक्षीगण	संगत प्रलेख
परिवादी के साक्षीगणः 1. स्वयं परिवादी, सीडब्ल्यू सं.I. **जे.आई.सी. साक्षीः** 1. श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश, **जे.आई.सी. सं. 4** 2. श्री वेद प्रकाश शर्मा, तत्कालीन महारजिस्ट्रार, वर्तमान न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, **जे.आई.सी. डब्ल्यू सं. 7** 3. श्री वी.बी. सिंह, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पी.पी.एस., वर्तमान में इन्दौरा खंड पीठ के रजिस्ट्रार, **जे.आई.सी. डब्ल्यू सं. 9** 4. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन तत्कालीन न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, **जे.आई.सी. सं. 11** **प्रत्यर्थी के साक्षीगण** 1. न्यायमूर्ति गंगेले, **आरडब्ल्यू 1,** 2. श्री पी. के. शर्मा, **आरडब्ल्यू 7**	1. परिवादी का दिनांक 08.07.2014 **(ईएक्स जेआईसी/3)** का स्थानांतरण आदेश 2. श्री कमल सिंह ठाकुर द्वारा प्रेषित परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश करने वाला पत्र **(ईएक्स जेआईसी/14)** 3. परिवादी का उसकी बेटी की बारहवीं जमात में पढ़ाई पूरी होने तक ग्वालियर में ही रहने देने हेतु सेवा विस्तार चाहने वाला दिनांक 9 जुलाई, 2014 का अभ्यावेदन **[ईएक्सजेआईसी/23]** 4. परिवादी का दिनांक 11 जुलाई, 2014 **[ईएक्सजेआईसी/24]** का अभ्यावेदन 5. सुश्री सविता ओग्ले का चिकित्सीय आधार पर उनके अनुरोध पर बिना बारी के स्थानांतरण की सिफारिश **[ईएक्सजेआईसी/25]** 6.स्थानांतरण समिति की दिनांक 7 जुलाई, 2014 की बैठक के कार्यवृत्त जिसमें परिवादी का नाम कार्यसूची 'च' में क्रम सं. 5 पर है। **[ईएक्सजेआईसी/27]** 7. अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित मामलों का निपटान करने हेतु स्थानांतरण समिति की दिनांक 7 जुलाई, 2014 की बैठक की कार्यसूची **[ईएक्सजेआईसी/29]** 8. न्यायालय लंबन सहित मामलों के लंबन को दर्शाने वाला विवरण **[ईएक्सजेआईसी/30]** 9. जे.आईसी विट सं. 7 परिवादी का 'सीधी'

	स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन के संबंध में **[ईएक्सजेआईसी/31]** श्री वेद प्रकाश शर्मा, महारजिस्ट्रार का दिनांक 11 जुलाई, 2014 का टिप्पण 10. परिवादी के पहले अभ्यावेदन, दिनांक 09.07.2014 को अस्वीकार किया जाना **[ईएक्सजेआईसी/31]** **11.** परिवादी के दूसरे अभ्यावेदन दिनांक 11.07.2014 को अस्वीकार किया जाना **[ईएक्सजेआईसी/32]** **12.** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति **[ईएक्सजेआईसी/3829]** **प्रत्यर्थी द्वारा रखे गए प्रदर्श** **13.** ग्वालियर खंडपीठ का कार्य और कर्मचारी नामावली का विवरण और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की समितियों की सूची **[ईएक्सआर डब्ल्यू 1/24]** **14.** सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से प्रत्यर्थी न्यायाधीश को प्राप्त 10 जून, 2014 को डायरीकृत अज्ञात पत्र **[ईएक्स.आर/27]** 15. सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रत्यर्थी न्यायाधीश को प्राप्त श्री कमल सिंह ठाकुर द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संबोधित दिनांक 28 जून, 2014 का उत्तर, **[ईएक्स.आर/28]**

बी. पृष्ठभूमि तथ्य

1. जैसा कि पहले नोट किया गया है, 08.07.2014 को परिवादी का द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश से प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 'सीधी' के रूप में स्थानांतरण सत्र के मध्य ही ग्वालियर जिले से 'सीधी' जिले, अर्थात् श्रेणी 'क' नगर से श्रेणी 'ग' नगर में कर दिया गया। परिवादी ने यह आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति गंगेले ने जिला न्यायाधीश ग्वालियर के साथ-साथ स्नांतरण समिति से सांठ-गांठ करके दिनांक 08.07.2014 के स्थानांतरण आदेश द्वारा

यह सुनिश्चित कर दिया कि उनका स्थानांतरण मध्यावधि में ही दूर-दराज क्षेत्र 'सीधी', जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, में उन्हें उनकी अनैतिक मांग पूरी न करने के लिए उन्हें दंडित किया जा सके ओर यह भी सुनिश्चित कर लिया कि उनका अभ्यावेदन अस्वीकृत हो जाए। स्थानांतरण नीति के खंड 9(क) के अनुसार परिवादी ने जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार के समक्ष 09.07.2014 को एक अभ्यावेदन फाईल कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बड़ी पुत्री की बारहवीं कक्षा की पढ़ाई, की बात कहते हुए इस शैक्षणिक सत्र के पूरा होने तक ग्वालियर में आठ महीने तक उन्हें रहने देने की मांग की और जिला, 'सीधी' में अपनी उस तैनाती पर जाने में अपनी परेशानियां बताईं थीं। दिनांक 9 जुलाई, 2014 के उक्त अभ्यावेदन **[ईएक्स.जेआईसी/23]** को 11 जुलाई, 2014 **[ईएक्स.जेआईसी/31]** को अस्वीकृत कर दिया गया। उसी दिन अर्थात् 11 जुलाई, 2014 को स्थानांतरण नीति के खंड (16) के अनुसार परिवादी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार को एक अन्य अभ्यावेदन दिया जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के किसी 'ख' श्रेणी के नगर यथा सीहोर, रायसेन, देवास, उज्जैन में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था और उसे भी 14 जुलाई, 2014 **[ईएक्स.जेआईसी/32]** को अस्वीकृत कर दिया गया।

2. अपने साक्ष्य में, परिवादी ने कहा है कि 10 जुलाई, 2014 को उन्होंने उनके अचानक मध्यवधि 'सीधी' स्थानांतरण के संबंध में शिकायत करने के लिए न्यायमूर्ति गंगेले से भेंट भी की थी। परिवादी का यह कहना है कि प्रशासनिक न्यायाधीश और पोर्टफोलियो न्यायाधीश होने के नाते न्यायमूर्ति गंगेले से आठ महीने तक के लिए ग्वालियर में उनके कार्यकाल विस्तार चाहने वाले अभ्यावेदन पर अनापत्ति प्रमाणपत्र देना अपेक्षित था, तभी उनके कार्यकाल विस्तार की प्रार्थना स्वीकार की जा सकती थी। जब परिवादी ने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया तो न्यायमूर्ति गंगेले ने अभिकथित रूप से निम्नलिखित शब्दों में उत्तर दिया:

> *"तुमने मेरी इच्छाएं पूरी नहीं की है। एक बार बंगले पर अकेली मिलने नहीं आई हो। अब आपका ट्रांसफर परिणाम के रूप में आपके सामने है। तुम्हारा करियर मैं चौपट कर दूंगा।"*

3. परिवादी का त्यागपत्र विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं. 3(क)1/2011/21-ख (एक) दिनांक 17.07.2014 द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और उसकी एक प्रति उन्हें दी गई। परिवादी का यह कहना है कि उनका मध्यवधि स्थानांतरण

साथ ही उनके दोनो अभ्यावेदनों का अस्वीकरण कोई नियमित प्रशासनिक कार्य नहीं है अपितु यह न्यायमूर्ति गंगेले द्वारा उनसे प्रतिशोध लेने के लिए बनाई गई एक योजना थी क्योंकि उन्होंने उनकी अनैतिक मांगों को पूरा नहीं किया था। परिवादी ने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए समिति के समक्ष अनेक तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार उनका मध्यवधि स्थानांतरण और अनेक अभ्यावेदनों का अस्वीकरण असद्भावपूर्ण और उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति के प्रतिकूल था।

4. परिवादी के पक्ष के प्रतिकूल, न्यायमूर्ति गंगेले ने परिवादी के स्थानांतरण में अपनी किसी भूमिका होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि परिवादी का स्थानांतरण *'प्रशासनिक आधार'* पर किया गया है और तत्संबंधी सारी शक्तियों ओर परिवादी के कार्यकाल विस्तार हेतु किन्ही अभ्यावेदनों पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और/अथवा स्थानांतरण समिति में शामिल न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन, न्यायमूर्ति केमकर और न्यायमूर्ति संजय यादव को विचार करना था और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

सी. क्या परिवादी का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है

(क) स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देश/मानक

5. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु साधारण स्थानांतरण नीति अथवा दिशा-निर्देश होते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति में मध्य प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु दिशा-निर्देश विहित हैं **[ईएक्स.जेआईसी/38]** और यह वर्ष 2012 के वर्ष से प्रभावी हुई है। स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों के खंड 27 के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायिक अधिकारी अथवा न्यायधीशों/अधिकारियों की समिति को नीति/दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा। खंड 27 के संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने एक स्थानांतरण समिति **[ईएक्स.जेआईसी/28]** का गठन किया है। संगत समय पर न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन स्थानांतरण समिति के अध्यक्ष थे **[जेआईसी डब्ल्यू सं. 11]** और न्यायमूर्ति केमकर और न्यायमूर्ति संजय यादव उक्त समिति के सदस्य थे। न्यायमूर्ति केमकर का स्थानांतरण इंदौर न्यायपीठ में कर दिया गया और उनके स्थानांतरण के पश्चात् समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया। उस समय

महारजिस्ट्रार होने के नाते न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **[जेआईसी डब्ल्यू सं. 7]** स्थानांतरण समिति के सचिव थे। सामान्यतः महारजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर स्थानांतरण समिति की बैठक आहूत की जाती है और समिति न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण की सिफारिश करती है और फिर मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन पश्चात् स्थानांतरण आदेश जारी किए जाते हैं।

6. न्यायमूर्ति मेनन **[जेआईसी डब्ल्यू सं. 11]** के साक्ष्य से यह अभिलेख में लाया गया है कि सामान्यतः महारजिस्ट्रार भोजनावकाश के दौरान अध्यक्ष से मिलता है और कार्यसूची को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् स्थानांतरण समिति की बैठक की तारीख नियत की जाती है तथा पत्रावलि तैयार की जाती है और इसे एक दिवस पूर्व सदस्यों और अध्यक्ष के निवास स्थान पर भेजा जाता है।

7. अपने साक्ष्य में न्यायमूर्ति मेनन ने **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 11)** कहा है कि परिवादी का स्थानांतरण तत्कालीन जिला न्यायाधीश ठाकुर द्वारा **दिनांक** 03.07.2014 **(ईएक्स.जेआईसी/14)** को पेषित पत्र, पर आधारित था। न्यायमूर्ति मेनन ने **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 11)** ने कहा है कि परिवादी के मामले में कोई अन्यत्र प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और उनका स्थानांतरण आदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति के अनुरूप पारित किया गया था। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि पूर्णतः जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 4)** दिनांक 03.07.2014 के पत्र **(ईएक्स. जेआईसी/14)** को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण समिति ने परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि परिवादी का स्थानांतरण जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर के पत्र **(ईएक्स. जेआईसी/14)** पर आधारित था। उच्च न्यायालय के तत्कालीन महारजिस्ट्रार न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 7)** ने बताया कि **(ईएक्स. जेआईसी/14)** परिवादी का ग्वालियर से स्थानांतरण की सिफारिश स्थानांतरण समिति के समक्ष रखी गई थी। इस प्रकार परिवादी का स्थानांतरण जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर **(ईएक्स. जेआईसी/14)**की सिफारिशों के आधार पर हुआ था।

8. परिवादी का ग्वालियर जिले से सीधी में मध्य सत्रावधि के दौरान स्थानांतरण को स्थानांतरण नीति के (खंड 22) के अधीन प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया गया है। न्यायमूर्ति मेनन ने आगे बताया कि **ईएक्स. जेआईसी/14** में यद्यपि परिवादी के विरुद्ध प्रशासनिक

समिति -। को मामला संदर्भित किए बिना कतिपय आरोप लगाए गए, फिर भी स्थानांतरण समिति ने परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश कर दी और मुख्य न्यायाधीश ने उसी दिन 07.07.2014 को उसे अनुमोदित कर दिया। स्थानांतरण आदेश की कार्यवाही तारीख और घटनाएं निम्नानुक्रम में दर्शाई गई हैः-

• जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर द्वारा उच्च न्यायालय को प्रेषित पत्र	.... 03.07.2014
• ईएक्सजेआईसी/14 की मुद्रित प्रति मुख्य पीठ, जबलपुर में प्राप्त किया जाना था	.... 04.07.2014 अथवा 05.07.2014
• शनिवार और रविवार	.... 05.07.2014 और 06.07.2014
• स्थानांतरण समिति की बैठक और परिवादी के स्थानांतरण का निर्णय लिया गया	.... 07.07.2014
• मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसी दिन अनुमोदन प्रदान करना	.... 07.07.2014

परिवादी का प्रतिरोध यह है कि उनका स्थानांतरण मध्यावधि सत्र के दौरान किसी तात्कालिकता अथवा प्रशासनिक आधार के अभाव में उपयुक्त नहीं था और यह स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था। परिवादी का और प्रतिरोध यह है कि स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों को बेहतर प्रशासन के सहायतार्थ बनाया जाता है और अतएव यह आशा की जाती है कि स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों का कुछ तो अनुपालन हो।

9. स्थानांतरण नीति के खंड (5) के अनुसार किसी स्थान पर तैनाती का कार्यकाल सामान्यतः 3 साल का होगा। खंड (4) के अनुसार न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक स्थानांतरण सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक प्रभावी होगा और न्यायिक अधिकरियों को नए स्थान पर कार्यभार संभालने के लिए संगत वर्ष के एक अप्रैल तक का समय दिया जाएगा ताकि शैक्षणिक सत्र के साथ तालमेल बैठ सके। स्थानांतरण की वार्षिक प्रक्रिया में स्थानांतरण किया जाना सामान्य नियम है। तथापि, किसी न्यायिक अधिकारी को न्याय प्रशासन के हित में किसी विशेष स्थान पर निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने से पहले भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस नीति के खंड (22) और (26) में प्रशासन के हित में किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण अथवा तैनाती के संबंध में मुख्य न्यायाधीश अथवा स्थानांतरण समिति की शक्ति को परिकल्पित हैं।

10. यह पूछे जाने पर न्यायमूर्ति मेनन ने **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 11)** स्वीकार किया कि उन्होंने जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर द्वारा 7 जुलाई, 2014 को म.प. 4.30 को बैठक में पहली बार परिवादी **(ई एक्स जेआईसी/14)** के स्थानांतरण की सिफारिश करने वाले दिनांक 3 जुलाई, 2014 के पत्र को देखा होगा। न्यायमूर्ति मेनन **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 11)** ने स्वीकार किया है कि **ई एक्स जेआईसी/14 में** लगाए गए आरोप, यदि ये सत्य हैं, तो गंभीर हैं, **(ई एक्स जेआईसी/14)** बाद में विस्तार से चर्चा हुई। सुश्री संगीता मदान के स्थानांतरण संबंधी आदेश को देखने के पश्चात्, न्यायमूर्ति मेनन **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 11)** ने कहा कि 7 जुलाई, 2014 को होने वाली बैठक का निर्धारण 06 जुलाई, 2014 के अपराहन में कर लिया गया होगा जब महारजिस्ट्रार उनके पास उस पर अनुमोदन देने आए थे और बैठक से संबंधित पत्र 6 जुलाई, 2014 की संध्या में परिचालित किए गए होंगे। साक्षी को 2014 का कैलेण्डर दिखाए जाने के बाद, यह स्पष्ट हुआ कि 6 जुलाई, 2014 को रविवार था। 2014 का कैलैण्डर देखने के बाद न्यायमूर्ति मदान **(जेआईसी डब्ल्यू सं.11)** ने अपनी पहले कही गई बातों से मुकर गए और कहा कि महारजिस्ट्रार ने उनसे 6 जुलाई, 2014 को मुलाकात नहीं की होगी और इसी प्रकार पत्रावली 6 जुलाई, 2014 को परिचालित नहीं की गई होगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ मामले पर चर्चा किए बिना अथवा मामले को प्रशासनिक समिति - । को संदर्भित किए बिना ही स्थानांतरण समिति ने परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश कर दी और इसे उसी दिन ही अर्थात् 7 जुलाई, 2014 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

11. स्थानांतरण नीति की पृष्ठभूमि में यदि परिवादी के मामले को *प्रथम दृष्टया* विश्लेषित किया जाए तो हम देखते हैं कि मध्यावधि सत्र में परिवादी का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था। स्थानांतरण नीति के खंड 5 के अनुसार, किसी स्थान पर तैनाती का सामान्य विहित कार्यअवधि तीन वर्ष की होगी। खंड 4 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक स्थानांतरण सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक प्रभावी होंगे। स्थानांतरण की वार्षिक प्रक्रिया में स्थानांतरण किया जाना सामान्य बात है। तथापि, किसी न्यायिक अधिकारी को न्याय प्रशासन के हित में किसी स्थान विशेष पर निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने से पहले भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। स्थानांतरण नीति के खंड (22) से (26) स्थानांतरण समिति के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक

अधिकारियों के मध्यावधि स्थानांतरण के संबंध में शक्तियां प्रदान करते हैं। परिवादी को सत्र के मध्य में ही स्थानांतरित कर दिया जाना वार्षिक स्थानांतरण के सामान्य प्रक्रिया के विपरीत है।

12. स्थानांतरण नीति का खंड (8) यह उपबंध करता है कि स्थानांतरण किस प्रकार किया जाएगा। स्थानांतरण की वार्षिक प्रक्रिया में स्थानांतरण किया जाना निस्संदेह एक साधारण नियम है। चूंकि परिवादी को ग्वालियर में उनके सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व ही सत्र के मध्य में स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरण नीति के खंड 9 (क) के अन्तर्गत उन्होंने जिला न्यायाधीश, कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 4)** के माध्यम से संलग्नकों सहित, जिसमें लिट्ल एंजेल्स स्कूल की, जहां उनकी पुत्री पढ़ रही थी, शुल्क रसीद भी शामिल है, ग्वालियर में जहां उनकी बड़ी पुत्री पढ़ती है, आठ महीने का कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी अभ्यावेदन, दिनांक 9 जुलाई, 2014 **(ईएक्सजेआईसी/23)** को उच्च न्यायालय के समक्ष फाईल कर दिया ताकि उनकी बड़ी पुत्री, जो 12 वीं कक्षा में पढ़ती है, अपना शैक्षणिक सत्र पूरा कर सके। दिनांक 9 जुलाई, 2014 के अपने अभ्यावेदन में परिवादी ने सीधी में अपना नया पदभार पर ग्रहण करने में अपनी व्यावहारिक कठिनाईयां स्थानांतरण समिति के समक्ष रखीं और साथ ही यह भी इच्छा जताई कि उसके बाद उन्हें जो भी आदेश दिया जाएगा वह पालन करेंगी। दिनांक 9 जुलाई, 2014 के उनके अभ्यावेदन **(ईएक्स.जेआईसी/23)** के उद्धरण निम्नानुसार हैं:

> **"......चूंकि मैं भारतीय न्यायिक परिवार का एक हिस्सा हूं, मैं इस तंत्र के नियमों और विनियमों का पालन कर रही हूं और सदैव पालन करूंगी। मेरी बड़ी पुत्री, जो बारहवीं कक्षा में पढ़ती है, (भावी करियर के लिए महत्वपूर्ण वर्ष) के, शैक्षणिक वर्ष के बीच मुझे अचानक दिए गए इस स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश के कारण, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मामले की जांच की जाए और मुझे अपनी पुत्री के शैक्षणिक वर्ष को पूरा करने में सहायता प्रदान करने की अनुमति दी जाए।"**

13. परिवादी का अपनी पुत्री के शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने तक कार्यालय का विस्तार चाहने वाला अभ्यावेदन स्थानांतरण नीति के खंड (9) के अनुरूप था। स्थानांतरण नीति के खंड (9) के अनुसार, यदि 'क' श्रेणी के नगर में तैनात किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है और यदि उस अधिकारी की कोई बेटी बोर्ड परीक्षा या विश्वद्यिालय परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रही है और शिक्षा संस्थान, जहां बेटी पढ़ रही है, में लड़कियों के छात्रावास की सुविधा नहीं है तब वह अधिकारी अपनी बेटी के शैक्षणिक सत्र के पूरा होने तक कार्यकाल विसतार की हकदार है। स्थानांतरण नीति खंड (9) **[ईएक्सजेआईसी/38]** निम्नानुसार पठित है:

"9. सामान्यता, कार्यकाल विस्तार का अनुरोध निम्नलिखित मामलों को छोड़कर स्वीकार नहीं किया जाएगाः

(क) कि न्यायिक अधिकारी की पुत्री (न कि पुत्र) उसकी वर्तमान तैनाती स्थल पर पढ़ रही है और वह बोर्ड परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा के अंतिम वर्ष में है और उस शिक्षा संस्थान में, जहां ऐसी पुत्री पढ़ रही है, लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा न हो। 'क' श्रेणी के स्थानों पर अधिप्रवास के लिए यह मानक होगा। ख,ग अथवा घ श्रेणी के स्थानों के लिए, पुत्र अथवा पुत्री हो सकती है, और छात्रावास की अनुपलब्धता अनिवार्य नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा, यदि पुत्री की शिक्षा और संस्थान में छात्रावास सुविधा की अनुपलब्धता से संबंधित तथ्य संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् प्रमाणित किया जाता है और जिला न्यायाधीश के साथ-साथ पोर्टफोलियो न्यायाधीश को अधिकारी के अधिप्रवास पर कोई आपत्ति नहीं है।

(ख) ----------

(ग) कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण जिससे जिला न्यायाधीश, पोर्टफोलियो न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश की राय में अधिकारी के अधिप्रवास को उचित ठहराया जाएगा।

यदि कोई न्यायिक अधिकारी उक्त उपखंड (क)(ख) अथवा (ग) के अंतर्गत ऐसे अभ्यावेदन अपने जिला न्यायाधीश को महारजिस्ट्रार को अग्रेषित करने के लिए देता है, तो जिला न्यायाधीश के लिए उस अभ्यावेदन को अपनी टिप्पणियों सहित आवश्यक सत्यापन के पश्चात् इसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन प्रेषित करना अनिवार्य होता है। यह रजिस्ट्री अभ्यावेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के एक सप्ताह के भीतर संबंधित पोर्टफोलियो न्यायाधीश के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेगा, और पोर्टफोलियो न्यायाधीश तत्पश्चात एक सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियों/राय सहित फाईल को वापस भेजेगा।"

14. परिवादी ने ग्वालियर में अपने तीन साल का कार्यकाल 31.07.2014 को पूरा कर लिया होगा। जब परिवादी को स्थानांतरित (07.07.2014 की स्थिति के अनुसार), किया गया तो ग्वालियर में उनके तीन साल को पूरा होने में केवल 24 दिन ही शेष थे। चूकि परिवादी के 24 दिन (31.07.2014 की स्थिति के अनुसार) शेष थे, 2014 का वार्षिक साधारण स्थानांतरण के दौरान उनके मामले को विचारार्थ नहीं लिया गया। परिवादी की शिकायत यह है कि चूकि उसका मामला स्पष्टतः खंड 9 (क) के अंतर्गत आता है, दिनांक 09.07.2014 के उनके कार्यकाल विस्तार चाहने वाले अभ्यावेदन **(ईएक्सजेआईसी/23)** को इसे रखे जाने के दो दिनों के भीतर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था।

15. न्यायमूर्ति मेनन **(जेआईसी डब्ल्यू सं. 11)** ने स्वीकार किया कि समिति ने परिवादी के अभ्यावेदनों के उपाबंधों पर ध्यान नहीं दिया जिसमें प्रत्यर्थी की पुत्री का शुल्क रसीद शामिल थी और उस पर उस स्कूल का नाम लिखा हुआ था जहां उनकी पुत्री पढ़ रही थी। न्यायमूति मेनन ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने उस स्कूल में, जहां परवादी की पुत्री पढ़ रही थी, छात्रावास

सुविधा की उपलब्धता के बारे में जांच पड़ताल नहीं की। महारजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत कार्यालय टिप्पण **(ईएक्सजेआईसी/31)** में लिट्ल ऐंजेल्स स्कूल, जहां परिवादी की पुत्री सोनल मदान पढ़ रही थी, छात्रावास सुविधा की उपलब्धता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। **ईएक्सजेआईसी/31** केवल यही कहता है कि सीधी में सीबीएसई विद्यालयों सहित पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पष्टतः, स्थानांतरण समिति ने उस स्कूल में, जहां परिवादी की पुत्री पढ़ रही थी, न तो छात्रावास सुविधा की उपलब्धता के बारे में और न ही सीधी में शिक्षा सुविधाओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कोई जांच पड़ताल की, बल्कि परिवादी के पहले अभ्यावेदन को **(ईएक्सजेआईसी/23)** दिनांक 9 जुलाई, 2014 को उसी दिन जिस दिन उस टिप्पण को महारजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत किया गया था 11 जुलाई, 2014 **(ईएक्सजेआईसी/31)** को खारिज कर देना उचित समझा।

16. न्यायमूर्ति मेनन **(जेआईसी डब्ल्यू सं.11)** ने आरंभ में कहा था कि परिवादी का मामला स्थानांतरण नीति के खंड 9 के अंतर्गत नहीं आएगा; उनके अनुसार खंड (9) में केवल वार्षिक स्थानांतरणों न कि मध्याकालिक स्थानांतरणों पर लागू होता है जो या तो प्रोन्नति के संबंध में या फिर प्रशासन के हित में प्रभावी होता है। अपने साक्ष्य में न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि "खंड (9)" अलग से पढ़ा नहीं जा सकता, अपितु इसे स्थानांतरण नीति में शामिल अन्य खंडों के साथ पढ़ना होगा। तथापि जब 7 जुलाई, 2014 को उनसे इस बात का उल्लेख किया गया कि परिवादी के ग्वालियर में तीन साल के अपने कार्यकाल को पूरा होने में केवल 24 दिन शेष थे, न्यायमूर्ति मेनन ने स्वीकार किया परिवादी के मामले को स्थानांतरण नीति के खंड (9) के अंतर्गत माना जाएगा जो निम्नानुसार पठित हैः-

> *"यह कहना ठीक है कि सुश्री कखग ने ग्वालियर में अपना तीन वर्ष का कार्यकाल 31 जुलाई, 2014 को पूरा कर लिया होगा। जब 7 जुलाई, 2014 को हमने उनको स्थानांतरित कर दिया था, सुश्री कखग के ग्वालियर में अपने तीन साल के कार्यकाल को पूरा होने में केवल 24 दिन शेष थे।*
>
> *प्रश्नः क्या यह कहना ठीक नहीं है कि अतएव कार्यकाल विस्तार का उनका अनुरोध स्थानांतरण नीति प्रदर्श जेआईसी/38 के खंड (9) के अधीन आएगा?*
>
> *उत्तरः यह सत्य है।*
>
> *प्रश्नः यदि हां, तो यह तथ्य कि उनकी पुत्री 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रही है प्रदर्श जेआईसी/38 के खंड (9) में वर्णित छूट के अधीन आएगा?*
>
> *उत्तरः जी, हां।*

प्रश्नः यदि ऐसा है, तो आपको सुश्री कखग को स्थानांतरित करने के लिए आठ महीने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। क्या ऐसा नहीं है?

उत्तरः जी, हां, स्थानांतरण समिति के पास ऐसे विकल्प उपलब्ध थे। यह कहना ठीक है कि सुश्री कखग ने 31 जुलाई, 2014 को ग्वालियर में अपने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया गया होगा जब हमने 7 जुलाई, 2014 को सुश्री कखग को स्थानांतरित किया सुश्री कखग के ग्वालियर में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने में केवल 24 दिन शेष थे।

प्रश्नः क्या यह कहना ठीक नहीं है कि अतएव कार्यकाल विस्तार का उनका अनुरोध स्थानांतरण नीति (प्रदर्श जेआईसी/38) के खंड (9) के अधीन आएगा?

उत्तरः यह सत्य है।"

[जेआईसी डब्ल्यू सं.11 का पृष्ठ सं. 30 द्वारा]

17. परिवादी को 'क' श्रेणी के नगर से 'ख' श्रेणी के नगर की बजाए 'ग' श्रेणी के नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पुनः स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था। स्थानांतरण नीति का खंड 16 यह निर्धारित करता है कि स्थानांतरण होने के बाद न्यायिक अधिकारी को सामान्यतः 'क' श्रेणी के नगर से 'ख' श्रेणी के नगर में, 'ख' श्रेणी के नगर से 'ग' श्रेणी के नगर में, 'ग' श्रेणी के नगर से 'घ' श्रेणी के नगर में और 'घ' श्रेणी से नगर से 'क' श्रेणी के नगर में अथवा निम्नतर श्रेणी के स्थानों पर जाना पड़ेगा। इन दिशा निर्देशों के आधार पर तैनाती हेतु स्थानों को चार श्रेणियों अर्थात् क ख ग और घ में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि इन दिशा निर्देशों के उपाबंध 'क' में उल्लिखित है। खंड (16) निम्नानुसार पठित हैः-

> "16 स्थानांतरण होने पर न्यायिक अधिकारियों को सामान्यतः (जिला न्यायाधीशों को छोड़कर, जिसका यहां उल्लेख किया गया है उसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शामिल नहीं है) को सामान्यतः क श्रेणी के नगर से ख श्रेणी के नगर में, ख श्रेणी के नगर से ग श्रेणी के नगर में, ग श्रेणी के नगर से घ श्रेणी के नगर में और घ श्रेणी के नगर से क श्रेणी के नगर में अथवा निम्नतर श्रेणी के स्थानों पर जाना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसी को भी निम्न श्रेणी दी जा सकेगी (i) या तो उस अधिकारी के विकल्प पर, या (ii) यदि पद, अधिकारिता की श्रेणी में उपलब्ध नहीं है अथवा (iii) यदि किसी अन्य कारण से स्थानांतरण प्राधिकारी की यह राय है कि अधिकारी को निम्न श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तथापि, (i) और (ii) के मामलों में अधिकारी अपनी श्रेणी अधिकारिता को बरकरार रखेगा और अगले स्थानांतरण में प्रयत्न किया जाएगा कि उसकी उस श्रेणी में तैनाती की जाए जिस श्रेणी में उसकी तैनाती की जानी चाहिए थी जहां उसे समायोजित नहीं किया जा सका। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को उस श्रेणी के लिए उक्त विहित सामान्य कार्यकाल के लिए प्रत्येक श्रेणी के स्थानों पर सेवा प्रदान करनी होगी। तथापि, यदि उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी के समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में किसी नियत स्थान पर समय से अधिक रहने देने संबंधी अनुरोध की जाती है तो ऐसे स्थान पर रहने की वास्तविक अवधि को ही उस स्थान पर तैनाती का सामान्य कार्यकाल माना जाएगा।"

18. भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, जैसे नगर श्रेणी 'क' में आते हैं। देवास, कटनी, रीवा, सिहोर, उज्जैन, रायसेन आदि जैसी नगरपालिकाएं श्रेणी 'ख' में आती हैं जो भोपाल, ग्वालियर,

इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े नगरों के अति समीप हैं। 'ग' श्रेणी के केंद्र जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय हैं जो बड़े नगरों से बहुत दूर हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति **(ईएक्सजेआईसी/38)** के अनुसार, ग्वालियर ('क' नगर) से स्थानांतरण पर परिवादी को 'ख' श्रेणी के नगर में स्थानांतरित किए जाने का अधिकार था। परिवादी की शिकायत यह है कि स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए 'क' उसका स्थानांतरण श्रेणी के नगर (ग्वालियर) से 'ग' श्रेणी के नगर (सीधी) कर दिया गया यद्यपि सीधी में कोई रिक्ति नहीं थी।

19. दिनांक 11.07.2014 के अपने दूसरे अभ्यावेदन **(ईएक्सजेआईसी/24)** में परिवादी ने उन केन्द्रों पर स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया था जो 'ख' श्रेणी के अधीन आते हैं जैसे सिहोर, रायसेन, देवास, उज्जैन आदि। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, स्थानांतरण नीति के अनुसार परिवादी 'क' श्रेणी के नगर से 'ख' श्रेणी के नगर में स्थानांतरण की हकदार थी। परिवादी के 11 जुलाई, 2014 के दूसरे अभ्यावेदन **(ईएक्सजेआईसी/24)** को भी स्थानांतरण समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। महारजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 14.07.2014 को प्रस्तुत कार्यालय टिप्पण **(ईएक्सजेआईसी/32)** और समिति का आदेश निम्नानुसार पठित हैः-

> "श्रीमती संगीता मदान अष्टम एडीजे, ग्वालियर द्वारा अपनी पुत्रियों की शिक्षा के संबंध में लगभग समरूप आधारों पर ग्वालियर से सीधी स्थानांतरण के संबंध में एक अन्य अभ्यावेदन दिनांक 11 जुलाई, 2014 पर ध्यान दिलाया जाता है।
> समिति ने पहले ही श्रीमती मदान के दिनांक 9 जुलाई, 2014 उस अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
> दिनांक 11 जुलाई, 2014 को दोबारा दिए गए अभ्यावेदन के दृष्टिगत मामले को विचारार्थ एवं आदेश के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है।
>
> (वेद प्रकाश)
> महारजिस्ट्रार
>
> 14.07.2014
>
> माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन
> अभ्यावेदन के संबंध में पूर्वतः पारित आदेश के दृष्टिगत और कोई पुनर्विचारण नहीं किया जाएगा।
> ह./-
> 14.07.2014
>
> माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव
>
> ह./-
> 14.07.2014"

20. **(एक्स.जेआईसी/24)** के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई, 2014 के अपने पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन में परिवादी द्वारा की गई याचना पूरी तरह से अलग थी जिसे परिवादी के अनुसार अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। स्थानांतरण समितिने, दोनों में से किसी भी विकल्प अर्थात् न तो परिवादी को 8 महीनों का और समय देने और न ही उन्हें श्रेणी 'बी' शहर में स्थानांतरित करने के विकल्प पर विचार किया। इससे लगता है कि स्थानांतरण समिति, किसी भी तरीके से, परिवादी के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने पर आमादा थी। इससे यह ही निष्कर्ष निकलता है कि उच्च न्यायालय का परिवादी को ग्वालियर (श्रेणी 'ए' शहर) से सीधी (श्रेणी 'सी' शहर) स्थानांतरित करने का निर्णय तथा उनके अभ्यावेदनों को अस्वीकार करना स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था।

21. निःसंदेह, स्थानांतरण नीति **(एक्स.जेआईसी/38)** में शामिल मानक/दिशानिर्देश केवल प्रशासनिक निर्देश हैं। यह सुस्थापित व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देशों के संदर्भ में जारी स्थानांतरण नीति से न्यायिक अधिकारियों को अलोप्य अधिकार नहीं मिल जाता है। वे निदेशात्मक प्रकृति के हैं और उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि इनका पूर्णतः पालन किया जाए। परन्तु ये दिशानिर्देश प्रशासन को बेहतर बनाने में सहायक होने की दृष्टि से बनाए गए हैं। हमें इस बात की जानकारी है कि अधिकारी की वैयक्तिक परेशानियां विभाग/उच्च न्यायालय की चिंता का विषय नहीं है। चूँकि न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण चाहे वह वार्षिक स्थानांतरण का मामला हो या फिर मध्यावधि सत्र के लिए हो, स्थानांतरण नीति के दिशानिर्देशों द्वारा किया जाता है, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण समिति से कम से कम कुछ हद तक तो दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की ही जाती थी।

22. जब इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो न्यायमूर्ति मेनन ने स्वीकार किया कि श्रेणी "ए" शहर (ग्वालियर) से स्थानांतरण के मामले में परिवादी "बी" श्रेणी के शहर में स्थानांतरण किए जाने की पात्र थी परन्तु सीधी में बहुत बड़ी संख्या में मुकदमों के लंबित होने की वजह से समिति को परिवादी को सीधी स्थानांतरित करना पड़ा था। फिर भी न्यायमूर्ति मेनन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि अन्य जगहों, जहां परिवादी ने अपने बाद के अभ्यावेदन **(एक्स.जेआईसी/24)** के अंतर्गत स्थानांतरण मांगा था, में लंबित मुकद्दमों की संख्या सीधी से कहीं

ज्यादा थी। वास्तव में, रायसेन, सेहोर, उज्जैन में अपर जिला न्यायाधीशों के पद रिक्त थे और सीधी में अपर जिला न्यायाधीश का कोई पद रिक्त नहीं था। उपरोक्त स्थानों पर रिक्तियां होने के बावजूद, परिवादी की उपरोक्त स्थानों, जो श्रेणी "बी" की जगहें थीं, पर स्थानांतरित किए जाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था। निःसंदेह, उच्च न्यायालय को अपनी अधीक्षण की शक्तियों के तहत इसे प्रशासन में तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि सत्र में भी न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। परंतु परिवादी के दो अभ्यावेदनों को अस्वीकार करना उस परिवादी को पेश आई कठिनाइयों पर ध्यान न देना ही प्रतीत होता है।

23. स्थानांतरण नीति के खंड (9) के अनुप्रयोग को केवल वार्षिक सामान्य प्रक्रिया में स्थानांतरण तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। खंड (9) में कहीं भी ऐसा उपबंध नहीं है कि यह कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केवल उन अधिकारियों के लिए है जिन्हें सामान्य वार्षिक प्रक्रिया में स्थानांतरित किया जा रहा है। उपरोक्त के आलोक में समिति का यह मानना है कि परिवादी का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था। समिति का मत है कि जब परिवादी से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे तो उच्च न्यायालय को उनकी उपेक्षा करके अस्वीकार करने के बजाय उनके अभ्यावेदनों पर विचार तो करना ही चाहिए था।

(ख) दावा की गई प्रशासनिक आवश्यकता जो कि वास्तव में विद्यमान नहीं थी

24. स्थानांतरण नीति **(एक्स.जेआईसी/38)** के खंड (22) और (26) मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से दो वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों की समिति को कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाते हैं जैसाकि वे प्रशासनिक हित में किसी भी न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण को उचित समझें। खंड (22) और (26) निम्नानुसार पठित हैं :-

> "खंड 22, एक न्यायिक अधिकारी को विहित कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व या मध्यावधि में उस स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है जब उसका कार्यनिष्पादन विहित मानकों से निम्नस्तर का पाया गया है या उसके विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए आधार हों। विहित कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी उसका जनहित या प्रशासनिक हित में किया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय किया जाए।
>
> खंड 26, इसमें किसी बात के होते हुए भी, मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों की नामनिर्देशित समिति के किसी भी न्यायिक अधिकारी की किसी भी समय स्थानांतरण या तैनाती के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने की अधिभावी शक्तियां होंगी।"

स्थानांतरण नीति के खंड 22 के अनुसार एक न्यायिक अधिकारी को विहित कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व या मध्यावधि में उस स्थिति में स्थानांतरित किया जाए (i) यदि उनका कार्यनिष्पादन विहित मानकों से निम्नस्तर का पाया गया हो या उनके विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए आधार हों। (ii) उनका स्थानांतरण विहित कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी जनहित या प्रशासनिक हित में किया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय किया जाए। न्यायमूर्ति मेनन ने कहा है कि परिवादी का स्थानांतरण प्रशासनिक हित में था और यह स्थानांतरण नीति के खंड 22 के अंतर्गत होगा। न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या-7)** ने भी कहा है कि परिवादी का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के खंड (22) और (26) के अंतर्गत ही होगा।

25. परिवादी को सहमति से उनके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पूर्व स्थानांतरित किया गया था। न्यायमूर्ति मेनन **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 11)** और जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या -4)** ने अपने साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि परिवादी के "वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन" अच्छे ही थे इसलिए यह ऐसा मामला नहीं था जहां उनका कार्यनिष्पादन निर्धारित मानकों से निम्न स्तर का रहा हो। यह ऐसा भी मामला नहीं था जहां परिवादी के विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए कारण मौजूद रहे हों। न्यायमूर्ति मेनन के साक्ष्य के अनुसार **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 11)** और परिवादी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम मे तहत मांगी गई सूचना में प्राप्त जानकारी (उनके शपथपत्र के अनुबंध- 30 के रूप में संलग्न) की प्रति के अनुसार परिवादी का स्थानांतरण विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आधार पर किया गया था। परिवादी द्वारा यह दर्शाने के अनवरत प्रयास किए गए थे कि उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण नहीं था।

26. यद्यपि समिति को इस बात पर विचार करना है कि क्या स्थानांतरण आदेश प्रत्यर्थी को कथित रूप से उत्पीड़ित किए जाने की वजह से हुआ था; इसके लिए हमें पहले इस बात की जांच करनी है कि क्या परिवादी का स्थानांतरण वास्तव में प्रशासनिक आवश्यकताओं की वजह से हुआ था। यह सिद्ध करने के लिए कि परिवादी का सीधी में स्थानांतरण वास्तव में प्रशासनिक हित में नहीं था, जांच के दौरान परिवादी ने कई तरह के पक्ष रखे थे। पहले सीधी में मुकद्दमों के लंबित होने की स्थिति और साथ ही सेहोर, देवास, रायसेन और उज्जैन जैसी उन जगहों पर मुकदमों के लंबित होने की स्थिति का संदर्भ लेते हैं जिनका परिवादी ने साक्ष्य में उल्लेख किया था। सेहोर,

रायसेन और उज्जैन (वे वैकल्पिक जगहें जहां के लिए परिवादी ने स्थानांतरण मांगा था) तथा साथ ही सीधी में रिक्तियों की संख्या और लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला एक्स.जेआईसी/30 निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	स्थान	रिक्त पदों की संख्या	प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों की औसतन संख्या
14.	देवास	2	1941
22.	इन्दौर	6	1615
23.	जबलपुर	6	962
32.	रायसेन	1	769
38.	सेहोर	2	852
44.	सीधी	0	1533
47.	उज्जैन	2	1199

न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 7)** द्वारा, लंबित मुकद्दमों की संख्या के बारे में तलब करने पर तत्कालीन महारजिस्ट्रार ने बताया कि "बिजली से संबंधित मुकद्दमों के सिवाय, सीधी में अन्य जगहों की तुलना में लंबित मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा हैं"। उनका साक्ष्य निम्नानुसार है:-

> **"बिजली से संबंधित मुकद्दमों के सिवाय, सीधी में अन्य जगहों की तुलना में लंबित मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा हैं।**
>
> **देवास में बिजली से संबंधित मुकद्दमों के सिवाय देवास में प्रति न्यायाधीश लंबित मुकदमों की संख्या 794, सेहोर में प्रति न्यायाधीश 502, उज्जैन में प्रति न्यायाधीश 532, रायसेन में प्रति न्यायाधीश 470 और सीधी में प्रति न्यायाधीश 803 थी।"**

27. न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **(जेआईसी डब्ल्यू. संख्या- 7)** द्वारा लिए गए साक्ष्य से यह लगता है कि न्यायाधीश सेहोर ने इस जिले में दो अपर जिला न्यायाधीशों की तैनाती का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा ने स्वीकार किया है कि एक नियमित आधार पर और दूसरी छाया राजेश कुमार कौल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की वजह से सेहोर जिले में अपर जिला न्यायाधीशों की दो स्पष्ट रिक्तियां थीं। फिर भी न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **(जेआईसी डब्ल्यू. संख्या -7)** ने स्पष्ट भी किया है कि सेहोर, रायसेन, देवास और उज्जैन जैसी जगहों पर लंबित मुकद्दमों की संख्या सीधी जिले की तुलना में ज्यादा नहीं थी। यह बताते हुए कि सेहोर, देवास और

रायसेन में बहुत से मुकद्दमें विद्युत के मामलों से जुड़े थे और सीधी में प्रति न्यायाधीश लंबित मुकदमों की औसतन संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं थी। **जेआईसी डब्ल्यू. संख्या-** 7 के मामले में, तत्कालीन महारजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि यदि किसी विशेष जगह पर मुकद्दमें लंबित होते हैं तो मुकद्दमों के लंबित रहने के आधार पर उस विशेष जगह पर स्वीकृत संख्या बल के अतिरिक्त और संख्या बल की तैनाती की जाती है।

28. जिला सीधी, जहां परिवादी को स्थानांतरित किया था, एक **नक्सल** प्रभावित क्षेत्र है। मार्च, 2014 में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान, लगभग सौ अपर जिला जिला न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानांतरित किया गया था परन्तु सीधी में किसी भी अपर जिला न्यायाधीश की तैनाती नहीं की गई थी। परिवादी का तर्क यह है कि यदि सीधी में अपर जिला न्यायाधीश की तैनाती की ऐसी कोई प्रशासनिक आवश्यकता वास्तव में रही होती तो उच्च न्यायालय द्वारा ही वार्षिक सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान सीधी में अपर जिला न्यायाधीश की तैनाती की जानी चाहिए थी परन्तु यह नहीं किया गया। आगे यह भी बताया गया कि दिनांक 8.7.2014 के जिस स्थानांतरण आदेश जिसके तहत परिवादी का स्थानांतरण किया गया था, उसी आदेश में आठ अन्य अपर जिला न्यायाधीशों को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया गया था; परन्तु उनमें से किसी को भी सीधी में तैनात नहीं की गई थी। न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 7)** द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान, साक्ष्य में यह भी बताया गया कि मार्च, 2015 में अगले वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के दौरान (परिवादी के त्यागपत्र के उपरांत) कुल 72 अपर जिला न्यायाधीशों और 13 अपर जिला न्यायाधीशों को न्यायाधीश के संवर्ग में उनकी प्रोन्नति के उपरांत स्थानांतरित किया गया था और विभिन्न जगहों पर तैनाती की गई, परन्तु किसी की भी सीधी में तैनात नहीं की गई थी। वस्तुतः, एक न्यायिक अधिकारी, जो सीधी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में तैनात था, को अप्रैल, 2014 में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया था और प्रोन्नति के उपरांत उन्हें सीधी से धार अपर जिला न्यायाधीश तृतीय के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए परिवादी की तरफ से आग्रह किया गया कि यदि उच्च न्यायालय इस पर विचार करता है कि सीधी में लंबित मुकदमों की स्थिति के मद्देनजर अपर जिला न्यायाधीश की तैनाती जरूरी है तो स्थानांतरण समिति को उक्त प्रोन्नत न्यायिक अधिकारी की ही सीधी में तैनाती कर दी जानी चाहिए थी। परिवादी द्वारा आग्रह की गई सभी परिस्थितियां

केवल यह दर्शाती हैं कि सीधी में एक अपर जिला न्यायाधीश को तैनात करने की ऐसी कोई प्रशासनिक अनिवार्यता विद्यमान नहीं थी जैसा कि तत्कालीन महारजिस्ट्रार श्री वी. पी. शर्मा और न्यायमूर्ति मेनन द्वारा दर्शाया गया था।

29. परिवादी के अनुसार सीधी में किसी अपर जिला न्यायाधीश का स्थानांतरण न तो उससे पहले हुआ था और न उसके बाद हुआ। केवल परिवादी को ही सीधी में अपर जिला न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया था। तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, समिति को इस तर्क का महत्व समझ आता है। समिति यह भी पाती है कि परिवादी का सीधी में स्थानांतरण प्रशासनिक हित में प्रतीत नहीं होता है।

30. स्थानांतरण समिति की 07.07.2014 को हुई बैठक के कार्यवृत्त में कार्य सूची संख्या एच **(एक्स. जेआईसी/29)** न्यायिक अधिकारी श्री देवेन्द्र पॉल सिंह गौड़ के स्थानांतरण से संबंधित है जिन्होंने सेवा के 4 वर्ष पूरे कर लिए थे और यह सिफारिश की थी कि उन्हें उनके विरुद्ध दायर की गई शिकायतों के आधार पर स्थानांतरित किया जाए। **एक्स. जेआईसी/41** का संदर्श यह दर्शाता है कि जिला न्यायाधीश और पोर्टफोलियो न्यायाधीश ने श्री डी. पी. एस. गौड़ के स्थानांतरण की सिफारिश की थी। उस अधिकारी ने ग्वालियर में 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा किया था, उक्त सिफारिश के बावजूद श्री डी. पी. एस. गौड़ के स्थानांतरण से संबंधित कार्यसूची पर विचार नहीं किया गया था। जब इस बारे में पूछा गया तो न्यायमूर्ति मेनन यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि श्री डी. पी. एस. गौड़ के मामले में उक्त अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें थीं और प्रति-शिकायतें थीं और उनका मामला प्रशासनिक समिति-I (प्र. स.-I) के समक्ष लंबित था जिसमें प्रशासनिक समिति-I ने विभागीय जांच की सिफारिश की थी। न तो **एक्स. जेआईसी/29** और न ही रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा चलाए गए नोट में प्रशासनिक समिति-I के समक्ष श्री डी. पी. एस. गौड़ के संबंध में ऐसी किसी शिकायत का लंबित होना दर्शाया गया है। न्यायमूर्ति मेनन ने अपने साक्ष्य में आगे स्वीकार किया कि किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का लंबित होना उसके स्थानांतरण के विचारण पर रोक नहीं लगाता। उनके साक्ष्य का संगत अंश निम्नानुसार हैः-

> "यह सच है कि जहां तक न्यायिक अधिकारी श्री गौड़ का संबंध है तो स्थानांतरण का विषय कार्यसूची में शामिल था उन्होंने ग्वालियर में पहले ही चार वर्ष पूरे कर लिए थे और किसी भी तरह से ग्वालियर से उनका स्थानांतरण किया जाना ही था तथा हमें जानकारी थी कि अनुशासनात्मक

कार्यवाही शुरू की गई है, इसके बावजूद भी हमनें कार्यसूची में श्री गौड़ के स्थानांतरण पर जानबूझ कर विचार न करने का निर्णय लिया था।"

(जेआईसी डब्ल्यू. संख्या 11 के अभिसाक्ष्य का पृष्ठ संख्या 15)

31. श्री डी. पी. एस. गौड़ के मामले के विपरीत, परिवादी के मामले में शिकायत जिला न्यायाधीश-कमल सिंह ठाकुर **(एक्स. जेआईसी/14)** (03.07.2014) की गई थी जिस पर स्थानांतरण समिति ने शीघ्रता से कार्यवाही की और उसे जिला सीधी स्थानांतरित कर दिया गया चाहे वहां कोई रिक्ति ही नहीं थी। न्यायमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया है कि जिला न्यायाधीश-कमल सिंह ठाकुर के पत्र दिनांक 03.07.2014 **(एक्स. जेआईसी/14)** पर विचार करते हुए समिति ने परिवादी को सीधी स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि सामान्यतः जब संबंधित जिला न्यायाधीश से ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी से बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे स्थानांतरण आदेश पारित कर दिए जाते हैं। हमें इस बात की जानकारी है कि स्थानांतरण सेवा में शामिल होता है। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी श्री डी. पी. एस. गौड या किसी अन्य अधिकारी के साथ समानता की मांग करे क्योंकि जब बात स्थानांतरण के निर्णय की होती है तो किसी अधिकारी का स्थानांतरण उच्च न्यायालय का सम्पूर्ण विशेषाधिकार है परन्तु यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि परिवादी के मामले में उदार दृष्टिकोण होना चाहिए था।

32. निस्संदेह, स्थानांतरण नीति में शामिल मानक/दिशानिर्देश **(एक्स.जेआईसी/38)** केवल प्रशासनिक निर्देश हैं। यह सुस्थापित व्यवस्था है कि स्थानांतरण नीति उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रकृति में है और यह न्यायिक अधिकारियों को अजेय अधिकार नहीं देती है। ये निदेशात्मक प्रकति की हैं और उच्च न्यायालय द्वारा इनका पूरी तरह से पालन किया जाना अनिवार्य नहीं हैं। परन्तु स्थानांतरण नीति के ये दिशानिर्देश प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। इसलिए, स्थानांतरण समिति से कुछ हद तो दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की ही जाती थी। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए समिति का मत है कि परिवादी का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था और इसलिए अनियमित था।

डी. क्या परिवादी के स्थानांतरण में अनियमितता को प्रत्यर्थी न्यायाधीश से जोड़ा जा सकता है

(क) तत्कालीन जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर (जेआईसी डब्ल्यू संख्या 4) का अभिसाक्ष्य

33. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, न्यायमूर्ति मेनन **(जेआईसी डब्ल्यू संख्या 11)** ने साक्ष्य दिया है कि परिवादी का स्थानांतरण जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर द्वारा स्थानांतरण हेतु भेजे गए **एक्स.जेआईसी**/14 पर आधारित था जो निम्नानुसार पठित है:-

"प्रेषकः डीजे कोर्ट जीडब्ल्यू एल फैक्स नम्बर :- 07512402243, दिनांक 3 जुलाई, 2014 म.पू. 11:16 पी1

गोपनीय

<u>जिला एवं सत्र न्यायधीश का कार्यालय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)</u>

संख्याः- 344/स्टेनो ग्वालियर, दिनांक 3.7.2014

महारजिस्ट्रार ,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय
जबलपुर, मध्य प्रदेश।

विषयः श्रीमती संगीता मदान ,VIIIवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के स्थानांतरण के संबंध में।

श्रीमती संगीता मदान ग्वालियर में 1.8.2011 से VIIIवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात हैं। वह 3.7.2014 को अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लेंगी। श्रीमती संगीता मदान अनावश्यक रूप से अपने स्टॉफ के संबंध में शिकायतें करती रही हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीशों के स्वीकृत पदों के अनुरूप श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारी तैनात जाते हैं। वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायधीशों और सिविल जिला न्यायाधीशों के सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं तथा सभी को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। जब कभी श्रीमती संगीता मदान का लिपिक छुट्टी पर चला जाता है तो वे प्रतिस्थानी व्यक्ति की मांग करती हैं जिसे तभी पूरा किया जा सकता है यदि कोई अन्य न्यायाधीश छुट्टी पर हो, ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें प्रतिस्थानी व्यक्ति उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने इसी बात की शिकायत की थी।

श्रीमती संगीता मदान को दो चपरासी आवंटित किए गए हैं जिनमें से एक उनके आवासीय कार्यालय पर तैनात था जो बीमार पड़ गया था। उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर, कार्यालय से उन्हें एक चपरासी अस्थायी आधार पर आवंटित किया गया था तथा उन्हें यह सूचित किया था कि जल्दी ही उन्हें एक नया चपरासी उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्रीमती संगीता मदान ने इस पर नाराजगी जाहिर की और यह बात फैला दी कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैंने उन्हें पूरे दिन के लिए चपरासी उपलब्ध कराया।

श्रीमती संगीता मदान का अन्य जिला न्यायाधीशों के साथ भी विवाद हो गया और उनके प्रति विशेष रूप से सिविल जिला न्यायाधीशों के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं है।

श्रीमती संगीता मदान ने जिला न्यायाधीश और अन्य जिला न्यायाधीशों के विरुद्ध अज्ञात शिकायतें कीं और वह सार्वजनिक रूप से यह कहती हैं कि मौजूदा जिला न्यायाधीश की प्रशासनिक दक्षता पिछले जिला न्यायाधीश के मुकाबले पर्याप्त नहीं हैं। शायद, श्रीमती संगीता

मदान द्वारा यह कार्य कतिपय अन्य लोगों के कहने पर किया जा रहा है ताकि मेरी प्रशासनिक क्षमता को अनुचित बताया जा सके।

श्रीमती संगीता मदान के उपरोक्त आचरण और व्यवहार की वजह से, जिला न्यायपालिका के माहौल पर प्रतिकूल पड़ रहा है। न्यायाधीश के रूप में, मुझे उनके द्वारा फैलायी जा रही ऐसी गलत राय के बारे में सूचना मिलती रहती है।

इसलिए, ग्वालियर की जिला न्यायपालिका के समुचित कार्यकरण के लिए, श्रीमती संगीता मदान का स्थानांतरण जरूरी है। आपसे अनुरोध है कि उनका ग्वालियर से स्थानांतरण कर दिया जाए।

हस्ताक्षर
(कमल सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर, मध्य प्रदेश"

उपरोक्त **एक्स.जेआईसी/38** का संदर्श दर्शाता है कि जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी डब्ल्यू संख्या 4)** ने तीन आधारों पर परिवादी के स्थानांतरण की सिफ़ारिश की थी अर्थात् (i) परिवादी अपने स्टाफ और प्रतिस्थानी स्टाफ आवंटित न करने के संबंध में अनावश्यक रूप से शिकायत करने की आदी हैं; (ii) परिवादी ने अन्य जिला न्यायाधीशों विशेषकर सिविल न्यायाधीशों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया है; (iii) परिवादी ने जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए कि पिछले जिला न्यायाधीश के मुकाबले मौजूदा जिला न्यायाधीश की प्रशासनिक दक्षता पर्याप्त नहीं है, अज्ञात शिकायतें की।

34. सर्वप्रथम जिस आधार पर जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर ने परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश की थी वह यह है कि परिवादी अपने स्टाफ के संबंध में और प्रतिस्थानी स्टाफ आवंटित न किए जाने के संबंध में अनावश्यक रूप से शिकायत करने की आदी हैं। जिला न्यायाधीश के नाते, श्री कमल सिंह ठाकुर जिले के न्यायिक अधिकारियों को स्टाफ आवंटन हेतु उत्तरदायी थे। यह समिति के समक्ष अभिलिखित है कि परिवादी और जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर का स्टाफ के आवंटन को लेकर भिन्न-भिन्न मत था। परिवादी ने आरोप लगाया है कि पूल में पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलबध होने पर भी अधिकतर समय उनके पास कम स्टाफ होता था। जबकि जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर का यह कहना है कि स्टाफ की कमी थी। परिवादी और न्यायाधीश दोनों के भिन्न-भिन्न मत की सच्चाई को जाने बिना, यह निश्चित रूप से कहा जा

सकता है कि स्टाफ के आवंटन को लेकर परिवादी और न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर के बीच विवाद था।

35. जहां तक दूसरे आरोप कि परिवादी अन्य जिला न्यायाधीशों के साथ विवाद करती थी, का संबंध है तो यह देखा कहा जा सकता है कि **एक्स.जेआईसी/14** में जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर ने न तो न्यायिक अधिकारियों या स्टाफ के लोगों का नाम लिया है जहां से वह परिवादी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि परिवादी अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ विवाद कर रही हैं और न ही उन्होंने इस संबंध में परिवादी के विरुद्ध दर्ज कोई शिकायत पेश की थी। यह पूछे जाने पर की इस तरह का वक्तव्य देने के लिए कोई आधार नहीं है कि परिवादी अन्य न्यायाधीशों के साथ विवाद करती रही हैं इस पर जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर **[जेआईसी. डब्ल्यू. सं. 4]** ने निम्नानुसार बताया हैः-

> "प्रश्नः एक्स.जेआईसी/14 के पैरा सं. 3 में आपने बताया है कि श्री एबीसी अन्य न्यायाधीशों के साथ विवाद करती रही हैं और उनका व्यवहार उनमें से कुछ लोगों विशेषकर सिविल न्यायाधीशों के प्रति उचित नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा वक्तव्य देने के लिए पूरी तरह से कोई आधार नहीं था। आपको इस विषय में क्या कहना है?
>
> उत्तरः कुछ न्यायिक अधिकारी ,नामतः श्री पी. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश, श्री मनीष शर्मा, सिविल न्यायाधीश और श्री नवीन शर्मा, जिला रजिस्ट्रार ने सुश्री एबीसी के बारे में मेरे से शिकायत की थी।
>
> उपरोक्त में से किसी भी न्यायिक अधिकारी ने सुश्री एबीसी के बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं की थी।
>
> श्री नवीन शर्मा, जिला रजिस्ट्रार /दंडाधिकारी के पास न्यायिक कार्य भी हैं। मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेष मामलों में श्री नीवन शर्मा द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया था और उसका मामला विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात सुश्री एबीसी के पास भेज दिया था। इसलिए, सुश्री एबीसी ने श्री नवीन शर्मा से यह प्रश्न पूछा कि उन्होंने उनके पास हिरासत के लिए मामला क्यों भेज दिया।"
>
> (दिनांक 03.09.2016 जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 4 के अभिसाक्ष्य का पृष्ठ संख्या 12-13)

36. यह आरोप कि परिवादी अन्य न्यायाधीशों के साथ विवाद करती रही है, यह एक विधिक मुद्दा प्रतीत होता है अर्थात् क्या एक विशेष न्यायाधीश या दंडाधिकारी को विशेष रूप से अधिनियमित मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अधीन पहली बार न्यायिक हिरासत देनी चाहिए। जिला न्यायाधीश-कमल सिंह ठाकुर **[जेआईसी. डब्ल्यू. सं. 4]** ने स्वीकार किया है कि श्री नवीन शर्मा **[जेआईसी. डब्ल्यू. सं. 8]** और परिवादी के बीच 'तथाकथित विवाद' एक विधिक मुद्दे से

संबंधित है। हम जिला न्यायाधीश-कमल सिंह ठाकुर **जेआईसी. डब्ल्यू. सं.** 4 के अभिसाक्ष्य के प्रासंगिक अंश का निम्नानुसार उल्लेख कर सकते हैंः-

> "यह सुझाना सही होगा कि श्री नवीन शर्मा और सुश्री एबीसी के बीच तथाकथित विवाद एक विधिक मुद्दे से संबंधित है - क्या एक विशेष न्यायाधीश या दंडाधिकारी को विशेष रूप से अधिनियमित मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अधीन पहली बार न्यायिक हिरासत देनी चाहिए। तत्कालीन जिला न्यायाधीश, श्री जगदीश बहेती की अन्य सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उक्त विधिक मुद्दा सुलझा लिया गया था। श्री नवीन शर्मा ने मुझे इसके बारे में सूचित किया था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या यह सुलझा लिया गया था कि दंडाधिकारी पहली बार हिरासत की अनुमति देगा। न्यायिक अधिकारी श्री पी.के. शर्मा और सुश्री एबीसी पड़ोसी थे तथा उनके बीच कुछ विवाद थे। परन्तु मुझे विवाद की प्रकृति की जानकारी नहीं है, न ही मैं जानता हूं कि किसके ऊपर दोषारोपण किया गया था।"

(दिनांक 03.09.2016 की जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 4 के अभिसाक्ष्य की पृष्ठ संख्या 13)

जेआईसी. डब्ल्यू. सं. 4-कमल सिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कथित उपरोक्त घटना ग्वालियर में उनके जिला न्यायाधीश बनने से पूर्व हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त मुद्दे का अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 2014 में उन्हें भेजी गई घटनाओं से कुछ भी लेना-देना नहीं है। वह स्वीकार भी करते हैं कि चूंकि विधिक मुद्दे पहले ही सुलझा लिए गए थे तो उन्होंने इस बात की जांच नहीं की कि विशेष रूप से अधिनियमित मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अधीन किसको पहली बार न्यायिक हिरासत की अनुमति देनी चाहिए। इस प्रकार जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोप परिवादी के बारे में अपनी राय बनाने वाले प्रतीत होते हैं *जो उन्होंने स्वयं ग्वालियर में जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा के दौरान तथा तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार श्री नवीन शर्मा द्वारा दिए गए संदेश के आधार पर निर्धारित की होगी।*

37. **एक्स.जेआईसी/14,** कमल सिंह ठाकुर ने बताया है कि परिवादी जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध अज्ञात रूप से शिकायत करने की आदी थी तथा सार्वजनिक रूप से यह कहा करती थी कि पिछले जिला न्यायाधीश के मुकाबले मौजूदा जिला न्यायाधीश की प्रशासनिक दक्षता पर्याप्त नहीं है। उच्च न्यायालय को भेजी गई शिकायत **एक्स. आर/27क** अज्ञात बताई गई है। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अज्ञात शिकायत (**एक्स. आर**/27) को उत्तर/टिप्पणी देने के लिए कहे जाने पर, जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर ने अपने उत्तर **एक्स. आर/28** में बताया कि जांच से उन्हें पता चला कि उक्त अज्ञात शिकायत अवश्य ही परिवादी द्वारा भेजी गई

होगी क्योंकि इसमें परिवादी द्वारा जिला नजीर को भेजी गई अपनी पूर्व शिकायत [**एक्स.जेआईसी डब्ल्यू. सं. 9**] में लगाए गए कतिपय आरोप शामिल थे। समिति के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में, श्री कमल सिंह ठाकुर ने बताया कि एक अनौपचारिक जांच करने के उपरांत उन्हें पता चला कि अज्ञात शिकायत परिवादी द्वारा भेजी गई थी। श्री कमल सिंह ठाकुर जो जिला प्रशासन के प्रभारी थे, उन्होंने परिवादी से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण की मांग नहीं की। कमल सिंह ठाकुर के साक्ष्य और उच्च न्यायालय को भेजी उनकी टिप्पणियों [**एक्स. आर/28**] से, हमें पता चला है कि कमल सिंह ठाकुर ने इस बारे में स्वयं अपना मत बना लिया था कि *पिछले जिला न्यायाधीश के प्रशासन की सराहना करते समय, उनके प्रशासन को कमतर आंक लिया गया है। परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश करते समय, श्री कमल सिंह ठाकुर के पास अपने कारण/आशंकाएं विद्यमान थीं।*

38. **एक्स. आर/27क** और **एक्स. आर/28** दस्तावेजों को अभिलेखों में शामिल करने के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना जरूरी है। जब ,श्री कमल सिंह ठाकुर की परीक्षा (परीक्षा की तारीख 01.09.2016) की तो समिति ने उनसे यह पूछा कि उन्होंने **एक्स जेआईसी डब्ल्यू सं.14** में ऐसा किस आधार पर बताया है कि परिवादी जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध अज्ञात शिकायतें किया करती थी। इस प्रश्न के समय जब, श्री कमल सिंह ठाकुर कठघरे में थे तो उन्होंने अपने साथ लाए एक फोल्डर खोला तथा परिवादी द्वारा भेजी गई कथित शिकायतों और उन पर उच्च न्यायालय को भेजे गए उनके जवाबों की प्रतियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चूंकि उन दस्तावेजों की प्रतियां न तो उचित प्रक्रिया से हासिल की गई थीं, और न ही श्री ठाकुर द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम अंतर्गत हासिल की गईं थीं, इसलिए समिति ने उस समय, श्री कमल सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेखों में शामिल करने से इनकार कर दिया। बाद में प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने स्वयं ये दस्तावेज [**एक्स. आर/27क** और **एक्स. आर/28**] सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हासिल किए और समिति के समक्ष प्रस्तुत किए थे। चूंकि ये दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए थे और साथ ही कमल सिंह ठाकुर पहले ही इन दस्तावेजों के बारे में बोल चुके थे इसलिए ये दस्तावेजश्री कमल सिंह ठाकुर को बुलाये बिना ही अभिलेख में शामिल कर लिए गए थे।

39. न्यायमूर्ति मेनन ने साक्ष्य दिया है कि सामान्यतः जब **एक्स. जेआईसी**/14 जैसे पत्र प्राप्त होते हैं तो संबंधित अधिकारी से बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे उसके स्थानांतरण आदेश पारित कर दिए जाते हैं। न्यायमूर्ति मेनन **[एक्स जेआईसी डब्ल्यू सं.11]** ने स्वीकार किया है कि **एक्स जेआईसी**/14 में परिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। जब उनसे प्रश्न किया गया कि स्थानांतरण समिति ने **[एक्स जेआईसी/14]** (दिनांक 03.07.2014) की विषय-वस्तु की पुष्टि क्यों नहीं की थी तो न्यायमूर्ति मेनन ने यह बताया कि "*यदि कोई जिला न्यायाधीश यह कहता है कि अमुक न्यायिक अधिकारी द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियां हितकारी नहीं है तो उच्च न्यायालय सामान्यतः सिफारिश करने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ऐसे न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण की सिफारिश करता है*"। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि उन्हें जिला न्यायाधीश, श्री कमल सिंह ठाकुर पर पूरा विश्वास था और उन्होंने **एक्स जेआईसी**/14 का संज्ञान लेते हुए परिवादी को स्थानांतरित कर दिया।

40.न्यायमूर्ति मेनन **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 11]** ने स्वीकार किया है कि **एक्स जेआईसी**/14 में परिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति मेनन ने आगे यह बताया कि समिति ने **एक्स जेआईसी**/14 की विषय-वस्तु की पुष्टि नहीं की थी क्योंकि उन्हें जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर में विश्वास था। तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार श्री वी. पी. शर्मा **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 7]** ने भी बताया कि **एक्स जेआईसी**/14 की प्रति न तो परिवादी को भेजी गई थी और न ही उच्च न्यायालय ने उसे स्थानांतरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले परिवादी से कोई स्पष्टीकरण मांगा था। न्यायमूर्ति मेनन **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 11]** ने यह भी बताया कि स्थानांतरण समिति ने न तो परिवादी से स्पष्टीकरण मांगने के विकल्प को नहीं चुना था और न ही मामले को प्रशासनिक समिति–। को भेजा था। **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 11 के साक्ष्य कस पृष्ठ संख्या 10)**

41. हम इस बात से परिचित हैं कि एक अधिकारी के स्थानांतरण के प्रयोजन से, इस संबंध में व्यापक जाँच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है; इसमें *प्रथम दृष्टया* स्थानांतरण समिति का संतुष्ट होना आवश्यक है। परंतु, जब परिवादी को सत्र के बीच में ही स्थानांतरित किया जा रहा था तो स्थानांतरण समिति को **एक्स.जेआईसी**/14 के बारे में अवश्य ही जाँच करनी चाहिए थी। परंतु,

परिवादी के स्थानांतरण और उसके अभ्यावेदनों को अस्वीकार करने से पूर्व के घटनाक्रम के बारे में हमारा मत है कि परिवादी के स्थानांतरण की कार्रवाई बहुत जल्दबाजी में की गई प्रतीत होती है।

42. यह पूछे जाने पर कि स्थानांतरण समिति ने, **एक्स.जेआईसी/14** की विषय-वस्तु की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच क्यों नहीं की थी कि क्या **एक्स.जेआईसी/14**, जिला न्यायाधीश-कमल सिंह ठाकुर **[जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 4]** की परिवादी के प्रति पूर्वधारणा का ही परिणाम था तो इस पर न्यायमूर्ति मेनन **[जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 11]** ने बताया कि चूंकि जिला न्यायाधीश की प्रतिष्ठा अच्छी थी इसलिए उन्होंने इस बारे में आगे कोई जाँच नहीं की। हम न्यायमूर्ति मेनन **[जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 11]** द्वारा बताए गए कारणों से सहमत नहीं हैं। जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर **[जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 4]** द्वारा **एक्स.जेआईसी/14** में व्यक्त की गई राय संभवतः अटकलों और अनुमान पर आधारित हो सकती है। लगाए गए आरोपों की सच्चाई के संबंध में कारणों से स्थानांतरण समिति को संतुष्ट होने की आवशकता थी । न्यायमूर्ति मेनन **[जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 11]** के साक्ष्य का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः-

> *"प्रश्नः जिला न्यायाधीश प्रदर्श जेआईसी/14 में कहते हैं कि सुश्री एबीसी संभवतः यह सब कुछ लोगों के उकसाने पर कर रही होंगी ताकि ग्वालियर के जिला न्यायाधीश की तैनाती को गलत सिद्ध किया जा सके। आपका इस विषय में क्या कहना है?*
>
> *उत्तरः जी हां, यह सही है।*
>
> *प्रश्नः यदि यह सही है तो क्या यह संभव नहीं है कि जिला न्यायाधीश ने सुश्री एबीसी के बारे में अटकलों और अनुमान के आधार पर ऐसी राय बनायी है ताकि उसे ग्वालियर से हटाया जा सके। आपका इस विषय में क्या कहना है?*
>
> *उत्तरः ऐसा हो सकता है।"*
>
> **(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 11 के साक्ष्य का पृष्ठ संख्या 27-28)**

43. जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि स्थानांतरण नीति के खंड (22) और (26) के संदर्भ में उच्च न्यायालय/मुख्य न्यायाधीश/स्थानांतरण समिति को प्रशासनिक हित में किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण करने की अधिभावी शक्तियां प्राप्त हैं। एक न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है; फिर भी इसका प्रयोग स्थानांतरण नीति में निर्धारित दिशा-निर्देश सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में

स्थानांतरण समिति द्वारा प्रयोग की गई स्वविवेकी शक्ति निश्चित ही शक्ति की अनियमित प्रक्रिया ही है।

44. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति के खंड ९(क) के अनुसार, यदि किसी न्यायिक अधिकारी का किसी सत्र के बीच में ही स्थानांतरण किया जाता है तथा उस अधिकारी की एक पुत्री हो जो कि बोर्ड परीक्षा या विश्वविद्यालय परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो और उस शैक्षणिक संस्थान, जहां पुत्री अध्ययनरत हो, में बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वह अधिकारी अपनी पुत्री के शैक्षणिक सत्र के पूरा होने तक किसी जगह विशेष पर अपने कार्यकाल को बढ़ाए जाने का पात्र होगा। जिला न्यायाधीश-कमल सिंह ठाकुर **जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या** 4 ने यह बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देशों की जानकारी है। फिर भी **एक्स.जेआईसी**/14 में परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश करने से पूर्व जिला न्यायाधीश – कमल सिंह ठाकुर [**जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या** 4] ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि क्या उनकी एक बेटी है जो उस समय पढ़ रही है तथा बोर्ड परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रही है। उच्च न्यायालय से परिवादी को स्थानांतरित करने की **एक्स.जेआईसी**/14-सिफारिश का मामला मध्यावधि स्थानांतरण का ही मामला था। **जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या** 4 श्री कमल सिंह ठाकुर को स्थानांतरण नीति के दिशा-निदेर्शों की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने परिवादी की पुत्री के कक्षा बारहवीं हेतु बोर्ड परीक्षा में अध्ययनरत होने के बारे में पुष्टि तक नहीं की। यह दर्शाता है कि श्री कमल सिंह ठाकुर परिवादी के प्रति पूर्वधारणा से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रहे थे। **जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या** 4 – जिला न्यायाधीश-कमल सिंह ठाकुर ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि यदि उन्हें इस बात का पता होता कि परिवादी की पुत्री को बोर्ड परीक्षा में बैठना है तो वह परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश ही नहीं करते; इसके बजाय वह निश्चय ही उनके स्थानांतरण की सिफारिश की कार्रवाई मार्च, 2015 में बोर्ड परीक्षा के उपरांत ही करते। साक्ष्य का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः-

> *"प्रश्नः यदि आपको जानकारी होती कि सुश्री एबीसी की एक पुत्री है जिसे बोर्ड की परीक्षा देनी है तो क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के खिलाफ जाकर उनके स्थानांतरण की सिफारिश की होती?*
>
> *उत्तरः मैंने उनके स्थानांतरण की सिफारिश नहीं की होती; बल्कि मैंने सुश्री एबीसी के स्थानांतरण की सिफारिश मार्च, 2015 में बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के उपरांत की होती।"*

(जेआईसी.डब्ल्यू. संख्या 4 दिनांक 04.06.2016 के साक्ष्य का पृष्ठ संख्या 9)

45. परिवादी का मध्यावधि स्थानांतरण तथा इस विषय में बरती गई अनियमितता का उत्तरदायित्व, जिला न्यायाधीश श्री कमल सिंह ठाकुर से जुड़ा है तथा स्थानांतरण समिति का **एक्स.जेआईसी**/14 में लगाए गए आरोपों की सच्चाई की पुष्टि न करना भी इससे जुड़ा है ।

46. प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने इसके प्रति अनभिज्ञता का तर्क दिया कि उन्हें जिला न्यायाधीश श्री कमल सिंह ठाकुर द्वारा परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश करते हुए भेजे गए पत्र **एक्स.जेआईसी**/14 की कोई जानकारी नहीं थी। प्रत्यर्थी न्यायाधीश के उक्त तर्क से हम सहमत नहीं हैं। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ग्वालियर जिले के पोर्टफोलियो न्यायाधीश थे और साथ ही ग्वालियर क्षेत्र के प्रशासनिक न्यायाधीश भी थे। **एक्स.जेआईसी**/14 के अंतर्गत परिवादी के स्थानांतरण की सिफारिश करने से पूर्व, जिला न्यायाधीश श्री कमल सिंह ठाकुर को अवश्य ही प्रत्यर्थी न्यायाधीश को उस प्रस्ताव के बारे में बताना चाहिए था जो वह उच्च न्यायालय को देने जा रहे थे। यह जैसा भी हो, परिवादी के आरोप कि जिला न्यायाधीश, कमल सिंह ठाकुर ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश के कहने पर कार्रवाई की थी, इस की किसी भी प्रकार की साक्ष्य संबंधी सामग्री से पुष्टि नहीं की गई है। इसके विपरीत, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि ग्वालियर के जिला न्यायाधीश के रूप में श्री कमल सिंह ठाकुर तथा जिला रजिस्ट्रार, श्री नवीन शर्मा ने प्रत्यर्थी, जो पोर्टफोलियो न्यायाधीश हैं, के मन में परिवादी के प्रति गलत धारणा पैदा कर दी हो। फिर भी हमें ऐसी कोई साक्ष्य संबंधी सामग्री नहीं मिली है जो परिवादी के यौन उत्पीड़न के आरोप को उसके स्थानांतरण में प्रत्यर्थी न्यायाधीश की गैर-कानूनी भूमिका से जोड़ सके।

(ख) प्रत्यर्थी के कॉल ब्यौरे के रिकार्ड (सीडीआर) का विश्लेषण

47. परिवादी का मुकद्दमा यह है कि उसका मध्यावधि स्थानांतरण न तो जिला सीधी में तथाकथित मुकद्दमों के लंबन के प्रशासनिक आधार पर और न ही लोक हित में किया गया अपितु वास्तव में यह उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है। यह उत्पीड़न प्रत्यर्थी न्यायाधीश के निर्देशानुसार किया गया था। प्रत्यर्थी न्यायाधीश का उद्देश्य कथित रूप से कुछ और नहीं था अपितु उनकी अनैतिक मांगों को न मानने के लिए परिवादी को दंडित करना था। परिवादी ने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अपने आकस्मिक स्थानांतरण के लिए प्रत्यर्थी न्यायाधीश को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है और इसके लिए परिवादी ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मेनन और अन्यों के कतिपय समयावधि के उक्त कॉल ब्यौरे के रिकार्ड को प्रस्तुत किया जिसे कि परिवादी ने अपने उद्देश्यों के लिए सुसंगत पाया था। **एक्स. जेआईसी**/40 में न्यायमूर्ति गंगेले तथा मेनन के अपने-अपने मोबाइल फोनों पर हुई बातचीत की अवधि तथा तिथियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। प्रत्यर्थी न्यायाधीश (9425322181) और न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन (94251112456) के बीच 27.06.2014 से 17.07.2014 तक की अवधि के कॉल ब्यौरे रिकार्ड की तालिका निम्नानुसार है:-

किसके द्वारा	किसके साथ	तिथि	समय	अवधि (सेकंड)
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	29.06.2014	10:20:56	211
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	30.06.2014	8:59:36	94
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	30.06.2014	20:42:54	323
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	01.07.2014	21:36:26	298
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	02.07.2014	19:17:54	282
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	03.07.2014	19:33:26	24
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	04.07.2014	8:33:00	256
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	04.07.2014	16:38:22	277
मेनन, जे.	गंगेले, जे.	06.07.2014	19:27:46	175

9425112456	9425322181			
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	08.07.2014	19:48:54	183
परिवादी 8989826996	गंगेले, जे. 9425322181	08.07.2014	20:17:01	128
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	09.07.2014	21:40:04	300
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	10.07.2014	8:58:19	664
परिवादी 8989826996	गंगेले, जे. 9425322181	10.07.2014	19:06:05	79
गंगेले, जे. 9425322181	मेनन, जे. 9425112456	10.07.2014	19:30:17	143
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	14.07.2014	9:09:40	539
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	15.07.2014	18:35:56	86
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	16.07.2014	19:28:49	253
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	17.07.2014	08:42:42	141
मेनन, जे. 9425112456	गंगेले, जे. 9425322181	17.07.2014	17:16:14	163

परिवादी ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मेनन के कॉल रिकार्डों के आधार पर यह आरोप लगाया है कि उनका स्थानांतरण अवैध है और प्रत्यर्थी न्यायाधीश इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसके विपरीत न्यायमूर्ति मेनन ने बयान दिया कि परिवादी का स्थानांतरण पूर्णतः जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। प्रत्यर्थी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति श्री मेनन ने बताया कि उनकी बातचीत विभिन्न प्रशासनिक मामलों से संबंधित थी।

48. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादी ने अपने पति के साथ 29.06.2014 को प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साथ उनके निवास स्थान पर सुबह लगभग 10.00 बजे मुलाकात की थी और वे वहां पर 15-20 मिनट रूके थे। उक्त बताये गये कॉल ब्यौरे रिकॉर्डों के अनुसार उसी दिन उनके वहां से जाने के तत्काल बाद प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने सुबह 10 बजकर 20 मिनट 56 सेकंड पर राजेन्द्र मेनन, जे. को कॉल किया और उनके साथ 211 सेकंड तक बातचीत की। फिर भी 03.07.2014 को जब श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश ने महारजिस्ट्रार को परिवादी के विरुद्ध शिकायत फैक्स की थी तो प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने सायं 7 बजकर 33 मिनट 26 सेकंड पर

राजेन्द्र मेनन, जे. को फिर कॉल किया था। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने 04.07.2014 को सुबह 8 बजकर 33 मिनट पर राजेन्द्र मेनन, जे. को फिर कॉल किया और लगभग 256 सेकंड तक बातचीत की।

49. मेनन, जे. ने 06.07.2014 को सायं 7 बजकर 27 मिनट 46 सेकंड पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश को कॉल की थी और उनके साथ 175 सेकंड तक बातचीत की। परिवादी के अनुसार उसे स्थानांतरित किए जाने का निर्णय 07.07.2014 को लिया गया था जो कि 06.07.2014 को प्रत्यर्थी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मेनन के बीच हुई बातचीत का ही परिणाम था। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 08.07.2014 को सायं 6 बजकर 45 मिनट तक न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। उसी दिन प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने सायं 7 बजकर 48 मिनट 54 सेकंड पर मेनन, जे. के साथ 183 सेकंड तक बातचीत की थी। परिवादी ने 08.07.2014 को रात्रि 8 बजकर 17 मिनट 1 सेकंड पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश को उसके आकस्मिक स्थानांतरण के बारे में सूचित करने के लिए भी कॉल किया था, जिसके बारे में प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उसे यह सूचित करते हुए जवाब दिया था कि उनका उसके स्थानांतरण आदेश से कुछ लेना-देना नहीं है। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने 09.07.2014 को रात्रि 9 बजकर 40 मिनट 4 सेकंड पर मेनन, जे. को फिर कॉल किया था और उनके साथ 300 सेकंड तक बातचीत की थी।

50. इस प्रकार परिवादी ने यह बताया कि परिवादी द्वारा उसके आकस्मिक मध्यावधि स्थानांतरण के मामले में दिए गए अभ्यावेदनों को अंतिम रूप से खारिज किए जाने तक प्रत्यर्थी न्यायाधीश और मेनन, जे. के बीच निरंतर बातचीत होती रही। रिकॉर्डों के अनुसार परिवादी ने अपना प्रथम अभ्यावेदन 09.07.2014 को ग्वालियर में अपनी तैनाती को बढ़ाए जाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार को दिया था। परिवादी का प्रथम अभ्यावेदन 10.07.2014 को खारिज़ कर दिया गया था। तत्पश्चात् परिवादी ने ग्वालियर में अपनी तैनाती के लिए समय को आगे बढ़ाये जाने या इसके विकल्प में 'बी' वर्ग शहर में अपना स्थानांतरण करवाने के लिए 11.07.2014 को दूसरा अभ्यावेदन दिया था। परिवादी ने 10.07.2014 को सायं 7 बजकर 30 मिनट 17 सेकंड पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश को भी कॉल किया था। परिवादी ने आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उसे बताया कि उसका आकस्मिक स्थानांतरण उनकी अनैतिक मांगों की तरफ ध्यान न देने का ही परिणाम है और उन्होंने उसे यह कहकर भी डराया कि वह उसका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उसी दिन प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने रात्रि 9 बजकर 40 मिनट 4 सेकंड पर

मेनन, जे. को कॉल किया था और उनके साथ 300 सेकंड तक बातचीत की। परिवादी का दूसरा अभ्यावेदन भी 14.07.2014 को खारिज कर दिया गया था। 14.07.2014 की सुबह 9 बजकर 9 मिनट 40 सेकंड पर मेनन, जे. ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश को कॉल किया था और उनके साथ 539 सेकंड तक बातचीत की थी। परिवादी के अनुसार प्रत्यर्थी न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति मेनन के बीच हुई उक्त सभी प्रकार की बातचीत केवल उसके स्थानांतरण/अभ्यावेदनों को खारिज किए जाने के मुद्दों से संबंधित थी।

51. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने हमेशा यह कहा है कि परिवादी के जिला ग्वालियर से जिला सीधी में मध्यावधि स्थानांतरण किए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि वह संबंधित स्थानांतरण समिति के सदस्य नहीं थे। परिवादी न्यायाधीश द्वारा मेनन, जे. को 27.06.2014 (सायं 7 बजकर 32 मिनट 11 सेकंड) और 29.06.2014 (सुबह 10 बजकर 20 मिनट 56 सेकंड) पर की गई दो कॉलों के बारे में पूछे जाने पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया कि यह इंदौर न्यायपीठ में वकीलों द्वारा की गई बहिष्कार हड़ताल और इंदौर के तीन न्यायाधीशों को ग्वालियर न्यायपीठ में बैठने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में थी। इसी प्रकार प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा मेनन, जे. को 30.06.2014 को (सुबह 8 बजकर 59 मिनट 36 सेकंड और रात्रि 8 बजकर 42 मिनट 54 सेकंड) को की गई दो कॉलों के बारे में पूछे जाने पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया कि यह दो कॉलें यह जानने की उत्सुकता के चलते की गई थी कि इंदौर में वकीलों द्वारा की जा रही हड़ताल/बहिष्कार इतने लंबे समय से जारी क्यों चल रही है जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। जहां तक 01.07.2014 (रात्रि 9 बजकर 36 मिनट 26 सेकंड) और 02.07.2014 (सायं 7 बजकर 12 मिनट 54 सेकंड) पर की गई कॉलों के बारे में प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने एक बार फिर से बताया कि यह इंदौर न्यायपीठ में वकीलों के बहिष्कार, ग्वालियर में रोस्टर सिटिंग और व्यापम घोटाले के बारे में थी। जहां तक प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा मेनन, जे. को 03.07.2014 (सायं 7 बजकर 33 मिनट 26 सेकंड) पर की गई कॉल के बारे में प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया कि उक्त कॉल ग्वालियर में तीन न्यायाधीशों के आने और ग्वालियर में ही उनके ठहराव के संबंध में किये गए अन्य इंतजामों के बारे में की गई थी। अन्य विभिन्न तिथियों पर अन्य कॉल किए जाने के बारे में प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया कि ये या तो इंदौर न्यायपीठ में वकीलों के बहिष्कार के बारे में थी या ग्वालियर न्यायपीठ में रोस्टर सिटिंग के बारे में थी।

52. मेनन, जे. (जेआईसी डब्ल्यू.सं.11) को एक्स.जेआईसी/40 भी दिखाए गए थे जो कि उनके मोबाइल नंबर 9425112456 के कॉल ब्यौरे का विवरण है। मेनन, जे. ने इस बात से भी इनकार किया है कि उनके और न्यायामूर्ति गंगेले के बीच हुई उक्त उल्लिखित बातचीत परिवादी के स्थानांतरण से संबंधित थी। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि वे न्यायमूर्ति गंगेले को जबलपुर में अपनी वकालत के दिनों, शायद 1984 के बाद से, जानते हैं और वे दोनों एक दूसरे को बार के सदस्यों के रूप में जानते हैं। न्यायमूर्ति मेनन ने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति गंगेले को वर्ष 2004 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और एक ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के कारण उनकी मित्रता बरकरार रही। न्यायमूर्ति मेनन ने आगे बताया कि एक समय पर न्यायमूर्ति गंगेले ग्वालियर में प्रशासनिक न्यायाधीश थे और वे स्थानांतरण समिति का सदस्य होने के अलावा जबलपुर में मुख्य न्यायपीठ में थे और प्रशासनिक समिति संख्या-I, प्रशासनिक समिति संख्या- II, बरहवें वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग और न्यायिक शिक्षा के अध्यक्ष भी रहे हैं।

53. संगत समय के दौरान न्यायमूर्ति गंगेले ग्वालियर न्यायपीठ में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश तथा प्रशासनिक न्यायाधीश थे। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने यह भी बताया कि ग्वालियर न्यायपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में जबलपुर की मुख्य न्यायपीठ में नियुक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के साथ बातचीत किया करते थे और इसी प्रकार से वे न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन जैसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ भी अकसर बातचीत किया करते थे। न्यायमूति गंगेले ने यह भी बताया कि वह विभिन्न समितियों जैसे प्रशासनिक समिति संख्या-I, ग्वालियर उच्च न्यायालय भवन समिति और उस समिति के भी सदस्य थे जो कि मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थायी बनाए जाने के लिए सिफारिश भेजती है और ऐसी अन्य कई समितियों के भी सदस्य थे। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने यह बताया कि वह न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन के साथ कई समितियों की कार्यप्रणाली तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर अक्सर बातचीत किया करते थे।

54. प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया कि दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2014 तक उन्होंने न्यायामूर्ति मेनन के साथ 41 बार बात की और न्यायमूर्ति मेनन ने उन्हें 37 बार कॉल किया। न्यायमूर्ति गंगेले और न्यायमूर्ति मेनन के बीच हुई बातचीत कुछ हद तक परिवादी के स्थानांतरण आदेश और

अभ्यावेदनों को खारिज़ किए जाने के समय काल के दौरान ही हुई। प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया गया था कि न्यायमूर्ति मेनन और प्रत्यर्थी न्यायाधीश का कई समितियों के सदस्य होने के नाते और प्रत्यर्थी न्यायाधीश का ग्वालियर न्यायपीठ का प्रशासनिक न्यायाधीश होने के कारण यह बातचीत उन समितियों अथवा अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित हो सकती है।

55. जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश जिला ग्वालियर के पोर्टफोलियो न्यायाधीश और ग्वालियर जोन के प्रशासनिक न्यायाधीश भी थे, प्रत्यर्थी को श्री कमल सिंह ठाकुर द्वारा परिवादी का स्थानांतरण किये जाने के प्रस्ताव के बारे में निश्चित रूप से पता था। प्रत्यर्थी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मेनन के बीच कतिपय समय अंतराल पर हुई बातचीत में से कुछ बातचीत परिवादी के स्थानांतरण आदेश दिए जाने और उसके अभ्यावेदनों पर विचारण के दौरान हुई। इस कॉल ब्यौरे रिकॉर्ड का एक ही समय पर होना प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी के स्थानांतरण और उसके अभ्यावेदनों को खारिज करने में हस्तक्षेप करने का संकेत देता है। हो सकता है कि प्रत्यर्थी के दिमाग में श्री कमल सिंह ठाकुर और जिला रजिस्ट्रार श्री नवीन शर्मा द्वारा परिवादी के बारे में गलत धारणा उत्पन्न करने के कारण उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया हो। वस्तुतः साक्ष्यों को रिकॉर्डबद्ध करने के दौरान इस समिति ने यह नोटिस किया कि श्री कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.4)** और श्री नवीन शर्मा **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.8)** प्रश्नों का जवाब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहे थे और बचने का प्रयास कर रहे थे। वस्तुतः इस समिति ने राज्य सभा के द्वारा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से श्री नवीन शर्मा के विरुद्ध उनके आचरण को लेकर विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। जैसा कि आरोप संख्या-1 साबित नहीं हो पाया है तो परिवादी के मध्यावधि स्थानांतरण को आरोप संख्या-1 से जोड़ना संभव नहीं है। हमारे विचार से स्थानांतरण में प्रत्यर्थी न्यायाधीश का हस्तक्षेप मात्र इस आधार पर नहीं किया गया कि परिवादी ने न्यायाधीश प्रत्यर्थी की अनैतिक मांगों को मानने से इनकार कर दिया था।

56. परिवादी ने हमारे समक्ष यह बताया कि उसने न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल की सलाह पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक करने का प्रयास किया था लेकिन वह हो नहीं पायी। परिवादी के अनुसार नीचे लिखे कॉल ब्यौरे से यह पता चलता है कि परिवादी ने 10.07.2014 और 17.07.2014 के बीच में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य

निजी सचिव (पीपीएस) श्री वी.बी. सिंह को कॉल तथा मैसेज द्वारा बार-बार संपर्क किया गया। परिवादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में ग्वालियर से जबलपुर के लिए उसकी 10.07.2014, 11.07.2014, 12.07.2014, 14.07.2014 और 15.07.2014 की तिथियों पर यात्रा के लिए आरक्षित की गई रेल टिकटों की मूल प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

57. जहां तक परिवादी द्वारा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से मिलने के असफल प्रयास का संबंध है, परिवादी (8989826996), प्रत्यर्थी न्यायाधीश (9425322181) और मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस श्री वी.बी. सिंह (9425115362) के कॉल ब्यौरों का रिकॉर्ड निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है और सुसंगत है:-

<u>परिवादी और पीपीएस के बीच कॉल ब्यौरे का रिकार्ड</u>

किसके द्वारा	किसके साथ	तिथि	समय	अवधि (सेकंड)
पीपीएस 9425115362	परिवादी 8989826996	10.07.2014	18:18:52	1/एसमएस
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	10.07.2014	18:19:50	1/ एसमएस
पीपीएस 9425115362	परिवादी 8989826996	10.07.2014	18:25:10	5
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	10.07.2014	18:26:43	186
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	11.07.2014	08:27:27	62
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	13.07.2014	20:14:05	172
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	14.07.2014	09:01:04	1
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	16.07.2014	21:27:51	599
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	17.07.2014	09:20:55	458
परिवादी 8989826996	पीपीएस 9425115362	17.07.2014	20:31:48	217

58. मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस श्री वी.बी. सिंह ने अपने साक्ष्य में यह बताया है कि उन्हें 10.07.2014 से 04.08.2014 तक की अवधि के दौरान न्यायमूर्ति गंगेले से उनके मोबाइल या लैंडलाइन नंबर पर कोई कॉल प्राप्त नहीं हुई। यह कथन प्रस्तुत किए गए कॉल ब्यौरों के रिकॉर्ड से

झूठ सिद्ध होता है। 20.05.2014 से 20.07.2014 तक की अवधि के दौरान सीडीआर कॉल से यह पता चलता है कि उस अवधि के दौरान, जब परिवादी का स्थानांतरण किया गया था और उसने दो अभ्यावेदन दिए थे और अंत में अपना त्यागपत्र दे दिया था, की गई कॉल के ब्यौरे में उस अवधि के दौरान पीपीएस और न्यायमूर्ति गंगेले के बीच हुई कॉल भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति गंगेले और पीपीएस (**जेआईसी डब्ल्यू.सं.9**) के बीच कॉल ब्यौरों का रिकार्ड निम्नलिखित है:

<u>पीपीएस और न्यायमूर्ति गंगेले के बीच कॉल ब्यौरे का रिकार्ड</u>

किसके द्वारा	किसके साथ	तिथि	समय	अवधि (सेकंड)
पीपीएस 9425115362	गंगेले, जे. 9425322181	10.07.2014	10:12:01	31
गंगेले, जे. 9425322181	पीपीएस 9425115362	16.07.2014	17:47:40	248
गंगेले, जे. 9425322181	पीपीएस 9425115362	16.07.2014	20:50:06	847
गंगेले, जे. 9425322181	पीपीएस 9425115362	17.07.2014	16:43:36	219
पीपीएस 9425115362	गंगेले, जे. 9425322181	17.07.2014	20:47:02	812
पीपीएस 9425115362	गंगेले, जे. 9425322181	20.07.2014	19:14:04	29

59. परिवादी ने 10 जुलाई, 2014 को सायं 6 बजकर 26 मिनट 43 सेकंड पर पीपीएस से संपर्क किया था। उसी दिन पीपीएस ने न्यायमूर्ति गंगेले को सुबह 10 बजकर 12 मिनट 1 सेकंड पर कॉल किया था। परिवादी ने पीपीएस से 13 जुलाई, 2014 को कॉल कर 172 सेकंड तक बात की थी। 15 जुलाई, 2014 को अपना त्यागपत्र देने के बाद उसने 16 जुलाई, 2014 को रात्रि 9 बजकर 27 मिनट 51 सेकंड पर पीपीएस को फिर कॉल किया था और उनसे 599 सेकंड तक बात की थी। उसी दिन न्यायमूर्ति गंगेले ने पीपीएस से सायं 5 बजकर 47 मिनट 40 सेकंड पर 248 सेकंड तक और रात्रि 8 बजकर 50 मिनट 6 सेकंड पर 847 सेकंड तक बात की थी। कॉल ब्यौरे के रिकार्ड के अनुसार परिवादी का दावा यह है कि जब वह पीपीएस से मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय लेने के लिए बात कर रही थी तो न्यायमूर्ति गंगेले ने पीपीएस से बात करने की कोशिश की ताकि वह परिवादी को मुख्य न्यायाधीश से मिलने से रोक सके। परिवादी द्वारा पीपीएस की प्रतिपरीक्षा के

दौरान पीपीएस **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.9)** को यह बताया कि त्यागपत्र के बाद भी परिवादी ने पीपीएस को कई बार और विशेष रूप से 16.07.2014 को (रात्रि 9 बजकर 27 मिनट 51 सेकंड-599 सेकंड) कई बार कॉल किया और उसने पीपीएस को उन बाध्यकारी परिस्थितियों (यौन उत्पीड़न) के बारे में पीपीएस को बताया जो कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा उनके लिए पैदा की गई थी जिससे उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा और परिवादी ने पीपीएस से अनुरोध किया कि वह ये बातें मुख्य न्यायाधीश को बताएँ और उसने मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय भी मांगा। पीपीएस **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.9)** ने इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया तथा श्री वी.बी. सिंह **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.9)** ने बताया कि परिवादी ने उनसे मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय केवल इसलिए मांगा था ताकि वह अपने असामयिक हुए स्थानांतरण के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कर सके।

60. परिवादी ने 17 जुलाई, 2014 को पीपीएस से सुबह 9 बजकर 20 मिनट 55 सेकंड पर 458 सेकंड तक और दोबारा रात्रि 8 बजकर 31 मिनट 48 सेकंड पर 217 सेकंड तक बात की। उसी दिन न्यायमूर्ति गंगेले ने पीपीएस को सायं 4 बजकर 43 मिनट 36 सेकंड पर (219 सेकंड) और रात्रि 8 बजकर 47 मिनट 2 सेकंड पर (812 सेकंड) कॉल की। इन कॉलों का समय और अवधि यह दर्शाती है कि जब-जब परिवादी ने मुख्य न्यायाधीश से मिलने के लिए पीपीएस को कॉल की तो न्यायमूर्ति गंगेले ने भी पीपीएस को कॉल की थी।

61. पीपीएस को कॉल किए जाने के बारे में प्रश्न किये जाने पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया कि विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस को उनके द्वारा कॉल किया जाना एक सामान्य बात थी। पीपीएस को कॉल किए जाने या पीपीएस द्वारा उन्हें कॉल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने बताया कि *"उनके द्वारा प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस को कॉल करना सामान्य बात थी"।* प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने इसके आगे यह बताया कि *"दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2014 तक उन्होंने पीपीएस को 60 बार कॉल किया और पीपीएस ने उन्हें 47 बार कॉल किया"* और उन दोनों ने एक-दूसरे को मोबाइल पर कॉल किया। इस तथ्य को समिति के समक्ष लाया गया है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा पीपीएस को की गई तथा पीपीएस द्वारा प्रत्यर्थी न्यायाधीश को की गई कॉलें 10.07.2014 से 20.07.2014 तक की उस अवधि से संबंधित हैं, जिस अवधि के दौरान परिवादी

मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलने का प्रयास कर रही थीं। यहां पर एक बार फिर से पीपीएस को की गई कॉलों के समय से यह संकेत मिलता है कि प्रत्यर्थी या तो परिवादी की अनुवर्ती-कार्रवाई को जानने के लिए या फिर परिवादी मुख्य न्यायाधीश से न मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए पीपीएस से बात कर रहे थे। यहां पर एक बार फिर से प्रत्यर्थी न्यायाधीश के इस प्रकार का हस्तक्षेप या आचरण को दुर्व्यवहार नहीं माना जा सकता है और न ही इसे आरोप संख्या 1 के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, जो कि साबित नहीं हुआ है।

ई. निष्कर्ष

62. उक्त चर्चा से यह बात उभर कर आती है कि परिवादी को ग्वालियर जिले से सीधी जिले में स्थानांतरित किए जाने का स्थानांतरण समिति का निर्णय तत्कालीन जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.4)** द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था जिनके पास यह विश्वास करने के अपने कारण थे कि (i) परिवादी को अपने कर्मचारियों और प्रतिस्थानिक कर्मचारियों को न दिए जाने के संबंध में अनावश्यक शिकायतें करने की आदत थी; (ii) वह अन्य न्यायाधीशों और विशेषकर सिविल न्यायाधीशों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं किया करती थी; (iii) उसने जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ गुमनाम शिकायतें भेजी और सार्वजनिक रूप से यह कहा कि पिछले जिला न्यायाधीश के मुकाबले वर्तमान जिला न्यायाधीश के पास पर्याप्त प्रशासनिक कौशल नहीं हैं और इसलिए उसका स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर किया जाना चाहिए। स्थानांतरण समिति ने जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर की सिफारिश पर ही पूरी तरह से भरोसा करके और उसकी कोई पुष्टि या जाँच किए बिना इस मामले में अनियमितता बरती है और परिवादी का सत्र के बीच में ही स्थानांतरण किया जाना न्यायोचित नहीं था। उसके अभ्यावेदनों को खारिज किया जाना भी उतना ही न्यायोचित नहीं था। परिवादी का स्थानांतरण प्रशासन के हित में किया जाना भी प्रतीत नहीं होता है और हमारे विचार से यह दंडात्मक था।

63. विचारण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी के स्थानांतरण में हस्तक्षेप किया था। विचारण का दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का हस्तक्षेप परिवादी को उनकी अनैतिक मांगों को न मानने के कारण उसे उत्पीड़ित करने के लिए किया गया था। प्रत्यर्थी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मेनन के बीच कॉल ब्यौरे के रिकार्ड का समय और स्थान में समकालिक होना और परिवादी का स्थानांतरण किए जाने में घटनाओं की तीव्रता और उसके अभ्यावेदनों को तत्काल खारिज किया जाना इस बात का संकेत करते हैं कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी के स्थानांतरण और परिवादी के अभ्यावेदनों को खारिज किए जाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। चूंकि आरोप संख्या-1 साबित ही नहीं हुआ है, इसलिए प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी के स्थानांतरण में हस्तक्षेप को आरोप संख्या 1 के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए यह निर्णय दिया जाता है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश का हस्तक्षेप उसकी अनैतिक मांगों को न मानने के आधार पर सिद्ध नहीं होता है।

64. प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही एक महाभियोग की कार्यवाही होने के कारण यह निर्णय दिए जाने के लिए उच्च स्तर के साक्ष्यों की आवश्यकता है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी का उत्पीड़न किया और ग्वालियर से उसके स्थानांतरण को सुनिश्चित किया। न्यायाधीश को हटाया जाना अत्यंत गंभीरता का विषय है। संवैधानिक पद पर आसीन न्यायाधीश को दिए गए संरक्षण का विशिष्ट उद्देश्य होता है। किसी न्यायाधीश को भ्रष्टाचार अथवा यौन उत्पीड़न जैसे आरोपों के आधार पर हटाए जाने से वह न्यायाधीश न केवल व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं अपितु इससे न्यायापालिका की प्रतिष्ठा पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है, अतः इसके लिए अत्यंत पुख्ता साक्ष्य की आवश्यकता है।

65. परिवादी के स्थानांतरण में प्रत्यर्थी न्यायाधीश का हस्तक्षेप एक अनुचित आचरण हो सकता है। लेकिन इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के साथ पठित अनुच्छेद 124 (4) के अंतर्गत 'दुर्व्यवहार' नहीं माना जाएगा। जैसा कि सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्य और अन्य 1995 (5) एससीसी 457 में निर्णय दिया गया "......एक न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में कोई चूक या प्रत्येक कार्य जो कि अनिवार्यतः अच्छा व्यवहार नहीं है, उसे महाभियोग द्वारा दुर्व्यवहार अभ्यारोपित नहीं किया जाए......." समिति का यह विचार है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी के स्थानांतरण में हस्तक्षेप को 'दुर्व्यवहार', जिससे

कि महाभियोग की कार्रवाई की जा सके, नहीं माना जा सकता है। यह कहा जाता है कि आरोप संख्या-3 सिद्ध नहीं होता है।

एफ. एक न्यायिक अधिकारी के रूप में परिवादी के अनुचित स्थानांतरण किए जाने के संबंध में समिति की समुक्तिः

66. परिवादी की एसीआर और उसके कार्य निष्पादन से हम पाते हैं कि वह एक अच्छी अधिकारी हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवादी के बारे में श्री कमल सिंह ठाकुर और जिला रजिस्ट्रार श्री नवीन शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय में तथा प्रत्यर्थी न्यायाधीश के मन में गलत धारणाएं पैदा की गईं। अतः इस बात की संभावना है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश के मन में परिवादी के लिए गलत धारणा बन गई हो और यह धारणा विशेषकर तब बनी हो जब वह न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल से एक या किसी अन्य कारण से संपर्क कर रहीं थीं। परिणामतः प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा परिवादी के स्थानांतरण के लिए कोशिश करने के बाद परिवादी का स्थानांतरण सीधी में कर दिया गया। इन परिस्थितियों में परिवादी के पास अपना त्यागपत्र देने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था क्योंकि उनकी बड़ी बेटी 12वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा देने जा रही थी। इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि परिवादी का सीधी में स्थानांतरण किए जाने से उनके लिए सेवा को जारी रखना असहनीय हो गया और इसी कारण से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। जहां तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का सरोकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बिना समिति का यह विचार है कि परिवादी के स्थानांतरण में मानवीय पक्ष की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। समिति का यह विचार है कि न्याय के हित में यदि परिवादी सेवा में दोबारा आना चाहती हैं तो परिवादी को सेवा में वापस बहाल किया जाना होगा। हम इस बात से वाकिफ हैं कि उक्त विचार हमारे निर्णय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

****

भाग-IV

आरोप संख्या 3 - परिवादी को उत्पीड़ित किए जाने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का उपयोग करते हुए पद का दुरूपयोग किए जाने के आरोपों के संबंध मेंः

(iii) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में उक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उत्पीड़ित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का उपयोग करने में अपने पद का दुरूपयोग करना

उक्त आरोप के समर्थन में आधारः-

(iv) कि इस तथ्य के कारण कि सुश्री मदान द्वारा आपके अर्थात् न्यायमूर्ति एस.के. गंगेले द्वारा प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में आपके प्रस्ताव का जवाब न दिए जाने के कारण अप्रैल 2014 के बाद से सुश्री मदान को गहन निगरानी और प्रताड़न का शिकार बनना पड़ा जैसा कि सुश्री मदान के दिनांक 31 अगस्त 2015 के शपथ पत्र के पैरा 18 से 24 में बताया गया है, जो कि सुश्री मदान का उत्पीड़न है और उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में आपकी स्थिति के दुरूपयोग का मामला है।

(v) कि मई 2014 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान आपने, न्यायमूर्ति एस.के. गंगेले ने सुश्री मदान को पूरा कार्यालय स्टाफ देने से इन्कार करके उनका उत्पीड़न किया जैसा कि सुश्री मदान के दिनांक 31 अगस्त 2015 के शपथ पत्र के पैरा 26 से 35, पैरा 40 और पैरा 46 से 47 में बताया गया है, जो कि सुश्री मदान का उत्पीड़न है और उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में आपकी स्थिति के दुरूपयोग का मामला है।

अनुक्रमणिका

क्रमांक सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
ए.	साक्षियों की सूची और संबंधित अभियोगों पर चर्चा के उद्देश्य के लिए सुसंगत दस्तावेज	131-133
बी.	पृष्ठभूमि तथ्य	133-135
सी.	उनकी पात्रता के अनुसार चपरासियों का आवंटन न	135-140

	किए जाने / प्रतिनियुक्ति न किए जाने का आरोप	
डी.	परिवादी के आशुलिपिक को कार्य के लिए अन्य न्यायालय में प्रतिनियुक्त किए जाने का आरोप	141-146
ई.	बारंबार निरीक्षण द्वारा अभिकथित गहन निगरानी	147-154
एफ.	निष्कर्ष	154

ए. साक्षियों की गवाही और वह दस्तावेज जो परिवादी को उत्पीड़ित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का उपयोग करके पद का दुरूपयोग करने में अभिकथित अभियोगों पर चर्चा के लिए सुसंगत हैं:-

साक्षी	सुसंगत दस्तावेज
परिवादी के साक्षी: 1. परिवादी, **(सी.डब्ल्यू. सं.1)** जेआईसी के साक्षी: 1. श्री राजीव शर्मा, तत्कालीन जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जिला न्यायालय, ग्वालियर **(जेआईसी डब्ल्यू. सं.3)** **2.** श्री कमल सिंह ठाकुर, तत्कालीन मुख्य जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय, ग्वालियर, **(जेआईसी डब्ल्यू. सं.4)** 3. नवीन शर्मा, जिला रजिस्ट्रार 4. श्री आशा राम, चपरासी जो कि उस समय परिवादी के साथ तैनात था 5. न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी के साक्षी: 1. न्यायमूर्ति गंगेले **(आर.डब्ल्यू.1)**	2. श्री राजीव शर्मा, जेआईसी.डब्ल्यू.सं.3 द्वारा महारजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को संबोधित पत्रांक संख्या 188/विज./4 दिनांक 15 मई, 2014 को **एक्स. जेआईसी/1** के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। 3. सुश्री एबीसी सहित तीन न्यायिक अधिकारियों की जमानत अर्जियों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबोधित पत्रांक दिनांक 7 जुलाई, 2014 को **एक्स. जेआईसी/2** के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। 4. सुश्री एबीसी की जमानत अर्जियों पर श्री राजीव शर्मा, जेआईसी.डब्ल्यू. सं.3 द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2014 को भेजी गई रिपोर्ट को **एक्स. जेआईसी/4** के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। 5. सुश्री एबीसी **एक्स. जेआईसी/5** द्वारा दिए गए अभ्यावेदन सह न्याय की मांग पत्र पर श्री राजीव शर्मा का प्रत्युतर। 6. 24 मार्च, 2014 और 15 सितंबर, 2014 के बीच श्री राजीव शर्मा द्वारा किए गए निरीक्षणों का सारांश जिसे अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। **(एक्स. जेआईसी/5)** 7. श्री राजीव शर्मा द्वारा महारजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश

	उच्च न्यायालय को संबोधित पत्र संख्या 277/14 दिनांक 14 जुलाई, 2014 **(एक्स. जेआईसी/7**) 8. न्यायमूर्ति गंगेले के मोबाइल संख्या 9425322181 के कॉल ब्यौरों के रिकार्ड के विवरण का उल्लेख जेआईसी/8(ए), जेआईसी/8(बी) और जेआईसी/8(सी) के रूप में किया गया। **(एक्स. जेआईसी/8**) 9. सुश्री एबीसी द्वारा जिला नजीर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को लिखा गया पत्र दिनांक 2 जुलाई, 2014। **(एक्स. जेआईसी/9**) 10. सुश्री शेफाली गोम्स, कोर्ट मैनेजर द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्यालय टिप्पण दिनांक 9 मई, 2014 **(एक्स. जेआईसी/**10) 11. दिनांक 1 मार्च, 2014 से 30 जून, 2014 तक ग्वालियर के सभी न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों का ब्यौरा जो कि लोक सूचना अधिकारी/ न्यायिक अधीक्षक, जिला न्यायालय, ग्वालियर से दिनांक 11.05.2016 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।**(एक्स. जेआईसी/11**) 12. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई जिला न्यायालय, ग्वालियर के मई 2014 के महीने की दैनिक उपस्थिति पंजिका। **(एक्स. जेआईसी/12**) 13. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया गया दिनांक 5 मई, 2014 से 14 मई, 2014 तक किए गए कार्य के आवंटन के रजिस्टर का सार। **(एक्स. जेआईसी/13**) 14. जेआईसी डब्ल्यू. 4 द्वारा जबलपुर में महारजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ को संबोधित उच्च न्यायालय को हिन्दी में भेजा गया पत्र दिनांक 03.07.2014 **(एक्स. जेआईसी/14**) 15. दिनांक 01.04.2014 से 15.07.2014 तक की अवधि के दौरान ग्वालियर जिला न्यायालय कॅम्प्लैक्स में चपरासियों की उपलब्धता / स्थिति **(एक्स. जेआईसी/15**)

	16. चपरासियों की तैनाती से संबंधित आदेश दिनांक 23 जून, 2014 (**एक्स. जेआईसी/16**) 17. सुश्री एबीसी द्वारा सुश्री शेफाली गोम्स, कोर्ट मैनेजर के विरुद्ध शिकायत के लिए जिला न्यायाधीश को संबोधित पत्र दिनांक 12 मई, 2014 (**एक्स. जेआईसी/17**) 18. सुश्री एबीसी द्वारा बंगले में चपरासी देने का अनुरोध करते हुए जिला न्यायाधीश को संबोधित पत्र दिनांक 20 मई, 2014 (**एक्स. जेआईसी/18**) 19. शिकायत में दर्ज किया गया अनुलग्नक 12 जो कि जेआईसी डब्ल्यू सं.5 और सुश्री एबीसी के मोबाइल नंबरों से संबंधित टेलिफोन कॉलों का सार बताया गया है। (**एक्स. जेआईसी/19**) 20. जून 2014 के महीने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई जिला न्यायालय ग्वालियर के श्रेणी-III कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति पंजिका का सार (**एक्स. जेआईसी/20**) 21. जुलाई 2014 के महीने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई जिला न्यायालय ग्वालियर के श्रेणी-III कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति पंजिका का सार (**एक्स. जेआईसी/21**) 22. सुश्री एबीसी के लिए दैनिक आधार पर दो घंटे के लिए एक प्रतिस्थानिक चपरासी की तैनाती जो कि जेआईसी डब्ल्यू सं. 4 श्री कमल सिंह ठाकुर की लेखनी में पारित आदेश द्वारा की गई (**एक्स. जेआईसी/22**)

बी. पृष्ठभूमि तथ्य

1. परिवादी का आरोप है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार चपरासी और अन्य आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध न करवाकर श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश (जेआईसी डब्ल्यू.सं.4) और श्री नवीन शर्मा, जिला रजिस्ट्रार (जेआईसी डब्ल्यू.सं.8) के द्वारा प्रताड़ित करवाया करते थे ताकि वह अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक न कर सके और जिसके कारण प्रतिकूल कार्य परिस्थितियां पैदा हो रही थी। परिवादी ने आगे यह आरोप भी लगाया

कि बारंबार निरीक्षण द्वारा उसकी लगातार निगरानी की जाती थी। यह परिवादी का आरोप है कि प्रत्यर्थी की बात न मानने के परिणामस्वरूप उसे उक्त उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

2. परिवादी का आरोप है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश परिवादी को उत्पीड़ित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका के उपयोग के द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उसे अपने दायित्वों को पूरा न करने देने में तीन प्रकार से अपने पद का दुरूपयोग कर रहे थेः (i) अपर जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी पात्रता के अनुसार चपरासी देना/नियुक्त न करना (ii) जब वह अवकाश पर थी और विशेषकर 09.05.2014 को उनके आशुलिपिक और अन्य कर्मचारियों को पूरे दिन के लिए अन्य न्यायालयों में नियुक्त कर दिया गया जिससे उनको अपना आधिकारिक कार्य निष्पादन करने के लिए कर्मचारी नहीं मिले; और (iii) परिवादी पर विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों के द्वारा कड़ी निगरानी रखी गई। परिवादी द्वारा कर्मचारियों की समस्या के चलते प्रतिकूल कार्य परिवेश के बारे में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए श्री कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.4)**, श्री नवीन शर्मा **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.8)**, न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.6)** और न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल के भाई तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि जायसवाल **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.5)** के साक्ष्यों के मद्देनजर उनके आरोपों पर विचार करना आवश्यक है।

3. श्री कमल सिंह ठाकुर **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.4)** ग्वालियर के तत्कालीन जिला न्यायाधीश थे और उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायिक कार्यों के अलावा उन्हें न्यायालयों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को भी देखना पड़ता था। उन्होंने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का अधीक्षण किया तथा उनमें कार्य वितरित भी किया। जिला न्यायाधीश के रूप में उन्हें न्यायिक अधिकारियों को कर्मचारियों के आवंटन, न्यायिक अधिकारियों को अवकाश की स्वीकृति देने, यात्रा भत्ता और मेडिकल बिलों की मंजूरी देने, न्यायिक अधिकारियों के मामलों के मासिक निपटान की समीक्षा करने, जनवरी के महीने में अपर जिला न्यायाधीशों सहित सभी न्यायिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को अभिलिखित करने और अधीक्षक, कोर्ट मैनेजर, मुख्य लिपिकों द्वारा भेजे गए एवं सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मंडल) के रैंक के जिला रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए टिप्पण के आधार पर न्यायालय तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए कर्मचारियों (चपरासी, आशुलिपिक, टंकक इत्यादि) के आवंटन एवं उनके स्थानांतरण करने के भी प्रभारी थे।

4. जिला रजिस्ट्रार, ग्वालियर श्री नवीन शर्मा, (जेआईसी डब्ल्यू.सं.8) एक सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मंडल) थे और अपने न्यायिक कार्य के साथ-साथ जिला रजिस्ट्रार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। जिला रजिस्ट्रार सभी प्रशासनिक इन्तजामों के लिए तथा जिला न्यायाधीश के आदेशों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी थे।

5. श्री नवीन शर्मा ने अपने साक्ष्य में यह बताया है कि परिवादी द्वारा कर्मचारियों से संबंधित उठाए गए मुद्दे, "कुछ कर्मचारियों के अवकाश पर जाने और प्रतिस्थानिक कर्मचारी नियुक्त न किए जाने तथा कर्मचारियों के आवंटन से संबंधित विषयों" से संबंधित थे। यद्यपि श्री नवीन शर्मा **(जेआईसी डब्ल्यू.सं.8)** द्वारा अपने साक्ष्य में यह बयान दिया गया है कि उनके दायित्वों में कर्मचारियों की नियुक्ति और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उनका स्थानांतरण किया जाना शामिल है, उन्होंने बताया है कि जब कभी किसी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों को अवकाश पर जाना होता था तब उन्हें किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय के किसी आशुलिपिक को किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधीश के पास भेजने का कोई प्राधिकार नहीं था। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इस प्रकार के कार्य भार या कार्य के आवंटन को कोर्ट मैनेजर द्वारा उनकी जानकारी में लाया जाता था और इस विषय में वह निर्णायक प्राधिकारी नहीं थे।

सी. परिवादी की पात्रता के अनुसार चपरासी का आवंटन/तैनाती न किए जाने के आरोप के संबंध में

6. जैसा कि परिवादी के 31 अगस्त, 2015 के शपथ-पत्र में उल्लेख किया गया है, उनकी शिकायत यह है कि 12 मई, 2014 को उनके कार्यालयी चपरासी (श्री असगर खान) को कैंसर रोग से ग्रस्त होने का पता चला और वह मुम्बई में उसका उपचार कराने के लिए (12 मई, 2014 से) चिकित्सा अवकाश पर चले गए। परिवादी का कथन यह है कि आवास स्थित कार्यालय में असगर खान के स्थान पर किसी अन्य चपरासी की तैनाती नहीं की गई जबकि चपरासी उपलब्ध थे। परिवादी ने अपने शपथ-पत्र में कहा है कि चूंकि उनके मौखिक अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया, अतः उन्हें बाध्य होकर आवास स्थित कार्यालय के लिए चपरासी उपलब्ध कराने के लिए जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर को पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि 'पूल' में अधिशेष स्टॉफ उपलब्ध था। दिनांक 22 मई, 2014 के आदेशानुसार, परिवादी को आवास स्थित कार्यालय में एक चपरासी उपलब्ध कराया गया जिसे मध्याह्न पूर्व 9.00 बजे से मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक कार्य के लिए

रिपोर्ट करना था, जबकि परिवादी के अनुसार वह आवास स्थित कार्यालय के लिए एक पूर्णकालिक चपरासी की हकदार थीं। चूंकि परिवादी की एक शिकायत यह भी है कि चपरासी का आवंटन न करके उनका उत्पीड़न किया गया, अतः समिति के साक्षी के रूप में जिला न्यायाधीश, श्री कमल सिंह ठाकुर का परीक्षण किया गया ताकि परिवादी द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सत्यनिष्ठा की पड़ताल की जा सके।

7. श्री ठाकुर **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4]** के अनुसार परिवादी संभवतया 19 या 20 मई, 2014 को चपरासी संबंधी अपनी समस्या के संबंध में उनसे उनके कक्ष में मिली थीं, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई पहले से समय नहीं लिया था। उनके द्वारा दिए गए लिखित अनुरोध के संबंध में कार्यालय अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया था कि कोई भी अतिरिक्त चपरासी उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात् श्री ठाकुर ने संबद्ध अपर जिला न्यायाधीश, जो कि उस समय नज़ारत अनुभाग के प्रभारी भी थे, से चपरासी की उपलब्धता का पता लगाने के लिए फाइल पर टिप्पण भी किया था। उनके समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि, चूंकि सात से आठ नये न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, अतः सभी उपलब्ध चपरासियों की तैनाती उनके साथ कर दी गयी और एक चपरासी, जिसे राजगढ़ जिले से स्थानान्तरित किया गया था, को पुस्तकालय एवं अभिलेख अनुभागों का कार्य करना था। उन्होंने यह निदेश दिया कि, दिनांक 22.05.2014 के आदेशानुसार, उपरोक्त चपरासी को प्रतिदिन दो घंटे के लिए परिवादी के आवास स्थित कार्यालय में तैनात किया जाए और 1 जुलाई, 2014 से एक पूर्णकालिक चपरासी, श्रीमती मोहिनी शर्मा, को परिवादी के साथ तैनात किया जाए। उनका यह कहना था कि एक अपर जिला न्यायाधीश की पात्रता केवल दो चपरासी रखने की होती है जो कि न्यायालय के साथ संलग्न रहते हैं और उन्होंने परिवादी की शिकायत के दो या तीन दिन के भीतर दिनांक 22 मई, 2014 के आदेश द्वारा उनके आवस स्थित कार्यालय पर (प्रतिदिन दो घंटे के लिए) चपरासी की तैनाती करके वैकल्पिक व्यवस्था की थी और यह व्यवस्था 1 जुलाई, 2014 को परिवादी को पूर्णकालिक चपरासी आवंटित किए जाने तक जारी रही।

8. जब परिवादी, श्री कमल सिंह ठाकुर **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4]** से उनके कक्ष में मिली थीं और उन्होंने कार्यालय अधीक्षक को बुलाकर इस मामले को निपटाने का प्रयास किया था तो, श्री ठाकुर के अनुसार, उन्हें उस समय चपरासियों की उपलब्धता की स्थिति की जानकारी नहीं थी।

नज़ारत अनुभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें पता चला कि राजगढ़ जिले से एक चपरासी को ग्वालियर स्थानान्तरित किया गया है और उसे पुस्तकालय एवं अभिलेख अनुभागों में कार्य करने हेतु तैनात किया गया है, और दिनांक 22.05.2014 के आदेशानुसार, उक्त चपरासी को 22 मई, 2014 से परिवादी के आवास पर रिपोर्ट करने के निदेश दिए गए।

9. जहाँ तक कर्मचारियों से जुड़े मामलों का संबंध है, परिवादी ने अपने शपथ-पत्र में कहा है कि जिस तरह से अधिशेष कर्मचारी उपलब्ध होने के बावजूद, उन्हें कर्मचारी का आवंटन नहीं किया गया, उससे उन्होंने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि श्री कमल सिंह ठाकुर ने उन्हें उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खराब कर देने की धमकी भी दी और यह भी कहा कि यदि उन्हें प्रशासन से संबंधित कोई शिकायत है तो वह प्रशासनिक न्यायाधीश से शिकायत कर सकती हैं। परिवादी ने आगे आरोप लगाया है कि उनके और जिला न्यायाधीश के बीच जो कुछ भी घटित हुआ, उसे देखते हुए उन्होंने उस पर पुनर्विचार किया और 30 मई, 2014 को संविभाग न्यायाधीश, अर्थात् न्यायमूर्ति गंगेले से फोन पर बात करने का निर्णय लिया। परिवादी ने आगे आरोप लगाया है कि उन्होंने श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश [जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4] द्वारा दी गई कथित धमकी के विषय में और बिना किसी गलती के उन्हें प्रताड़ित किए जाने के कारणों के विषय में प्रत्यर्थी न्यायाधीश को सूचित किया। परिवादी ने बताया कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उन्हें सूचित करते हुए यह उत्तर दिया कि वह शहर से बाहर हैं और उस समय उससे बात नहीं कर सकते हैं। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि उन्होंने परिवादी को बताया था कि वह अवकाश पर हैं और ग्वालियर से बाहर हैं तथा ग्वालियर वापस आकर उनसे बात करेंगे। परिवादी और उनके पति 01.06.2014 को न्यायमूर्ति पी. के. जायसवाल से जबलपुर में उनके पारिवारिक निवास पर मिले और उन्हें स्टाफ संबंधी समस्या से अवगत कराया। तब न्यायमूर्ति श्री पी. के. जायसवाल ने परिवादी से यह कहा कि वह प्रत्यर्थी न्यायाधीश से बात करेंगे। परिवादी 01.06.2014 से 15.06.2014 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चली गईं। तत्पश्चात् 29.06.2014 को परिवादी और उनके पति ने अपनी स्टाफ संबंधी शिकायत के बारे में बातचीत करने के लिए प्रत्यर्थी न्यायाधीश से ग्वालियर स्थिति उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की।

10. श्री कमल सिंह ठाकुर ने अपने अभिसाक्ष्य में यह पूर्णतः स्वीकार किया है कि जून, 2014 के अंतिम सप्ताह में, न्यायमूर्ति गंगेले ने उन्हें फोन किया था और परिवादी के समक्ष पेश आ रही चपरासी संबंधी समस्या के बारे में पूछा था, और उन्होंने प्रत्यर्थी न्यायाधीश को, चपरासियों की अनुपलब्धता के विषय में तथा प्रतिदिन दो घंटे के लिए चपरासी की तैनाती किए जाने की अपनी वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में अवगत करा दिया था। उस समय श्री कमल सिंह ठाकुर ने प्रत्यर्थी न्यायाधीश को यह विश्वास भी दिलाया था कि जल्दी ही एक पूर्णकालिक चपरासी की नियुक्ति कर दी जाएगी। श्री ठाकुर ने आगे यह स्वीकार किया है कि चूंकि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उनसे परिवादी के समक्ष पेश आ रही चपरासी संबंधी समस्या के विषय में पूछताछ की थी, अतः उन्होंने यह मान लिया था कि उनसे मौखिक शिकायत की गई है और उन्होंने तदनुसार परिवादी के लिए पूर्णकालिक चपरासी का आवंटन करने हेतु कदम उठाए।

11. यह प्रश्न किए जाने पर कि जब पहले वह पूर्णकालिक चपरासी की वैकल्पिक व्यवस्था करने में सक्षम नहीं थे, तो वह प्रत्यर्थी न्यायाधीश के हस्तक्षेप के 2-3 दिनों के भीतर एक पूर्णकालिक चपरासी की व्यवस्था करने में किस प्रकार सक्षम हो पाए, श्री ठाकुर ने उत्तर दिया कि चूंकि शिकायत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से की गई थी इसलिए उन्होंने अपनी साख और ग्वालियर जिले में अपने प्रशासन की छवि को बचाने के उद्देश्य से किसी अन्य अनुभाग से एक चपरासी को वापस लेकर परिवादी को एक पूर्णकालिक चपरासी आवंटित कर दिया। उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि उन्होंने स्वतः यह व्यवस्था नहीं की थी क्योंकि इससे अनुभाग का कार्य प्रभावित होता।

12. जहां तक 1 अप्रैल, 2014 से 15 जुलाई, 2014 तक की अवधि के दौरान ग्वालियर जिला न्यायालय में चपरासियों की उपलब्धता की स्थिति का संबंध है, परिवादी ने हमारे समक्ष ग्वालियर जिला न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से उन्हें प्राप्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है और इस दस्तावेज को **एक्स. जेआईसी/15** के रूप में अभिचिह्नितकिया गया है। परिवादी के अनुसार मामला यह है कि **एक्स. जेआईसी/15** के अनुसार यद्यपि उनसे कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के पास चपरासियों की नियुक्ति की गई थी, परंतु उनके पास किसी भी चपरासी की नियुक्ति नहीं की गई थी। प्रति-परीक्षा के दौरान श्री कमल सिंह ठाकुर ने बताया कि तेरह चपरासियों में से एक चपरासी को परिवादी के घर पर तैनात किया गया था और उक्त चपरासी रोगग्रस्त था तथा उसने

लंबे अवकाश के लिए आवेदन किया था इसलिए परिवादी को परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां तक शेष चपरासियों का संबंध है, साक्षी ने यह बताया कि उन्हें लगभग तीन मंजिला न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखने तथा उसके रख-रखाव का काम सौंपा गया था और उन्हें न्यायालय में कॉलिंग का नियमित कार्य करने वाले चपरासियों द्वारा अवकाश लिए जाने की स्थिति में कॉलिंग का काम भी करना पड़ता है। जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि क्या वह परिवादी के पास भी इन बारह चपरासियों में से एक चपरासी को नियुक्त कर सकते थे, जैसाकि उन्होंने अन्य अधिकारियों के मामले में किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह ऐसा कर सकते थे। परंतु तथ्य यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कमल सिंह ठाकुर ने यह बात उनकी व्यक्तिगत जानकारी में लाए जाने के उपरांत ही कुछ कदम उठाए। उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जिला न्यायालय, ग्वालियर के अभिलेखों से उक्त बातों पर विचार करने के उपरांत और श्री कमल सिंह ठाकुर दिए गए अभिसाक्ष्य को पढ़ने के उपरांत हम इस बात से सहमत हैं कि चपरासी का आवंटन एक नियमित प्रकृति का मामला है और प्रशासन का प्रभारी होने के नाते जिला न्यायाधीश के सम्मुख कई बार चपरासियों की उपलब्धता की कमी या अतिरिक्त चपरासियों की तैनाती के मामलों के कारण परेशानी उत्पन्न हो जाती है और कई बार वह न्यायिक अधिकारियों के अनुरोध को पूरा करने की स्थिति में नहीं होता है। इसका आशय यह नहीं है कि श्री कमल सिंह ठाकुर प्रत्यर्थी न्यायाधीश के आदेश पर परिवादी का उत्पीड़न कर रहे थे।

13. किसी कार्यालय के प्रत्येक अनुभाग/शाखा में चपरासियों की आवश्यकता सदैव महसूस की जाती है तथा वे किसी भी संस्थान के कार्यों में चौबीस घंटे लगे रहते हैं और वे किसी भी संस्थान का अभिन्न अंग होते हैं। उनकी आवश्यकता किसी भी फाइल को खोलने से लेकर उसको नष्ट किए जाने तक हर स्तर पर महसूस की जाती है। उन्हें डाक की डिलीवरी करने और पूरे परिसर की सफाई करने, झाड़-पोंछ करने, कॉलिंग का काम करने, अनुभागों के काम निपटाने, संबद्ध न्यायाधीश के आवास स्थित कार्यालय में काम करने जैसे रख-रखाव संबंधी अन्य कार्य भी करने होते हैं। प्रशासन के प्रभारी को चपरासियों की उपलब्धता और प्रशासन की अत्यावश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है।

14. चपरासी जिला न्यायालयों के अबाधित कार्यकरण में अभिन्न भूमिका निभाते हैं और प्रशासक को चपरासियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना होता है।

इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए परिवादी के इस आरोप को, कि चपरासी की नियुक्ति न करके उसका उत्पीड़न किया गया, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जिला न्यायाधीश ने परिवादी के अनुरोध पर तत्काल प्रयास किए। अभिलेखों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने परिवादी के अनुरोध को स्वीकार किया और एक पूर्णकालिक चपरासी नियुक्त करने के लिए प्रयास किए, यद्यपि आरंभ में एक चपरासी को प्रतिदिन केवल दो घंटे के लिए ही नियुक्त किया गया था। जब श्री कमल सिंह ठाकुर ने वास्तव में प्रयास किए, जो कि अभिलेख से तथा उनके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से स्पष्ट है, परिवादी द्वारा लगाए गए इस आरोप को स्वीकार कर पाना हमारे लिए कठिन है कि जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर द्वारा प्रत्यर्थी न्यायाधीश के आदेश पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। यह आरोप बिल्कुल अविश्वसनीय एवं अस्वीकार्य है कि एक प्रशासनिक न्यायाधीश, जो कि उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश भी है, बार-बार जिला न्यायाधीश के साथ केवल यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहा था कि परिवादी के पास किसी चपरासी की तैनाती न की जाए, वह भी केवल कुछ दिनों के लिए।

डी. परिवादी के आशुलिपिक को किसी अन्य न्यायालय में कार्य हेतु तैनात करके उत्पीड़न के आरोप के संबंध में

15. परिवादी का कथन यह है कि जब वह 9 मई, 2014 को अवकाश पर थीं तो उनका आशुलिपिक उसे दिए गए कार्य को इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी तैनाती XIIवें अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में कार्य करने हेतु कर दी गई थी। परिवादी ने कोर्ट मैनेजर, सुश्री शैफाली गोम्स से विरुद्ध लिखित शिकायत दी जिसने कथित रूप से उनके आशुलिपिक मोहित श्रीवास्तव को XIIवें अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में तैनात किया था, जिसके कारण आशुलिपिक, परिवादी द्वारा लिखवाए गए निर्णय का टंकण नहीं कर पाया। परिवादी ने यह आरोप लगाया है कि उनके अवकाश के दौरान उनके आशुलिपिक की तैनाती कार्यालय में प्रतिकूल माहौल उत्पन्न करके उनका उत्पीड़न करने के लिए की गई थी और ऐसा जिला न्यायाधीश तथा जिला रजिस्ट्रार नवीन शर्मा द्वारा जानबूझ कर किया गया। श्री ठाकुर ने यह स्पष्ट किया कि कोर्ट मैनेजर ने उन्हें सूचित किया था कि आशुलिपिक ने लंबित निर्णयों का टंकण किए जाने के कार्य के विषय में सूचना नहीं दी थी और इसलिए, संबद्ध आशुलिपिक को XIIवें अपर जिला न्यायाधीश के

न्यायालय में तैनात कर दिया गया क्योंकि उस न्यायालय का आशुलिपिक अवकाश पर था और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तो उस न्यायालय का कार्य प्रभावित हो सकता था।

16. परिवादी द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर कोर्ट मैनेजर से स्पष्टीकरण मांगा गया जिसमें उन्होंने यह बताया कि आशुलिपिक ने लंबित निर्णयों के टंकण के कार्य के संबंध में उल्लेख नहीं किया था और परिवादी के आशुलिपिक को XIIवें अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में इसलिए तैनात किया गया था क्योंकि उस न्यायालय का आशुलिपिक अवकाश पर था। श्री कमल सिंह ठाकुर **[जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4]** ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह कोर्ट मैनेजर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट थे क्योंकि जब कभी कोर्ट मैनेजर द्वारा कोई अस्थायी व्यवस्था की जानी होती है तो उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह उन कर्मचारियों के पास लंबित कार्य के विषय में सत्यापन करें जिन्हें अन्य न्यायालयों में तैनात किया जाना है। श्री ठाकुर के अनुसार, यह संबद्ध कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वे अन्य न्यायालयों में अपनी तैनाती की वजह से उस न्यायाधीश, जिसके पास वे तैनात है, को होने वाली असुविधा के विषय में अपनी कठिनाई को स्पष्ट करें। श्री ठाकुर ने बताया कि परिवादी के आशुलिपिक श्री मोहित श्रीवास्तव ने लंबित निर्णयों का टंकण किए जाने के कार्य के विषय में सूचना नहीं दी थी इसलिए उन्हें XIIवें अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में तैनात कर दिया गया। श्री ठाकुर ने इन कथनों का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि उन्होंने जानबूझ कर परिवादी के आशुलिपिक को पूरे दिन के लिए किसी अन्य न्यायालय में तैनात किया था। वस्तुतः, परिवादी के आशुलिपिक श्री मोहित श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। उक्त स्पष्टीकरण में श्री मोहित श्रीवास्तव ने यह कहा था कि परिवादी ने उन्हें एक निर्णय की डिक्टेशन दी थी जिसे पूरा किया जाना शेष था और यह बात उन्होंने अन्य न्यायालय में तैनात किए जाने से पहले सुश्री शैफाली गोम्स, कोर्ट मैनेजर को बता दी थी। श्री ठाकुर ने यह बात दोहराई कि जिस न्यायालय में श्री मोहित श्रीवास्तव को तैनात किया गया था उसमें दिनांक 05.05.2014 को बहुत सारे कर्मचारी अवकाश पर थे और इसीलिए, परिवादी के न्यायालय के आशुलिपिक को पूरे दिन के लिए वहां तैनात करना पड़ा।

17. परिवादी की ओर से हमारा ध्यान उस परिपत्र की ओर दिलाया गया जिसके अनुसार उस न्यायिक अधिकारी, जोकि अवकाश पर है, के कर्मचारियों को केवल आधा दिन के लिए तैनात किया जा सकता है, उससे अधिक समय के लिए नहीं। परिवादी द्वारा लगाए गए इस आरोप के

संबंध में कि उनके कर्मचारी को किसी अन्य न्यायालय में केवल आधा दिन के लिए तैनात किया जा सकता है, **जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4** ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि यद्यपि समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों से यह स्पष्ट होता है कि किसी ऐसे न्यायाधीश, जोकि अवकाश पर है, के पास तैनात आशुलिपिक को केवल आधा दिन के लिए ही किसी अन्य कार्य के लिए तैनात किया जा सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उसे पूरे दिन के लिए भी तैनात किया जा सकता है, जैसा कि परिवादी के आशुलिपिक के मामले में किया गया। श्री ठाकुर को यह सूचित किया गया कि उन्होंने कोर्ट मैनेजर सुश्री शेफाली गोम्स को जान बूझकर बचाया जबकि उन्होंने परिवादी के आशुलिपिक श्री मोहित श्रीवास्तव की तैनाती XIIवें अपर जिला न्यायाधीश (श्री उमेश श्रीवास्तव) के न्यायालय में करके परिपत्र का उल्लंघन किया था। परिवादी की ओर से यह आग्रह किया गया था कि उन्हें परेशान करने के लिए और अपने आधिकारिक कार्य को पूरा करने से रोकने के लिए परिपत्र का उल्लंघन करते हुए परिवादी के आशुलिपिक को जानबूझकर किसी अन्य न्यायालय में तैनात किया गया था। हमारे विचार से, इस दावे में कोई दम नहीं है। जिला न्यायालय प्रशासन के हित में कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने का अधिकार जिला न्यायाधीश को होता है। कोर्ट मैनेजर द्वारा प्रस्तुत किए गए टिप्पण के आधार पर, श्री ठाकुर, जिला न्यायाधीश ने परिवादी के आशुलिपिक की तैनाती XIIवें अपर जिला न्यायाधीश के पास की थी। परिपत्र केवल बेहतर प्रशासन की सुविधा हेतु जारी किए जाते हैं, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं की स्थिति में परिपत्र की उपेक्षा भी की जा सकती है।

18. हमें एक्स.जेआईसी/11 का अध्ययन भी कराया गया जोकि 1 मार्च, 2014 से 30जून, 2014 तक ग्वालियर के न्यायिक अधिकारियों का अवकाश संबंधी ब्यौरा है, जिसे पीआईओ/न्यायिक अधीक्षक, जिला न्यायालय, ग्वालियर से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। **एक्स. जेआईसी/13** सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त उन कर्मचारियों के कार्य आवंटन के रजिस्टर का सार है जो 5 मई, 2014 से 14 मई, 2014 तक ग्वालियर में तैनात थे। श्री कमल सिंह ठाकुर को **एक्स.जेआईसी/11** और **एक्स. जेआईसी/13** से रूबरू कराए जाने के उपरांत उनसे यह कहा गया कि अन्य न्यायिक अधिकारियों के कई आशुलिपिक/टंकक अवकाश पर थे परंतु जो कर्मचारी उपलब्ध थे उन्हें विभिन्न अनुभागों में तैनात किया गया। इस संबंध में उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा कि रिकॉर्ड **[एक्स. जेआईसी/13]** के अनुसार, जो न्यायिक

अधिकारी अवकाश पर थे उनके कर्मचारियों को विभिन्न अनुभागों में तैनात किया गया था परंतु उनमें से दो को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी आशुलिपिक नहीं थे। श्री ठाकुर ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया कि कई आशुलिपिक सामान्य पूल में उपलब्ध थे और इसके बावजूद, उन्होंने जानबूझकर परिवादी के आशुलिपिक को पूरे दिन के लिए अन्य न्यायालय में तैनात किया था। यद्यपि, श्री ठाकुर से लंबे समय तक बार-बार प्रश्न किए गए, परंतु उनकी बातों से कोई ऐसा निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया जो कि परिवादी के इस आरोप को सिद्ध कर सके कि उन्हें अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से आशुलिपिक, की सेवाओं से वंचित किया जा रहा था, जिसके कारण अपने कार्य निष्पादन में उनका उत्पीड़न हो रहा था।

19. परिवादी का कथन यह है कि श्री रवि जायसवाल **[जेआईसी. डब्ल्यू. सं. 5]**, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल के भाई की सहायता से वह और उनके पति न्यायमूर्ति पी. के. जायसवाल से 1 जून, 2014 को जबलपुर स्थित उनके पारिवारिक निवास पर मिले थे। यह बताया गया है कि परिवादी और उनके पति दिल्ली से जबलपुर हवाई जहाज से गए थे। न्यायमूर्ति पी. के. जायसवाल **[जेआईसी. डब्ल्यू. सं. 6]** की प्रति-परीक्षा के दौरान उन्हें परिवादी के काउंसेल ने यह बताया कि परिवादी ने उन्हें प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा उनके साथ किए गए कथित यौन उत्पीड़न के विषय में बताया था। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने उपरोक्त बात का स्पष्ट रूप से खंडन किया और यह कहा कि परिवादी ने उनके समक्ष केवल न्यायालय में उन्हें पेश आ रहे कर्मचारियों संबंधी मुद्दों को ही उठाया था। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मई, 2014 के अंतिम सप्ताह या जून, 2014 के प्रथम सप्ताह में परिवादी ने उन्हें सूचित किया था कि श्री नवीन शर्मा, जिला रजिस्ट्रार, ग्वालियर उनके यहां अच्छे कर्मचारियों की तैनाती नहीं कर रहे हैं जिसके कारण वह अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, जिसके संबंध में न्यायमूर्ति जायसवाल ने यह उत्तर दिया था कि वह प्रत्यर्थी न्यायाधीश, जोकि उनके संविभाग न्यायाधीश हैं, से बात करेंगे। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने जोर देकर यह कहा कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश का नाम किसी अन्य संदर्भ में नहीं लिया गया था।

20. परिवादी 1 जून, 2014 से 15 जून, 2014 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चली गईं। अपने साक्ष्य में परिवादी ने यह कहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत वह 17 जून, 2014 को जिला न्यायाधीश कमल सिंह ठाकुर से मिलने गईं थीं और उन्हें बताया था कि उनके पास दो विशेष

न्यायालयों का अतिरिक्त उत्तरदायित्व होने के बावजूद, उनके पास पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार स्वीकृत कैडर के कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर श्री कमल सिंह ठाकुर को इस संबंध में भी सूचित किया कि इस समय वह जिस अतिरिक्त कार्यभार का वहन कर रही हैं उसके लिए उन्हें एक वैकल्पिक आशुलिपिक की आवश्यकता है और उन्होंने एक बार पुनः अपने आवास स्थित कार्यालय के लिए पूर्णकालिक चपरासी दिए जाने का अनुरोध किया। परिवादी ने यह कहा है कि श्री कमल सिंह ठाकुर ने उन्हें यह बताया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और उन्हें प्रशासनिक न्यायाधीश, अर्थात् प्रत्यर्थी न्यायाधीश से मिलना होगा। हालांकि, श्री कमल सिंह ठाकुर **[जेआईसी. डब्ल्यू. सं. 4]** ने स्पष्ट रूप से परिवादी के उपरोक्त कथन का खंडन किया।

21. परिवादी का कथन यह है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने 28 जून, 2014 की शाम को उन्हें फोन किया और देर शाम में उन्हें अपने बंगले पर मिलने के लिए कहा परंतु उन्होंने अगले दिन अर्थात् 29.06.2014 की सुबह अपने पति श्री संजय मदान **[सी. डब्ल्यू. सं. 3]** के साथ जाना उचित समझा। उनका यह कथन है कि उनके साथ उनके पति को देखकर प्रत्यर्थी न्यायाधीश उनसे क्षुब्ध हो गए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उस दिन अपनी व्यस्तता की वजह से उनसे 15 दिन बाद आकर मिलने को कहा। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने यह कहा है कि ग्वालियर लौटने के बाद जब उन्होंने परिवादी को 28 जून, 2014 को उनकी कर्मचारी संबंधी समस्या के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी बात सुनानी चाही तो प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने उन्हें 29 जून, 2014 को मिलने के लिए कहा। उक्त तारीख को परिवादी सुबह 10.30 बजे अपने पति के साथ प्रत्यर्थी न्यायाधीश से मिलने उनके सरकारी आवास पर गईं। प्रत्यर्थी न्यायाधीश के अनुसार, उपरोक्त मुलाकात के दौरान परिवादी ने चपरासी संबंधी अपनी समस्या के विषय में बताया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने परिवादी से कहा कि वह परेशान न हों और वह उनकी समस्या पर गौर करेंगे। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने आगे यह कहा कि इस तरह की समस्याएं असामान्य नहीं हैं और विगत में स्वयं उन्होंने भी ऐसी समस्याओं का सामना किया है। उन्होंने उनसे यह कहा कि उनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है और उन्हें इन छोटे-छोटे मुद्दों से परेशान न होने की सलाह दी। प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने आगे कहा कि उनकी बात सुनने के उपरांत उस समय परिवादी बहुत खुश थीं और परिवादी ने उनके पैर छुए तथा उनका आशीर्वाद लिया और अपने

पति के साथ चली गईं। दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी कथनों पर विचार करते हुए हमारा यह मत है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश का कथन अधिक नैसर्गिक और संभाव्य प्रतीत होता है। परिवादी ने 29 जून, 2014 की मुलाकात को जो रंग देने का प्रयास किया है वह तार्किक प्रतीत नहीं होता है।

22. जहां तक जिला न्यायपालिका में प्रशासन का संबंध है, उसका सर्वेसर्वा जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायाधीश को न्यायिक कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य भी करना होता है; कुला मिलाकर, न्यायाधीशों को प्रशासनिक कार्य करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। प्रशासनिक कार्य अधीक्षक, हेड क्लर्क और कोर्ट मैनेजर जैसे शासकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कुला मिलाकर, जिला न्यायाधीश अधीक्षक, हेड क्लर्क और कोर्ट मैनेजर द्वारा प्रस्तुत किए गए टिप्पण के आधार पर ही कार्य करते हैं।

23. अवकाश के कारण रिक्त हुए पद पर चपरासी का आवंटन न किए जाने और उनके आशुलिपिक को अन्य न्यायालय में तैनात किए जाने की कथित समस्याएं बहुत ही सामान्य प्रशासनिक समस्याएं हैं जिनका सामना अधीनस्थ स्तर से लेकर उच्चतर न्यायपालिका तक करना पड़ता है और ये रोज़मर्रा के प्रशासनिक मामले हैं। प्रशासन को चलाने के लिए दिशानिर्देश/परिपत्र मौजूद हैं; हालांकि, कार्य व्यवहार में उनका सख्ती से पालन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। यह जिला न्यायाधीशों द्वारा प्रशासन के प्रभावी नियंत्रण पर निर्भर करता है। प्रशासन पर इस तरह के नियंत्रण के बावजूद, कुछ कमियां हो सकती हैं। जहां तक वर्ग IV के कर्मचारियों का संबंध हैं, अधिकतर न्यायिक अधिकारियों को किसी-न-किसी समस्या का सामना करना पड़ता है जिसे उस अधिकारी का उत्पीड़न किया जाना नहीं माना जा सकता है। परिवादी द्वारा अपनी कर्मचारियों संबंधी समस्या के विषय में लगाए गए आरोप केवल जिला प्रशासन स्तर तक सीमित हैं और इसके लिए किसी भी तरह प्रत्यर्थी न्यायाधीश को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे विचार से, यह नियमित रूप से होता है कि कर्मचारियों की कमी या उनकी अनुपलब्धता के कारण कर्मचारियों का थोड़ा इधर या उधर समायोजन किया जाता है। हमारा यह मानना है कि इसे प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा जिला न्यायाधीश के जरिए उत्पीड़न किए जाने के समान मानना सही नहीं होगा। परिवादी के समक्ष केवल एक बार पेश आई चपरासी और आशुलिपिक की समस्या को किसी भी रूप में परिवादी का उत्पीड़न नहीं

माना जा सकता है। इसी तरह, निश्चित तौर पर इसके लिए प्रत्यर्थी न्यायाधीश को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

ई. बार-बार होने वाले निरीक्षणों के द्वारा कथित रूप से गहन निगरानी किया जाना

24. परिवादी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपने व्यावसायिक कार्य में गहन निगरानी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने जिला न्यायाधीश, श्री कमल सिंह ठाकुर तथा जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) श्री राजीव शर्मा को परिवादी की गहन निगरानी करने के निदेश दिए थे। यह आरोप लगाया गया कि श्री कमल सिंह ठाकुर और श्री राजीव शर्मा ने बार-बार परिवादी के न्यायालय का दौरा करना प्रारम्भ कर दिया और ऐसा सामान्यतया दोपहर के भोजन के कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद इस मंशा से किया जाता था कि उनके काम-काज में किसी भी तरह कोई त्रुटि निकाली जाए तथा इस आशय की अहितकर रिपोर्ट तैयार की जाए कि वह कार्यालय के समय के दौरान न्यायालय में नहीं बैठती हैं। श्री कमल सिंह ठाकुर और श्री राजीव शर्मा अपने कर्मचारियों को, यहाँ तक कि प्रतिबंधित 'बंद कमरे में चलने वाली कार्यवाहियों' के दौरान भी, अनावश्यक रूप से उनके कोर्ट-रूम में झांकने के लिए भेजा करते थे।

25. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी के इस आरोप का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि उनकी अनैतिक अपेक्षाओं को न मानने की वजह से उन्हें पीड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कमल सिंह ठाकुर ग्वालियर के जिला न्यायाधीश थे और वह कभी भी परिवादी के न्यायालय में नहीं गए और यदि ऐसा कुछ हुआ भी था तो उनके विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज करायी जानी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कभी भी श्री राजीव शर्मा को परिवादी के न्यायालय का बार-बार निरीक्षण करने के निर्देश नहीं दिए और श्री राजीव शर्मा द्वारा यदि कोई निरीक्षण किया भी गया होगा, तो वह उन्होंने अपने अधिकारीय कार्य का निर्वहन करते हुए किया होगा।

26. श्री राजीव शर्मा **[जे.आई.सी. डब्ल्यू. सं. 3]** ने भी प्रत्यर्थी के कथन का यह कहते हुए समर्थन किया कि ग्वालियर जिला न्यायालय और अन्य न्यायालयों में उन्होंने जो निरीक्षण किए थे वह उन्होंने अपने नियमित अधिकारीय कार्य का निर्वहन करते हुए किए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी ने कभी भी उन्हें परिवादी को परेशान करने या उसका उत्पीड़न करने के किसी परोक्ष

उद्देश्य के साथ परिवादी के न्यायालय का बार-बार निरीक्षण करने का निर्देश नहीं दिया। समिति के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में श्री राजीव शर्मा ने कहा है कि जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के रूप में उनके सामान्य कर्तव्य निम्नलिखित थेः- (i) न्यायिक अधिकारियों की समय की पाबंदी का आकलन करने के लिए मासिक निरीक्षण एवं औचक दौरे करना; (ii) उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्य के अनुसार जांच करना। उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ही न्यायालयों का निरीक्षण किया करते थे और उन्होंने सामान्यतः न्यायालयों का दौरा म.पू. 11.00 बजे, म.प. 2.35 बजे और म.प. 4.30 बजे किया तथा वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकारी न्यायालय में बैठा है या नहीं, कोर्ट रूम के भीतर गए बिना केवल दरवाज़े से अंदर झांक लिया करते थे। यदि उन्हें यह पता चलता था कि न्यायाधीश डायस पर नहीं बैठा है, तो वह कक्ष में न्यायाधीश की उपस्थिति के संबंध में संबद्ध न्यायालय के कर्मचारियों से पूछताछ करते थे और ऐसे दौरों के उपरांत, वह एक रिपोर्ट तैयार करके उसे मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालयों का वास्तविक निरीक्षण करने के अतिरिक्त, वह प्रत्येक न्यायिक अधिकारी (उन जिला न्यायाधीशों को छोड़कर जो कि उनसे वरिष्ठ हैं) द्वारा जिन फाइलों पर काम किया गया हो उनमें से सिविल तथा आपराधिक मामलों में प्रत्येक की पांच-पांच फाइलें मंगाया करते थे जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि क्या आपराधिक मामलों में आरोपों को तथा सिविल मामलों में मुद्दों को सही तरह से फ्रेम किया गया है; क्या अभिसाक्ष्य को समुचित रूप से रिकॉर्ड किया गया है; क्या अंतरिम आवेदनों पर समुचित रूप से विचार किया गया है और क्या अनावश्यक रूप से स्थगन आदेश दिए गए हैं।

27. श्री राजीव शर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) ने कहा कि उन्होंने विभिन्न न्यायालयों के निरीक्षण/औचक दौरे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए हैं। श्री शर्मा के समक्ष मध्य प्रदेश नियम और आदेश (आपराधिक) के नियम 703 और 704 रखे गए और उनसे यह प्रश्न किया गया कि जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वह मध्य प्रदेश नियम और आदेश (आपराधिक) के नियम 703 और 704 के अनुसार निरीक्षण करें। श्री राजीव शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश नियम और आदेश (आपराधिक) अध्याय XXX के नियम 703 और 704 निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुपालन हेतु आशयित

हैं। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि उक्त नियमों की तर्ज पर ही पृथक दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं जिनका पालन जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) को करना होता है।

28. जिला न्यायाधीश (सतर्कता) द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों एवं दिशानिर्देशों को **एक्स. जेआईसी/43** के रूप में अभिचिह्नितकिया गया है। निरीक्षण टिप्पण को नियम और आदेश (सिविल) के नियम संख्या 566 और 569 तथा नियम और आदेश (आपराधिक) के नियम संख्या 703 से 711 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुविस्तृत एवं सुविस्तारित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मानकों एवं दिशानिर्देशों के अध्ययन मात्र से यह पता चलता है कि जिला न्यायाधीश (सतर्कता) को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों का वर्ष में कम-से-कम एक बार निरीक्षण करना चाहिए तथा एक माह के दौरान न्यूनतम 20 से 25 न्यायालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए और इसके संबंध में सूचना प्रत्येक आगामी माह के प्रथम सप्ताह में रजिस्ट्रार (सतर्कता) को भेजी जानी चाहिए, तथा उसे किसी भी कार्यदिवस में न्यायालय के संबद्ध न्यायाधीश को कोई पूर्व सूचना दिए बिना वर्ष में कम-से-कम एक बार बारी-बारी से प्रत्येक न्यायालय का औचक निरीक्षण भी करना चाहिए।

29. श्री राजीव शर्मा ने कहा कि 24.02.2014 से 12.08.2014 के बीच उन्होंने ग्वालियर ज़ोन में कई निरीक्षण किए थे (एक्स.जेआईसी/5 के अनुसार)। उन्होंने आगे यह कहा कि उन्होंने ग्वालियर के जिला न्यायालय में नौ औचक निरीक्षण किए थे और नौ में से चार निरीक्षण परिवादी के ग्वालियर जिले से स्थानांतरण के बाद किए गए थे। एक्स.जेआईसी/5 श्री राजीव शर्मा द्वारा तैयार की गई निरीक्षण तालिका है। एक्स.जेआईसी/5 से यह दृष्टिगत दृश्टिगत होता है कि श्री राजीव शर्मा ने जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ग्वालियर में निम्नलिखित निरीक्षण किए:

क्र.सं.	दिनांक	जिला	समय
1.	24.03.2014	ग्वालियर	मध्याह्न भोजन के उपरांत
2.	04.04.2014	ग्वालियर	म.प. 2.40 बजे
3.	30.04.2014	ग्वालियर	म. प. 3.30 बजे
4.	21.05.2014	ग्वालियर	म. पू. 10.40 बजे
5.	13.07.2014	ग्वालियर	म. प. 2.40 बजे
6.	27.07.2014	ग्वालियर	म. प. 4.45 बजे
7.	04.08.2014	ग्वालियर	म.पू. 11.20 बजे

8.	06.08.2014	ग्वालियर	म.प. 4.45 बजे

30. **एक्स.जेआईसी**/5 का अवलोकन करने पर यह दृष्टिगत होता है कि 24.02.2014 से 12.08.2014 के बीच श्री राजीव शर्मा ने ग्वालियर ज़ोन में कई निरीक्षण किए जिनमें आठ निरीक्षण ग्वालियर जिले में किए गए। इस बात को नोट किया जाए कि ऐसा नहीं है कि श्री राजीव शर्मा ने केवल ग्वालियर में न्यायालय का और वह भी केवल परिवादी के न्यायालय का ही निरीक्षण किया था। **एक्स.जेआईसी**/5 का अवलोकन करने पर हमारा यह विचार है कि श्री राजीव शर्मा द्वारा ग्वालियर में किए गए निरीक्षण, जिनमें परिवादी के न्यायालय का निरीक्षण भी शामिल है, उनके द्वारा अपने अधिकारीय कार्य का नियमित निर्वहन करने के रूप में किए गए। परिवादी द्वारा लगाए गए इस आरोप में कि श्री राजीव शर्मा ने उनके न्यायालय का निरीक्षण न्यायमूर्ति गंगेले के आदेश पर किया, वास्तविकता का अभाव है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी दस्तावेज़ों का अवलोकन और श्री राजीव शर्मा का अभिसाक्ष्य यह दर्शाता है कि जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के रूप में उन्होंने मार्च, 2014 से जुलाई, 2014 के बीच ग्वालियर जिला न्यायालय परिसर में पांच औचक निरीक्षण किए थे जिनमें परिवादी का न्यायालय भी शामिल था। **जेआईसी डब्ल्यू. सं. 3,** राजीव शर्मा ने यह कहा है कि अपने सभी पांच दौरों के दौरान, उन्होंने हमेशा परिवादी को न्यायालय में समय का पाबंद पाया और उन्हें यह पता लगाने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ कि उपरोक्त अवधि के दौरान परिवादी जिस कार्य का निष्पादन कर रही थीं, वह किस प्रकृति का था।

31. श्री राजीव शर्मा को बार-बार **एक्स.जेआईसी**/5 से, जिस संदर्भ में इसे तैयार किया गया था, रू-ब-रू कराया गया। परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें न्यायमूर्ति वाघमरे और न्यायमूर्ति अजीत सिंह शामिल थे। श्री राजीव शर्मा को उपरोक्त दो सदस्यीय समिति से 12/13.08.2014 को या इन तिथियों के लगभग सम्मन प्राप्त हुए। श्री राजीव शर्मा ने बताया कि जब वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई दो सदस्यीय समिति के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अपना बयान दिया तो उन्होंने स्वयं ही **एक्स.जेआईसी**/5 तैयार किया और संदर्भ के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री राजीव शर्मा ने यह भी बताया कि **एक्स.जेआईसी**/5 को न तो दो सदस्यीय समिति सहित किसी को भी संबोधित किया गया है और न ही इसमें कोई तारीख दी गई है। श्री राजीव शर्मा के विरुद्ध लगाए

गए आरोप ये हैं कि निरीक्षण करके उन्होंने परिवादी के लिए विपरीत कार्य परिस्थितियां उत्पन्न कीं। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक है कि विभिन्न न्यायालयों के निरीक्षण के अपने कार्य को स्पष्ट करने के लिए श्री राजीव शर्मा ने **एक्स.जेआईसी**/5 तैयार की जिसमें ग्वालियर ज़ोन में किए गए उनके निरीक्षणों के संबंध में ब्यौरा दिया गया, जिनमें ग्वालियर जिला न्यायालय में किए गए निरीक्षण भी शामिल हैं। केवल इस आधार पर कि **एक्स.जेआईसी**/5 किसी को संबोधित नहीं है या इसे केवल श्री राजीव शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

32. अभिलेख में यह भी शामिल है कि 07.07. 2014 को श्री राजीव शर्मा ने इस मुकदमे के परिवादी सहित, तीन अपर जिला न्यायाधीशों द्वारा विगत छः महीनों में ग्वालियर में विनिश्चित किए गए ज़मानत के आवेदनों का समूचा अभिलेख मांगा था। श्री राजीव शर्मा द्वारा जमानत के आवेदन परिवादी के स्थानांतरण से केवल एक दिन पहले 07.07.2014 को मांगे गए थे। दिनांक 02.08.2014 को उन्होंने प्रधान रजिस्ट्रार (सतर्कता) को यह बताते हुए रिपोर्ट (एक्स. जेआईसी/4) भेजी कि उन्होंने तीनों अपर जिला न्यायाधीशों के जमानत के आवेदनों, अर्थात् श्री पी. के. शर्मा द्वारा विनिश्चित किए गए जमानत के 65 आवेदनों, श्री पी. के. अग्रवाल द्वारा विनिश्चित किए गए जमानत के 144 आवेदनों तथा परिवादी द्वारा विनिश्चित किए गए जमानत के 165 आवेदनों की जांच की थी। श्री राजीव शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यद्यपि अन्य दो न्यायिक अधिकारियों, अर्थात् श्री पी. के. शर्मा तथा श्री पी. के. अग्रवाल द्वारा जमानत के आवेदनों के संबंध में पारित किए गए आदेश 'समुचित हैं', परंतु परिवादी द्वारा पारित किए गए जमानत के कुछ आदेश 'समुचित प्रतीत नहीं होते' और श्री शर्मा ने मुकदमों के ब्यौरों का उल्लेख भी किया है तथा अपनी राय से संबंधित कारणों को अभिलिखित भी किया है। इस पहलू के संबंध में श्री राजीव शर्मा की प्रति-परीक्षा ली गई और वह इस बात से सहमत हुए कि रिपोर्ट (एक्स. जेआईसी/4) प्रतिकूल थी। तथापि, ऐसा नहीं है कि श्री राजीव शर्मा ने केवल परिवादी द्वारा निपटाए गए जमानत के आवेदनों को मूल्यांकन के लिए मांगा था; बल्कि दो अन्य अधिकारियों, जैसे श्री पी. के. शर्मा तथा श्री पी. के. अग्रवाल द्वारा निपटाए गए जमानत के आवेदनों को भी मूल्यांकन के लिए मांगा था। श्री शर्मा ने अपनी रिपोर्ट (एक्स. जेआईसी/4) परिवादी द्वारा अपने अपर न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात् दिनांक 02.08.2014 को प्रस्तुत की थी। तथापि, श्री शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी रिपोर्ट उन अभिलेखों के मूल्यांकन पर आधारित थी जिन्हें उन्होंने परिवादी

द्वारा त्याग पत्र दिए जाने से पहले मांगा था। चूंकि रिपोर्ट (एक्स. जेआईसी/4) परिवादी द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने के काफी समय बाद दिनांक 02.08.2014 को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, अतः इस रिपोर्ट का अध्ययन करना या उक्त रिपोर्ट में बताए गए कथित उद्देश्य का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।

33. परिवादी की ओर से, सुविज्ञ वरिष्ठ काउंसेल ने यह तर्क दिया था कि श्री राजीव शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट झूठी है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि संबंधित तालिका में बताया गया है कि उनके द्वारा निरीक्षण 5 और 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार) तथा 13 जुलाई, 2014 (रविवार) को किया गया था। काउंसेल ने यह तर्क दिया कि श्री राजीव शर्मा को शनिवार और रविवार को निरीक्षण नहीं करना चाहिए था क्योंकि वे साप्ताहिक अवकाश थे। परिवादी की ओर से आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि परिवादी द्वारा निपटाए गए जमानत के आवेदनों के संदर्भ में श्री राजीव शर्मा द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट तथा प्रतिकूल रिपोर्ट और कुछ नहीं, बल्कि परिवादी के कार्य निष्पादन के संबंध में बनी उनकी साख पर धब्बा लगाने का प्रयास था। निस्संदेह, 13 जुलाई, 2014 को रविवार था और यह मालूम नहीं कि श्री राजीव शर्मा ने 13.07.2014 को न्यायालयों का निरीक्षण क्यों किया। प्रत्यर्थी की ओर से यह कहा गया कि 13.07.2014 की तारीख अवश्य ही टंकण संबंधी त्रुटी रही है। एक्स. जेआईसी/7 औचक निरीक्षण रिपोर्ट में श्री राजीव शर्मा ने कहा है कि डायस पर बैठे कतिपय न्यायिक अधिकारी तथा परिवादी सहित, डायस पर नहीं बैठे हुए कुछ अन्य न्यायिक अधिकारी अवकाश पर थे। इस पहलू पर अधिक प्रकाश नही डाला गया कि क्या 13.07.2014 को एक कार्य दिवस घोषित किया गया था और श्री राजीव शर्मा ने 13.07.2014 को न्यायालयों का निरीक्षण क्यों किया था। हम इस पहलू पर और आगे जांच नही करना चाहते हैं क्योंकि इस रिपोर्ट से कुछ भी तथ्यात्मक नहीं निकला है; न ही इससे श्री राजीव शर्मा के कथन पर संदेह उत्पन्न होता है।

34. न्यायमूर्ति गंगेले ने राजीव शर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) को दिनांक 29.06.2014 को 10:26:09 बजे तथा पुनः 17:49:44 पर फोन कॉल किये थे। परिवादी अपने पति के साथ दिनांक 29.06.2014 को मध्याह्न पूर्व लगभग 10.00 बजे प्रत्यर्थी न्यायाधीश के आवास पर उनसे मिलने के लिए गई थीं। हमारे विचार से प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा श्री राजीव शर्मा को 29.06.2014 को किए गए फोन संयोग मात्र हो सकते हैं। न्यायमूर्ति गंगेले के पास ग्वालियर जिले का संविभाग

न्यायाधीश होने तथा ग्वालियर न्यायपीठ का प्रशासनिक न्यायाधीश होने के नाते भी जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) को फोन करने के अनेक कारण रहे होंगे। प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा श्री राजीव शर्मा को किए गए उक्त फोन कॉलों को परिवादी के हितों से जोड़ पाना हमारे लिए बहुत कठिन है।

35. भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखता है। समूचा प्रशासनिक नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालयों में निहित पर्यवेक्षी नियंत्रण की परिधि और दायरे में आता है तथा यह अधीनस्थ न्यायालयों के मात्र सामान्य पर्यवेक्षण अथवा दैनंदिन कार्य को व्यवस्थित करने तक ही सीमित नहीं है। संबद्ध जिला न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले नियमित वार्षिक निरीक्षण के अलावा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) द्वारा निरीक्षण/औचक दौरे यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायपालिका दक्षतापूर्ण कार्य करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित अधीन न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति विशिष्ट, सुविस्तृत और प्रचालन में प्रभावी है। जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) द्वारा किया गया निरीक्षण उच्च न्यायालय में निहित इस पर्यवेक्षी नियंत्रण के क्रम में ही है।

36. जिला न्यायालयों में औचक निरीक्षण के साथ-साथ जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के कार्य का मूल्यांकन एक सामान्य नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायपालिका के कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करने में सहायता करना है कि न्यायपालिका के कार्य निष्पादन में अनुशासन और उत्कृष्टता कायम रहे। जैसा कि श्री राजीव शर्मा ने बताया, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) अपनी रिपोर्ट सीधे उच्च न्यायालय को भेजता है। इसके अलावा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) मुख्य न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण में होता है और जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (ए.सी.आर.) मुख्य न्यायाधीश लिखता है। श्री राजीव शर्मा द्वारा किये गये निरीक्षण/औचक दौरे उनके सरकारी कामकाज का ही हिस्सा थे। हमारे विचार से, श्री राजीव शर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण/औचक दौरे उनके नियमित सरकारी कार्य के निर्वहन स्वरूप ही थे। निरीक्षण करने के उनके सरकारी कार्य के निर्वहन के पीछे से कोई निहित उद्देश्य आरोपित नही किया जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि उन्होंने परिवादी के न्यायालय का निरीक्षण न्यायमूर्ति गंगेले के कहने पर किया। श्री राजीव शर्मा द्वारा किए गए

न्यायालयों के निरीक्षण और निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करने में उनके द्वारा की गई अनियमितता को प्रत्यर्थी से नहीं जोड़ा जा सकता है। यह आरोप, कि श्री राजीव शर्मा न्यायमूर्ति गंगेले के कहने पर कार्य कर रहे थे, काल्पनिक और अस्वीकार्य है।

एफ. निष्कर्ष

37. उपरोक्त चर्चा के अनुसार, परिवादी द्वारा लगाए गए स्टाफ उत्पीड़न संबंधी तीनों आरोपों में निहित मुद्दे भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जिला प्रशासन/पर्यवेक्षण शक्ति का उपयोग करने का ही एक भाग है। यह आरोप, कि एक न्यायिक अधिकारी के रूप में परिवादी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पीड़ित करने के लिए प्रत्यर्थी न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायपालिका का लाभ उठाते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप संख्या 3 सिद्ध नहीं हुआ है।

****

भाग-V

आभारः

आरोपों के संबंध में हमारे निष्कर्ष को अभिलिखित करने से पूर्व समिति के लिए काउंसेल और दोनों पक्षों के लिए उपस्थित हुए काउंसेल की भूमिका को अभिस्वीकार करना शेष है। हम न्यायाधीश जांच अधिनियम की धारा 3 (9) के अधीन नियुक्त किए गए सुविज्ञ अपर महा सॉलिसिटर, श्री संजय जैन, जिन्हें न्यायमित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है क्योंकि काउंसेल द्वारा प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व किया गया है, की अत्यंत सराहना करते हैं। हम श्री संजय जैन का सहयोग करने वाले अधिवक्ताओं, श्री अर्जुन मित्रा और सुश्री पल्लवी शैली की भी प्रशंसा करते हैं। हम सुविज्ञ वरिष्ठ काउंसेल सुश्री इंदिरा जयसिंह और उनके दल के सदस्य, अधिवक्ताओं अर्थात् सुश्री राधिका सक्सेना, श्री सतीश संगवान, श्री विनीत अजमानी और श्री रोहित घोष द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा भी करते हैं। हम प्रत्यर्थी न्यायाधीश के लिए श्री सिद्धार्थ लूथरा, सुविज्ञ वरिष्ठ काउंसेल द्वारा दिए गए सहयोग और उनके दल के सदस्य, अधिवक्ताओं श्री अनुपम प्रसाद, श्री आदित्य वधवा, श्री निखिल पिल्लै और श्री गौतम खजांची, की भी प्रशंसा करते हैं। हम श्री अखिल सिब्बल और उनकी सहयोगी काउंसेल सुश्री श्रुति श्रीवास्तव, जो कि पूर्व में प्रत्यर्थी न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, की भी प्रशंसा करते हैं। हम श्री उमेश कुमार, संयुक्त सचिव तथा श्री एम. एल. सम्पत कुमार, उपनिदेशक, न्यायाधीश जांच समिति तथा पीठासीन अधिकारी की सहायक रजिस्ट्रार-सह निजी सचिव, सुश्री कल्याणी दत्ता द्वारा सतत् रूप से प्रदान की गई सचिवालयी सेवा के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। यह जांच समिति संपूर्ण स्टाफ, अनुवादकों, भाषांतरकारों, जो कि इस जांच से जुड़े रहे थे, को भी धन्यवाद देना चाहती है। समिति पीठासीन अधिकारी से जुड़े कर्मचारियों विशेषकर श्री आर. के. धवन, सहायक रजिस्ट्रार-सह-निजी सचिव, सुश्री राधा शर्मा तथा श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ निजी सहायक/आशुलिपिकों को तथा अन्य सभी को, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करने, साक्ष्य, दस्तावेजों, अभिवचनों तथा अन्य सामग्री रिकॉर्डों को समेकित करने में अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान की है, का भी पूर्ण आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

*****

भाग-VI

निष्कर्ष

आरोप	निष्कर्ष
आरोप I - यौन उत्पीड़न मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ की वर्तमान न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए महिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यौन उत्पीड़न	• **सिद्ध नहीं हुआ** **जैसा कि प्रतिवेदन के भाग-II में दिया गया है।**
आरोप II- स्थानांतरण उनकी अवैध और अनैतिक मांगों को न मानने पर, उक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पीड़ित करने में, केवल ग्वालियर से उनका सीधी स्थानांतरण किया जाना ही शामिल नहीं है।	• प्रत्यर्थी न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मेनन की कॉल रिकॉर्ड के ब्यौरे का समय और स्थान में समकालिक होने के संयोग को परिवादी का स्थानांतरण किए जाने और उनके अभ्यावेदन को खारिज किए जाने से जोड़ा जाना इस बात का संकेत है कि प्रत्यर्थी न्यायाधीश ने परिवादी का स्थानांतरण किए जाने और उनके अभ्यावेदनों को खारिज किए जाने में हस्तक्षेप किया है। चूंकि आरोप संख्या 1 'सिद्ध नहीं' हुआ है, अतः इस हस्तक्षेप को आरोप संख्या 1 से नहीं जोड़ा जा सकता है तथा परिणामस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा हस्तक्षेप उनकी अनैतिक मांगों को न मानने के कारण किया गया है। परिवादी के स्थानांतरण में प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अनुचित आचरण हो सकता है। परंतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के साथ पठित अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत इसे "दुर्व्यवहार" नहीं माना जाएगा। • **सिद्ध नहीं हुआ - जैसा कि प्रतिवेदन के भाग III में बताया गया है।** • **परिवादी के अनुचित रूप से किए गए स्थानांतरण के संबंध में भाग III के पैरा (66) में समिति की समुक्तियां**
आरोप III- परिवादी को पीड़ित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का लाभ उठाते हुए पद का दुरुपयोग किया जाना उक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पीड़ित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का लाभ उठाते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया	• **सिद्ध नहीं हुआ** **जैसाकि प्रतिवेदन के भाग-IV में बताया गया है।**

ह0/-
____
पीठासीन अधिकारी
न्यायमूर्ति आर. भानुमति
न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय

ह0/-
____
सदस्य
न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर
मुख्य न्यायाधीश,
बम्बई उच्च न्यायालय

ह0/-
____
सदस्य
(के. के. वेणुगोपाल)
वरिष्ठ अधिवक्ता,
भारत का उच्चतम न्यायालय

भाग-VII - अनुबंध

जेआईसी प्रदर्श

प्रदर्श और तारीख	अभिचिन्हित प्रदर्शों का ब्यौरा
जेआईसी/1 15.05.14	श्री राजीव शर्मा, जेआईसी डब्ल्यू. सं. 3 का महा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को संबोधित पत्राचार संख्या 188/सतर्कता/4 श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/2 07.07.14	परिवादी सहित तीनों न्यायिक अधिकारियों के जमानत संबंधी आवेदनों को मंगाये जाने के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबोधित पत्राचार श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/3 08.07.14	जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) को प्रेषित परिवादी का स्थानांतरण आदेश श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/4 02.08.14	परिवादी के जमानत संबंधी आवेदनों के संबंध में श्री राजीव शर्मा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/5 01.08.14	परिवादी द्वारा न्याय हेतु दिए गए अभ्यावेदन-सह-मांग पर श्री राजीव शर्मा का प्रत्युत्तर श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/6 24.03.14 से 15.09.14	श्री राजीव शर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण का सारांश जिसे अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/7 14.07.14	श्री राजीव शर्मा द्वारा महा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को भेजा गया पत्र संख्या 277/14 श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/8	न्यायामूर्ति गंगेले के मोबाइल नं. 9425322181 के कॉल रिकॉर्डों का विवरण जेआईसी/8(ए), जेआईसी/8(बी) और जेआईसी/8(सी) के रूप में उल्लिखित कॉलों का ब्यौरा श्री राजीव शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/9 02.07.14	जिला नाज़ीर, ग्वालियर,मध्य प्रदेश को परिवादी द्वारा लिखा गया पत्र श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/10 09.05.14	सुश्री शैफाली गोम्स, कोर्ट मैनेजर द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्यालय टिप्पण श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/11 01.03.14 से 30.06.14	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक सूचना अधिकारी/न्यायिक अधीक्षक, जिला न्यायालय, ग्वालियर से प्राप्त ग्वालियर के सभी न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों के ब्यौरे से संबंधित दिनांक 11.05.2016 का पत्र

	श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/12 मई, 2014	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त जिला न्यायालय ग्वालियर का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/13 05.05.14 से 14.05.14	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त कार्य आवंटन रजिस्टर का सार श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/14 03.07.14	जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4 द्वारा महा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर सीट को संबोधित, उच्च न्यायालय को हिन्दी में भेजा गया पत्र श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/15 01.04.14 से 15.07.14	उस अवधि के दौरान ग्वालियर जिला न्यायालय के परिसर में चपरासियों की उपलब्धता/स्थिति श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/16 23.06.14	चपरासियों की तैनाती से संबंधित आदेश श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/17 12.05.14	सुश्री शैफाली गोम्स, कोर्ट मैनेजर के विरुद्ध शिकायत करते हुए परिवादी द्वारा लिखा गया जिला न्यायाधीश को संबोधित पत्र श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/18 20.05.14	आवास पर चपरासी की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हुए परिवादी द्वारा लिखा गया जिला न्यायाधीश को संबोधित पत्र श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/19 20.05.14 से 15.07.14	शिकायत में दाखिल किया गया अनुबंध 12 जिसे जेआईसी डब्ल्यू. संख्या 5 तथा परिवादी के मोबाइल नम्बरों से संबंधित टेलीफोन कॉलों का सार कहा गया है श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/20 जून, 2014	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त जिला न्यायालय के श्रेणी III के कर्मचारियों के दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का सार श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/21 जुलाई, 2014	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त जिला न्यायालय के श्रेणी III के कर्मचारियों के दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का सार श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
जेआईसी/22	परिवादी हेतु दैनिक आधार पर 2 घंटे के लिए स्थानापन्न चपरासी की तैनाती

22.05.14	करने के लिए जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4 के द्वारा पारित आदेश श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/23 09.07.14	अपनी पुत्री की बारहवीं कक्षा की पढ़ाई को पूरा करवाने के लिए ग्वालियर में बने रहने की अवधि बढ़ाए जाने हेतु परिवादी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/24 11.07.14	परिवादी का अभ्यावेदन श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/25	सुश्री सविता ओग्ले के चिकित्सा आधार पर उनका स्थानांतरण किए जाने के अनुरोध पर उनका बिना बारी के स्थानांतरण करने की सिफारिश किया जाना श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/26 15.07.14	परिवादी का त्याग पत्र श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/27 07.07.14	स्थानांतरण समिति की बैठक का कार्यवृत्त जिसमें प्रत्यर्थी का नाम कार्यसूची संख्या 'जी' में क्रम संख्या 5 पर पाया गया है न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/28 06.10.14	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की विभिन्न समितियों के कृत्य/समनुदेशन न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/29 07.07.14	अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए स्थानांतरण समिति की बैठक की कार्यसूची न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/30 23.06.14	न्यायालय में लंबन के साथ-साथ मामलों के लंबन को दर्शाने वाला विवरण न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/31 11.07.14	परिवादी के सीधी में अपना स्थानांतरण किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन के संबंध में जेआईसी डब्ल्यू. सं. 7 का टिप्पण न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/32 14.07.14	परिवादी के सीधी में अपना स्थानांतरण किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन के संबंध में जेआईसी डब्ल्यू. सं. 7 का टिप्पण न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/33	कोई भी दस्तावेज अभिचिन्हत नहीं किया गया

जेआईसी/34 16.07.14	राज्य सरकार को परिवादी का त्यागपत्र अग्रेषित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया पत्र न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/35 17.07.14	राज्य सरकार द्वारा भेजा गया प्रत्यर्थी के त्याग पत्र को स्वीकृति प्रदान करने का आदेश न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/36 17.07.14	परिवादी के त्याग पत्र की फैक्स प्रतिलिपि (जबकि इसकी प्रतिलिपि अभिलेख में उपलब्ध नहीं है) के संबंध में सहायक रजिस्ट्रार (गोपनीय अनुभाग) का टिप्पण न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/37 04.08.14	महा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/38 12.01.12	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण नीति न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/39 13.10.14	रिट कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया जेआईसी डब्ल्यू. सं. 9 का शपथपत्र श्री वी. बी. सिंह, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 9 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/40 29.06.14 से 14.07.14	न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन जेआईसी डब्ल्यू. सं. 11 के कॉल रिकॉर्डों का सार न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 11 द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/41 28.04.14	श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौड़, XI अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के स्थानांतरण से संबंधित पत्र न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 11 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/42 03.07.14	सहायक श्रेणी-3 द्वारा हस्ताक्षरित, महा रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित टिप्पण न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 11 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/43 18.08.98	जिला न्यायाधीश (सतर्कता) के समुचित और प्रभावी कार्यकरण हेतु निर्धारित किए गए मानदंड तथा दिशानिर्देश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 11 के द्वारा अभिचिन्हित
जेआईसी/44 20.5.14 से 20.7.14	बीएसएनएल, मध्य प्रदेश टेलीफोन सर्किल से प्राप्त न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले का कॉल रिकॉर्डों का ब्यौरा न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 11 के द्वारा अभिचिन्हित

परिवादी के प्रदर्श

प्रदर्श और तारीख	अभिचिह्नित दस्तावेज़ों का ब्यौरा
सी/1 जुलाई, 2014	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की विभिन्न समितियों के गठन की वेब प्रतिलिपि न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **जेआईसी डब्ल्यू. संख्या** 7 के द्वारा अभिचिह्नित
सी/2 मार्च, 2015	सामान्य वार्षिक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया के दौरान स्थानांतरित किए गए अधिकारियों की सूची न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिह्नित
सी/3 26.08.14	लोक सूचना अधिकारी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया मूल सूचना का अधिकार आवेदन का उत्तर न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिह्नित
सी/4	कोई भी दस्तावेज अभिचिह्नित नहीं किया गया
सी/5 04.08.14	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को संबोधित न्यायमूर्ति गंगेले का पत्र श्री नवीन शर्मा **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 8 के द्वारा अभिचिह्नित
सी/6 10.07.14 से 17.07.14	श्री वी. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर और न्यायमूर्ति गंगेले के बीच की कॉल रिकॉर्डों का विवरण श्री वी. बी. सिंह **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 9 के द्वारा अभिचिह्नित
सी/7 11.07.14	जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा परिवादी को भेजे गए दिनांक 14.07.2014 के व्याख्या पत्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालयों को भेजा गया पत्र श्री आशा राम, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 10 के द्वारा अभिचिह्नित
सी/8	प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा दाखिल किए गए प्रति- शपथ पत्र के भाग-I के पृष्ठ संख्या 125 पर लगा एक फोटो न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले **आर डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिह्नित

प्रत्यर्थी के प्रदर्श

प्रदर्श और तारीख	अभिचिह्नितदस्तावेज़ों का ब्यौरा
एक्स.आर/1 10.12.13	महिला संगीत समारोह की सीडी सुश्री दिव्या चौरसिया, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
एक्स.आर/2 04.09.14	2014 की रिट याचिका संख्या 792 में दाखिल किए गए सुश्री दिव्या चौरसिया के शपथ पत्र की प्रतिलिपि सुश्री दिव्या चौरसिया, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
एक्स.आर/3 11.12.13	न्यायमूर्ति गंगेले के विवाह की 25वीं वर्षगांठ की भाग-III सीडी सुश्री भावना सिंह, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 2 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
एक्स.आर/4 05.10.15	सुश्री भावना सिंह, जेआईसी डब्ल्यू सं. 2 की पहचान हेतु प्रति-शपथ पत्र के अनुबंध ए-11, पृष्ठ 159, खंड I पर न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले के प्रति- शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया प्रथम फोटो श्री संजय मदान, **सी डब्ल्यू.सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
एक्स.आर/5 05.10.15	सुश्री भावना सिंह, जेआईसी डब्ल्यू. सं. 2 की पहचान हेतु प्रति-शपथ पत्र के अनुबंध के पृष्ठ 125, खंड I पर न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले के प्रति- शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया प्रथम फोटो सुश्री सोनल मदान, **सी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
एक्स.आर/6 05.10.15	सुश्री भावना सिंह, जेआईसी डब्ल्यू. सं. 2 की पहचान हेतु प्रति-शपथपत्र के अनुबंध ए-7, पृष्ठ 117, खंड I पर न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले के प्रति- शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया प्रथम फोटो सुश्री सोनल मदान, **सी डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्ह्ति
एक्स.आर/7 10.04.13	परिवादी की वर्ष 2012 की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिह्नित
एक्स.आर/8 13.03.14	परिवादी की वर्ष 2013 की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिह्नित
एक्स.आर/9 25.07.11	न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले को ग्वालियर न्यायपीठ का प्रशासनिक न्यायाधीश नाम-निर्देशित करते हुए मुख्य न्यायाधीश का आदेश न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिह्नित
एक्स.आर/10 16.07.14	'नई दुनिया' समाचार पत्र की क्लिपिंग की छायाप्रति [प्रमाण के अध्यधीन अभिचिह्नित] न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिह्नित

एक्स.आर/11 10.12.13	महिला संगीत के 11 फोटो [आर/11ए से आर/11के] न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिह्नित
एक्स.आर/12 19.12.13	सेंट्रल पार्क होटल द्वारा जारी किए गए बिल और रसीद [आर/12ए और आर/12बी] न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/13 11.12.13	विवाह की 25वीं वर्षगांठ समारोह के लिए परिवादी को दिए गए आमंत्रण पत्र की प्रतिलिपि न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/14 11.12.13	विवाह की 25वीं वर्षगांठ समारोह के 11 फोटो [आर/14ए से आर/14के] न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/15 20.06.14, 06.03.14, 01.09.14 और 06.10.14	20 जनवरी 2014, 6 मार्च 2014, 1 सितम्बर, 2014 और 6 अक्तूबर, 2014 को किए गए समितियों के गठन की सूची क्रमशः आर/15ए, आर/15बी, आर/15सी और आर/15डी के रूप में अभिचिन्हत हैं न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर.डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 2/16 05.05.17	श्री मुनीराज कुशवाहा, चपरासी का हिन्दी में शपथ पत्र श्री मुनीराज कुशवाहा, **आर. डब्ल्यू .सं.** 2 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 2/16ए 05.05.17	श्री मुनीराज कुशवाहा, चपरासी का अंग्रेजी में शपथपत्र श्री मुनीराज कुशवाहा, **आर. डब्ल्यू .सं.** 2 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 3/17 05.01.16	श्री मनोज जैन,वीडियोग्राफर आर.डब्ल्यू. 3 का शपथ पत्र श्री मनोज जैन, **आर. डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 3/18 29.06.16	श्री मनोज जैन, वीडियोग्राफर आर.डब्ल्यू. 3 का साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के अधीन शपथ पत्र श्री मनोज जैन, **आर. डब्ल्यू. सं.** 3 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू4/19 06.05.17	प्रत्यर्थी न्यायाधीश- आर.डब्ल्यू. संख्या 4 की पत्नी श्रीमती संगीता गंगेले द्वारा दाखिल शपथ पत्र श्रीमती संगीता गंगेले, **आर. डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 5/20	प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साथ तैनात तत्कालीन पीएसओ, श्री सहदेव

06.07.17	सिंह, का हिंदी में शपथ पत्र श्री सहदेव सिंह, **आर. डब्ल्यू. सं.** 5 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 5/20ए 06.07.17	श्री सहदेव सिंह, पी एस ओ के उपरोक्त शपथ पत्र का अंग्रेजी अनुवाद श्री सहदेव सिंह, **आर. डब्ल्यू. सं.** 5 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 5/21 06.07.17	ग्वालियर में तैनात तत्कालीन सी जे एम, श्री राजेन्द्र चौरसिया का हिंदी में शपथ पत्र श्री राजेन्द्र चौरसिया, **आर. डब्ल्यू. सं.** 6 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 5/21ए 06.07.17	ग्वालियर में तैनात तत्कालीन सी जे एम, श्री राजेन्द्र चौरसिया के उपरोक्त शपथ पत्र का अंग्रेजी अनुवाद श्री राजेन्द्र चौरसिया, **आर. डब्ल्यू. सं.** 6 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 5/22 06.07.17	श्री पी. के. शर्मा, तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर का हिंदी में शपथ पत्र श्री पी. के. शर्मा, **आर. डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 5/22ए 06.07.17	श्री पी. के. शर्मा, तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के उपरोक्त शपथ पत्र का अंग्रेजी अनुवाद श्री पी. के. शर्मा, **आर. डब्ल्यू. सं.** 7 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू1/23 16.07.14	"नई दुनिया" समाचार पत्र में प्रकाशित परिवादी के त्याग पत्र वाले समाचार की रसीद सहित मूल प्रेस क्लिपिंग न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले **आर डब्ल्यू सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आरडब्ल्यू 1/24 28.06.14	मूल सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त ग्वालियर न्यायपीठ के रोस्टर का ब्यौरा तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की समितियों की सूची न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/25 29.06.12	जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय ग्वालियर को संबोधित परिवादी द्वारा लिखा गया पत्र परिवादी, **सी. डब्ल्यू.सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/25ए 29.06.12	जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय ग्वालियर को संबोधित परिवादी द्वारा लिखे गये पत्र का अंग्रेज़ी अनुवाद परिवादी, **सी. डब्ल्यू.सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित

एक्स.आर/26 25.10.13	स्टेशन हाउस अधिकारी, पी. एस. विश्वविद्यालय को संबोधित एक शिकायत परिवादी, **सी. डब्ल्यू.सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/27 10.06.14	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किया गया अनाम पत्र परिवादी, **सी. डब्ल्यू.सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/27ए 10.06.14	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किये गए अनाम पत्र का अंग्रेजी अनुवाद परिवादी, **सी .डब्ल्यू.सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/28 28.06.14	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किया गया प्रधान रजिस्ट्रार को संबोधित श्री कमल सिंह का उत्तर परिवादी, **सी. डब्ल्यू.सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित
एक्स.आर/28ए 28.06.14	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रत्यर्थी न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किया गया प्रधान रजिस्ट्रार को संबोधित श्री कमल सिंह के उत्तर का अंग्रेजी अनुवाद परिवादी, **सी. डब्ल्यू.सं.** 1 के द्वारा अभिचिन्हित

अभिचिन्हित नहीं किए गए दस्तावेज

प्रदर्श और तारीख	अभिचिह्नितनहीं किए गए दस्तावेजों का ब्यौरा
डी/1 28.09.15	प्रत्यर्थी के प्रति-शपथपत्र के साथ दाखिल किया गया सुश्री भावना सिंह, जेआईसी डब्ल्यू. सं. 2 का शपथपत्र सुश्री भावना सिंह, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 2 के द्वारा अभिचिन्हित
डी/2 28.09.15	इस समिति के समक्ष प्रत्यर्थी के प्रति-शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया श्री कमल सिंह ठाकुर, जेआईसी डब्ल्यू. सं. 4 का शपथ पत्र श्री कमल सिंह ठाकुर, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4 के द्वारा अभिचिन्हित
डी/3	कोई भी दस्तावेज अभिचिह्नित नहीं किया गया
डी/4	कोई भी दस्तावेज अभिचिह्नितनहीं किया गया
डी/5 28.09.15	श्री नवीन शर्मा, जेआईसी डब्ल्यू. सं. 8 का शपथ पत्र श्री नवीन शर्मा, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 8 के द्वारा अभिचिन्हित
डी/6 26.09.15	वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए प्रति- शपथ पत्र के साथ श्री आशा राम, जेआईसी डब्ल्यू. सं. 10 द्वारा दाखिल किया गया शपथ पत्र श्री आशा राम, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 10 के द्वारा अभिचिन्हित
डी/7 02.07.15	उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आंतरिक समिति का प्रतिवेदन न्यायमूर्ति श्री पी. के. जायसवाल, **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 6 के द्वारा अभिचिन्हित

साक्षियों की सूची

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	साक्षी का नाम	पद
1.	सुश्री दिव्या चौरसिया **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 1	श्री राजेन्द्र चौरसिया, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर की पत्नी
2.	सुश्री भावना सिंह **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 2	सिविल न्यायाधीश श्रेणी-II ग्वालियर
3.	श्री राजीव शर्मा **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 3	तत्कालीन जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जिला न्यायालय, ग्वालियर वर्तमान में, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिंगरौली
4.	श्री कमल सिंह ठाकुर **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 4	तत्कालीन प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय, ग्वालियर वर्तमान में, न्यायिक सदस्य, मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल
5.	श्री रवि जायसवाल **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 5	वरिष्ठ अधिवक्ता
6.	न्यायमूर्ति पी. के. जायसवाल **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 6	न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
7.	न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 7	तत्कालीन महा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वर्तमान में, न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
8.	श्री नवीन शर्मा **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 8	तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, ग्वालियर वर्तमान में, सिविल न्यायाधीश श्रेणी-I, सीनियर डिवीजन, सीहोर
9.	श्री वी. बी. सिंह **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 9	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तत्कालीन प्रधान निजी सचिव वर्तमान में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ के रजिस्ट्रार
10.	श्री आशा राम **जेआईसी डब्ल्यू. सं.** 10	सुश्री एबीसी के साथ तैनात तत्कालीन चपरासी वर्तमान में, प्रोसेस राइटर, जिला न्यायालय,

		ग्वालियर
11.	न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन **जेआईसी डब्ल्यू. सं. 11**	तत्कालीन न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
	<u>परिवादी के साक्षी</u>	
1.	सुश्री संगीता मदान **सी डब्ल्यू. सं. 1**	स्वयं परिवादी
2.	सोनल मदान **सी डब्ल्यू. सं. 2**	परिवादी की बड़ी बेटी
3.	श्री संजय मदान **सी डब्ल्यू. सं. 3**	परिवादी के पति
4.	न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा **सी डब्ल्यू. सं. 4**	भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
	<u>प्रत्यर्थी के साक्षी</u>	
1.	न्यायमूर्ति श्री एस. के. गंगेले **आर डब्ल्यू सं. 1**	प्रत्यर्थी न्यायाधीश
2.	श्री मुनीराज कुशवाहा **आर. डब्ल्यू. सं. 2**	प्रत्यर्थी के साथ तैनात तत्कालीन चपरासी वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर में चपरासी
3.	श्री मनोज जैन **आर. डब्ल्यू.सं. 3**	11.12.2013 को विवाह की 25वीं वर्षगांठ समारोह का वीडिओ बनाने का कार्य करने वाले वीडियोग्राफर
4.	श्रीमती संगीता गंगेले **आर. डब्ल्यू. सं. 4**	प्रत्यर्थी न्यायाधीश की पत्नी
5.	श्री सहदेव सिंह **आर. डब्ल्यू. सं. 5**	प्रत्यर्थी न्यायाधीश के साथ तैनात पीएसओ
6.	श्री राजेन्द्र चौरसिया **आर. डब्ल्यू. सं. 6**	तत्कालीन सी जे एम, ग्वालियर वर्तमान में, अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल
7.	श्री पवन कुमार शर्मा **आर. डब्ल्यू. सं. 7**	तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर वर्तमान में, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शिवपुरी